भारत डायनामिक्स लिमिटेड

BHARAT DYNAMICS LIMITED

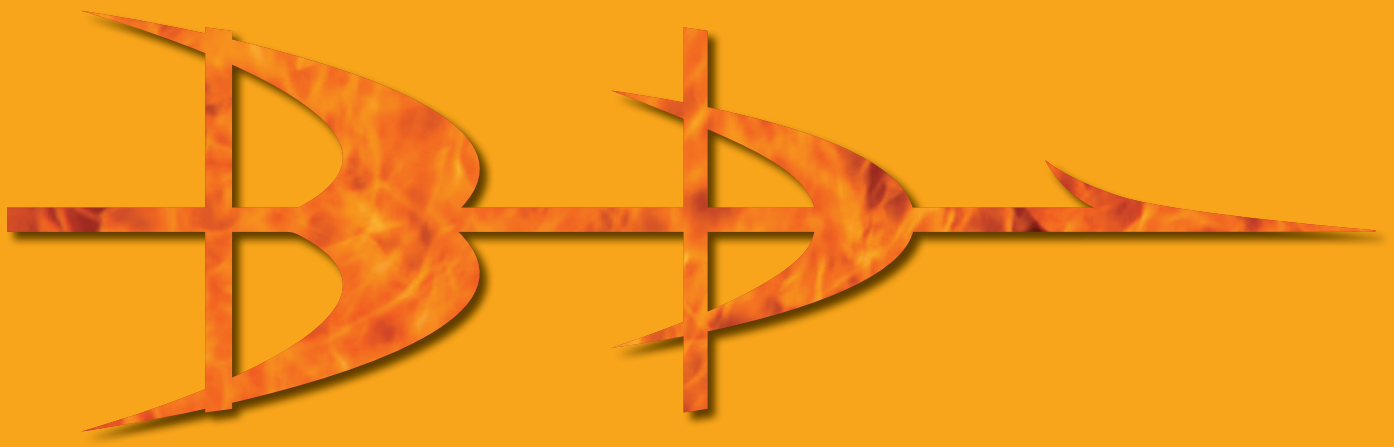

सशस्त्र सेना बल की सेवा में ... IN SERVICE OF THE SERVICES

49 वाँ वार्षिक विवरण 49th Annual Report 2018-19

सशस्त्र सेना बल की सेवा में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपनी स्थापना के 49 वर्षों से अब तक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से संचलित प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण करता आ रहा है। आज बी डी एल, विश्व के तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल विनिर्माताओं में से एक होने के साथ-साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र सहित मित्र देशों को मिसाइल व संबद्ध उपकरण का एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता भी है।

अनुक्रमणिका

परिदृश्य

हमारा परिचय	01
बी डी एल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक	02
निगम संबंधी सूचना	03
निदेशक मंडल	04
अध्यक्ष की कलम से	08
हमारे उत्पाद	13
हमारी रणनीति	15
वित्तीय विशेषताएँ	16
दस वर्षों पर दृष्टिपात	17

अभिशासन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	18
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	44
नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट	51
संव्यवहार उत्तरदायित्व	64
सूचना	120

वित्तीय विवरणिकाएँ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	69
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	81
तुलन-पत्र	85
लाभ-हानि लेखा	86
ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण	87
नक़द प्रवाह विवरण	88
लेखा नीतियाँ	89
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	97

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 49वाँ वार्षिक विवरण 2018-19
लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

Bharat Dynamics Limited, 49th Annual Report 2018-19
Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI

हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल), वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाता है।

कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ - तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित हैं। इसकी और दो नई इकाइयाँ इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और अमरावती जिला, महाराष्ट्र में बनाने की योजना है। पिछले चंद वर्षों में कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2019 तक कुल 3034 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2018-19 के दौरान 3069 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

उद्देश्य

संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनाना।

वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।

मिशन

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र-प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।

बी डी एल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक

डॉ. बी डी नागचौधरी
अध्यक्ष
22.9.1970 से 20.9.1975

प्रो. एम जी के मेनन
अध्यक्ष
29.9.1975 से 30.12.1977

एवीएम वी एस नारायणन
पविसेमे, अविसेमे, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष
06.10.1978 से 01.04.1980

डॉ. राजा रामन्ना
अध्यक्ष
30.01.1981 से 30.08.1982

डॉ. वी एस अरुणाचलम
अध्यक्ष
30.08.1982 से 09.09.1990

एवीएम एस जे दस्तूर (नि.)
प्रबंध निदेशक
22.09.1970 से 10.04.1974

ब्रिगेडियर जे पी अन्थोनी (नि.)
प्रबंध निदेशक
11.04.1974 से 31.08.1977

विंग कमांडर वी एम चितले (नि.)
प्रबंध निदेशक
01.09.1977 से 30.09.1980

श्री ज़ेड पी मार्शल
प्रबंध निदेशक
01.10.1980 से 07.11.1988

एअर कमाडोर आर गोपालस्वामी
अविसेमे, विसेमे (नि.)
प्रबंध निदेशक
(1988-1990)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
10.09.1990 से 30.06.1994

कमाडोर एस राव, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
01.07.1994 से 08.01.2000

श्री एस गोविंदराजन
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
09.01.2000 से 31.08.2000

श्री वी वी गंगाधर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
01.09.2000 से 30.06.2002

श्री जी वी बी बी शर्मा
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
01.07.2002 से 23.07.2002

मेजर जनरल पी मोहनदास, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
24.07.2002 से 27.04.2005

मेजर जनरल रजनीश गोसाईं (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
28.04.2005 से 30.04.2008

कमाडोर पी के सामंता, विसेमे (नि.)
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
01.05.2008 से 30.06.2008

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
01.07.2008 से 31.03.2012

श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
01.04.2012 से 31.12.2014

श्री वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक
30.01.2015 से 28.02.2019

निगम संबंधी सूचना

निदेशक मंडल

वाराणसी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(दि. 28 फरवरी, 2019 तक)

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(दि. 01 मार्च, 2019 से)

अश्वनी कुमार महाजन
सरकारी निदेशक

एम एस आर प्रसाद
महानिदेशक (एम एस एस), डी आर डी ओ
सरकारी निदेशक
(दि. 31 दिसंबर, 2018 से)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ

वी गुरुदत्त प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 31 मई, 2019 तक)

के दिवाकर
निदेशक (तकनीकी)
(दि. 31 अगस्त, 2018 तक)

एन पी दिवाकर
निदेशक (तकनीकी)
(दि. 01 सितंबर, 2018 से)

पी राधाकृष्ण
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 01 जून, 2019 से)

सुषमा वी दबक
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अजय पाण्डेय
स्वतंत्र निदेशक

के एस संपत
स्वतंत्र निदेशक

अजय नाथ
स्वतंत्र निदेशक

लता नरसिंह मूर्ति
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव

एन नागराजा

प्रधान कार्यपालक
(दि. 31 मार्च, 2019 तक)

कमोडोर त्रिलोक नाथ कौल (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (विपणन एवं संव्यवहार विकास)

जी गोपाल
अधिशासी निदेशक (प्रधान – केबीयू)

अरूप कुमार माइती
महाप्रबंधक (सा.से.)

एन संपत कुमार
महाप्रबंधक (प्रधान - इब्राहीमपट्टणम इकाई)

शिवानंद एस खानापेट
महाप्रबंधक (प्रधान – भानूर इकाई)

वी लता
महाप्रबंधक (ओ पी, क्यू आर – सैम एवं डी अण्ड ई)

एम एन सुरेश
महाप्रबंधक (जी एस डी)

के जे जोसेफ़
महाप्रबंधक (वित्त)

पी राधाकृष्ण
महाप्रबंधक (कांकूर्स-एम)
(दि. 31 मई, 2019 तक)

आशुतोष कुमार
महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)

एस नारायणन
महाप्रबंधक (मा.सं.)

सी एच रमेश बाबू
महाप्रबंधक (एन पी अण्ड टी एस डी) केबीयू

एस टी जी एस रामानुजम
महाप्रबंधक (ईआरपी, आईटीडी अण्ड सीसी)

एस वी कामेश्वर
महाप्रबंधक (प्रधान – विशाखापट्टणम इकाई)

पी वी राजाराम
महाप्रबंधक (आकाश)

एन श्रीनिवासुलू
महाप्रबंधक (वित्त)

लेखापरीक्षक

मेसर्स एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स उमामहेश्वर राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स रामामूर्ति (एन) अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स नरसिम्हा राव अण्ड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स बी वी राव अण्ड कंपनी, एल एल पी

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड अण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

विधि सलाहकार

वी उमा देवी
डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

आंध्रा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक
आई सी आई सी आई बैंक
एच डी एफ सी बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ई पी ए बी एक्स : 040-24587466 &
040-24587777
फैक्स : 040-24340464
ई-मेल : bdlitd@ap.nic.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास)
गच्ची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
हैदराबाद-500032.
दूरभाष : 040-23456101
फैक्स : 040-23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दि. 01 मार्च, 2019 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया। कमोडोर मिश्र वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रैंच में कमीशन हुए थे। सितंबर, 2016 में नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद कमोडोर मिश्र ने अनुसूची "ए" के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ई सी आई एल, हैदराबाद में महाप्रबंधक (रक्षा) के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।

कमोडोर मिश्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक, डिफेंस स्टडीज़ में एम एस सी और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस की उपाधि प्राप्त हैं। ये प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी और नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोणावाला के पूर्व छात्र भी हैं।

अपने 33 साल के विशिष्ट सेवाकाल के दौरान कमोडोर मिश्र ने विभिन्न परिचालनीय व स्टॉफ संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ ई सी आई एल में चार प्रमुख समूहों के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभायी।

नौसेना मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी शामिल करने और इसके प्रबंधन कार्य के अलावा नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही, इन्होंने नौसेना की कोर समिति के सदस्य के रूप में एयर क्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने संबंधी कार्य में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

नेवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने पोत और पनडुब्बियों को पुन:कार्यक्षम बनाकर आधुनिक बनाने के कार्य की देखभाल का जिम्मा सँभाला। इन कार्यों के अलावा इन्होंने डॉकयार्ड के निर्बाध संचालन / रखरखाव / परिसंपत्ति प्रबंधन / अवसंरचना विकास और संसाधन नियोजन के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य भी किया।

ई सी आई एल के शीर्ष प्रबंधन के एक सदस्य के रूप में इन्होंने रक्षा व अन्य क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जिससे देश को बहुत लाभ हुआ।

श्री अश्वनी कुमार महाजन

श्री अश्वनी कुमार महाजन 1988 बैच के आई आर एस अधिकारी हैं। शैक्षणिक स्तर पर ये एम बी बी एस, एल एल बी, एल एल एम (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) की उपाधियाँ रखते हैं। दि. 08 जनवरी, 2016 से इन्हें रक्षा मंत्रालय (वित्त) में अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था तथा दि. 9 मार्च, 2016 से ये बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री एम एस आर प्रसाद

श्री एम एस आर प्रसाद, विशिष्ट वैज्ञानिक, दि. 28 सितंबर, 2018 से महा निदेशक (मिसाइल एवं स्ट्रेटजिक सिस्टम) के रूप में नियुक्त किये गये हैं। वर्ष 1961 में जन्मे श्री प्रसाद ने सन् 1983 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी से बी.टेक और आई आई टी, मुंबई से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। पिछले तीस वर्षों से श्री एम एस आर प्रसाद डी आर डी ओ के विभिन्न रक्षा कार्यक्रमों के मिसाइल टेक्नॉलॉजी में उल्लेखनीय योगदान देते आ रहे हैं। विभिन्न मिसाइल परियोजनाओं के एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल डिजाइन, विश्लेषण तथा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स अध्ययन के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल कार्यक्रमों के वरिष्ठ डिजाइनरों में से एक श्री प्रसाद ने डिजाइन संबंधी कई नवोन्मेषी अवधारणाएँ उपलब्ध करायीं।

श्री प्रसाद ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली देश की पहली मिसाइल बी-05 के डिजाइन, विकास और उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इन्होंने रक्षा कार्यक्रम के लिए उच्च विश्वसनीयता वाले एयरोस्पेस मेकानिज़्म विकसित करने का भी उत्तरदायित्व निभाया है। श्री एम एस आर प्रसाद के इन कार्यों के फलस्वरूप मिसाइल कांप्लेक्स में इन्होंने उप परियोजना निदेशक, बी-05, परियोजना निदेशक-के4, प्रोन्नत नौसेना कार्यक्रम के निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी आर डी एल) के निदेशक के पदभार सँभाल अपना कैरियर सँवारा। और, अब महानिदेशक (मिसाइल अण्ड स्ट्रेटजिक सिस्टम) बनाये गये।

इनकी प्रतिभा और नवोन्मेषी योगदान की पहचान करते हुए डी आर डी ओ ने इन्हें लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफ दि इयर-2003, डी आर डी ओ परफार्मेन्स टीम अवार्ड-2007, साइंटिस्ट ऑफ दि इयर 2011 तथा स्ट्रेटजिक मिसाइल प्रोग्राम-2014 के लिए डी आर डी ओ उत्तम नवोन्मेष टेक्नॉलॉजी विकास अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया।

श्री एम एस आर प्रसाद दि. 31 दिसंबर, 2018 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री एस पिरमनायगम

श्री एस पिरमनायगम विज्ञान में स्नातक हैं और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के संबद्ध सदस्य हैं। बी डी एल में निदेशक (वित्त) का पदभार सँभालने से पूर्व ये मेसर्स बी ई एम एल के रेल एवं मेट्रो संव्यवहार के वित्तीय कार्यों के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। दस वर्ष तक नैवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सेवाएँ प्रदान करने के बाद वर्ष 1996 से 2007 के दौरान इन्होंने बी डी एल के मध्य प्रबंधकीय संवर्ग में भी अपनी सेवाएँ दीं। इन्हें लेखपरीक्षा, लेखा, वित्त और कराधान के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव प्राप्त है। श्री पिरमनायगम ने दि. 1 जनवरी 2015 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं।

श्री एन पी दिवाकर

श्री एन पी दिवाकर दि. 1 सितंबर, 2018 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त हुए। इससे पूर्व वे बी डी एल भानूर इकाई के अधिशासी निदेशक रहे। श्री एन पी दिवाकर उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें 'पृथ्वी', 'आकाश', 'एटीजीएम' जैसे विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों में लगभग 28 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'पृथ्वी','आकाश' मिसाइल प्रणालियों को विकास स्तर से उत्पादन स्तर तक लाने के लिए डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम किया। श्री दिवाकर ने सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य अनुरूप आकाश और कांकूर्स मिसाइल की उत्पादन-श्रृंखला व मानव-शक्ति योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

साथ ही, श्री दिवाकर ने भानूर इकाई में 'अस्त्र' मिसाइल उत्पादन सुविधाएँ भी स्थापित की। मार्च, 2017 के दौरान रक्षा मंत्रालय के साथ सफलतापूर्वक बातचीत कर कांकूर्स-एम मिसाइल उत्पादन के आदेश प्राप्त किये।

बी डी एल में नियुक्ति से पूर्व श्री दिवाकर ने ओ एन जी सी में 6 वर्ष तक अपनी सेवाएँ भी दीं।

श्री पी राधाकृष्ण

श्री पी राधाकृष्ण ने दि. 01 जून, 2019 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री पी राधाकृष्ण बीडीएल की भानूर इकाई में महाप्रबंधक रहे। अपने सेवाकाल के दौरान यहाँ उन्होंने कॉकूर्स, कॉकूर्स-एम और इनवार टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र, लाँचर्स और राइफल्स के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने सुरक्षा सन्नहित क्रमानुगत उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, हैदराबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मैनेजमेंट में एम-टेक., नागार्जुना विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक उपाधि प्राप्त श्री राधाकृष्ण को घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'मल्टी वेंडर बेस' तथा 'आयात प्रतिस्थापन' विकास के ज़रिये टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की भी स्थापना की। इन्होंने उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और संस्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन्होंने बीडीएल, भानूर इकाई में आई एस ओ 9001:2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली तैयार कर इसे लागू करवाने में सक्रिय भूमिका निभायी जो आज वांतरिक्ष मानक AS9100D नाम से परिचालन में है।

इन्हें भारतीय नौसेना के लिए मॉड्यूलर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की खरीद और दीर्घकालिक आदेश की दृष्टि से देशीकरण नीति का मसौदा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा तकनीकी ओवरसाइट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

श्रीमती सुषमा वी दबक

श्रीमती सुषमा वी दबक 1981 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में भर्ती हुई। इन्होंने प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, महालेखाकार, राजस्थान तथा महाराष्ट्र सहित कई पद सँभाले। वर्ष 2013 में ये मुंबई से लेखापरीक्षा के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। आई ए एवं ए एस में सेवारत होने से पूर्व ये एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में अर्थाशास्त्र की प्राध्यापिका तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली में अर्थशास्त्री के पदों पर कार्यरत रहीं।

इन्होंने अर्थशास्त्र में एम ए, एल एल बी, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की। इन्हें सरकार के तीनों स्तरों यथा केंद्र, राज्य एवं क्षेत्रीय तथा आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी सरकारी कंपनियों, स्वायत्त एवं क्षेत्रीय निकाय जैसे विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठनों में लेखापरीक्षा का अनुभव प्राप्त है। ये न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड में वित्तीय सलाहकार तथा महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कार्पोरेशन में वित्तीय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त रहीं। विदेश स्थित भारतीय मिशन तथा यू एन एच सी आर की लेखापरीक्षा के लिए भी प्रतिनियुक्त रहीं। इन्हें सरकारी लेखा, सरकारी कंपनियों तथा बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रमाणन का अनुभव प्राप्त है।

ये देश-विदेश में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियों में भाग ले चुकी हैं। ये दि. 1 दिसंबर, 2015 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

प्रो. अजय पाण्डेय

प्रो. अजय पाण्डेय संप्रति भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त एवं लेखा विधि के प्रोफेसर हैं। इन्होंने रूरकी विश्वविद्यालय (आजकल आई आई टी, रूरकी) से औद्योगिक इंजीनियर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) तथा ऑयल अण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) में परियोजना एवं अनुवीक्षण इंजीनियर के पद पर कार्य किया। तदुपरांत, आई आई एम अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए फेलो प्रोग्राम के तहत प्रवेश पाकर वित्त के क्षेत्र में फेलो डिग्री (पी एच डी के समकक्ष) प्राप्त की।

डॉक्टरेट करने के बाद तथा आई आई एम, अहमदाबाद में आने से पहले ये भारत की कई शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। इसके बीच, इन्होंने निजी क्षेत्र की संयुक्त परियोजना के वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य किया। अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्यापन संबंधी इनकी व्यावसायिक रुचि विशेष रूप से निगम वित्त तथा नैगमिक अभिशासन, जोख़िम प्रबंधन, परियोजना वित्त, अस्थिरता एवं संपत्ति लागत गतिकी जैसे पूँजीगत बाजार में है। इन्हें परियोजना संरचना एवं जोख़िम नियतन, सार्वजनिक खरीदी, भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों से संबंधित संरचना क्षेत्र के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में भी व्यावसायिक रुचि है। ये सरकार, नियामक एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संरचना संबंधी मामलों में परामर्शदाता भी रहे हैं। इन्होंने आई आई एम-अहमदाबाद में अध्यक्ष, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, डीन (संकाय), डीन (कार्यक्रम) एवं प्रभारी निदेशक के पद पर रहते हुए शैक्षणिक प्रशासन के कार्य भी सँभाले। ये दि. 1 दिसंबर, 2015 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री के एस संपत

श्री के एस संपत पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हैं जिन्हें आयकर, कारपोरेट कानून, बैंकिंग (ट्रेजरी, फोरेक्स, विदेशी बैंक के ड्यू डिलिजेन्स सहित) तथा बीमा क्षेत्र सहित नैगमिक अभिशासन विकास में विशेषज्ञता का 32 वर्ष का विस्तृत व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने देश के कुछ उच्च संस्थान जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में सेवाएँ देकर तथा हाल ही में नाबार्ड के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डी सी सी बी तथा आर आर बी जैसी कुछ विशिष्ट सार्वजनिक संस्थाओं के पर्यवेक्षक बोर्ड के सलाहकार सदस्य के रूप में बोर्ड स्तर का अनुभव अर्जित किया है। लेखापरीक्षा समिति, प्रबंधन समिति, आई टी समिति, जोख़िम प्रबंधन समिति तथा शेयर अंतरण समितियों में अध्यक्ष / सदस्य के रूप में रहते हुए इन्होंने नैगमिक अभिशासन बेहतर बनाने का कार्य किया है। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री अजय नाथ

श्री अजय नाथ मध्यप्रदेश कैडर के 1982 बैच के आई ए एस अधिकारी हैं। श्री अजय नाथ दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं और सितंबर 2011 से सितंबर 2015 तक मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग में पहले प्रधान सचिव और फिर बाद में अपर मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ देकर सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। इससे पूर्व इन्होंने भारत सरकार के निगम मामले मंत्रालय में निरीक्षण एवं पंजीकरण महानिदेशक के रूप में, तदुपरांत भारत सरकार के निगम मामले मंत्रालय के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। ये भारत सरकार के वित्त मामले विभाग के उप सचिव भी रहे और एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलिप्पाइन्स में कार्यपालक निदेशक (भारत) के तकनीकी सहायक भी। इन्होंने मध्य प्रदेश को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम सेक्यूरिटि प्रिंटिंग अण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी पद पर भी अपनी सेवाएँ दीं। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति

श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति संप्रति मेलंगे प्राइम प्रापर्टीज़ और टॉय पटनम में प्रबंधन भागीदार है। इन्होंने एम आई टी ग्लोबल इंटरप्रेन्यूरशिप बूटकैंप पूर्ण कर मेसाश्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 'न्यू वेंचर्स लीडरशिप' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति ने तक्षशिला संस्थान से लोक-नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु से इंडिया-वुमेन इन लीडरशिप (I-WIL) पूर्ण किया है। इन्होंने वर्ष 2010 से 2015 तक वृहत् बेंगलूरु महानगरपालिका में कॉर्पोरेटर के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। राजनीति के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए इन्हें वर्ष 2014 के 'बेंगलूरु युवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया तथा यू एल और अशोका चेंज मेकर द्वारा आयोजित 'सुरक्षित सड़क, सुरक्षित भारत अभियान' की ये विजेता भी रही हैं। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

अध्यक्ष की कलम से

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीडीएल स्वर्ण जयंती वर्ष के इस यादगार अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से 49वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

मेरे लिये ऐसी प्रसिद्ध कंपनी का हिस्सा बनना बड़े सम्मान और गौरव की बात है जिसके उत्स से अब तक पिछले पचास सालों में कंपनी से जुड़े पुरुष और महिला कार्मिकों ने अपने समर्पणभाव और प्रतिबद्धता से इसे सींचकर यहाँ तक पहुँचाया है।

यह सोच बड़ा उल्लेखनीय प्रतीत होता है कि 1970 में एकल उत्पाद के साथ मामूली तौर पर अपनी कारोबारी यात्रा शुरू कर बी डी एल आज विभिन्न प्रोद्योगिकी संपन्न एक बहु-उत्पाद, बहु-इकाई संगठन के रूप में विकसित हुआ है।

इस लंबी कारोबारी यात्रा के दौरान कई मील के पत्थर भी बने हैं, कारण कि बी डी एल ने दिन-ब-दिन अपना भौगोलिक विस्तार कर देश-विदेश, दोनों में अपने उत्पाद के प्रयोगकर्ता तैयार कर अपनी मौजूदगी को और ताकतवर बनाया है। आज बी डी एल, हमारे सशस्त्र बलों की निरंतर बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले एक प्रमुख रक्षा उपक्रम के रूप में उभरने के साथ-साथ दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण पहचान भी बना रहा है। अपने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमें संतोष के भाव से भर देता है।

पचास साल किसी भी नज़रिये से देखें तो उपलब्धि से कम नहीं पर इस दौरान हासिल उपलब्धियों पर जब दृष्टिपात करते हैं तो और भी गर्व की अनुभूति होती है।

इससे पहले कि मैं आपको वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए आपकी कंपनी की उपलब्धियों और इसके परिचालनीय परिदृश्य की जानकारी दूँ, मैं यह सहर्ष कहना चाहूँगा कि भले ही इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे ये शुरुआती दिन रहे हों, पर मुझे यह रोमांचित करने वाली बात लगी कि "टीम बीडीएल" मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है तथा मुझे इस कंपनी को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने हर सहयोग देने के लिए तैयार है।

प्रदर्शन का अवलोकन:

प्रदर्शन के लिहाज से यह साल चुनौतीपूर्ण रहा। इस वर्ष का प्रदर्शन विशेष रूप से हमारे संगठन के दृढ़ संकल्प और दृढ़ चरित्र को दर्शाता है क्योंकि हमने भारी तकनीकी चुनौतियों व बड़ी आज़माइश भरी परिस्थितियों में रु. 3069 करोड़ (रु.3235 करोड़ के उत्पादन मूल्य के साथ) का अच्छा माना जा सकने वाला बिक्री कारोबार दर्ज किया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये मैं खासकर प्रत्येक कर्मचारी और हितधारक को इसका श्रेय देना चाहूँगा। बिक्री मूल्य और बिक्री उत्पाद में हुई इस मामूली गिरावट से हमारी कार्यभावना प्रभावित नहीं होगी क्योंकि इसकी मुख्य वजह ऐन-वक्त पर आयी तकनीकी रुकावटें रहीं न कि हमारी कार्यशीलता में कोई कमी। इन सबके बावजूद कहना चाहूँगा कि आशावादी बने रहें क्योंकि अधिकतर तकनीकी रुकावटें हल कर ली

गयी हैं और आपकी कंपनी पटरी पर लौट आयी है। साथ ही, यह कई नयी परियोजनाएँ भी हासिल करने जा रही है। मैं सभी कर्मचारियों से कहना चाहूँगा कि वे दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ काम करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें तो मुझे यकीन है कि आपकी कंपनी नए जोश के साथ वापसी करेगी।

वित्तीय प्रदर्शन पर नज़र डालें तो आपकी कंपनी मुनाफे की राह पर है और लाभांश का भुगतान करती आ रही है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए रु. 30.61 करोड़ यानी रु.10/- के प्रत्येक शेयर पर रु.1.67/- के हिसाब से अंतिम लाभांश देने का निर्णय लिया है।

परिचालनीय परिदृश्य:

भारतीय उद्योग आज एक नये युग के प्रवेश-द्वार पर खड़ा है जहाँ से वह राष्ट्र को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी निभायेगा।

भारत का रक्षा उद्योग पिछले कुछ वर्षों से मामूली गति से बढ़ रहा है। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और देशीकृत विनिर्माण प्रमुख ध्यानाकर्षण के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र के आगे बढ़ने के लिए जरूरी जोर मेक इन इंडिया कार्यक्रम से मिल रहा है। आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा धीरे-धीरे हितधारक स्वीकार करने लगे हैं। यह देश के भीतर ही तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के नए चरण की शुरुआत का एक उपयुक्त समय है। और, निजी क्षेत्र की भी भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। भारतीय रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विदेशी विक्रेताओं को भारतीय ऑफसेट भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करना है। आशय कि, सरकार रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में निवेश लाने के लिए दिशानिर्देशों में आमूल परिवर्तन के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए, सरकार की सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और विशेष रूप से एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निवेश की योजना है। इस दृष्टि से नई रक्षा खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा काण्ट्रैक्ट दिये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है।

भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र में देशीकरण को प्रोत्साहित करने की कई तरह की पहल के फलस्वरूप आपकी कंपनी अपने लंबे अनुभव, विनिर्माण विशेषज्ञता, डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं के साथ सह-विकास साझेदारी, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, मजबूत परियोजना प्रबंधन कौशल और प्रबलित डी अण्ड ई क्षमताओं के साथ लाभान्वित होते हुए समृद्धि के लिए तैयार है।

दि. 25 जनवरी, 2019 को विशाखापट्टणम इकाई में ***'दि डायनामिक डेकेड्स ऑफ बी डी एल'*** नाम से नयी कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए करते हुए डॉ. अजय कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन)। इसमें सन् 1970 में कंपनी की स्थापना से लेकर इसकी निर्णायक एवं प्रेरक घटनाओं का संकलित चित्रण है।

वर्ष की उल्लेखनीय बातें :

1) **नये आदेश :** मुझे यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने टैक्स राशि छोड़कर 2686/- करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त किये हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, लॉचर, टेस्ट सिस्टम और सहायक उपकरण शामिल हैं।

2) **प्रक्रियागत परियोजनाएँ :** इसके अतिरिक्त, मुझे यह बताने में भी खुशी हो रही है कि बीडीएल को मिलने वाले कुछ आदेश काफी अग्रिम चरण में पहुँच चुके हैं। आपकी कंपनी का शीर्ष प्रबंधन इनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है।

3) **प्रौद्योगिकी उन्नयन करने में नये भागीदार :** वैश्विक रक्षा उद्योग में मौजूदा चलन के साथ तालमेल बनाये रखते हुए आपकी कंपनी हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्ति और प्रमुख अस्त्र तैयार करने व बनाने वालों के साथ निरंतर अनुबंध स्थापित करने के प्रयास में लगी है। फलस्वरूप हमने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संस्थाओं के साथ एमओयू / एनडीए / एल ए टी ओ टी किये हैं।

4) **नयी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) :** बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ बने रहते हुए आपकी कंपनी नवीनतम हथियार प्रणाली के विनिर्माण और परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिये निरंतर प्रयासरत है। इसी के फलस्वरूप

i) आपकी भानूर इकाई में मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) के निर्माण के लिए उत्पादन सुविधाएँ स्थापित की गई जिसका उद्घाटन 29 सितंबर, 2018 को डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने किया।

ii) अंतर्जलास्त्र जैसे टॉरपिडो, माइन्स, सोनोबुआय, डिकाय आदि के परीक्षण के लिए आपकी विशाखापट्टणम इकाई में अपने किस्म की विश्व स्तरीय ध्वानिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन रक्षा उत्पादन सचिव द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2019 को किया गया।

iii) अभिकल्प एवं अभियांत्रिकी (डी अण्ड ई) ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए नवीनतम उपकरण और साफ्टवेयर टूल्स खरीद कर इनका उन्नयन किया है जिनमें आर एफ प्रोटोटाइपिंग साफ्टवेयर, ऑप्टो मेकॉनिकल साफ्टवेयर, डी एस पी टूल्स, आई पी कोरेस, कील माइक्रो कंट्रोलर टूल आदि शामिल हैं।

iv) कंचनबाग इकाई के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग में एक परिपूर्ण सरफेस माउण्ट टेक्नॉलॉजी लाइन स्थापित की गयी है जो ओ बी पी, एस सी यू, सी जी यू जैसी जटिल उप-प्रणालयों की आंतरिक रूप से असेंबली करने में सहायक होगी।

5) **तकनीकी ब्रेकथ्रू :** आपके कर्मचारियों के समर्पण और काम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और तकनीकी उपलब्धियों के मामले में बहुत लाभदायी काम किया है।

i) आपकी कंपनी ने प्रतिष्ठित एंटी सैटेलाइट मिसाइल (मिशन शक्ति) के लिए रिएक्टिव कवच प्रणाली और नियंत्रण बे (इलेक्ट्रॉनिक्स संयोजन) तथा पूरी केबल पट्टिका विकसित कर योगदान दिया है।

ii) 14 और 15 मार्च 2019 को पोखरण में हुए एम पी ए टी जी एम संचलन उड़ान परीक्षण कार्य में सफलतापूर्वक साहचर्य।

6) **गुणता प्रणाली (क्वालिटी सिस्टम) :** एक मिसाइल विनिर्माण कंपनी होने के नाते इसके लिए उत्पाद की गुणवत्ता सर्वोपरि होती है। लक्ष्य होता है कि आपके उत्पाद को पहली बार और हर बार काम करना चाहिए। अत: उच्च गुणता मानक प्राप्ति के उद्देश्य से तीनों इकाइयों की सभी उत्पादन इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन मानक AS 9100D से प्रमाणित हैं। जबकि, आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (आईटीडी) आईएसओ-आईईसी 27001-2013, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) से प्रमाणित है।

इसके अलावा, सभी तीन इकाइयों को आईएसओ 14001: 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) से उन्नत किया गया है।

निगम से संबंधित अभिशासन प्रणाली :

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में आपकी कंपनी मूल्यों, नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, उचित प्रकटीकरण, कानून और नियमों के पालन संबंधी सिद्धांत में विश्वास करती है।

आपकी कंपनी में कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, उसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हैं। आपकी कंपनी अपनी स्थापित प्रक्रियाओं और संरचना के बल पर अपने उद्देश्य और प्रणालियों की निगरानी करने में सक्षम बनी हुई है।

आपकी कंपनी, बोर्ड की संरचना, लेखापरीक्षा समितियों, बोर्ड प्रक्रियाओं, प्रबंधन चर्चाओं, वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का प्रमाणन, आंतरिक नियंत्रण और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्टिंग से संबंधित सेबी और अन्य सरकारी वैधानिक निकायों के सभी अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर त्रैमासिक और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में रक्षा मंत्रालय को भेजी जा रही है।

आपकी कंपनी की गतिविधियों की निगरानी कई बाहरी एजेंसी जैसे वैधानिक लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य सतर्कता आयुक्त, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि द्वारा की जाती है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पोरेट अभिशासन श्रेणी में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी को लगातार "उत्कृष्ट" श्रेणी दर्जा दिया गया है, जो अपने आप में स्थापित तंत्र, संबंध, विनियमों और प्रक्रियाओं का गवाह है, जिनके द्वारा यह शासित है।

पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा :

आपकी कंपनी अपने कर्मचारी, ग्राहक और उन सभी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ हम काम करते और रहते हैं। कंपनी स्वच्छ और हरित पर्यावरण बनाये रखने पर्यावरण के सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। इसके अंतर्गत आपकी कंपनी मल जल शुद्धीकरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और शुद्धीकृत जल से हरी-भरी सजावट जैसे कार्य कर रही है। बी डी एल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य स्तर और स्टीयरिंग स्तर पर समितियाँ समय-समय पर प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करती हैं और आवश्यक सुधारात्मक / सुधार तंत्र को लागू करती हैं। आपकी कंपनी अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के साथ-साथ अपने उत्पाद, इसकी प्रक्रियाओं और सेवाओं में पर्यावरणीय दृष्टि से गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहती है।

हमारा यह भी मानना है कि हमारे कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों और समुदायों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिनके साथ हम निरंतर काम करते हैं।

आपकी कंपनी औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देती है और सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करती है। दो समितियाँ यानी औद्योगिक सुरक्षा समिति, जो वैधानिक भी है और विस्फोटक सुरक्षा समिति बीडीएल की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यशील है। सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर, वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की समीक्षा, निगरानी और उन्नयन के लिए आयोजित की जाती हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुपालन और विस्फोटक सुरक्षा और विस्फोटक समिति (STEC) के नियमों के भंडारण और परिवहन का कड़ाई से पालन किया जाता है। स्वच्छ परिवेश, हरित पर्यावरण, कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ज़ीरो इफ्लूयेंट डिस्चार्ज, ऊर्जा संरक्षण, व्यवस्थित प्रबंधन और हानिकारिक व्यर्थ का निपटान आदि हमारे नियमित रूप से स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा बन चुके हैं।

हमारी तीनों उत्पादन इकाइयाँ IS14000 से प्रमाणित हो चुकीं जो उपरोक्त पर्यावरण गुणवत्ता मानक का एक प्रमाण है।

ग्राहकों के साथ बातचीत:

तेजी से हो रहे तकनीकी नवाचार के साथ ग्राहकों की माँग बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जरूरत है कि संगठन सेनाओं की आवश्यकताओं के बारे में पूर्वसक्रिय रहते हुए जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार काम करें।

तदनुसार, आपकी कंपनी ने अपने उत्पाद समर्थन विभाग को प्रभावी प्रयोगकर्ता सेवा-सहयोग देने के लिए काफी मजबूत किया है। प्रयोगकर्ता को अपेक्षित सेवा-सहयोग कथित समय से प्राप्त हो इस दृष्टि से विशिष्ट सेवानिवृत्त सेना अधिकारी भी भर्ती किये गये हैं। आपकी कंपनी सशस्त्र सेनाओं के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बेस लेवल डिपो और मेंटेनेन्स वर्कशाप के निकट सेवा-सहयोग टीमों की स्थापना कर रही है। डी अण्ड ई और उत्पादन प्रभागों से टीमें प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सुलझाने के लिए नियमित रूप से प्रयोगकर्ता स्थलों की यात्रा करते हैं। आपकी कंपनी प्रयोगकर्ता के साथ सहज संचार चैनल बनाये रखने के लिए नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपकरण जैसे चैटबॉट्स / आभासी बुद्धिमत्ता सहायक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग कर) स्थापित करने का भी प्रस्ताव कर रही है। यह बातचीत या टेक्सट के माध्यम से सहज वार्तालाप को सक्षम बना पायेगा ताकि प्रयोगकर्ता सेवा में आप सेवा के और अधिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं और सभी स्तरों पर अधिक स्व-सेवा देकर इसमें उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

विक्रेता विकास:

आपकी कंपनी अपने विक्रेताओं को प्रगति में भागीदार मानती है और पारस्परिक रूप से हितकारी संबंध स्थापित करने में विश्वास करती है। हमारे विक्रेता हमारे संव्यवहार विकास के लिए मूल्यवान हैं और हमारे व्यवसायी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम आपस में सहयोगी भावना से काम करेंगे।

निगम वाणिज्यिक विभाग विक्रेताओं की पहचान, और इनके स्तर को उनकी गुणवत्ता, सुपुर्दगी समय और मात्रा जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर करता है।

आपकी कंपनी संभवत: पहली कंपनी होगी जिसने विक्रेता विकास के अंतर्गत अपने विक्रेताओं के लिये AS9100D अंतर्राष्ट्रीय एयरवर्थिनेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया होगा। आपकी कंपनी अपने विक्रेता भागीदारों के लिए टेक्नॉलॉजी हस्तांतरण करने, सुविधाएँ स्थापित करने और जहाँ आवश्यक हो अपनी संरचनात्मक सुविधाएं साझा कर उनका हाथ थामने में विश्वास करती है।

निगम वाणिज्यिक विभाग और अलग-अलग प्रभागों द्वारा विक्रेताओं के साथ स्पष्ट, पारदर्शी और आपसी समझ बनाये रखते हुए सभी के लिए समस्तरीय कामकाजी अवसर सुनिश्चित करने वेंडर मीट आयोजित किये जाते हैं।

आगे का रास्ता :

आपकी कंपनी के पास 01 अप्रैल, 2019 तक 7258 करोड़ रुपये के मजबूत और निरंतर काम के आदेश हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में व्यक्त किया कि वर्ष 2018-19 के आरंभ में गिरावट को लेकर थोड़ी चिंता थी पर कंपनी रुकावटें पार अपने रास्ते पर पुन: वापस आ गयी है। इसके अतिरिक्त भविष्य के प्रति आशावादी होने का यह भी आधार है कि जिन

परियोजनाओं के लिए बी डी एल की पहचान की गयी है वे आबंटन के विभिन्न चरणों में पहुँच चुके हैं। आपकी कंपनी इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो आने वाले वर्षों में हमारी ऑर्डर बुक को मजबूत बनायेंगे।

आने वाले वर्षों में, आपकी कंपनी मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेगी :

- मौजूदा उत्पादन लाइनों का अनुकूलतम उपयोग।
- निर्यात और देशीकरण को बढ़ाकर भूस्थैतिक पहुँच को बढ़ाना।
- डिजाइन एजेंसियों के साथ नई परियोजनाओं का सह-विकास करना।
- ऑफसेट परियोजनाएँ।
- अपने उत्पादों का नवाचार के माध्यम से उन्नयन करना।

उपरोक्त क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करने के लिये आपकी कंपनी ने निम्नलिखित कदम उठाये :

i) डी आर डी ओ के सह-विकास कार्यक्रमों में संलग्नता।

ii) नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर 'सीकर' निर्माण के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास कार्य में संलग्न।

iii) आपकी कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विदेशी ओ ई एम के साथ भी चर्चा कर रही है।

iv) आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों से पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों को शामिल कर अपने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास को काफी मजबूत बनाया है।

v) आपकी कंपनी अपने आंतरिक अनुसंधान और विकास कार्य के अंतर्गत तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा-III विकास का कार्य भी प्रगति पर है जिसके लिए शीर्ष प्रबंधन भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालाँकि इस काम में आगे चुनौतियाँ आ सकती हैं पर मुझे विश्वास है आपकी कंपनी अपने दृढताभाव और दृढ़ संकल्प के आधार पर खुद से आंतरिक रूप से अभिकल्पित, विकसित और निर्मित मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल करेगी।

vi) इसके अलावा, आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा बचत और समग्र लागत में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम के देशीकरण के दृढ़ प्रयास करने में लगी है।

इसके अलावा, मेक इन इंडिया, देशीकरण और आयात प्रतिस्थापन जैसी पहल पर सरकार का निरंतर जोर आपकी कंपनी को अपने दशकों के अनुभव के साथ इसका अधिकतम लाभने पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

ऑर्डर बुक की स्थिति, प्रत्याशित आदेशों और उपर्युक्त उठाये गये कदमों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कंपनी निरंतर विकास के लिए तैयार है।

सी एस आर फोकस:

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आपकी कंपनी के संव्यवहार (बिजनेस मॉडल) का एक अंतर्निष्ट भाग है। कंपनी के सीएसआर प्रयासों के तहत अधिकारवंचित ग्रामीण और शहरी समुदायों को सहारा देने का प्रयास किया जाता है। इनमें कंपनी की विनिर्माण सुविधाओं के करीब अर्द्ध-ग्रामीण स्थानों में रहने वाले कमजोर और हाशिये के स्थानीय समुदाय शामिल हैं। आपकी कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के तहत गांवों को गोद लेने, आकांक्षात्मक जिलों के विकास, स्वच्छ भारत, कौशल विकास आदि के तहत अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इन सभी गतिविधियों पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

बी डी एल अपने सी एस आर के सक्रिय कार्यकलापों के माध्यम से जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास कर समाज के इन वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पिछड़े / अल्पविकसित क्षेत्रों में सीएसआर संबंधी अपने उत्तम कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

सीएसआर गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ संख्या 37 देखें।

उपसंहार :

मैं, सभी कर्मचारियों को समर्पित भाव से कड़ी मेहनत करने और उनके सहयोग के प्रति, अपने सम्मानित प्रयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रोत्साहन (तीनों सेनाएँ और उनके निरीक्षणालय) के प्रति, विक्रेताओं से मिल रहे समर्थन, डी आर डी ओ द्वारा किये गये प्रौद्योगिकीय विकास और हमारा हाथ थामे रखने के लिये तथा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से निरंतर प्राप्त मार्गदर्शन के प्रति अंत:मन से आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे मिल रहा संरक्षण हमारे लिये सदा मूल्यवान रहेगा।

मैं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उनके द्वारा दिये गये मूल्यवान परामर्श और सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी अपने निरंतर समर्पित प्रयास, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से अधिक से अधिक ऊँचाइयों को प्राप्त करने अग्रसर रहेगी तथा आने वाले चंद वर्षों में एक बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी।

मैं बोर्ड में अपने साथियों का भी उनकी सलाह और सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

अंत में, मैं सभी शेयरधारकों को हममें विश्वास बनाये रखने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, आपकी उम्मीद व भावी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपसे समर्थन बनाये रखने की कामना करता हूँ।

जय हिन्द !

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN 08367035

हमारे उत्पाद

बी डी एल, संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विनिर्माण करने वाला भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। कंपनी की उत्पाद-सूची में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), अंतर्जल-अस्त्र, लाँचर, प्रतिमारक तथा परीक्षण उपकरण शामिल हैं। कंपनी मिसाइल के कार्य-काल का विस्तार और इनके पुनर्सज्जीकरण का कार्य भी करती है। बी डी एल, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सैम (एस ए एम) व ए टी जी एम आपूर्त करने वाला अकेला आपूर्तिकर्ता है।

आकाश सैम

ज़मीन से हवा में मार करने वाली आकाश अस्त्र-प्रणाली (सैम) हर तरह के मौसमी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को साध सकती है। यह हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मानव रहित वाहनों को लक्ष्य बना सकती है। हम आकाश – एस ए एम के अतिरिक्त इसके लिए आकाश भू-आधार प्रणाली और निर्माण संरचनात्मक सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को मुहैया कराते हैं।

लंबी दूरी की सैम (एल आर सैम) और मध्यम दूरी की सैम (एम आर सैम)

यह उच्च और त्वरित प्रतिक्रियावादी लंब रूप प्रमोचित सुपरसॉनिक मिसाइल है जो शत्रु के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, वायुयान, संचलित बम और हेलिकॉप्टर आदि को ध्वस्त करती है।

मिलान 2टी ए टी जी एम

मिलान 2टी दूसरी पीढ़ी की व्दि-युद्धास्त्र युक्त एक व्यक्तिवाह्य टैंकभेदी मिसाइल है जो चल और अचल दोनों तरह के लक्ष्य भेद सकती है।

कांकूर्स-एम ए टी जी एम

कांकूर्स-एम दूसरी पीढ़ी की अर्द्ध-स्वचालित ट्यूब प्रमोचित प्रकाशिकीय नियंत्रित टैंकभेदी मिसाइल है जो चल एवं अचल कवचित लक्ष्य भेदने तैयार की गई है। इसे वाहन और लाँचर दोनों से चलाया जा सकता है।

इनवार (3यूबीके) ए टी जी एम

इनवार (3यूबीके 20) ए टी जी एम मेकानाइज़्ड इंफैण्ट्री व्दारा प्रयुक्त दूसरी पीढ़ी से आगे का अस्त्र है जिसे टी-90 टैंक गन बैरल से फायर कर कवचित वाहनों को ध्वस्त करने बनाया गया है।

सी एम डी एस

सी एम डी एस एक माइक्रो कंट्रोलर शाफ़ और फ्लेएर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पायलेट या फिर वायुयान के राडार चेतावनी रिसीवर से सक्रिय किया जा सकता है। सी एम डी एस हीट सीकिंग व राडार संचलित मिसाइल से वायुयान को शाफ़ और फ्लेएर, पे-लोड अवसर्जित कर सुरक्षा प्रदान करता है।

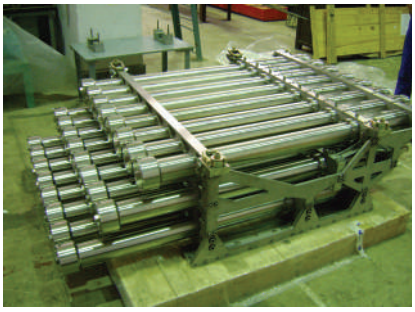

टॉरपिडो रोधी डिकॉय प्रक्षेपण प्रणाली ('टॉरपिडो रोधी प्रणाली')

टॉरपिडो रोधी प्रणाली किसी सक्रिय और / या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से पनडुब्बी को होने वाले खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है।

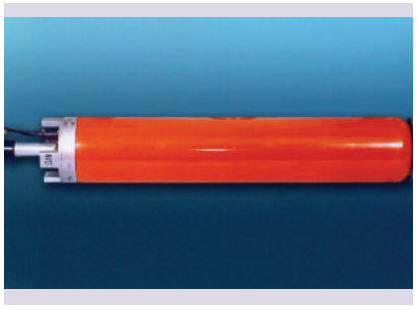

पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला डिकॉय ('एस एफ डी)

एस एफ डी सक्रिय या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से स्वयं की पनडुब्बी के समक्ष वांछित लक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

भारी टॉरपिडो

भारी टॉरपिडो युद्धपोत से छोड़े जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणोदित और उन्नत स्व-संचलन प्रणाली युक्त एक अंतर्जलास्त्र है। यह अस्त्र-प्रणाली लक्ष्य का पीछा करने में अस्त्र युक्त बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है।

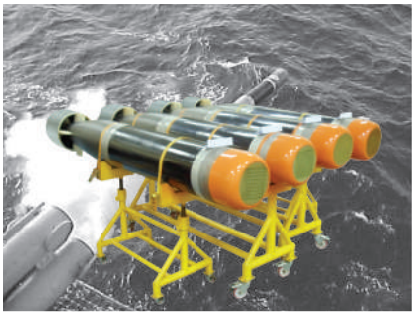

हल्के भार वाला टॉरपिडो

यह हल्के भार वाला टॉरपिडो युद्धपोत हेलिकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी को खत्म करने किया जाता है।

कांकूर्स-एम और मिलान 2टी ए टी जी एम के लिए लाँचर

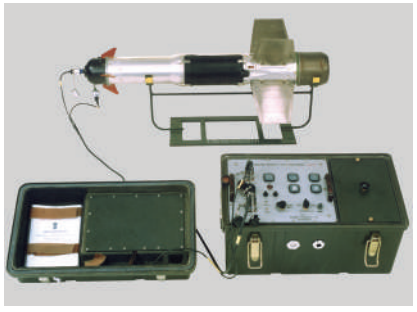

परीक्षण उपकरण

हमारी रणनीति

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत एवं वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतीयों से युक्त वातावरण बी डी एल के संव्यवहार का प्रमुख वाहक तत्व है। इस माहोल को बढ़ती टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र में हो रहे देशीकरण तथा बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा से और बढ़ावा मिलता है।

इस तरह के माहोल में हमारी संव्यवहार-दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंग है क्रियान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय थल-सेना को हमारे उत्पादों की सुपुर्दगी तय करने पूर्वानुमयता कर पाना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा तथा हमारे अपनों पर निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

ऐसी पृष्ठभूमि में रणनीतिक दृष्टि से बी डी एल के उद्देश्य रहे कि बाजार में कंपनी की स्थिति दृढ़ करने अपनी क्षमताओं का विस्तार करें, देशी एवं विदेशी बाजार में उपलब्ध अवसरों को भुनाए और देशीकरण पर अधिक ध्यान देते हुए और अधिक सह-विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए डिजाइन एजेंसियों को साथ लेकर चलते हुए कंपनी की प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की स्थिति को और बढ़ाए।

वित्तीय विशेषताएँ

वित्तीय वर्ष

टर्नओवर

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	2799.68
वित्तीय वर्ष 15-16	4159.97
वित्तीय वर्ष 16-17	4886.62
वित्तीय वर्ष 17-18	4587.60
वित्तीय वर्ष 18-19	3069.35

कर पूर्व लाभ

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	614.19
वित्तीय वर्ष 15-16	847.31
वित्तीय वर्ष 16-17	802.81
वित्तीय वर्ष 17-18	773.82
वित्तीय वर्ष 18-19	671.36

कराधान के बाद लाभ

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	418.57
वित्तीय वर्ष 15-16	564.88
वित्तीय वर्ष 16-17	524.06
वित्तीय वर्ष 17-18	528.15
वित्तीय वर्ष 18-19	422.59

निवल मालियत

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	1533.37
वित्तीय वर्ष 15-16	1800.02
वित्तीय वर्ष 16-17	2194.98
वित्तीय वर्ष 17-18	1956.38
वित्तीय वर्ष 18-19	2268.55

उत्पादन मूल्य

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	2770.05
वित्तीय वर्ष 15-16	4297.83
वित्तीय वर्ष 16-17	5011.00
वित्तीय वर्ष 17-18	4641.30
वित्तीय वर्ष 18-19	3235.22

ईक्विटी

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष 14-15	115.00
वित्तीय वर्ष 15-16	97.75
वित्तीय वर्ष 16-17	122.19
वित्तीय वर्ष 17-18	183.28
वित्तीय वर्ष 18-19	183.28

दस वर्षों पर दृष्टिपात

(करोड़ रु. में – जब तक कि कोई अन्य मुद्रा न बतायी गयी हो)

विवरण	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
बिक्री (सकल)	3069.35 &	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71	959.12	939.16	627.23
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन कार्य में परिवर्तन	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81	33.82	(28.18)	4.38
उत्पादन मूल्य	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52	992.94	910.98	631.61
सामग्री की खपत	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57	633.53	580.14	438.01
परिवर्द्धित मूल्य	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95	359.41	330.84	193.60
कर पूर्व लाभ	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06	348.19	79.17	50.63
कराधान के बाद लाभ	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40	234.96	51.70	33.77
ईक्विटी	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30	617.38	437.05	412.08
सकल निरुद्ध (पूँजगत नि. का. छोड़ कर)	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55	604.24	488.08	461.20
सामग्री-सूची	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53	602.57	502.19	570.26
ग्राह्य व्यापार	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55	88.39	45.15	33.58
कार्यगत पूँजी	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34 ^	812.68 $	614.58 $	458.97	370.66 #	360.44
नियोजित पूँजी	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20 ^	1172.29 $	892.59 $	670.64	511.79 #	503.66
निवल मालियत	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	953.08	732.19	551.85	526.88
कर्मचारियों की संख्या	3034	3095	3182	3132	3183	3266	3300	3142 @	2897	2894
कर्मचारियों पर लागत	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99	240.32	234.53	178.84
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53	1.50	1.41	1.08
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी (रु. लाख में)	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00	11.44 @	11.42	6.69
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) रु.	23.06	26.65	24.51 !	42.73 !	36.40 !	30.04 !	25.08 !	20.43 !	4.50 !	2.94 !

& वर्ष 2018-19 के लिए बिक्री की गणना भारतीय लेखा-मानक 115 के अनुसार रु. 148.98 करोड़ की परिसमापन क्षतियों की कटौतियों के बाद की गयी।

* वर्ष 2018-19 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गयीं।

परिवर्द्धित अनुसूची-VI के अनुरूप लेखा-प्रस्तुति करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुन:समायोजित।

@ अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्था की गयी।

$ वर्ष 2013-14 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुनर्व्यवस्था की गयी।

^ वर्ष 2014-15 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-156में पुनर्व्यवस्था की गयी।

! वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1,000/- मूल्य शेयर को रु. 10/- में विभाजित करना और तदनुरूप ई पी एस को रु. 10/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुन:समायोजित।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकगण की ओर से प्रस्तुत है दि. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 49वें वार्षिक विवरण सहित कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे।

1. परिचालन के मुख्य अंश

- बी डी एल ने संविदा सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि से पहले ही मिलान-2टी ए टी जी एम संविदा का कार्यान्वयन पूरा कर दिया।
- वर्ष के दौरान बी डी एल ने मानववाहित टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (एमपी-एटीजीएम) के लिए उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया।
- वर्ष के दौरान बी डी एल ने अपनी विशाखापट्टणम इकाई में ध्वानिक जलाशय परीक्षण सुविधा (ए टी एफ) आरंभ की। यह टॉरपिडो, माइनन्स, सोनोबॉय, डिकॉय तथा अन्य संबद्ध प्रणालियों के परीक्षण की एक विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधा है।

2. वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ

2.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का%/ (अपवृद्धि)
		2018-19	2017-18	
i)	परिचालन से बिक्री / राजस्व *	3069	4588	(33%)
ii)	उत्पादन मूल्य	3235	4641	(30%)
iii)	कर से पूर्व लाभ	671	774	(13%)
iv)	कर के बाद लाभ	423	528	(20%)
v)	परिवर्धित मूल्य	1416	1734	(18%)
vi)	प्रति शेयर आय #	23	27	-

* भारतीय लेखा-मानकों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन से प्राप्त बिक्री/ राजस्व की गणना रु.148.98 करोड़ के परिसमापन व्यय (एल डी) के समायोजन के बाद है जबकि पिछले वर्ष इस परिसमापन व्यय की गणना व्यय के रूप में की गई थी।

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है। पिछले वर्ष के लिए ईपीएस वर्ष के दौरान दिए गए बोनस के प्रति समायोजित की गई थी।

2.2 निम्नलिखित डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का%/ (अपवृद्धि)
	2018-19	2017-18	
सकल ब्लॉक	1008	856	18%
मूल्यह्रास	196	136	44%
निवल ब्लॉक	812	720	13%
कार्यगत पूंजी	1390	1086	28%
नियोजित पूंजी	2347	1954	20%
निवल मालियत	2269	1956	16%

2.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 4588 करोड़ रुपये की तुलना में रु.3069 करोड़ का बिक्री कारोबार किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व में कमी की वजह आकाश अस्त्र-प्रणाली के भू-आधारित उपकरणों के कार्य-आदेश का पूरा हो जाना रहा।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 774 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 671 करोड़ का कर-पूर्व लाभ हासिल किया है। जबकि कराधान बाद लाभ पिछले वर्ष के 528 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 423 करोड़ रहा। लाभ मार्जिन के संबंध में टर्नओवर में कमी होते हुए भी परिचालन में बढ़ोत्तरी हुई है।

2.4 इस साल आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 677 करोड़ रुपये की तुलना में 617 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया जो परिचालन कार्यनिष्पादन में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख आदेशों में आकाश अस्त्र प्रणाली, एटीजीएम और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

2.5 दि. 01 अप्रैल 2019 तक आपकी कंपनी के पास रु. 7258 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं। इनमें प्रमुख रूप से आकाश, एमआर-सैम, एटीजीएम, हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

3. सर्वजन से सावधि जमा :

कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार की सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और न ही वर्ष के शुरुआत / अंत तक कोई बकाया सावधि राशि देना शेष रहा। अत: ऐसे किसी जमा / ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं रही।

4. सामान्य प्रारक्षण में लाभांश और अंतरण :

4.1 आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए रु.10/- के प्रति इक्विटी शेयर पर रु.1.67/- रुपये के हिसाब से रु.30.61 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। साथ ही, आपकी कंपनी ने मार्च, 2019 में रु. 96.22 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है।

4.2 वर्ष 2018-19 के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जा रही है।

5. पूंजी संरचना:

5.1 दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की प्रदत्त पूँजी रु. 183.28 करोड़ रही (10/- रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर)। दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की प्राधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपये (10/- रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर) रही।

6. समझौता ज्ञापन के प्रति कार्य-निष्पादन :

6.1 आपकी कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ हर साल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन "बहुत अच्छा" आँका गया है जबकि वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू रेटिंग मूल्यांकन अधीन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मंत्रालय के साथ एमओयू को अंतिम रूप देते हुए शुद्ध बिक्री लक्ष्य 4200 करोड़ रुपये तय किया गया है। आपकी कंपनी इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

7. आधुनिकीकरण, उन्नयन और देशीकरण

7.1 एटीजीएम और अन्य उत्पादों की विनिर्माण क्षमताओं को और बढ़ाया जा रहा है। वर्ष के दौरान 90 करोड़ रुपये की पूँजी-व्यय राशि (सी ए पी ई एक्स) संयंत्र, मशीनरी और अन्य ढाँचागत विकास कार्यक्रम के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गयी है।

7.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएँ आरंभ की गयीं।

ए) 160 किलोवाट एक्स-रे मशीन

बी) एस एम डी 'पिक अण्ड प्लेस' मशीन

सी) स्वचालित जाँच प्रणाली

7.3 आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा खर्च में और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम के निर्माण में देशीकरण बढ़ाने के दृढ़ प्रयास कर रही है। कांकूर्स-एम, इनवार, मिलान -2 टी जैसे उत्पादों में देशीकरण क्रमशः 95%, 78.6% और 71% तक हासिल कर लिया गया है।

8. अनुसंधान एवं विकास

8.1 आपकी कंपनी का मानना है कि भारतीय सशस्त्र सेना बलों के लिए विभिन्न उत्पादों का अभिकल्पन और विकास करने अनुसंधान और विकास पर जोर दिये जाने वाला क्षेत्र है। वर्ष के दौरान पी ए डी एस स्कीमैटिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, उन्नत संरचनात्मक और थर्मल विश्लेषण सॉफ्टवेयर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रिलायबिलेटी सॉफ्टवेयर, ऑप्टो-मेकानिकल सॉफ्टवेयर, पी सी बी डिजाइन उपकरण और अन्य विकास उपकरण जैसी आर अण्ड डी सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

8.2 आपकी कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान भी की है और वर्तमान में निम्नलिखित मिशन पर अनुसंधान और विकास केंद्रित कर रही है:

ए) **प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली (सी एम डी एस) :** यह एक हवाई रक्षात्मक प्रणाली है जो फ्लेयर्स का बिखराव कर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों को आत्म-सुरक्षा प्रदान करती है।

बी डी एल ने जागुआर के लिए सी एम डी एस तैयार करने के साथ-साथ अन्य कई प्लेटफार्म जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH), लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA), एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW & C), मिराज अपग्रेड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) और मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर सहित कई प्लेटफार्मों के लिए सी एम डी एस विकसित किया है। हालांकि, एलसीएच और एमएलएच के लिए उड़ान परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, मिराज के लिए तैयार सी एम डी एस के पहले बैच को विमान में एकीकरण करने के लिए मेसर्स एच ए एल को आपूर्त किया गया। एम एल एच के लिए सी एम डी एस को विकास परीक्षणों के लिए मेसर्स बी ई एल को आपूर्ति किया गया। AVRO प्रतिस्थापन विमान के लिए सी एम डी एस का विकास प्रगति पर है। सीएमडीएस के लिए पर्याप्त निर्यात के अवसर उपलब्ध है।

बी) **सुखोई एयरक्राफ्ट के लिए Ø50 मिमी के गोल कैटरिज के लिए डिस्पेंसर यूनिट:** BDL ने Ø50 मिमी आकार के कैटरिज Su-30 MKI विमान से इन्हें (शॉफ और / या फ्लेयर) छोड़ने के लिए अभिकल्पित और विकसित किये हैं। इस Ø50 मिमी डिस्पेंसर यूनिट को मौजूदा रूसी सीएमडीएस डिस्पेंसर यूनिट के फॉर्म-फिट-कार्यात्मक प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किया गया है। Ø50 मिमी डिस्पेंसर यूनिट एक और संस्करण विकसित किया गया है, जो बी डी एल – सी एम डी एस के साथ काम करने के लिए अनुकूल है। ये दोनों Ø50 मिमी डिस्पेंसर यूनिट उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार हैं।

सी) **अमोघ-III:** - यह तीसरी पीढ़ी की आई आई आर सीकर आधारित 'फायर अण्ड फारगेट' किस्म की टैंकरोधी मिसाइल है। इस मिसाइल के सभी प्रोटोटाइप उप-संयोजन आंतरिक डिजाइन के अनुरूप विकसित किये जा रहे हैं। इस परियोजना की सबसे पहली उपलब्धि के रूप में वर्ष के दौरान दो बार पॉप-आउट परीक्षण किये गये। इसकी प्रणालिक संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जबकि, इसकी उप-प्रणालियों के डिजाइन पर काम चल रहा है।

8.3 निम्नलिखित तालिका आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है : (करोड़ रु.)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री कारोबार (सकल)	4160	4887	4588	3069
आर अण्ड डी व्यय	29.43	34.71	40.22	53.45

8.4 आंतरिक आर अण्ड डी गतिविधियों के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं के साथ बड़ी मात्रा में वित्तीय प्रतिबद्धता और मानव-शक्ति समर्थन के साथ विभिन्न मिसाइलों के सह-विकास के लिए एम ओ यू किया है। बी डी एल के इन आर अण्ड डी प्रयासों से भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी।

9. एम एस एम ई से खरीद :

9.1 आपकी कंपनी लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश / अधिसूचनाओं के अनुसरण में लघु, छोटे व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदी पर अधिक बल दे रही है।

9.2 अस्त्र विनिर्माता होने के नाते आपकी कंपनी को दि. 23 मार्च, 2012 की एम एस एम ई अधिसूचना सं. एफ नं. 21 (1)/201 I-एमए के तहत छूट प्राप्त है। यद्यपि आपकी कंपनी प्रयास करती है कि कुछ सामान्य प्रकृति की वस्तुएँ एसएमई से खरीदें। एसएमई से खरीदी के लिए 358 वस्तुओं की सूची कंपनी के आईएमएम मैनुअल में आरक्षित कर रखी गई है।

9.3 आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एन एस आई सी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को सिंगल प्वाईंट पंजीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ विशेष सुविधाएँ / छूट देती है :

ए) निविदा दस्तावेज नि:शुल्क जारी करना।

बी) बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट।

सी) भारी मात्रात्मक इकाई की निविदाओं पर 15% तक की मूल्य प्राथमिकता। यदि एसएमई का मूल्य एल-1 रहने वाले गैर एसएमई के मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक की सीमा में हो तो उसे एल-1 मूल्य तक कम करने का मौका दिया जाता है। और, एल-1 मूल्य की स्वीकृति पर 25 प्रतिशत काम के आदेश एसएमई को दिए जाते हैं। एम एस ई से वर्ष में खरीदे जाने वाले 25 प्रतिशत हिस्से में से 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा संचालित उद्यमी के लिए उद्दिष्ट हैं। इसी प्रकार 3% महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले उद्यमों के लिए आरक्षित हैं।

डी) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई), भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देश युक्त होने पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्टार्ट-अप (चाहे एम एस एम ई या अन्य) को योग्यता पूर्व अनुभव में छूट दी जाती है।

ई) एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बैंक गारंटी होने पर कार्य-आदेश की 110% राशि पर ब्याज़ मुक्त अग्रिम भी दिया जा रहा है।

एफ) अन्य रक्षा उपक्रमों में पंजीकृत विक्रेताओं को यहाँ भी पंजीकृत माना जाता है। ऐसे माने गये पंजीकरण विक्रेताओं को आरएफक्यू में संकेतित अन्य पात्रता मानदंडों की पूर्ति करने पर रक्षा उपक्रमों के लिए समान श्रेणी के माल / सेवाओं की सभी भावी निविदाओं में भाग लेने योग्य बनाता है।

जी) एमएसएमई / स्टार्ट-अप विक्रेताओं को टेस्ट सुविधाएँ प्रदान करना।

9.4 आपकी कंपनी ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) में पंजीकरण किया है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के हितों की रक्षा के लिए की गई पहल है। इसमें कई फाइनेंसरों के माध्यम से कॉर्पोरेट खरीदारों से एम एस एम ई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा है। इसके अंतर्गत एम एस एम ई विक्रेताओं द्वारा बड़े कॉर्पोरेट के प्रति तैयार बिलों में छूट प्रदान की जाती है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम में सभी पंजीकृत एम एस एम ई मुद्रा विनिमयकर्ताओं की एक उद्धरित दर पर TReDS के माध्यम से बिल ऑफ एक्सचेंज या चालान में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

9.5 मेक इन इंडिया: "मेक इन इंडिया" पहल चार स्तंभ यानी नयी प्रक्रिया, नये बुनियादी ढांचे, नये क्षेत्र और नयी मानसिकता पर आधारित है। इनकी पहचान भारत में विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित कर आय और रोज़गार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के भाग के रूप में सार्वजनिक खरीद (ऑर्डर टू मेक इन इंडिया) जारी किया है। इस आदेश के प्रावधानों और नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी विशिष्ट निर्देश के अधीन या इस आदेश के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्रकार से संस्थाओं की खरीद के द्वारा किए गए सभी खरीदों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए वरीयता दी जाएगी। आदेश के अनुसार न्यूनतम स्थानीय सामग्री सामान्य रूप से 50% होगी। नोडल मंत्रालय किसी विशेष वस्तु के संबंध में कम या ज्यादा प्रतिशत तय कर सकता है और स्थानीय सामग्री की गणना का तरीका भी बना सकता है।

5 मिलियन भारतीय रुपय और उससे कम के माल की खरीद में जहाँ नोडल मंत्रालय निर्धारित करता है कि पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतियोगिता है, केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र होंगे। 5 मिलियन भारतीय रुपय से अधिक मूल्य की खरीद के लिए (या जहाँ अपर्याप्त स्थानीय क्षमता / प्रतियोगिता है) यदि सबसे कम बोली गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता से है, तो सबसे कम लागत वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता जो L1 के 20% के मार्जिन के भीतर है, उसे L1 से मिलान करने का अवसर दिया जाएगा। यदि खरीद का प्रकार ऐसा है जिसमें ऑर्डर को विभाजित किया जा सकता है और एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को दिया जा सकता है तो गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता जो सबसे कम बोली लगाने वाला है, उसे ऑर्डर का आधा हिस्सा मिलेगा और स्थानीय आपूर्तिकर्ता दूसरे को मिलेगा, बशर्ते कि वह सहमत हो एल 1 की कीमत से मिलान करने के लिए। यदि खरीद को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो स्थानीय आपूर्तिकर्ता की सबसे कम लागत को आदेश दिया जाएगा यदि यह एल-1 से मेल खाने के लिए सहमत है।

9.6 **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** आपकी कंपनी ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम संख्या 19 के अनुसार GeM के साथ पंजीकरण किया है। विभिन्न सरकारी विभागों संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए GeM एक स्टॉप पोर्टल है। GeM का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और डिमांड एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है ताकि सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सुविधा हो सके।

10. प्रदर्शनियाँ :

10.1 वर्ष 2018-19 के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया। इस तरह के आयोजन में भाग लेने से उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करने, विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने और ज्ञान साझा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य देशों के पेवेलियन का दौरा कर उनके पास उपलब्ध सिस्टम को जानने और आपकी कंपनी को अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में मदद मिलती है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया -

11. निर्यात

11.1 आपकी कंपनी निर्यात बाजार पर अब अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात के लिए रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक निर्यात-नीति तैयार की है जो विशेष रूप से रक्षा निर्यात के लिए निर्यात के संभावित अवसरों की पहचान करने और भारत सरकार, उपक्रम प्राइवेट सेक्टर जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय से काम कर आदेश प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी का लक्ष्य संगठन के भीतर और विक्रेताओं के बीच एक निर्यात उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

11.2 आपकी कंपनी को अपने उत्पाद मित्र देशों को निर्यात करने की भारी संभावनाएँ दिखायी देती हैं। यह मूल्यांकन 2019-20 के दौरान निर्यात आदेश के लिए एमओयू लक्ष्य पर आधारित है जो 420 करोड़ रुपये है।

12. निदेशक मंडल :

12.1 कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, नामित सरकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, कार्यकारी निदेशक और इनमें शामिल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / सर्च कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इस सरकारी सूचना में इन नियुक्तियों के विस्तृत नियम और शर्तों को भी इंगित किया जाता है जिसमें संबंधित कंपनी के नियमों की प्रामाणिकता का प्रावधान शामिल रहता है।

12.2 सरकारी निदेशक किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। जबकि, स्वतंत्र निदेशक बैठक में भाग लेने शुल्क के हकदार होते हैं जो बोर्ड द्वारा सरकार के निर्देशों, सांविधिक अधिनियम, नियम और विनियम पर विचार कर अनुमोदित किया जाता है।

12.3 **स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति**

एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम, 2015 की पूर्ति करते हुए भारत सरकार ने 13 सितंबर, 2017 की अपनी पत्र सं. एच-62011/2/2016-डी (बीडीएल) के माध्यम से तीन नये स्वतंत्र निदेशक श्री अजय नाथ, श्री के एस संपत और श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति को 13 सितंबर, 2017 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए जो भी पहले हो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

दि. 20 से 24 फरवरी, 2019 तक बेंगलूरु में एअरो इंडिया प्रदर्शनी

बी डी एल स्टॉल का दौरा करते हुए थल सेनाध्यक्ष।

बी डी एल स्टॉल का दौरा करते हुए वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक।

दि. 26 से 30 मार्च, 2019 तक लंगकवि, मलेशिया में प्रदर्शनी

दि. 26 से 30 मार्च, 2019 तक लंगकावि, मलेशिया में आयोजित एल आई एम ए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सचिव, रक्षा उत्पादन।

बी डी एल स्टॉल का दौरा करते हुए फिलिपिन्स के नौसेना प्रमुख।

दि. 7 से 10 नवंबर, 2018 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इंडो-डिफेंस एक्स्पो।

दि. 3 से 5 दिसंबर, 2018 तक मिस्र के कायरो में आयोजित ई डी ई एक्स इजिप्शियन डिफेंस प्रदर्शनी।

12.4 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने दि. 28 नवंबर, 2018 की अपनी पत्र सं. डीडीपी-एम0001(24)/04/2018-डी(बीडीएल) के तहत स्वतंत्र निदेशक श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय के कार्यकाल को अगले एक वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, बढ़ाया है।

(i) **स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर वक्तव्य :**

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे इस अधिनियम की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ii) **निदेशकों का परिवर्तन** :

आपकी कंपनी के निदेशकमंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति-तिथि	सेवा-समाप्ति तिथि
1	श्री वी उदय भास्कर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	28/02/2019
2	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01/03/2019	-
3	श्री के दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)	-	31/08/2018
4	श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)	01/09/2018	-
5	श्री जी सतीश रेड्डी	सरकारी निदेशक	01/05/2018	31/12/2018
6	श्री एम एस आर प्रसाद	सरकारी निदेशक	31/12/2018	-
7	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद	निदेशक (उत्पादन)	-	31/05/2019
8	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)	01/06/2019	-

अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के तहत श्री एस पिरमानयगम, निदेशक (वित्त) और सीएफओ आने वाली वार्षिक आम सभा में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होकर खुद को पुन: नियुक्ति के लिए पेश करने अर्ह्य होंगे।

(iii) **निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :**

वर्ष 2018-19 के दौरान 30 मई, 2018; 20 जुलाई, 2018; 14 अगस्त, 2018; 31 अक्तूबर 2018; 11 नवंबर, 2018; 14 फरवरी, 2019 और 18 मार्च 2019 को निदेशक मंडल की कुल सात (07) बैठकें आयोजित की गईं।

(iv) **निष्पादन मूल्यांकन**

बोर्ड / निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इसमें आवश्यक छूट प्राप्त है। इसके अलावा, दिनांक 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ डीआईएल1/ ओडब्ल्यू/ पी/2018/1679/1 के तहत आपकी कंपनी को इसी तरह की छूट सेबी के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं {एलओडीआर}) विनियम, 2015 से भी प्राप्त है।

13. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथासंशोधित धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

(i) वार्षिक लेखा-नीति तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण सामग्री के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामलों में तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष संबंधी कंपनी के लाभ-हानि सत्य व स्पष्ट परिलक्षित हो सकें इस दृष्टि से चुनिंदा लेखा-नीति निरंतर बनाये रखी गई है तथा बनाये जाने वाले प्राक्कलन भी उचित व सही हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार लेखा-अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गई है ताकि कंपनी की आस्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके।

(iv) वार्षिक लेखा चालू संबद्ध आधारों पर किये गये हैं। और

(v) कंपनी ने उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों का सृजन किया है और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

14. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ:

31 मार्च, 2019 से लेकर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं से संबंधित रिपोर्ट – शून्य।

15. मानव-शक्ति तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण :

15.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।

15.2 दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर 3034 रही। इनमें अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 33 है। कुल कार्मिकों में से 84 भूतपूर्व सैनिक, 577 अनुसूचित जाति तथा 213 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमश: 19.2% और 7.02% है।

15.3 दि. 31 मार्च, 2019 तक कुल 33 अस्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से 7 अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।

15.4 दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति	
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019
ग्रुप-ए	856	864	153	156	86	83
ग्रुप-बी	17	78	2	17	1	5
ग्रुप-सी	1892	1797	342	329	111	107
ग्रुप-डी	266	258	71	68	18	18
अस्थायी	60	33	18	7	1	0
कुल	**3091***	**3030***	**586**	**577**	**217**	**213**

* कार्यकारी निदेशक छोड़कर।

15.5 वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित जाति तथा जन-जाति की भर्ती निम्न प्रकार रही :

पदों का वर्गीकरण	कुल जारी रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कॉलम 2 में से)		वर्ष 2018-19 के दौरान की गई भर्ती	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
ग्रुप-ए	24	24	5	0	5	0
ग्रुप-बी	0	0	0	0	0	0
ग्रुप-सी	24	24	9	1	9	1
ग्रुप-डी	0	0	0	0	0	0
कुल	**48**	**48**	**14**	**1**	**14**	**1**

16. महिला नियोजन :

16.1 रक्षा मंत्रालय की दि. 27 अगस्त, 1999 की पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2019 तक महिला नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है :

- **कार्यपालक :**

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
I	78	12	15.38%
II	193	23	11.92%
III	207	32	15.46%
IV	149	19	12.75%
V	83	10	12.05%
VI	176	11	6.25%
VII	40	0	0.00%
VIII	14	1	7.14%
IX	2	0	0%
कार्यकारी निदेशक	3	-	0%
सी एम डी	1	-	0%
कुल	**946**	**108**	**11.42%**

- **कार्यपालकेतर :**

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप - 0	2	0	0.00%
वेज ग्रुप - 1	10	1	10.00%
वेज ग्रुप - 2	143	20	13.99%
वेज ग्रुप - 3	170	16	9.41%
वेज ग्रुप - 4	331	34	10.27%
वेज ग्रुप - 5	193	40	20.73%

वेज ग्रुप - 6	196	28	14.29%
वेज ग्रुप - 7	53	7	13.21%
वेज ग्रुप - 8	53	5	9.43%
वेज ग्रुप - 9	97	3	3.09%
वेज ग्रुप - 10	23	0	0.00%
वेज ग्रुप - 11	192	5	2.60%
वेज ग्रुप - 12	592	51	8.61%
कुल	**2055**	**210**	**10.22%**

17. दि. 31 मार्च, 2019 तक दिव्यांग कर्मचारी (पी डब्ल्यू डी) :

17.1 दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी में कुल 111 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत रहे और दिव्यांग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.66% रहा।

	एच आई	एल डी	वी आई	कुल
ग्रुप-ए	6	14	5	25
ग्रुप-बी	0	0	0	0
ग्रुप-सी	18	47	8	73
ग्रुप-डी	4	5	4	13
कुल	**28**	**66**	**17**	**111**

एच आई – बधिर, एल डी – अपंग, वी आई – दृष्टिबाधित

18. मानव संसाधन विकास

18.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें कंपनी के 819 अधिकारी तथा 1408 कर्मचारी प्रशिक्षित हुए। कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किये गये।

18.2 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों / कार्यक्रमों का भी आयोजन किया :

(ए) **निदेशक मंडल के लिए कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम :** वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों को आई आई एम –अहमदाबाद, आई आई सी ए –आई एफ सी, आई सी ए आई, स्कोप तथा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया।

(बी) **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) :**

आपकी कंपनी ने 2018-19 के दौरान आई आई एम – लखनऊ, आई आई एम – इंदौर और एक्स एल आर आई - जमशेदपुर जैसी भारत की प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रबंध विकास कार्यक्रम (एम डी पी) के लिए वरिष्ठ प्रबंधक और उनसे ऊपर के 46 वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रायोजित किया।

(सी) **उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (ए एम पी):**

आपकी कंपनी ने आई एन पी एक्यू टी बी वी सोल्यूशन्स, रोटेरडैम, नेदरलैड्स के सहयोग से सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा तथा एकोरे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरिस तथा हेरटी स्कूल ऑफ गवर्नेंस, बेर्लिन के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए महाप्रबंधक एवं अपर महाप्रबंधक स्तर के दो प्रधान कार्यपालकों को प्रायोजित किया।

18.3 वर्ष के दौरान मूल्यांकन विकास केंद्र द्वारा कार्यपालकों की 'क्षमताओं व व्यवहार संबंधी गुण' का मूल्यांकन किया गया। यह मूल्यांकन मेसर्स थॉमस असेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टी ए पी एल) द्वारा बी डी एल के प्रशिक्षण केंद्र में ग्रेड VI से VIII के 202 कार्यपालकों का कुल 14 बैच में किया गया।

19. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (प्रबंधन कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम-5 अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। साथ ही, दि. 5 जून, 2015 की निगम मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इस पर बने नियमों से छूट प्राप्त है।

20. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संव्यवहार यात्रा तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश यात्राओं पर रु. 81.94 लाख खर्च किये।

21. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

21.1 आपकी कंपनी, सभी वर्ग के कर्मचारी अर्थात् पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संघ जैसे विभिन्न एसोसिएशन के साथ लगातार समता व मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं। सभी अनिवार्य वर्ग की समितियों जैसे कार्यकारी समिति, संरक्षा समिति और कल्याण समिति ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया है।

21.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से किया जा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान बीडीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार रख रही है। इसके अलावा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ संबंधी योजना बनाकर लागू की है।

21.3 वर्ष के दौरान प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियन ने समझौता अधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद के सहयोग से कार्यनिष्पादन आधारित वार्षिक प्रोत्साहन योजना (पी एल ए आई) पर समझौता किया।

22. सुरक्षा :

22.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाई में सुरक्षा तथा अग्नि-शमन सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकी व प्रौद्योगिकी के सहयोग से कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये रखे हैं।

22.2 आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद बनाए रखी गयी है। हमारी दोनों ही इकाइयों में नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षाएँ, संयंत्र सुरक्षा परिषद की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रभावी समन्वयन के लिए निकटस्थ उद्योग, विधि प्रवर्तन / साथी एजेंसियों के साथ बैठकें की जा रही हैं।

22.3 आपकी कंपनी मॉक ड्रिल सहित सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे, आपातकालीन व अग्नि दुर्घटनाओं संबंधी रखी जाने वाली सावधानियों से परिचित करवाया जाता है।

23. संरक्षा :

23.1 आपकी कंपनी में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (एस एच ई) संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम स्तर पर दो समितियाँ – औद्योगिक संरक्षा समिति जो सांविधिक समिति है और विस्फोटक संरक्षा समितियाँ कार्यरत हैं। सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। काम-काज फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप किया जाता है और एस टी ई सी (विस्फोटक भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों के अधीन विस्फोटक संरक्षा का कड़ा अनुपालन किया जाता है।

23.2 अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई ए), नई दिल्ली द्वारा वार्षिक विस्फोटक संरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षा-समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों का अनुपालन किया जाता है। साथ ही, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ भी करवायी जाती हैं।

23.3 मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद के माध्यम से संरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। संरक्षा समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, मुंबई द्वारा संबंधित कार्य-क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है।

23.4 संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने कंपनी के कर्मचारियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुभवी व औद्योगिक एवं विस्फोटक संरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से अतिथि व्याख्यान आयोजित किये। 4-एस टेक्नॉलॉजीस नामक संस्था द्वारा औद्योगिक संरक्षा और विस्फोटक संरक्षा तथा ई एस डी उपाय पर तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

23.5 विस्फोटक संरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई ए)-रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशक ने दि. 9 अप्रैल, 2019 को बी डी एल के सभी कार्मिकों में संरक्षा जागरूकता लाने तथा सुरक्षित कार्य-स्थल बनाये रखने विस्फोटक संरक्षा के क्षेत्र में आये नवीनतम विकास पर व्याख्यान दिये।

23.6 बी डी एल संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने आई एस टी एम – मा.सं.वि. के सहयोग से प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत नव-नियुक्त अधिकारियों तथा चार यूनिट स्तर कक्षाओं के दौरान औद्योगिक संरक्षा तथा विस्फोटक संरक्षा पर कक्षाएँ लीं।

23.7 मार्च, 2018 के दौरान संरक्षा दिवस / सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को संरक्षा शपथ दिलायी गई। विभिन्न प्रतियोगिताएँ व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और संरक्षा के प्रति कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किये गये। समापन समारोह के अवसर पर फैक्टरियों के निदेशक (तेलंगाना) और फैक्टरियों के उप मुख्य निरीक्षक को मुख्य अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया।

23.8 संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, अनुपालन के लिए जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए फैक्टरियों के निदेशक तथा अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई ए), मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में रहता है। बीडीएल-कंचनबाग के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साइनेड एंटीडोट के लिए मॉकड्रिल किये जाते हैं। अग्नि-शमन के लिए सतत् तैयार रहने के लिए नियमित अंतराल से फायर मॉक ड्रिल आयोजित किये जाते हैं।

24. वार्षिक विवरणिका :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका का सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न किया गया है।

दीप-प्रज्वलन : 48वाँ राष्ट्रीय संरक्षा दिवस समापन समारोह - 2019
श्री बी राजगोपाल राव, फैक्टरी निदेशक, तेलंगाना
श्री श्रीनिवास राव, फैक्टरियों के उप मुख्य निरीक्षक
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (उत्पादन) एवं अभिधारक

25. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:

25.1 आपकी कंपनी पर्यावरण को स्वच्छ व हरा-भरा बनाये रखने पुन:चक्रण, पुन:उपयोग और घटाव के तरीके अपनाकर साफ-सुथरी प्रौद्योगिकी लाने और पर्यावरण हरा-भरा रखने विधिवत् रूप से उत्तम परिपाटियों को शामिल करती जा रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ व स्क्रैप का निपटान, फूल लगने वाले पौधे तथा बागवानी, अशुद्ध जल को शुद्ध कर उपयोग में लाने जैसे पर्याहितैषी काम किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी, आई एस ओ14001कोर-समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा करती आ रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है।

25.2 सभी तरह के प्रदूषण को नियंत्रित कर रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i) **अपशिष्ट प्रबंधन :**

कैंटीन में बचे भोजन का निपटान खाद के रूप में या इसे जानवरों को खिला कर किया जाता है। हानिकारक अपशिष्ट / ई-अपशिष्ट तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसी को दिया जा रहा है। लेड एसिड बैटरियाँ, वापस-खरीद विकल्प के साथ प्राधिकृत पुन:चक्रक / डीलर को दी जा रही हैं। धातुपरक स्क्रैप का निपटान भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स एम एस टी सी के माध्यम से किया जा रहा है।

ii) **पर्यावरण मानदंडों का परीक्षण :**

पर्यावरणीय मानदंड़ जैसे परिवेशी वायु गुणता, मल-जल संयंत्र तथा अपशिष्ट जल संयंत्र का व्यर्थ जल, डीज़ल जनरेटर सेट की वायु गुणता तथा वेंटूरि स्क्रबर का परीक्षण अधिप्रमाणित एजेंसियों द्वारा तीनों इकाइयों में किया जाता है।

iii) **विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का आयोजन**

विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का आयोजन बीडीएल की तीनों इकाइयों में किया गया। इस अवसर पर तीनों इकाइयों में 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' विषय पर प्रमुख जगहों पर बैनर लगवाए गए और पौधे भी लगाये गये। साथ ही, उक्त विषय पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेज़ी में निबंध लेखन, श्लोगन लेखन, प्रश्नमंच जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित कर सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।

26. गुणता

26.1 आपकी कंपनी एकल प्रयुक्त उत्पाद बनाती है। उत्पादों का कड़े गुणता मानक तथा उच्च विश्वसनीयता युक्त होना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने पिछले 23 वर्ष से आई एस ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय गुणता प्रबंधन नीतियाँ अपना रखी है। वर्तमान में मिलान, आकाश, सीपी-आईजीएमपी प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एवं डी अण्ड ई प्रभाग और भानूर इकाई आई एस ओ 9001डी एयरोस्पेस मानक से प्रमाणित हैं।

26.2 बी डी एल की तीनों इकाइयाँ कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) से प्रमाणित हैं। आपकी कंपनी आई एस ओ 27001 : 2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) से भी अधिप्रमाणित है। भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

26.3 वर्ष के दौरान सभी आई एस ओ / ए एस अधिप्रमाणित प्रभागों का बाहरी एजेंसियों द्वारा नियमित लेखा-परीक्षाएँ की गईं। इन सभी प्रभागों द्वारा विनिर्मित प्रमुख उत्पादों की ग्राहक संतुष्टि का आकलन किया जाता है।

26.4 आपकी कंपनी ग्राहकों के साथ बैठकें, प्रयोगकर्ताओं से संपर्क आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जहाँ आवश्यक हो, सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

27. राजभाषा कार्यान्वयन

27.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी एवं निदेशकगण की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं।

27.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल तथा संसदीय समितियों के लिए प्रस्तुति, कंपनी का परिचय आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

27.3 दि. 01 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम इकाइयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों के अनुपालन में हिंदी पक्षोत्सव समारोह के दौरान कंचनबाग में 'हिंदी मीडियम' और भानूर इकाई में 'गोल्ड' फिल्में मल्टीमीडिया के ज़रिए दिखायी गयीं।

27.4 बीडीएल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए समिति के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए 'ग' क्षेत्र में 'दक्षिण क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार' सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केरल के माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया।

27.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह, अग्नि संरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस तथा क़ौमी एकता दिवस के अवसर पर कंपनी में अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल करने तथा इन विषयों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

27.6 गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया। इसी प्रकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस के अवसर पर भी शपथ हिंदी-अंग्रेज़ी में दिलायी गयी।

27.7 संयुक्त निदेशक (राजभाषा), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्यम की विशाखापट्टणम इकाई, संपर्क कार्यालय और निगम कार्यालय तथा कंचनबाग इकाई में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण क्रमश: दि. 9.1.2018, 29.5.2018 और 214.11.2018 को किया गया। इन निरीक्षणों पर प्राप्त रिपोर्ट में उद्यम में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई।

27.8 भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार की गई है और समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है।

27.9 हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों में पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए नियमित रूप से (1) हिंदी मिलाप (2) स्वतंत्र वार्ता (3) अनुवाद (4) साहित्य अमृत (5) आविष्कार (6) योजना (7) रोजगार समाचार (8) प्रतियोगिता दर्पण (9) मेरी सहेली (10) दक्षिण समाचार (11) गोलकोण्डा दर्पण (12) वाक् (13) श्री मिलिंद पत्रिका (14) नया ज्ञानोदय (15) स्वतंत्र वार्ता जैसी विभिन्न हिंदी पत्रिकाएँ और समाचार पत्र मँगाये जाते हैं। इसी क्रम में राजभाषा विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रति वर्ष विभिन्न विषयों पर हिंदी किताबें भी खरीदी जाती हैं।

28. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

28.1 सार्वजनिक रक्षा उपक्रम होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च संबंधी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर सं. 680 (ई), दि. 4 सितंबर, 2015 के तहत सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को इनसे छूट प्राप्त है।

28.2 **नवीकरण ऊर्जा**

भारत के माननीय प्रधान मंत्री को दिए गए 'ग्रीन एनर्जी' आश्वासन के तहत बी डी एल ई पी सी मोड में 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम के अंतर्गत 10 मेगावाट के ग्रिड युक्त सौर-ऊर्जा संयंत्र लगवाने के प्रति प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भानूर इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो सितंबर, 2017 से परिचालन में आ गया है। इससे तैयार सौर ऊर्जा को नंदिगाम सब-स्टेशन स्थित तेलंगाना राज्य विद्युत ऊर्जा ग्रिड से जोड़ा गया और इस बिजली का उपयोग बीडीएल-भानूर इकाई की खपत के लिए किया जा रहा है। फलस्वरूप बिजली लागत में कमी आयी और बचत में वृद्धि हुई है। इसी तरह कंपनी ने इब्राहीमपट्टणम इकाई में मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो वर्तमान वर्ष अप्रैल, 2019 से चालू हो गया है। इस तरह उत्पन्न बिजली का उपयोग बी डी एल–कंचनबाग परिधि में होने वाली खपत के लिए किया जाता है। फलस्वरूप बिजली लागत में कमी आयी और बचत में वृद्धि हुई है। इस तरह जनित सौर ऊर्जा को मंगलपल्ली सब-स्टेशन स्थित तेलंगाना राज्य विद्युत ऊर्जा ग्रिड से जोड़ दिया गया है।

29 सतर्कता :

29.1 दि. 29 अक्तूबर से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। दि. 29 अक्तूबर 2019 को श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) ने सतर्कता शपथ दिलायी जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी प्राधिकारियों के संदेशों का वाचन किया। बी डी एल के सभी प्रभाग – i) कंचनबाग – हैदराबाद, ii) भानूर – संगारेड्डी जिला, तेलंगाना और iii) विशाखापट्टणम – आंध्र प्रदेश में शपथ-ग्रहण तथा संदेश वाचन कार्यक्रम लाइव वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुआ। इसी दिन 'भ्रष्टाचार उन्मूलन –नव भारत निर्माण' मुख्य विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आरंभ की घोषणा भी की गई।

29.2 दि. 30 अक्तूबर, 2018 को बी डी एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बी डी एल – भानूर, संगारेड्डी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का

उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री राकेश कुमार दुब्बुडू ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 के मुख्य विषय पर बी डी एल भानूर टाउनशिप के ऑडिटोरियम में व्याख्यान दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

29.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत दि. 1 नवंबर, 2018 को श्री पी वी के रमण प्रसाद, मुख्य प्रधान विधि सलाहकार, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, तेलंगाना राज्य ने अतिथि व्याख्यान दिया और मिधानि सम्मेलन कक्ष, कंचनबाग, हैदराबाद में मिधानि एवं बी डी एल के वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ परिचर्चा सत्र में भाग लिया।

29.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के अंतर्गत दि. 3 नवंबर, 2018 को आयोजित समापन समारोह में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभिनंद कुमार शविलि ने 'भ्रष्टाचार उन्मूलन : नव-भारत निर्माण' विषय पर अतिथि व्याख्यान प्रस्तुत किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के बीडीएल कंचनबाग के पुरस्कार विजेता कर्मचारी और बी पी डी ए वी स्कूल, मिधानि टाउनशिप, कंचनबाग के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।

29.5 दि. 29 अक्तूबर, 2018 को बी डी एल – कंचनबाग, भानूर, बड़ामाफ़ी और विशाखापट्टणम इकाइयों के कर्मचारी और कॉलेज विद्यार्थियों को 'नागरिकों के लिए एकता शपथ' दिलायी गयी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के शतजयंती वर्ष के अवसर पर बी डी एल भानूर टाउनशिप में वृक्षारोपण किया गया।

29.6 सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये और सतर्कता जागरूकता संबंधी पहल की गई। सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक / पूर्व सक्रिय सतर्कता है। सतर्कता विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-निविदा, भर्ती एवं प्रबंधन प्रशिक्षुओं का आमेलन, त्यागपत्र, ई-भुगतान, ई-खरीद, विभागीय पदोन्नतियाँ, विदेश यात्राएँ, कर्मचारियों को दिये जाने वाले मेरिट अवार्ड, सिविल कार्य जैसे विषयों के संबंध में प्रबंधन को सुझाव दिए गए।

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास

30.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान और निगम मामले एवं डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधन के साथ पठनीय कंपनी नियमावली, 2014 के क्रम में सी एस आर नीति के अनुसार कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। ये कार्यक्रम / गतिविधियाँ / परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किये जाते हैं और इसे विधिवत रूप से सी एस आर नीति में शामिल किया गया है जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक नियम भी हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के मुताबिक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति (नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट का संदर्भ लें) का गठन किया गया है। गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर गतिविधियों / परियोजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक मंडल को सी एस आर नीति की सिफारिश की है।

30.2 सी एस आर एवं एस डी की गतिविधियों का अनुवीक्षण आवधिक तौर पर समिति द्वारा किया जाता है और सी एस आर एवं एस डी गतिविधि संबंधी वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

30.3 आपकी कंपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ संपन्न कर रही है।

30.4 सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

30.5 वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की अग्रेनीत राशि मिलाकर सी एस आर अण्ड एस डी व्यय का लक्ष्य रु. 1633.40 लाख है। लक्ष्य के मुताबिक आपकी कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों पर 1683.10 लाख रुपये खर्च किये और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक 100 % लक्ष्य हासिल किया। कंपनी द्वारा संचलित सी एस आर गतिविधियों की जानकारी कंपनी वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर दी गई है।

31. लेखा-परीक्षा समिति

कंपनी में अच्छे नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति कार्यरत है। वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा-परीक्षा कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान छ: बैठकें बुलाई गईं। गठन का विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

32. संबंधित पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं पाया गया जिससे कंपनी को किसी प्रकार की हित बाधा पहुँचती हो। अत: फॉर्म एओसी -2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए लेखा संबंधी टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी नीति कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर अपलोड की गई है।

33. ऋण, गारंटी या निवेश संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं।

34. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय औचित्य के मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा हर प्रकार के आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाह्य लेखापरीक्षक फर्म की भी नियुक्ति की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म तथा आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की विश्लेषण रिपोर्टें समीक्षा व सुझाव के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा कर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। टिप्पणियों व लेखाओं में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

35. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स एस आर मोहन अण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेखापरीक्षकों ने लेखाओं की लेखापरीक्षा की और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक विवरण के अंग के रूप में दी गयी है।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त कंपनी के लेखा पर दी गई टिप्पणी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद दी गई है।

37. लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक, हैदराबाद को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

38. साचिविक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स नरेंदर अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, (पीसीएस पंजीकरण संख्या 5024) को नियुक्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है।

39. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस ई बी आई) लिस्टिंग विनियम तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

40. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सी पी एस ई) के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न की गई है।

41. नैगमिक अभिशासन

41.1 नैगमिक अभिशासन जुड़ा है उत्तम प्रबंधन के निर्वहन, कानून के अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से। ताकि, कंपनी के भागीदारों की मान वृद्धि हो और सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके।

41.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है।

41.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) /2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के तहत, कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर इसकी शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

41.4 नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 'सेबी' और रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा मंत्रालय से नैगमिक अभिशासन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया है और वर्ष 2018-19 के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

42. आपदा प्रबंधन

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के कंपनी ने एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति के विवरण और समिति के विचारार्थ विषय, आपदा प्रबंधन नीति इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

43. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने 'यौन उत्पीड़न विरोधी नीति' लागू कर रखी है। वर्ष 2018-19 के दौरान किसी प्रकार की कोई यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी की सूचना कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें कंपनी का सामान्य परिचय, क्रियाकलाप, अधिकारी / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम-विनियम, कंपनी द्वारा रखे जाने वाले मैनुअल और रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की सूची, अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान, सूचना प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया आदि शामिल है। प्रश्न और अपील देखने के लिए कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। आगे, वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने कुल 120 आवेदन / प्रश्न प्राप्त किये जिनमें से एक आर टी आई आवेदन छोड़ कर शेष सभी का निपटारा कर दिया गया। एक आवेदन प्रक्रियाधीन है।

45. व्हिज़िल मेकानिज़्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के साथ पठनीय कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 तथा सी पी एस ई के लिए डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा व्हिज़िल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) / व्हिज़िल मेकानिज़्म का अनुमोदन दिया गया था जिसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इस नीति में लेखापरीक्षा-समिति के अध्यक्ष से सीधा संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है।

46. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत, व्यापार और प्रशासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति का रूप तैयार किया है जिसमें रक्षा उपक्रम के रूप में बीडीएल कार्यरत है। वर्ष के लिए कंपनी की बी आर रिपोर्ट **अनुलग्नक VI** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

47. लाभांश वितरण नीति

47.1 एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम , 2015 के अनुसार, बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ एक 'लाभांश वितरण नीति' तैयार करेंगी। स्टॉक एक्सचेंजों के द्वारा जारी बाजार पूँजीकरण डॉटा के अनुसार, आपकी कंपनी 500 सूचीबद्ध शीर्षस्थ कंपनियों की सूची में आती है।

47.2 तदनुसार, लाभांश वितरण नीति अपनायी गयी ताकि शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और / या लाभ को संव्यवहार में लगाने के लिए मानदंड व परिस्थितियों का निर्धारण करने पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा सके। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध है

48. आभार-प्रदर्शन

48.1 आपके निदेशक-गण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणियाँ, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

48.2 कंपनी, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षक, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सहयोग तथा सुझाव के लिए निदेशक मंडल कंपनी के अभिलेखों में अभिलिखित करता है।

48.3 निदेशक, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति-पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 10 अगस्त, 2019

अनुलग्नक-I

फॉर्म संख्या एमजीटी - 9
वार्षिक विवरण का सार

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i)	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L24292TG1970GOI001353
ii)	पंजीकरण तिथि	:	16 जुलाई 1970
iii)	कंपनी का नाम	:	भरत डायनामिक्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	मिनीरत्न श्रेणी -1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	कंचनबाग, हैदराबाद -500058, दूरभाष : + 91 4024344979
vi)	निगम कार्यालय और संपर्क विवरण	:	टीएसएफसी बिल्डिंग, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट गच्चीबावली, हैदराबाद - 500032 दूरभाष : + 91 40 23456145 फैक्स : + 91 40 23456107
vi)	क्या सूचित कंपनी है?	:	हाँ
vii)	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो तो	:	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 दूरभाष : + 91 11 42541234 Facsimile: +91 11 41543474

II. कंपनी की प्रमुख संव्यवहार गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली संव्यवहार गतिविधियों का उल्लेख करें :

क्र.सं.	मूल उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का 10 %
1.	दि. 05 जून, 2015 की शून्य संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त।		

III. स्वामित्व, अधीनस्थ व सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	स्वामित्व / अधीनस्थ / सहयोगी	शेयर का %	लागू लर
- शून्य -					

IV. शेयर धारण की पद्धति
(कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (@ 10/ - रुपये का अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति 10 / - रुपये का @ अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रचारक									
1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक / एच यू एफ (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	-	12	12	-	-	-	-	-	-
बी) केंद्र सरकार	160829285	-	160829285	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
सी) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक /वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (1)	160829285	-	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
2) विदेशी									
ए) विदेशी – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) अन्य-वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रचारक के कुल शेयर (ए) = (ए) (1) + (ए) (2)	160829285	12	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (@ 10/ - रुपये का अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति 10 / - रुपये का @ अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
बी. सार्वजनिक शेयर धारण									
1. संस्थाएँ									
ए) म्यूचुअल फण्ड	5056573	-	5056573	2.76%	5067001	-	5067001	2.76%	-
बी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	2448767	-	2448767	1.34%	2286317	-	2286317	1.25%	0.09%
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर पूँजी निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनी	4832297	-	4832297	2.64%	4807297	-	4807297	2.62%	0.02%
जी) एफआईआईएस	7315	-	7315		-	-	-	-	-
एच) विदेशी वेंचर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (निर्दिष्ट करें) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	-	-	-	-	1641997	-	1641997	0.90%	0.90%
उप कुल (बी) (1)	12344952	-	12344952	6.74%	13802612	-	13802612	7.53%	0.79%
2. गैर-संस्थाएँ									
ए) निगम संस्थाएँ									
(i) भारतीय	655152	-	655152	0.36%	626502	-	626502	0.34	0.02%
(ii) समुद्रपारिय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) वैयक्तिक i) वैयक्तिक रु.1 लाख तक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	7988402	-	7988402	4.36%	6837751	88	6837839	3.73	0.63%
ii) रु.1 लाख से अधिक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	565325	-	565325	0.31%	486135	-	486135	0.27	0.04%
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
न्यास	490	-	490	0.00%	1381	-	1381	0.00%	-
एचयूएफ	365834	-	365834	0.20%	345069	-	345069	0.19%	0.01%
एनआरआई	199184	-	199184	0.11%	273898	-	273898	0.15%	0.04%
कर्मचारी	51241	-	51241	0.03%	39971	-	39971	0.02%	0.01%
समाशोधन सदस्य	281373	-	281373	0.15%	31532	-	31532	0.02%	0.13%
आर बी आई के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी	-	-	-	-	7014	-	7014	0.00%	-
उप-कुल बी (2):	10107001	-	10107001	5.51%	8649253	88	8649341	4.72%	0.79%
कुल सार्वजनिक शेयरधारक (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	22451953	-	22451953	12.25%	22451865	88	22451953	12.25%	-
सी) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा लिये गये शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए + बी + सी)	183281238	12	183281250	100%	183281162	88	183281250	100%	-

ii) प्रचारकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों का नाम	वर्ष की आरंभ में धारित कुल शेयर (01 अप्रैल 2018)			वर्ष के अंत तक कुल शेयरधारकों की संख्या (31 मार्च 2019)		
	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में से बंधित / भारित शेयर का %	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में से बंधित / भारित शेयर का %
भारत के राष्ट्रपति	**160829285**	**87.75%**	-	**160829297**	**87.75%**	-
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित						
वी उदय भास्कर	2	0%	-	-	-	-
एस पिरमनायगम	2	0%	-	-	-	-
डॉ. अमित सहाय	2	0%	-	-	-	-
अश्वनी कुमार	2	0%	-	-	-	-
वी गुरुदत्त प्रसाद	2	0%	-	-	-	-
के दिवाकर	2	0%	-	-	-	-

iii) प्रचारक शेयरधारकों में बदलाव (यदि बदलाव नहीं तो कृपया निर्दिष्ट करें) :

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में कुल शेयरधारण		तारीख	शेयर धारण में वृद्धि / अपवृद्धि	कारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
				01/04/2018	-	-	**160829285**	**87.75%**
1	**भारत के राष्ट्रपति**	160829285	87.75%	30/05/2018	12	नामित से अंतरण	160829297	87.75%
				31/03/2019	-	-	**160829297**	**87.75%**
	भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित							
ए)	वी उदय भास्कर	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**0%**
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**
बी)	एस पिरमनायगम	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**0%**
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**
सी)	डॉ. अमित सहाय	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	-
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**
डी)	अश्वनी कुमार	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	-
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**
ई)	वी गुरुदत्त प्रसाद	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	-
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**
एफ)	के दिवाकर	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	-
				30/05/2018	(2)	भारत के राष्ट्रपति को वापस अंतरण	-	0%
				31/03/2019	-	-	-	**0%**

iv) दस उच्चतम शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (निदेशक, प्रचारक तथा जीडीआर और धारकों के अतिरिक्त) :

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**4089614**	**2.23**	**4089614**	**2.23**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**4089614**	**2.23**	**4089614**	**2.23**
2	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-एचडीएफसी ईक्विटी फण्ड**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**3265331**	**1.78**	**3265331**	**1.78**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/04/2018	66990		3332321	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	13/04/2018	43610		3375931	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	27/04/2018	100569		3476500	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/05/2018	100		3476600	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/05/2018	98000		3574600	
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**3574600**	**1.95**	**3574600**	**1.95**

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
3	**दि वेल्लिंगटन ट्रस्ट कंपनी, नेशनल असोसिएशन मल्टीपल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फण्ड ट्रस्ट, ऑपर्च्युनिस्टिक ईक्विटी पोर्टफोलियो**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	-		-	-
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/04/2018	175765		175765	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	13/04/2018	45435		221200	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/04/2018	56193		277393	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	27/04/2018	881		278274	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/05/2018	35175		313449	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/05/2018	111701		425150	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	18/05/2018	48403		473553	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/05/2018	60911		534464	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/06/2018	47914		582378	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	08/06/2018	60596		642974	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	15/06/2018	36215		679189	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	22/06/2018	31801		710990	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	29/06/2018	17352		728342	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/07/2018	8816		737158	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	13/07/2018	15709		752867	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/07/2018	19335		772202	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	10/08/2018	88130		860332	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	17/08/2018	12430		872762	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	24/08/2018	17929		890691	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/08/2018	25346		916037	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	07/09/2018	16117		932154	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	14/09/2018	195941		1128095	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/10/2018	18594		1146689	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	21/12/2018	7164		1153853	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	23/11/2018	2881		1156734	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/11/2018	7269		1164003	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	07/12/2018	15593		1179596	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	14/12/2018	3775		1183371	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	21/12/2018	7692		1191063	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	28/12/2018	5112		1196175	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/12/2018	317		1196492	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/01/2019	4309		1200801	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/01/2019	8668		1209469	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/02/2019	5375		1214844	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	**31/03/2019**	**1214844**	**0.66**	**1214844**	**0.66**
4	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाउसिंग अपार्च्युनिटीस फण्ड - 1140 डी नवंबर 2017 (1)**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**895621**	**0.48**	**895621**	**0.48**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**895621**	**0.48**	**895621**	**0.48**
5	बैंक ऑफ बड़ौदा					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**868878**	**0.47**	**868878**	**0.47**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**868878**	**0.47**	**868878**	**0.47**
6	**भरतीय स्टेट बैंक**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**695087**	**0.38**	**695087**	**0.38**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**695087**	**0.38**	**695087**	**0.38**
7	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फण्ड					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**895621**	**0.49**	**895621**	**0.49**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/04/2018	45000		940621	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	14/09/2018	(260700)		679921	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	20/09/2018	(90200)		589721	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	21/09/2018	(34700)		555021	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/01/2018	10300		565321	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/03/2019	27000		592321	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	22/03/2019	4446		596767	
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**596767**	**0.32**	**596767**	**0.32**
8	**जनरल इंश्यूरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**521322**	**0.28**	**521322**	**0.28**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**521322**	**0.28**	**521322**	**0.28**

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
9	**दि न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	**434426**	**0.23**	**434426**	**0.23**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये					
	वर्ष के दौरान बेचे गये					
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**434426**	**0.23**	**434426**	**0.23**
10	दि वेल्लिंगटन ट्रस्ट कंपनी, नेशनल असोसिएशन मल्टीपल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फण्ड ट्रस्ट, ऑपर्च्युनिस्टिक ईक्विटी पोर्टफोलियो					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2018**	-		-	-
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/04/2018	48369		48369	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	13/04/2018	16240		64609	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/04/2018	10832		75441	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	27/04/2018	3714		79155	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/05/2018	10768		89923	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/05/2018	39380		129303	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	18/05/2018	19203		148506	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/02/2018	20258		168764	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/06/2018	13432		182196	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	08/06/2018	19236		201432	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	15/06/2018	6525		207957	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	22/06/2018	9177		217134	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	29/06/2018	11898		229032	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/07/2018	9118		238150	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	13/07/2018	9181		247331	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/07/2018	13763		261094	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	10/08/2018	20237		281331	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	24/08/2018	5232		286563	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/08/2018	7790		294353	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	07/09/2018	5810		300163	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	14/09/2018	60127		360290	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/10/2018	10748		371038	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	02/11/2018	2068		373106	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/11/2018	3487		376593	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	07/12/2018	582		377175	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	14/12/2018	1225		378400	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	21/12/2018	529		378929	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	28/12/2018	496		379425	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/12/2018	1340		380765	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/01/2019	3476		384241	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/01/2019	227		384468	
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/02/2019	2670		387138	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	08/02/2019	(3571)		383567	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	15/02/2019	(1063)		382504	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	22/02/2019	(28471)		354033	
	वर्ष के दौरान बेचे गये	01/03/2019	(23881)		330152	
	वर्ष के अंत में	**31/03/2019**	**(330152)**	**0.18**	**330152**	**0.18**

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण:

प्रत्येक उच्च 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करत हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस स्वेट ईक्विटी आदि।)				
वर्ष की समाप्ति पर (या वर्ष के दौरान अलग हो जाने की स्थिति में अधिवर्षिता की तारीख पर)				

V) ऋणग्रस्तता

बकाया ऋण / भुगतान के लिए बकाया नहीं ऐसा प्रोद्भूत ब्याज मिलाकर कंपनी की ऋणग्रस्तता।

	निक्षेप के अतिरिक्त लिये गये सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर नहीं दिया गया iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	शून्य			
कुल (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर नहीं दिया गया iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				

VI निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक : (राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीआई / प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		वी उदय भास्कर (28.2.2019 तक)	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (1.3.2019 से)	एस पिरमानयगम	वी गुरुदत्त प्रसाद	के दिवाकर (31.8.2018 तक)	एन पी दिवाकर (1.9.2018 से)	
1	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	61,24,685	3,57,051	64,67,618	67,84,943	23,69,973	44,75,730	2,65,80,013
	बी) आयकर अधिनियम, 1 9 61 के प्रावधान 17(2) अनुसार अनुलाभ	32,400	2,700	32,964	33,400	32,313	33,400	1,67,177
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	- 18,693	-	-	-	-		18,693
2.	स्टॉक विकल्प	-		-	-	-		-
3.	स्वेट ईक्विटी	-		-	-	-		-
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-		-	-	-		-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-		-	-	-		-
	कुल (ए)	**61,75,778**	**3,59,751**	**65,00,582**	**68,18,343**	**24,02,286**	**45,09,130**	**2,67,65,883**

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक : (राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक के नाम					कुल राशि
		सुषमा वी दबक	प्रो.अजय पाण्डेय	अजय नाथ	के एस संपत	लता नरसिम्ह मूर्ति	
1.	स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें	2,70,000	2,30,000	1,60,000	2,90,000	2,70,000	12,20,000
	कुल (1)						
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक • निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें	शून्य					
3	कुल (2)	शून्य					
	कुल (बी) = (1 + 2)	12,20,000					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)	2,79,85,883					
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमांत	दि. 05.06.2015 की 463 (ई) संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त।					

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक (राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		कंपनी सचिव
		एन नागराज
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 के 17(1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	15,60,848
	बी) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान 17(2) अनुसार अनुलाभ	1000
	सी) आयकर धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन लाभ	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-
4.	लाभ के % के रूप में कमीशन	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें	-
	कुल	**15,61,848**

टिप्पणी : निदेशक (वित्त) कंपनी के सी एफ ओ भी हैं। इसलिए कोई अलग प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं किया गया है।

VII) अपराध पर जुर्माना / दंड / निपटान :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना / दंड / निपटान शुल्क के विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / अदालत]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता / राजी					
बी. निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता / राजी					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता / राजी					

अनुलग्नक-II

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास पर वार्षिक रिपोर्ट
[कंपनी नियमावली, 2014 का नियम 8 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)]

ए) कंपनी की सी एस आर एवं एस डी नीति का संक्षिप्त परिचय

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चला रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बी डी एल के तत्काल तीन पिछले वित्तीय वर्षों के औसत का शुद्ध 2% लाभ खर्च किया जा रहा है।

सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

सी एस आर के तहत बीडीएल की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन।
- तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम जिले में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट के माध्यम से उम्रदराज लोगों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण।
- आरओ जल शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पेयजल।
- सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और उनका रखरखाव।
- आकांक्षी जिलों में विकासात्मक गतिविधियाँ।
- सरकारी आई टी आई को अपनाना।
- बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास।
- स्वच्छता और स्वच्छ भारत
- दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण
- शिक्षा का प्रचार। (सरकारी स्कूलों में दो खाने वाले डेस्क का वितरण)

सी एस आर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

बी) 31 मार्च, 2019 को सी एस आर समिति की संरचना

1	श्री अजय नाथ स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्रीमती सुषमा वी दबक स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सी एफ ओ	सदस्य
4	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन)	सदस्य
5	श्री के एस संपत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	प्रोफेसर अजय पाण्डेय स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

सी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसतन निवल लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसतन निवल लाभ : रु. 80798.32 लाख।

डी) निर्धारित सी एस आर व्यय :

निर्धारित सीएसआर व्यय अर्थात् उपर्युक्त मद सं. (सी) में बतायी गयी राशि का 2% रु. 1615.97 लाख।

ई) वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई सी एस आर राशि का विवरण :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि : रु. 1615.97 लाख

ii) व्यय नहीं की गई राशि, यदि है तो : शून्य

iii) वर्ष के दौरान यह राशि कैसे खर्च की गई है, इसका विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपनायी गयी सी एस आर गतिविधियाँ

[कंपनी (सी एस आर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित फार्मेट]

(लाख रु. में)

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना एवं पहचानी गई गतिविधि	परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	परियोजनाएँ या कार्यक्रम		कार्यक्रम या परियोजनावार आबंटित राशि (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष :		रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एवं जिले का नाम जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए		परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहेड		
1	इंदिरागांधी ज्यूलाजिकल पार्क, विशाखापट्टणम के लिए मोबाइल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराना	जंतु कल्याण	स्थानीय	विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश	15.00	13.50	शून्य	13.50	क्यूरेटर, इंदिरागांधी ज्यूलाजिकल पार्क, विशाखापट्टणम
2	चंचलगुडा और चेरलापल्ली जेलों के माध्यम से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के लिए स्कूली फर्नीचर	शिक्षा	स्थानीय	तेलंगाना	200.00	119.50	शून्य	119.50	सेट्रल जेल, चंचलगुडा औरचेरलापल्ली, हैदराबाद
3	अकादमिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान पटानचेरु के सरकारी स्कूली विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोज योजना	शिक्षा	स्थानीय	संगारेड्डी, तेलंगाना	89.45	89.45	शून्य	89.45	दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन, बेंगलूरु
4	अकादमिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान विशाखापट्टणम के सरकारी स्कूली विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोज योजना	शिक्षा	स्थानीय	विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश	38.04	38.04	शून्य	38.04	दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन, बेंगलूरु
5	कामारेड्डी जिले के सरकारी सकूल की कक्षाओं का डिजिटलाइजेशन	शिक्षा	स्थानीय	कामारेड्डी, तेलंगाना	50.00	40.00	शून्य	40.00	जिलाधीश, कामारेड्डी जिला, तेलंगाना
6	आंध्र प्रदेश के महादेवपट्टणम और नरसापुरम निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल में स्मार्ट स्कूल परियोजना	शिक्षा	स्थानीय	पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	50.00	40.00	शून्य	40.00	जिलाधीश, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
7	आकांक्षी जिला - जयशंकर भूपालपल्ली जिले में विकासात्मक कार्यक्रम	शिक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	जयशंकर भूपालपल्ली	400.00	360.00	शून्य	360.00	जिलाधीश, जयशंकर भूपालपल्ली, तेलंगाना
8	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर), हैदराबाद के माध्यम से तेलंगाना के सरकारी स्कूली विद्यार्थिनियों को जागरूकता एवं सैनिटरी नैपकिन का वितरण।	महिला सशक्तीकरण	स्थानीय	रंगारेड्डी, तेलंगाना	72.00	50.28	शून्य	50.28	एन आई आर डी एवं पी आर, हैदराबाद
9	भारतीय कृत्रिम अवयव विनिर्माण निगम (ए एल आई एम सी ओ) के माध्यम से दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अवयव व सहायक सामग्री का वितरण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	सिद्धिपेट, तेलंगाना	6.77	4.41	2.36	6.77	ए एल आई एम सी ओ, हैदराबाद
10	नलगोंडा में मोबाइल मेडिकेर यूनिट (एम एम यू) के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	नलगोंड़ा, तेलंगाना	12.24	6.83	शून्य	6.83	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना एवं पहचानी गई गतिविधि	परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	परियोजनाएँ या कार्यक्रम		कार्यक्रम या परियोजनावार आबंटित राशि (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष :		रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एवं जिले का नाम जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए		परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहेड		
11	विशाखापट्टणम में मोबाइल मेडिकेर यूनिट (एम एम यू) के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	32.45	27.38	शून्य	27.38	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
12	भारतीय कृत्रिम अवयव विनिर्माण निगम (ए एल आई एम सी ओ) के माध्यम से बधिर लोगों को कोचलार इंप्लांट उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	221.36	147.58	शून्य	147.58	ए एल आई एम सी ओ, हैदराबाद
13	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आँकॉलॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद में पूर्णत: स्वचालित माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	100.00	30.00	शून्य	30.00	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कॉलॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद
14	मिलिटरी माधवरम गांव को अपनाना	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	505.90	234.01	शून्य	234.01	सीधा
15	जनगाँव,नारायणपुर और पीपलपहाड़ गाँवों में लगाये गये 3 आर ओ वाटर प्लांट का रखरखाव	शुद्ध पेय-जल	स्थानीय	नलगोंड़ा, तेलंगाना	2.70	2.70	शून्य	2.70	नांदी फाउण्डेशन, हैदराबाद
16	आरसीआई, बीडीएल और अन्य डीआरडीओ लैब्स की केबीसी रोड का विकास, अर्बोरिकल्चर प्लांटेशन	स्वच्छता	स्थानीय	रंगारेड्डी, तेलंगाना	6.68	4.77	शून्य	4.77	सीधा
17	स्वच्छ भारत पक्षोत्सव कार्यक्रमों पर व्यय	स्वच्छता	स्थानीय	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	0.46	0.46	शून्य	0.46	Direct
18	अकादमिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान तेलंगाना के 103 सरकारी स्कूलों में बनाये गये शौचालयों का रखरखाव।	स्वच्छता	स्थानीय	संगारेड्डी, नलगोंडा, रंगारेड्डी, तेलंगाना	43.26	30.90	शून्य	30.90	परियोजना निदेशक, तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान
19	महबूबनगर जिले के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और आर ओ जल संयंत्र लगाना।	स्वच्छता	स्थानीय	महबूबनगर, तेलंगाना	50.00	40.00	शून्य	40.00	जिलाधीश, महबूबनगर जिला, तेलंगाना
20	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग अण्ड टेक्नॉलॉजी (सी आई पी ई ओ), हैदराबाद के माध्यम से 80 बेरोजगार युवा के लिए कौशल-विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	16.99	16.99	शून्य	16.99	सी आई पी ई टी, हैदराबाद
21	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग अण्ड टेक्नॉलॉजी (सी आई पी ई ओ), हैदराबाद के माध्यम से 520 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल-विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	184.08	70.80	शून्य	70.80	सी आई पी ई टी, हैदराबाद

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना एवं पहचानी गई गतिविधि	परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	परियोजनाएँ या कार्यक्रम		कार्यक्रम या परियोजनावार आबंटित राशि (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष :		रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एवं जिले का नाम जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए		परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर सीधा व्यय	ओवरहेड		
22	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी (आई जी आई ए टी), विशाखापट्टणम के लिए डिजिटल क्लास रूम	कौशल-विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	35.13	35.06	शून्य	35.06	आई जी आई ए टी, विशाखापट्टणम
23	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी (आई जी आई ए टी), विशाखापट्टणम के माध्यम से 200 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल-विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	20.01	15.00	शून्य	15.00	आई जी आई ए टी, विशाखापट्टणम
24	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी (आई जी आई ए टी), विशाखापट्टणम के माध्यम से 175 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल-विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	50.00	27.28	शून्य	27.28	आई जी आई ए टी, विशाखापट्टणम
25	बी डी एल कंचबनाग में बेरोजगार युवा के कौशल-विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र	कौशल-विकास	स्थानीय	रंगारेड्डी, तेलंगाना	50.00	0.54	शून्य	0.54	सीधा
26	सरकारी आई आई टी, शांतिनगर, हैदराबाद के लिए टूल्स, उपकरण, मशीनरी और कच्चा माल उपलब्ध कराना	कौशल-विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	100.00	80.00	शून्य	80.00	निदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण) तेलंगाना सरकार
27	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस अण्ड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एन एच एफ डी सी), नई दिल्ली के माध्यम से दिव्यांग जन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	अन्य		100.00	79.99	शून्य	79.99	एन एच एफ डी सी, नई दिल्ली के माध्यम
28	सीएसआर प्रशासनिक ओवरहेड्स	अन्य	-	हैदराबाद, तेलंगाना	75.28	75.28	शून्य	75.28	सीधा
	कुल				**2,527.80***	**1,680.74**	**2.36**	**1,683.10**	

टिप्पणी :

1) यह एक अनुमानित परियोजना लागत है जिसके लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानानुसार कंपनी को सी एस आर गतिविधियों के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की अग्रेनित राशि मिलाकर 1683.10 लाख रुपये खर्च किये हैं। अत: इस संबंध में कोई कमी नहीं है तथा इसका पूर्ण अनुपालन किया गया है।

2) उपर्युक्त व्यय में सरकारी आई टी आई कॉलेज को दान दी गई मशीनरी शामिल नहीं जिसका मूल्य रु. 4.00 है। (लिखित मूल्य)

एफ) यदि कंपनी, पिछले तीन वर्षों के औसतन निवल लाभ की 2% राशि पूरी तरह से या उसका कोई अंश खर्च नहीं कर पाती है तो कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इसका विवरण देगी। -शून्य–

जी) सी एस आर समिति द्वारा सी एस आर नीति संबंधी उत्तरदायित्व वक्तव्य कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप है।

यह व्यक्त किया जाता है कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप हुआ है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10 अगस्त, 2010

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

अजय नाथ
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डी आई एन : 05151291

अनुलग्नक-III

NARENDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर -3

दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट *

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियमावली (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मैंने लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड (आगे 'कंपनी' नाम से अभिहित है) द्वारा अच्छे नैगमिक परिपाटी के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि मुझे नैगमिक परिपाटियाँ / संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियाँ, कागज़ात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और साचिविक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मैं अभिलिखित करता हूँ कि मेरी राय में दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वितीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यत: नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

मैंने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागज़ात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बने नियम;

(iii) डिपॉजिटरीज (निक्षेपागार) अधिनियम, 1996 और विनियमन और इसके अंतर्गत बने उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम;

* अनूदित पाठ

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries ★ HYDERABAD ★ FCS-4898 CoP-5024

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश : -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का ठोस अधिग्रहण और टेकओवर);

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना); समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015;

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999. (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।)

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(जी) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्विटी शेयर की डी-लिस्टिंग); समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद);

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

(i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानदंड।

* अनूदित पाठ

(ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।

(iii) मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानकों, इत्यादि का अनुपालन किया है।

मैं, आगे अभिलिखित करता हूँ कि

i. कंपनी ने 1 मई, 2018 से निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। हालाँकि, कंपनी ने सूचित किया है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशकों सहित), पारिश्रमिक, मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्तियों की शर्तें व नियम भारत सरकार के अधीन रहते हैं।

ii. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थीं; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधी आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।

iii. निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries ★ HYDERABAD ★ FCS-4898 CoP-5024

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898;
सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 27 मई, 2019

यह रिपोर्ट अनुलग्न-ए के रूप में संलग्न किये गये मेरे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

* अनूदित पाठ

NARENDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

अनुलग्नक-'ए'

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

इस पत्र को इसी तारीख की मेरी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. साचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना मेरी जिम्मेदारी है।

2. मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह जाँच परीक्षा आधार पर सत्यापन किया गया था कि साचिविक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने अपनी राय देने के लिए मुझे उचित आधार प्रदान किया।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ आवश्यकता रही, मैंने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।

5. नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंड़ों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी यह जाँच परीक्षा आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. यह साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries * HYDERABAD * FCS-4898 CoP-5024

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898;
सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 27 मई, 2019

* अनूदित पाठ

अनुलग्नक-IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

भविष्यदर्शी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा में, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यवाणी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत भविष्यदर्शी प्रतीत हो सकती हैं। भविष्यदर्शी कथन कुछ निश्चित पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और वास्तविकता में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन भविष्यदर्शी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को सरकार की रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण संबंधी नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर-कानून, देश के भीतर होने वाले आर्थिक विकास और कुछ ऐसे वैश्विक परिवर्तनकारी कारक प्रभावित कर सकते हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण का विनिर्माणकर्ता है।

कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और मेदक जिले के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित है। इसकी और दो नई इकाइयाँ इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और अमरावती, महाराष्ट्र में बनाने की योजना है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2019 तक कुल 3034 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 3069 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

1. सामरिक वातावरण :

कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत एवं वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियों से युक्त वातावरण में कार्य करती है। इस संव्यवहारिक दृष्टि का महत्वपूर्ण घटक है कार्यान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय थल सेना को उत्पादों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा। साथ ही, हम अपने कार्मिकों पर निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

बी डी एल का संव्यवहार इसके सामरिक वातावरण से प्रभावित रहता है जिसमें भारतीय रक्षा क्षेत्र, विश्व रक्षा व्यय, सरकारी नीति और नयी विचारधाराएँ शामिल रहती हैं।

1.1 वैश्विक रक्षा खर्च

वैश्विक सेना खर्च लगातार दूसरे वर्ष 2018 में बढ़ कर $ 1822 बिलियन रहा। वर्ष 2017 और 2018 के बीच समग्र सेना खर्च वास्तविकत: 2.6% बढ़ा है। वर्तमान में वैश्विक सेना खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.1% है।

वर्ष 2018 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश रहे – युनाइटेड स्टेट्स, चीन, सऊदी अरब, भारत और फ्रांस। इन पाँचों देशों ने मिलकर वैश्विक सेना खर्च का 60 प्रतिशत खर्च किया। विशेष रूप से, रूस 2006 के बाद पहली बार इन पाँचों में शीर्ष देशों की सूची से बाहर रहा। वर्ष 2018 में शीर्ष 15 देशों ने मिलकर $ 1470 बिलियन खर्च किए और वैश्विक के सेना व्यय का यह 81% हिस्सा रहा। ।

वर्ष 2018 में सात वर्षों में पहली बार अमरिकी का सेना खर्च 4.6% बढ़कर $ 649 बिलियन हो गया। जबकि, चीन ने अपने सेना खर्च में 5.0% और भारत ने 3.1% की वृद्धि की। इनके विपरीत सऊदी अरब ने अपने सेना खर्च में 6.5%, फ्रांस ने 1.4% और रूस ने 3.5% की कटौती की है। मध्य अमरिका और कैरिबियन, मध्य यूरोप, मध्य और दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के सेना खर्च में वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ओशिनिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के सेना व्यय में कमी आई। मध्य पूर्वी देशों के कुल सेना खर्च में भी कमी देखी गयी।

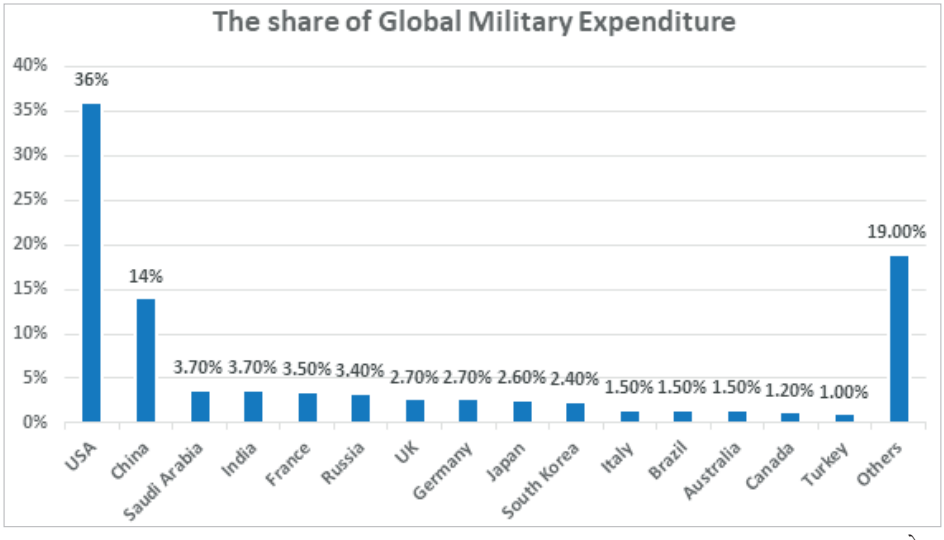

(स्रोत : www.mod.gov.in)

दुनिया में सबसे अधिक सेना-खर्च करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर रहने वाले चीन ने वर्ष 2018 में सेना खर्च लिए $ 250 बिलियन आबंटित किये, जो विश्व सेना खर्च का 14% हिस्सा रहा। वर्ष 2018 में इसका सेना खर्च लगातार 24वें वर्ष बढ़ा और 2018 में इसका खर्च 1994 की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक रहा। चीन के सेना खर्च में वृद्धि की वार्षिक दर धीमी पड़ती गई है जो वर्ष 2009 के बाद 9.3% वर्ष 2013 में उच्चतम स्तर पर थी। 2018 में 5.0% की वृद्धि 1995 के बाद से सबसे कम वार्षिक वृद्धि थी। चीन ने सेना खर्च की वृद्धि को आर्थिक विकास के साथ जोड़ने की नीति अपनायी है। अगर चीन इसी नीति को बनाये रखता है तो 2018 में इसके आर्थिक विकास की गति 28 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर रही और आने वाले वर्षों में भी विकास की धीमी दर की उम्मीद की जा सकती है।

भारत का सेना खर्च लगातार पाँचवें वर्ष 2018 में भी बढ़ा और यह 2017 की तुलना में 3.1% अधिक रहा। $ 66.5 बिलियन पर भारत का सेना खर्च 2009 की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक रहा। इस वृद्धि के बावजूद, 2018 में भारत का सेना खर्च, 1960 के आरंभिक वर्षों के जी डी पी 2.4% और वर्ष 2009 की जी डी पी 2.9% की तुलना में कम ही रहा।

सेना-खर्च में क्षेत्र और देशों के बीच व्यापक रूप से अंतर होता है। फिर भी, सामान्य प्रवृत्ति दर्शाती है कि जीडीपी के मुकाबले खर्च सन् 1999 से सेना खर्च में सभी क्षेत्रों में कमी आयी है। 2018 में 2.1% का वैश्विक सेना खर्च 2009 की तुलना में 0.5% कम रहा।

कुल मिलाकर वैश्विक रक्षा खर्च 2017-22 तक 3.0% सी ए जी आर की दर से बढ़ने की उम्मीद है जो 2022 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर जाएगा।

1.2 भारतीय रक्षा क्षेत्र

सरकार द्वारा प्रख्यापित नयी नीतियों के फलस्वरूप भारतीय रक्षा बाजार बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। तीनों सेनाओं की विभिन्न अधुनिकीकरण योजनाएँ चल रही हैं जिनमें से कुछ योजनाओं में देरी हो रही है। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए रक्षा खरीद नीति (डीपीपी) 2018 के ज़रिये खरीदी को व्यवस्थित करते हुए आपूर्तिकर्ता को अधिक मौका देने, एफ डी आई लाने, टेंडर्स में एकल विक्रेता की सहभागिता को अनुमत करने और 'रणनीतिक भागीदार' प्रतिरूप शामिल किये हैं। सरकार देशीकृत निर्माण को उच्च प्राथमिकता देते हुए देश को 'रक्षा उत्पादन हब' बनाने की नीति को आकार दे रही है। रक्षा निर्यात पर बल दिया गया है जबकि एफ डी आई को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि अधिक से अधिक मूल विदेश उपकरण निर्माता भारत में उद्यम लगा सकें। इससे कई बिलियन डॉलर की परियोजनाओं के अपेक्षित परिणामों के साथ आने की संभावना है। इनमें से कुछ परियोजनाओं की खरीद सरकार से सरकार के बीच और कुछ की तुरंत उपलब्ध वस्तुओं के रूप में की जाएगी। यद्यपि अधिकतर उत्पाद देशी कंपनियों और विदेशी ओ ई एम की भागीदारी से बनेंगे। इस दृष्टि से त्वरित खरीदी और टेंडर्स देते समय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिसंतुलन की शर्तों में भी छूट दी जा रही है। फास्ट-ट्रेक डील्स, माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों को भागीदार बनाते हुए भारतीय-विदेशी ओ ई एम भागीदारी के बीच अनुरूपी (टेलर्ड) परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1.3 बजट – 2019 में प्रस्ताव और प्रमुख पहलें

2018-19 के लिए भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 2.2% रहा है, जो पिछले साल के समान है। 2018-19 के बजट में, रक्षा व्यय के लिए रु. 4,04,365 करोड़ की राशि प्रदान की गई। कुल रक्षा व्यय में से 34% पूँजीगत व्यय के लिए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, नये भवनों का निर्माण, नयी सड़कें बनाना और नए हथियारों और प्लेटफार्मों का अधिग्रहण शामिल है। तीनों रक्षा सेनाओं में से 2018-19 के रक्षा बजट में थल सेना का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। भारतीय वायु सेना दूसरे स्थान पर रही उसके बाद नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और आयुध निर्माणियों (OFs) का स्थान रहा।

रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विकास और रक्षा उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए निम्नलिखित घोषणाओं के साथ रक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है :

- रक्षा औद्योगिक कॉरिडारों का विकास।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित एमएसएमई द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अनुकूल डीपीपी 2018 तैयार करना।
- रक्षा उत्पादन क्षमताओं को पोषित और विकसित करने मेक इन इंडिया पहल का प्रचार करना।

1.4 भारतीय रक्षा-क्षेत्र का देशीकरण

देश को रक्षा उत्पाद के विनिर्माण में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से डी पी पी 2013 का दि. 2 अप्रैल, 2016 को संशोधित कर प्रभावी बनाया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :

रक्षा उपकरणों के देशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिग्रहण श्रेणी में सर्वाधिक प्राथमिकता 'भारत निर्मित खरीदें' (आई डी डी एम – देशी अभिकल्पन विकास और विनिर्माण) को दी गई है। इस श्रेणी में भारतीय विक्रेताओं से ऐसे उत्पादों की खरीद शामिल है जिसका देशी अभिकल्पन एवं विकास एवं विनिर्माण किया गया हो तथा जिसमें कम से कम 40% देशी सामग्री हो। यदि उत्पाद का देशी अभिकल्पन एवं विकास नहीं किया गया हो तो इसमें कम से कम 60% देशी सामग्री होनी चाहिए।

'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' श्रेणी के तहत भारतीय कंपनियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ समझौता कर सकती हैं।

बड़ी मात्रा में 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के तहत पूँजीगत अधिग्रहण में विदेशी विक्रेता को वस्तुओं के देशी उत्पादन के लिए भारतीय उत्पादन एजेंसी को प्रौद्योगिकी का अंतरण करेंगी। विदेशी ओ ई एम प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अपनी पसंद की भारतीय उत्पादन एजेंसी का चयन कर सकते हैं।

फरवरी 2018 में पूँजीगत वस्तुओं की रक्षा आपूर्ति में उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक संशोधित मेक - II प्रक्रिया अनुमोदित की।

बीडीएल आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा खर्च में कमी और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ए टी जी एम के विनिर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है। कांकूर्स-एम, इनवार, मिलान -2 टी जैसे उत्पादों का स्वदेशीकरण क्रमशः 95%, 78.6% और 71% तक हो चुका है।

वर्ष के दौरान सरकार ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) की परंपरा आरंभ की, जिसका मुख्य उद्देश्य एम एस एम ई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवोन्मेषी, आर अण्ड डी संस्थान और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इको-सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) तैयार करना है। इसके अंतर्गत इन्हें भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाने की क्षमता रखने वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान / निधि और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। पिछले एक साल में लगभग 500 स्टार्ट-अप ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। आईडीईएक्स (इनोवेशन इन डिफेंस फॉर एक्सीलेंस) कार्यक्रम में छह इनक्यूबेटर भागीदार हैं। आई डी ई एक्स की चुनौतियाँ ही रक्षा स्टार्ट-अप की चुनौतियां भी रही हैं और इसने रक्षा तथा एयरोस्पेस के लिए बहुत ही सक्रिय स्टार्ट-अप समुदाय बनाया है। यह भारत के प्रौद्योगिकी विकास इको-सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन गया है।

(स्रोत : www.mod.gov.in)

प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) नीति

विदेशी रक्षा ओ ई एम के साथ पूंजीगत खरीद अनुबंध में रक्षा अनुबंधों के लिए ऑफसेट पॉलिसी के तहत न्यूनतम 30% की अनिवार्य ऑफ़सेट आवश्यकता निर्धारित की गयी है। न्यूनतम अनुबंध मूल्य जिसके लिए ऑफसेट अनिवार्य है अब 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1.5 भारतीय रक्षा निर्यात

विज़न -2022 के संदर्भ में सीपीएसई की भूमिका और कार्यप्रणाली को फिर से परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दि. 9 अप्रैल, 2018 को सीपीएसई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। प्रधान मंत्री ने सीपीएसई को पाँच विशिष्ट चुनौतियां दीं और सभी सीपीएसई को इस कॉन्क्लेव की सिफारिशों पर आधारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार करने का निर्देश दिया। पहली चुनौती रखी गयी कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) की वैश्विक रणनीतिक पहुँच अधिकाधिक करना जिसके अंतर्गत संबंधित रक्षा उपक्रम के वार्षिक टर्नओवर का 25% हिस्सा 2022-23 तक निर्यात से आना चाहिए ताकि भारत मात्र एक आयातक बन कर रहने के बजाय एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन सके। दूसरी चुनौती जिसे रक्षा उपक्रमों को पूरा करना है, विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले घटक और भागों के लिए आयात निर्भरता में कमी लाना है। वर्ष 2022-23 तक प्रयासकर उत्पाद / प्रक्रिया के देशीकरण के माध्यम से रु. 15,000 करोड़ का आयात प्रतिस्थापन लक्षित है। नवीनतम तकनीक की विकास-क्षमता और दक्षता के संबंध में, तीसरी चुनौती रखी गयी है कि रक्षा उपक्रम अपने प्लेटफार्म / उपकरणों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करें और इसे लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करें।

भारतीय रक्षा निर्यात वर्ष 2017-18 के रु. 4,682 के मुकाबले वर्ष 2018-19 में रु. 10,745 रहा। पिछले तीन वर्षों में भारतीय उद्योग ने रक्षा निर्यात दो गुना कर दिया है। तीन वर्ष पहले भारत से रक्षा निर्यात मात्र रु. 1,500 करोड़ था। पिछले वर्ष यह रु. 4,500 करोड़ रहा और वर्ष 2018-19 के दौरान यह रु. 10,000 करोड़ पार कर गया। सरकार ने निर्यात क्षेत्र में देश के देशी रक्षा उद्योग के प्रवेश के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। रक्षा निर्यात को बल देते हुए रक्षा उत्पादन विभाग ने दि. 4.10.2018 को रक्षा निर्यात के प्रचार के लिए प्रचार संबंधी योजना की घोषणा की है। इस योजना में दो विकल्प रखे गये हैं :

ए) यदि कोई उत्पाद खरीद प्रक्रिया के दौरान तकनीकी रूप से योग्य पाया जाता है लेकिन अंतत: इसे खरीद के लिए नहीं चुना जाता हो तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय ऐसे "भारतीय सेना के उपयोग के लिए उपयुक्त" प्रमाणित करेगा।

बी) भावी रक्षा निर्यातक रक्षा मंत्रालय से ऐसे उत्पादों का प्रमाणन (विनिर्देशों के एक सेट के तहत) प्राप्त कर सकते हैं जिनकी भारतीय रक्षा सेनाओं को ऐसे उत्पादों की आवश्यकता न हो। इस योजना से रक्षा और वांतरिक्ष उद्योग की काफी लंबे समय से चली आ रही माँग के पूरी होने की उम्मीद है।

निर्यात अनुज्ञप्ति अनापत्ति प्रदान करने आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण को स्पष्ट करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। 66% वस्तुओं को रक्षा निर्यात अनापत्ति की सूची से हटा दिया गया है। एक निर्यात सामरिक नीति तैयार करना और रक्षा निर्यातकों को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

भारत के रक्षा निर्यात में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने अपनी वर्ष 2018 की रक्षा उत्पादन नीति में खास उपाय सुझाये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

- रक्षा निर्माण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए डिफेंस एक्सपो और एयरो एक्सपो प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किये जाएँगे।
- सामरिकता के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और निजी उद्योग, दोनों के घरेलू रूप से निर्मित रक्षा उत्पादों को सरकार से सरकार के बीच समझौते तथा ऋण व्यवस्था / निधीकरण माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- ऑफ़सेट प्रक्रिया के अंग के रूप में विकसित किए गए कल-पुर्जे और सहायक सामग्री के निर्यात के लिए भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा उपक्रम / आयुध निर्माणी बोर्ड आयातक क्षमता रखने वाले देशों में निर्यात कार्यालय स्थापित करेंगे।
- विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के साथ संयुक्त रूप से रक्षा निर्यात संगठन स्थापित किये जाएँगे।
- रक्षा उत्पादन विभाग में आरंभ से अंत तक की निर्यात मंजूरी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध होगी।

(स्रोत : www.mod.gov.in; रक्षा मंत्रालय का वार्षिक विवरण : 2018-19)

2. बीडीएल के संव्यवहार की समीक्षा

2.1 कंपनी के बारे में

1970 में स्थापित बी डी एल का मुख्यालय हैदराबाद में है। बी डी एल भारत का एक अग्रणी रक्षा उपक्रम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित मिसाइल (ए टी जी एम), अंतर्जलास्त्र, लाँचर, प्रतिमारक एवं परीक्षण उपकरणों का विनिर्माण करता है। मिनी-रत्न (श्रेणी -1) प्रदत्त बी डी एल, सैम, टॉरपिडो, ए टी जी एम बनाने वाला भारत का एकमात्र विनिर्माता है। बी डी एल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैम एवं ए टी जी एम का एकमात्र आपूर्तिकर्ता भी है। कंपनी, भंडारित एवं प्रयुक्त मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण एवं कार्य-काल विस्तार का कार्य भी कर रही है। हम अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम बनाने में डी आर डी ओ के साथ सह-विकास भागीदार भी हैं।

बीडीएल के उत्पाद

सैम	ए टी जी एम	टॉरपिडो	लाँचर	प्रतिमारक	डिकॉय प्रणालियाँ	परीक्षण उपकरण
आकाश मिसाइल एम आर सैम	मिलान 2टी कांकूर्स-एम इनवार	हल्के भार वाला टॉरपिडो भारी टॉरपिडो	कांकूर्स-एम और मिलान- 2टी ए टी जी एम के लिए लाँचर	शॅफ्स एवं फ्लेर आधारित वायु रक्षा प्रणाली सी-303 टॉरपिडो डिकॉय	पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला डिकॉय	ए टी जी एम और एस ए एम की प्रयोगावस्था अनुवीक्षण उपकरण

2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखपट्टणम में स्थित हैं। हमारी सभी विनिर्माण सुविधाएँ टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आईएसओ 14001: 2004 प्रमाणन प्राप्त हैं। हमारे मिलान, आकाश, सीपी-आईजीएमपी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग, डिजाइन अण्ड इंजीनियरिंग प्रभाग तथा भानूर इकाई एन वी टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एएस 9100डी एअरोस्पेस स्टांडर्ड प्रमाणन प्राप्त है। कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीनों इकाइयाँ आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त हैं। कंपनी आई एस ओ 27001 : 2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) मानक से प्रमाणित है। भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

कंपनी इब्राहीमपट्टण्म (हैदराबाद के पास) एवं महाराष्ट्र के अमरावती में दो अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने में लगी है जिसे क्रमशः सैम एवं अत्यंत लघु दूरी वायु रक्षा मिसाइल (विश्रॉड) के विनिर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है।

2.3 कार्यादेश

दि. 01 अप्रैल 2019 तक हमारे पास रु. 7258 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

2.4 वित्तीय निष्पादन

i) वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
		2018-19	2017-18	
i)	बिक्री / परिचालन से प्राप्त राजस्व*	3069	4588	(33%)
ii)	उत्पादन मूल्य	3235	4641	(30%)
iii)	कर पूर्व लाभ	671	774	(13%)
iv)	कराधान के बाद लाभ	423	528	(20%)
v)	मूल्यवर्द्धन	1416	1734	(18%)
vi)	प्रति शेयर अर्जन #	23	27	-

* भारतीय लेखा-मानकों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन से प्राप्त बिक्री/ राजस्व की गणना रु.148.98 करोड़ के परिसमापन व्यय (एल डी) के समायोजन के बाद है जबकि पिछले वर्ष इस परिसमापन व्यय की गणना व्यय के रूप में की गई थी।

\# ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है। पिछले वर्ष के लिए ईपीएस वर्ष के दौरान दिये गये बोनस के प्रति समायोजित की गई थी।

टिप्पणी

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 4588 करोड़ रुपये की तुलना में रु.3069 करोड़ का बिक्री कारोबार किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व में कमी की वजह आकाश अस्त्र-प्रणाली के भू-आधारित उपकरणों के कार्य-आदेश का पूरा हो जाना रहा। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 774 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 671 करोड़ का कर-पूर्व लाभ हासिल किया है। जबकि कराधान बाद लाभ पिछले वर्ष के 528 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 423 करोड़ रहा। लाभ मार्जिन के संबंध में टर्नओवर में कमी होते हुए भी परिचालन में बढ़ोत्तरी हुई है।

ii) निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2018-19	2017-18	
सकल निरुद्ध	1008	856	18%
मूल्यह्रास	196	136	45%
निवल निरुद्ध	812	720	13%
कार्यगत पूँजी	1390	1086	28%
नियोजित पूँजी	2347	1954	20%
निवल मालियत	2269	1956	16%

टिप्पणी

1) **सकल ब्लॉक :** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सकल ब्लॉक में रु. 152 करोड़ की हुई वृद्धि मुख्य रूप से एम आर सैम परियोजना के लिए इन्ब्राहिमपट्टणम में बुनियादी सुविधाओं के पूंजीकरण के लिए रु. 67 करोड़ रुपये और ए टी जी एम विनिर्माण की सुविधाओं के उन्नयन के लिए रु. 52 करोड़ के कारण है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु. 48 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मूल्यह्रास 52 करोड़ है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य के मूल्यह्रास और ए टी जी एम की बिक्री के नाम रु. 4 करोड़ विशेष टूल्स व उपकरणों के परिशोधन के कारण है।

2) कार्यगत पूँजी में रु. 304 करोड़ की वृद्धि आयी जिसका कारण है –

ए) चालू आस्तियाँ रु. 1008 करोड़ तक कम हो गयीं। इस कमी का मुख्य कारण सामग्री सूची में रु. 261 तक की कमी, निवेश (जमा, बैंक शेष तथा म्युचुअल फण्ड) में रु. 219 करोड़ तक और ऋण में रु. 364 तक की कमी हो जाना है।

बी) चालू देयताएँ रु. 1312 करोड़ तक कम हो गयीं। इस कमी का मुख्य कारण ट्रेड देयताएँ रु. 492 करोड़ तक, सांविधिक जमा देयताएँ रु. 325 करोड़, प्रावधान रु. 274 करोड़ (रु. 271 के परिसमापन व्यय को अन्य ईक्विटी में लेने के चलते) तक कम हो जाना है।

3) कार्यगत पूँजी में हुई रु. 390 करोड़ की वृद्धि के चलते नियोजित पूँजी में रु. 393 करोड़ की वृद्धि आयी है।

iii) प्रमुख वित्तीय अनुपात :

एस ई बी आई (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी को विस्तृत विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण देना भी आवश्यक है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18	परिवर्तन (%में)	25% या उससे अधिक के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
देनदार टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.51	2.33	35%	नीचे की टिप्पणी 1 देखें।
सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.71	2.20	22%	लागू नहीं
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
चालू अनुपात (गुना)	1.48	1.26	17%	लागू नहीं
ऋण ईक्विटी अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	17.44	13.11	33%	नीचे की टिप्पणी 2 देखें।
निवल लाभ मार्जिन (%)	13.77	11.51	20%	लागू नहीं
निवल मालियत पर रिटर्न (%)	18.63	27.00	31%	नीचे की टिप्पणी 3 देखें।

टिप्पणी :

1) **देनदार टर्नओवर अनुपात** में 35% की कमी हुई जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 33% तक टर्नओवर में कमी और औसत देनदारों में 3% की वृद्धि के कारण है। देनदार में वृद्धि प्रयोगकर्ता द्वारा बेचे गए उपकरणों को ले जाने में देरी के कारण है।

2) **परिचालन लाभ मार्जिन :** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन लाभ मार्जिन 17.44% रहा, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 13.11% था, यानी 33% की वृद्धि, जो उत्पाद मिश्रण में बदलाव के कारण है, यानी ट्रेडिंग आइटम की बिक्री में कमी (ग्राउंड सपोर्ट डिवीजन) आकाश मिसाइल और एटीजीएम की बिक्री में वृद्धि।

3) **निवल मालियत पर रिटर्न :** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निवल मालियत पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017-18 में 27% के मुकाबले 18.63% रहा, यानी 31% की कमी जो कि कराधान बाद लाभ में रु. 106 करोड़ की कमी और अन्य ईक्विटी में रु. 312 करोड़ की वृद्धि के कारण है। रु. 277 करोड़ के लाभांश (लाभांश कर सहित) द्वारा ऑफसेट किये गये कराधान बाद लाभ रु. 423 करोड़ और रु.11 करोड़ के अन्य व्यापक आय के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाने के रु. 177 करोड़ की वृद्धि के कारण अन्य ईक्विटी में वृद्धि आयी है।

iv) संव्यवहार की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेगमेंट रिपोर्टिंग संबंधित भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया जाता है। हालांकि, इस तरह के गैर-प्रकटीकरण का कंपनी लेखा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 अप्रैल 2018 से कंपनी ने संचयी प्रभाव विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व" को अपनाया है। मानक को पूर्वव्यापी रूप से केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जो आवेदन की तारीख के अनुसार पूरा नहीं किए गए हैं और रु. 17736.54 लाख (निवल कर) के रिटेनड अर्जन का जमा कर भारतीय लेखा मानक 115 आवेदन का प्रभाव बनाए रखा है। तदनुसार, तुलनात्मक जानकारी को पुनर्स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए पिछली अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय लेखा मानक 115 अपनाने के कारण, परिचालन से प्राप्त राजस्व में रु. 14897.88 लाख तक कम हो गया है। कुल व्यय रु. 10469.45 तक कमी आयी है। कर पूर्व लाभ में रु. 4428.43 लाख और कराधान बाद लाभ में रु. 2972.09 लाख तक कम हो गया है। इस संबंध में लेखा की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जा रहा है।

2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- विश्व बाजार में मुख्य प्रतिस्पर्द्धी बनना और मित्र देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करना।

2.6 अवसर और खतरे

अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना प्रदान करती है।
- बीडीएल का अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।
- "मेक इन इंडिया" नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसरों की संभावना।
- बी डी एल तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ताओं से युक्त है जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- प्राथमिकत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए बजट में बढ़ाकर आबंटन कर रही है।
- निर्यात बाजार के खुल जाने और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाने में सुगमता से कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और पड़ोसी देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ की जा रही है।

खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी से बीडीएल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- निर्यात कारोबार में धीमी वृद्धि से कंपनी के नव-निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
- आदेश रद्द किये जाने से कार्यादेश एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।

2.7 प्रमुख कार्यनीतियाँ :

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर कंपनी की बाजार में स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा :

2.7.1 **इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेंगे। इब्राहीमपट्टणम एवं अमरावती में बन रही हमारी विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएंगी। इन दो विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और विश्रॉड (वी एस एच ओ आर ए डी एम) का विनिर्माण किया जाएगा। हम राचकोंडा, तेलंगाना में एक परीक्षण फायर रेंज स्थापित करने जा रहे हैं जिससे आशा है कि हमारे परिचालन लाभ में मितव्ययता आएगी।

2.7.2 **स्वचालीकरण (ऑटोमेशन) :** सैम के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हैदराबाद की हमारी विनिर्माण सुविधा में उत्पादन प्रणालियों का स्वचालीकरण करना चाहते हैं।

2.7.3 **अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना :** हमारा मानना है कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की अनुमति देनी वाली परिवर्तित सरकारी नीति से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम अपने ग्राहकों के लिए नवीन उत्पाद विकसित करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा यह भी मानना है कि नये उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे पायेंगे जिससे उत्पाद निर्भरता में कमी आएगी। हमने मिसाइल के अभिकल्पन एवं विकास के उद्देश्य से मिसाइल विकास समूह की स्थापना की है। साथ ही, हमने सीकर प्रौद्योगिकी विकास के लिए आर एफ प्रयोगशाला, लेजर प्रयोगशाला, वायुगतिकीय प्रयोगशाला और सीकर प्रयोगशाला जैसी विभिन्न तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की है। हम दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम, मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर और ऐस यू –30 एम के आई एअरक्राफ्ट के लिए Ø50 एम एम डिस्पेंसर यूनिट के उन्नत संस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद भी तैयार करने की योजना है।

2.7.4 **प्रक्रियाओं में सुधार :** हम अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार एवं मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार भी लाना चाहते हैं।

2.7.5 **नई पीढ़ी के सैम और एटीजीएम:** हम अपने अनुभव का लाभ उठा कर नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम और भारी टॉरपिडो जैसे नये उत्पाद विकसित करना चाहते हैं जिससे हमारे राजस्व में और वृद्धि आएगी। डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम विकसित करने में हम संयुक्त विकास भागीदार भी हैं। रक्षा मंत्रालय ने हमें नई पीढ़ी के एक सैम के उत्पादन अभिकरण एवं अग्रणी एकीकर्ता तथा तीसरी पीढ़ी के एक एटीजीएम के लिए मनोनीत अभिकरण बनाया है। हमने नए उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई एमओयू और गैर प्रकटीकरण समझौते भी किए हैं।

2.7.6 **निर्यात :** बीडीएल प्रमुखत: भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। संप्रति कंपनी, हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है। मित्र देशों को आकाश सैम, हल्के भार वाले टॉरपिडो एवं प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेश सक्षम ग्राहकों से बातचीत के अवसर की आशा रखती है। बी डी एल ने हल्के भार वाले टॉरपिडो (एल डब्ल्यू टी – एक्स पी) के निर्यात लिए एक मित्र देश के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका काम जारी है।

2.7.7 भारत सरकार की पहल के अंतर्गत बी डी एल रक्षा नवोन्मेष संगठन (डिफेंस इन्नोवेशन आर्गनाइजेशन - डी आई ओ) के ज़रिये रक्षा एवं वांतरिक्ष के लिए एक स्टार्ट-अप पर्याहितैषी प्रणाली में निवेश करने जा रहा है।

3. भविष्य दृष्टि

भारत के रक्षा उद्यम में महत्वपूर्ण एवं प्रगामी परिवर्तन आ रहे हैं जिसमें विकास की वृहद् संभावनाएँ हैं। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डी पी पी), 2016 के तहत देशी

तौर पर अभिकल्पित, विकसित उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'बाय - आई डी डी एम' (भारत में अभिकल्पित,विकसित एवं विनिर्मित खरीदो) नाम से नई खरीद श्रेणी की शुरुआत की है। आपकी कंपनी हमेशा से देशी तौर पर अभिकल्पित, विकसित विनिर्माण को प्रोत्साहित करती आ रही है। इस वर्ग के अपनाये जाने से आने वाले समय में कंपनी को लाभ होगा और आपकी कंपनी, एम एस एम ई तथा भारत के अन्य निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता से अधिक से अधिक देशी उत्पादों को विकसित करने और प्रयोग में लाने के लिए संसाधनों के श्रेणीकरण में सशक्त होगी।

आपकी कंपनी यह जानती है कि इसकी नामित उत्पादन अभिकरण की स्थिति धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धात्मक बिडर के रूप में बदलती जा रही है। पिछले दो वर्ष से भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर की प्रतिभागिता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में भारतीय निजी क्षेत्र के समूह ने भारतीय रक्षा बाजार में अपना कार्यानुभव बढ़ाया है। ऐसा सरकार के सहयोग से हुए कुछ नीतिपरक हस्तक्षेप, विशेषकर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हो रहा है। इन प्रयासों के प्रभाव से देशी उद्योग के लिए वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ उत्पाद एवं टेकनोलॉजी की सहभागिता के नये अवसर खुले हैं। निजी क्षेत्र और वैश्विक रक्षा कंपनियों का इस ओर ध्यान बढ़ जाने से आने वाले सालों में आपकी कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

दि. 31 मार्च, 2019 तक आपकी कंपनी के पास रु. 7258 करोड़ के कार्य आदेश हैं। आगे, आपकी कंपनी ने भारी टॉरपिडो के लिए रु. 1187.82 करोड़ के कार्य-आदेश प्राप्त किये हैं जिससे आने वाले वर्षों में हमारी उत्पादन-शालाएँ व्यस्त रहेंगी। आपकी कंपनी भविष्य में और कार्य-आदेशों की उम्मीद रखती हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

कार्य-आदेश स्थिति एवं संभावित कार्य-आदेशों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। दशकों के अनुभव से युक्त आपकी कंपनी भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

4. जोख़िम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोख़िम और इनसे निपटान की योजना में उद्योग से संबंधित जोखिम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन के लिए समय, बाजार खंडों में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम शामिल हैं। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर एंड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन किया गया तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

4.1 संव्यवहार जोखिम: कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्विंतरण, उनके आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम सम स्तरीय अवसर प्रदत्त निजी क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है।

निपटान : अपनी व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इससे अतिरिक्त ग्राहक आधार के विस्तार के लिए बीडीएल, भारत सरकार के प्रोत्साहन से सक्रिय रूप से निर्यात बाजारों में प्रवेश के अवसर तलाश रहा है। कंपनी वर्तमान में हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है।

4.2 नीति जोखिम: कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों के अधीन है। यदि हम लागू नियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारे व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

निपटान : कंपनी, भारत सरकारी नीतियों के अनुसार सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रही है और इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

4.3 परिचालन और श्रम जोखिम: कंपनी का प्रचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधरित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्यबल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है, अतः लंबे समय तक कार्य रोकने की स्थिति में इससे हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

निपटान : कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

4.4 आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता जोख़िम: कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन प्रभावित हो सकता है।

निपटान : कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन नष्ट (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बरती गई है।

4.5 प्रौद्योगिकी जोखिम: हम उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का विनिर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी के प्रवेश में जोखिम शामिल होता है तथा प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली नहीं की जा सकती।

निपटान : कंपनी ने अपना खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित कर लिया है और प्रौद्योगिकी जोखिमों का सामना करने के लिए आर एंड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करती है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंड़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। व्यावसायिक व पेशेवर कार्मिकों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य है – लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष संगठन के आपदा प्रबंधन, नियंत्रण तथा अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता व प्रभाविता संबंधी स्वतंत्र, सोद्देश्य व उचित भाव सहित प्रस्तुत करना। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को निदेशक मंडल के लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति बनी हुई है। ये लेखापरीक्षा फर्म, आंतरिक रूप से सहयोग देने वाले लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

ए) लागत में कमी की पहल : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लागत की समीक्षा / कमी कार्यक्रम के तहत आयात लागत में कमी, आकाश सैम के ड्राइ फिटमेंट लागत में कमी, सामग्री वहन लागत और स्क्रैप निपटान के माध्यम से 37.87 करोड़ राशि बचायी गई है।

बी) मितव्ययता : व्यय प्रबंधन, मितव्ययता तथा व्यय के युक्तीकरण संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीदी, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोदी कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में रोजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है। कच्चा माल, निर्माणाधीन तथा अतिरिक्त पुर्जों की सामग्री-सूची इष्टतम स्तर पर रखी जाती है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

6. नियोजित कर्मचारियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में सामग्री का विकास :

6.1 दि. 31 मार्च, 2019 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	1845	838	2614
स्त्री	210	108	318
कुल	**2055**	**946**	**3001***
पिछले वर्ष	2289	893	3182*

* अस्थायी कर्मचारियों को छोड़ कर।

आपकी कंपनी में कार्यपालक एवं कार्यपालेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सुयोजित प्रशिक्षण व विकासात्मक कार्यक्रम मौजूद हैं। वर्ष के दौरान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा कंपनी ने कार्यपालकों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम, कार्यपालक विकास कार्यक्रम, उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किये।

इनके अलावा, मौजूदा परियोजनाओं की दृष्टि से कंपनी की आवश्यकताओं और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ग्राहकों की आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

6.2 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा – मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन बना हुआ है। कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं।

7. पर्यावरणीय उपाय

आपकी कंपनी क्लीनर टेक्नोलॉजी तथा पुन:चक्रण, पुन:प्रयोग और कमी लाने की अवधारणाओं के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा बना कर उत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती आ रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने का संयंत्र, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ और धातु स्क्रैप का निपटान, पौधे लगाना और लैंडस्केपिंग, उपचारित अपशिष्ट जल और घरेलू जल का उपयोग करना। कंपनी नियमित अंतराल पर आईएसओ 14001 कोर समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सभी तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी ऑडिट किए जा रहे हैं।

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशी सामग्री को बढ़ाकर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) से घटक और उप-प्रणालियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अनुलग्नग-V

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटीकरण, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए।

कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आग से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित किया जाता है) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन पूरी करती है।

2. निदेशक मंडल :

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। इसकी कुल प्रदत्त पूँजी का 87.75% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मंडल का पुनर्गठन किया गया था जिसमें कुल दस सदस्य हैं यथा –अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और पाँच अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)।

बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है –

ए)	कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)	पदनाम
1)	श्री वी उदय भास्कर*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री एस पिरमनायगम	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
3)	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद	निदेशक (उत्पादन)
4)	श्री के दिवाकर #	निदेशक (तकनीकी)
5)	श्री एन पी दिवाकर #	निदेशक (तकनीकी)
बी)	**अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)**	
1)	श्री अश्विनी कुमार महाजन, अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2)	श्री जी सतीश रेड्डी^	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3)	श्री एम एस आर प्रसाद^	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सी)	**अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)**	
1)	श्रीमती सुषमा वी दबक $	स्वतंत्र निदेशक
2)	प्रो. अजय पांण्डेय$	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्री अजय नाथ	स्वतंत्र निदेशक
4)	श्री के एस संपत	स्वतंत्र निदेशक
5)	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति *	स्वतंत्र निदेशक

* दि. 25 फरवरी, 2019 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. DDP-M0001 (24)/02/2018-D (BDL) के अनुसार दि. 1.3.2019 से कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) बी डी एल के निदेशक मंडल में श्री वी उदय भास्कर के स्थान पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किये गये।

\# दि. 30 जुलाई, 2018 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. H-62011/1/2016-D (BDL) के अनुसार दि. 1 सितंबर, 2018 से श्री एन पी दिवाकर बी डी एल के निदेशक मंडल में श्री के दिवाकर के स्थान पर निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किये गये।

^ दि. 31 दिसंबर, 2018 की पत्र सं. DDP-M-0001/11/3/2018-D(BDL) के अनुसार दि. 31 दिसंबर, 2018 से एम एस आर प्रसाद बी डी एल के निदेशक मंडल में श्री जी सतीश रेड्डी के स्थान पर नियुक्त किये गये।

$ दि. 28 नवंबर, 2018 की पत्र सं. DDP-M-0001/04/2018-D(BDL) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय का कार्यकाल दि. 01 दिसंबर, 20198 से अगले एक वर्ष तक आगे बढ़ाया गया।

सी) निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों.

वर्ष 2018-19 के दौरान दि. 30 मई, 2018; दि. 20 जुलाई, 2018; दि. 14 अगस्त, 2018; दि. 31 अक्तूबर, 2018; दि. 11 नवंबर, 2018; दि. 14 फरवरी, 2019; दि. 18 मार्च, 2019 को निदेशक-मंडल की कुल सात (07) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक होती है और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है –

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 27 सितंबर, 2018 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशक की सदस्यता में हुई बैठकें	ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं		सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में हुईं निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक								
श्री वी उदय भास्कर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28/02/2019 तक)	6	5	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (01/03/2019 से)	1	1	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सीएफओ	7	7	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन)	7	7	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	2
श्री के दिवाकर निदेशक (तकनीकी) (31/08/2018 तक)	3	3	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
श्री एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी) (01/09/2018 से)	4	3	-		भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
सरकार द्वारा नामित निदेशक								
श्री अश्विनी कुमार महाजन अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	7	6	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक	-	-
					गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अण्ड इंजीनियर्स लि.	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक		
श्री जी सतीश रेड्डी (31/12/2018 तक)	6	0	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक	-	-
श्री एम एस आर प्रसाद (31/12/2018 से)	2	1	-	-	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अण्ड इंजीनियर्स लि.	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक	-	-
स्वतंत्र निदेशक								
श्रीमती सुषमा वी दबक	7	7	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	1	1
प्रो. अजय पाण्डेय	7	7	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1
श्री अजय नाथ	7	4	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1
श्री के एस संपत	7	7	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	1	2
श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति	7	7	-	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1

टिप्पणी :

(1) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन का संबंध नहीं रहा।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्ता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़कर।

(3) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।

(4) कंपनी के कोई भी निदेशक, कंपनी में शेयर और / या कन्वर्टबल इंस्ट्रुमेंट नहीं रखते हैं।

(5) आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार दि. 31 मार्च, 2019 तक स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त की हैं।

(6) दि. 28 नवंबर, 2018 की पत्र सं. DDP-M-0001/04/2018-D(BDL) के तहत स्वतंत्र निदेशक श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय का कार्यकाल दि. 01 दिसंबर, 2018 से अगले एक वर्ष तक आगे बढ़ाया गया।

डी) निदेशक मंडल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता : केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के नाते निदेशकों की नियुक्ति, दक्षताएँ, कार्य-काल और पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। निदेशक मंडल में निम्नलिखित कौशल / विशेषज्ञताओं / दक्षताएँ पहचानी गयीं जो अपने संव्यवहार क्षेत्र में प्रभावी कार्य के लिए सूचीबद्ध विनियम के तहत आवश्यक हैं और जो निदेशक मंडल में वास्तव में उपलब्ध भी हैं :

(i) ज्ञान - कंपनी के संव्यवहार, नीतियाँ और कार्य-संस्कृति (इसकी भविष्य-दृष्टि, मिशन, मूल्य, लक्ष्य, वर्तमान रणनीतिपरक योजना, शासन की संरचना, प्रमुख जोख़िम और अवसर भी शामिल) को समझना और कंपनी के परिचालन क्षेत्र से संबंधित उद्योगों की जानकारी।

(ii) व्यवहारपरक कौशल - टीम सदस्य के रूप में अच्छी तरह से काम करने तथा प्रमुख हिस्सेदारों के साथ चर्चा करने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की क्षमताएँ और गुण।

(iii) सामरिक सोच व निर्णय लेने की क्षमता।

(iv) वित्तीय कौशल

(v) तकनीकी / व्यावसायिक कौशल तथा संव्यवहार की वर्तमान अवधारणाओं में सहयोग देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान।

ई) कानून के अनुपालन की समीक्षा : कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही, गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की और पाया कि अनुपालन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन को चिंतित करने वाला किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

एफ) निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण : लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 (7), डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में, 'निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नीति' तैयार की गई और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त हुआ। उक्त नीति की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति, कंपनी का संव्यवहार मॉडल, प्रक्रियाएँ व पद्धतियों पर परिचय कार्यक्रम कराया जाता है और आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्टें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि निदेशक कंपनी से संबंधित आवश्यक जानकारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सदस्य समय-समय पर नैगमिक अभिशासन तथा निदेशक मंडल संबंधी अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत हैं और ये विवरण www.bdl-india.in/investors पर देखे जा सकते हैं।

3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :

दि. 31 मार्च, 2019 तक निदेशक मंडल की निम्नलिखित पाँच (5) समितियाँ कार्यरत रहीं :

ए) लेखापरीक्षा समिति

बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सी) हितधारक संबंध समिति

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति

ई) जोख़िम प्रबंधन समिति

इन समितियों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। बहुमत / सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

ए) लेखापरीक्षा समिति

I) विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्ध विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है । लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमीय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोख़िम प्रबंधन का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा-कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त हुए किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद के सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।
- रु. 100 करोड़ की सबसिडरी या आस्ति के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक के कंपनी निवेश पर / से प्राप्त ऋण / अग्रिम की उपयोगिता की समीक्षा करना।

II) सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण और गठन :

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की आठ (8) बैठकें हुईं यथा–दि. 30 मई, 2018; दि. 20 जुलाई, 2018; दि. 13 अगस्त, 2018; दि. 31 अक्तूबर, 2018; दि. 11 नवंबर, 2018; दि. 22 जनवरी, 2019; दि. 14 फरवरी, 2019 और दि. 25 मार्च, 2019. उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती सुषमा वी दबक, अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	8	8
2	प्रो. अजय पाण्डेय, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	8	5
3	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	8	8
4	श्री अजय नाथ, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	8	5
5	श्री के एस संपत, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	8	8
6	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	8	8

III) कार्यकारी निदेशक स्थायी तौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाये जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं। कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कंपनी की 48वीं आम सभा में भाग लिया।

बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 के तहत निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशों के आ जाने से दि. 18 सितंबर 2017 को 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' का पुनर्गठन किया गया।

I) विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

- उपलब्ध मानदण्डों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकते हों, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।
- प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
- वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल के सदस्य न होने की स्थिति में सी ई ओ / प्रबंधक सहित सी ई ओ / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन सदस्य) को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस / कार्यनिष्पादन वेतन / परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

II) गठन, सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 19 के अनुरूप है। वर्ष 2018-19 के दौरान , नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों की तीन (3) बैठक यथा – दि. 31 अक्तूबर, 2018; दि. 14 फरवरी, 2019 और दि. 18 मार्च, 2019 को संपन्न हुईं। वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति का गठन और उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	प्रो. अजय पाण्डेय, अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
2	श्रीमती सुषमा वी दबक, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
3	श्री अश्वनी कुमार, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
4	श्री अजय नाथ, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	1
5	श्री के एस संपत, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
6	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3

III) पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

ए) केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी।

बी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है। आयु, कार्यनिष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से पहले आने वाली तिथि तक सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यत: प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या पहले आने वाली अवधि तक की जाती है।

सी) वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।

डी) अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामित) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

ई) निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 20,000/- कर दिया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क रु. 10,000/- ही रखा है। स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।

एफ) स्टॉक विकल्प :- कंपनी में निदेशक मंडल / शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजनाएँ / स्कीम मौजूद नहीं हैं।

सी) हितधारक संबंध समिति :

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम 2015 के नियम 20 के अनुरूप है। वर्ष के दौरान दि. 31 अक्तूबर, 2018 और दि. 25 मार्च, 2019 को इस समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं।

I) विचारार्थ विषय

- सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना होता है। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना आदि शामिल है।
- मतदान अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की समीक्षा।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के अनुवर्तन की समीक्षा।
- दावा न किये गये लाभांश को कम करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना।
- लाभांश वारेंट / वार्षिक विवरण / सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, इसका सुनिश्चयन कर इसकी समीक्षा करना।

II) वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति का गठन और इसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री के एस संपत, अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	श्री एस पिरमनायगम, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2
3	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2

III) कंपनी ने श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही, निवेशक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें, इसके लिए कंपनी की एक अलग / विशेष ई-मेल आई डी inverstors@bdl-india.in उपलब्ध कराया गया है। कंपनी 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार उक्त ई-मेल आई डी तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दिये गये हैं। आगे, एस ई बी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड प्राधिकृत है ।

IV) सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 13 (4) के अनुसार, बीएसई और एनएसई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या :	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या :	86
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या :	86
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या :	0

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

I) विचारार्थ विषय

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास समिति के 'विचारार्थ विषय' इस प्रकार हैं :

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

II) वर्ष 2018-19 के दौरान दि. 13 अगस्त, 2018 और दि. 14 फरवरी, 2019 को इस समिति की कुल दो (2) बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान इस समिति के गठन और इसकी बठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अजय नाथ, अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	श्रीमती सुष्मा वी दबक, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	प्रो अजय पाण्डेय, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	1
4	श्री के एस संपत, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
5	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
6	श्री एस पिरमनायगम, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2
7	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2

ई) जोख़िम प्रबंधन समिति

सेबी (एस ओ डी आर) विनियमों में संशोधनों के आधार पर वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने दि. 31 अक्तूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और सूची विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

I) विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता, अखण्ड़ता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करने के लिए विशेष रूप से कंपनी द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा उपाय और यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी चालू और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और रिवार्ड के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय कर रही है।
- जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा व मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोखिम की पहचान करने के लिए तथा मान्यताओं के एक बोर्ड सेट के खिलाफ संभावित प्रभाव को मापने के लिए एक प्रभावी चालू प्रक्रिया को लागू किया है और फिर इन जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए व इन जोख़िमों का सामना करने की कंपनी की क्षमता व सहिष्णुता का निर्धारण करने के लिए।
- अतिरिक्त जोखिमों की पहचान करने के लिए, यदि कोई हो और जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ तय करें।

II) इस समिति का गठन सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुरूप किया गया है। वर्ष के दौरान दि. 18 मार्च, 2019 को इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान इस समिति के गठन और उक्त बठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस पिरमनायगम, अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक	1	1
2	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	श्री एन पी दिवाकर, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	1	1
4	श्री अजय नाथ, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	-
टिप्पणी निगम जोख़िम प्रबंधन समिति तथा मुख्य जोख़िम प्रबंधक भी इस समिति के सदस्य हैं।				

4) निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ :

निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ इस प्रकार हैं :

ए) खरीद समिति

निदेशक मंडल द्वारा सी एम डी के अधिकारों से परे नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को समिति गठित की गई थी जो प्रत्येक ऐसे मामले में अधिकतम रु. 25 करोड़ की मंजूरी दे सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकारों के अधीन खरीद प्रस्ताव भी अनुमोदित कर सकती है।

खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के भीतर क्रय आदेश देने / संविदा करने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है –

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा संदर्भों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

कंपनी ने दि. 18 सितंबर, 2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 14 मई, 2018; दि. 27 जून, 2018; दि. 30 जुलाई, 2018; दि. 28 अगस्त, 2018; दि. 10 सितंबर, 2018; दि. 23 अक्तूबर, 2018; दि. 13 दिसंबर, 2018; दि. 5 फरवरी, 2019 और दि. 21 मार्च, 2019 को इस समिति की नौ (09) बैठकें हुई।

बी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दि. 25 मार्च, 2019 को हुई। बैठक के दौरान कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना-अंतरण की गुणता, मात्रात्मकता और समयबद्धता की समीक्षा की गई जो निदेशक मंडल के प्रभावी व तार्किक कर्तव्य–निर्वहन के लिए आवश्यक है। एक स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर अन्य सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक के कार्यवृत्त दि. 30 मई, 2019 के संपन्न निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखे गये।

5. आम सभाएँ :

कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुई। विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है –

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	लिये गये कुल मुख्य संकल्प
48	2017-18	27 सिंतबर, 2018	15:00 बजे	होटल शेरटान, नानकरामगुड़ा	शून्य
47	2016-17	26 सितंबर, 2017	12:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग हैदराबाद	शून्य
46	2015-16	28 सितंबर, 2016	15:00 बजे		शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प नहीं प्राप्त हुआ।

6. प्रकटन :

ए) दि. 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

बी) वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की संभाव्यता हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। कंपनी ने लिस्टिंग विनियम की विनयम सं.46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए 'पार्टी संबंधी लेने-देन नीति' तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है।

सी) वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1) के संदर्भ में आपकी कंपनी ने दि. 1 मई, 2018 से निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, दि. 3 मई, 2018 की सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई और एन एस ई) ने दि. 30 सितंबर, 2018; दि. 31 दिसंबर, 2018 और दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिसका कंपनी ने अनुपालन नहीं किया हो। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश या कैपिटल मार्केट संबंधी किसी विषय को लेकर स्टॉक एक्सचेंज या एस ई बी आई या किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा है और न ही कोई आक्षेप लगाया गया है।

डी) **विजिल ब्लोअर मैकानिज़्म / विजिल मेकानिज़्म :** डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया।

ई) संव्यवहार की प्रकृति एवं प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध भारतीय लेखा मानक-108 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंड़ों का अनुपालन किया गया है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता को उद्घाटित न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।

एफ) व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।

जी) निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।

एच) प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	880.87	1132.44
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	13.71	16.32
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.56	1.44

i) **राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश**

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देश तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करती आ रही है। इस विषय से जुड़े अधिकारियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

बी डी एल ने 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति निर्देश लागू किये हैं।

7) संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारक, निदेशक तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी संप्रेषण के सभी माध्यम अपनाती है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट (www.bdl-india.in) के साथ-साथ अन्य माध्यम शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आरटीआई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहे हैं। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों को निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं।

सूचीयन विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन प्लैटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर भी दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेज़ी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र में और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। कार्य-निष्पादन संबंधी कंपनी की जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है।

8) सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी

(ए) वर्ष 2018-19 के लिए 49 वीं आम सभा शुक्रवार दि. 27 सितंबर, 2019 दोपहर 15.30 बजे होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032 में होगी।

(बी) कंपनी का वित्तीय वर्ष दि. 01 अप्रैल से आरंभ होता है और दि. 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थाई कैलंडर इस प्रकार है :

30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2019 या उससे पहले
30.09.2019 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2019 या उससे पहले
31.12.2019 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2020 या उससे पहले
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2020 या उससे पहले
49वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2020 या उससे पहले

(सी) सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका दि. 21 से 27 सितंबर, 2019 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

(डी) आपके निदेशक मंडल ने दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10 के प्रति ईक्विटी शेयर पर 1.67 अर्थात् 16.70% (सम मूल्य) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 49वीं आम सभा में अनुमोदित हो जाने पर यह लाभांश अंतिम तिथि के भीतर शेयरधारकों में वितरित किया जाएगा।

(ई) कंपनी के ईक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई') पी जे टावर्स, 26वॉ तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए दोनों शेयर बाजारों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(एफ) संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के ईक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आई एस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

शेयर एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई एस आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

(जी) **शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान**

कंपनी नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एसडी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूँजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूँजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / भुगतान पूंजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के उपलब्ध डीमटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी छ: माह के अंतराल पर पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र लॉजमेंट के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा – एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(एच) **बाजार मूल्य डॉटा**

बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :

i) वर्ष 2018-19 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

बी एस ई

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (रुपये लाख में)
		उच्च	न्यून	बंद		
		रुपये	रुपये	रुपये		
अप्रैल, 2018	35160.36	421.9	371	403.35	615310	2471.60
मई, 2018	35322.38	428	364	405.3	168972	6631.76
जून, 2018	35423.48	409.2	370	376.9	90277	355.12
जुलाई, 2018	37606.58	388.8	333.05	384.75	95747	348.63
अगस्त, 2018	38645.07	388.95	348	349.65	97832	361.33
सितंबर, 2018	36227.14	378	280.2	281.3	159806	539.06
अक्तूबर, 2018	34442.05	293.75	260	282.2	69713	194.38
नवंबर, 2018	36194.30	330	274.25	281.1	52863	153.76
दिसंबर, 2018	36068.33	288.85	260.25	275.65	32235	89.34
जनवरी, 2019	36256.69	304.9	255	257.45	75378	212.99
फरवरी, 2019	35867.44	316.7	224	304.1	294087	821.54
मार्च, 2019	38672.91	306	273	283.65	237393	679.15

वर्ष 2018-19 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ बी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है :

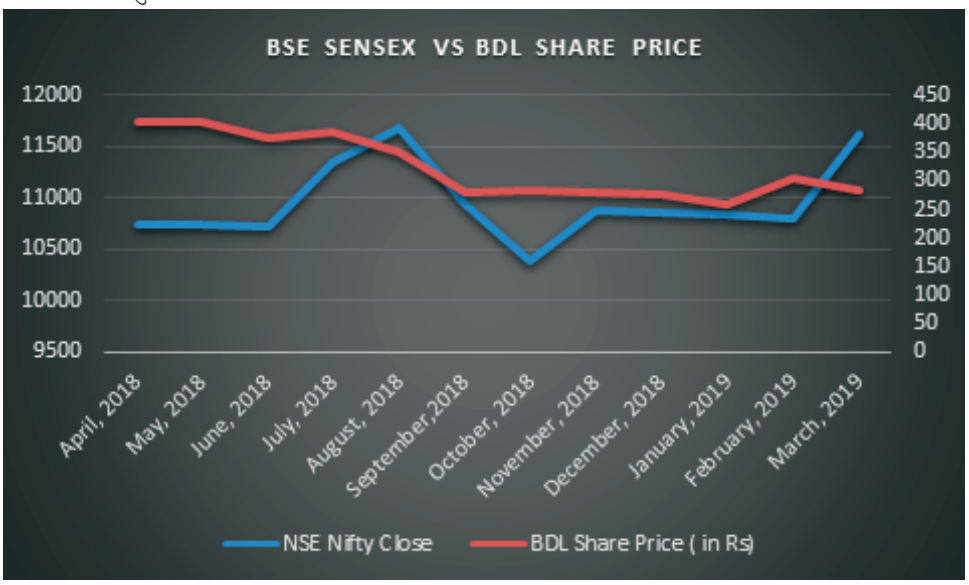

ii) वर्ष 2018-19 के दौरान एन एस ई सेंसेक्स की तुलना में एन एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

एन एस ई

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (रुपये लाख में)
		उच्च रुपये	न्यून रुपये	बंद रुपये		
अप्रैल, 2018	10739.35	421.9	371	403.35	615310	2471.60
मई, 2018	10736.15	428	364	405.3	168972	663.18
जून, 2018	10714.3	409.2	370	376.9	90277	355.12
जुलाई, 2018	11356.5	388.8	333.05	384.75	95747	348.63
अगस्त, 2018	11680.5	388.95	348	349.65	97832	361.33
सितंबर, 2018	10930.45	378	280.2	281.3	159806	539.06
अक्तूबर, 2018	10386.6	293.75	260	282.2	69713	194.39
नवंबर, 2018	10876.75	330	274.25	281.1	52863	153.76
दिसंबर, 2018	10862.55	288.85	260.25	275.65	32235	89.38
जनवरी, 2019	10830.95	304.9	255	257.45	75378	212.99
फरवरी, 2019	10792.5	316.7	224	304.1	294087	821.54
मार्च, 2019	11623.9	306	273	283.65	237393	679.15

वर्ष 2018-19 के दौरान एन एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ एन एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है :

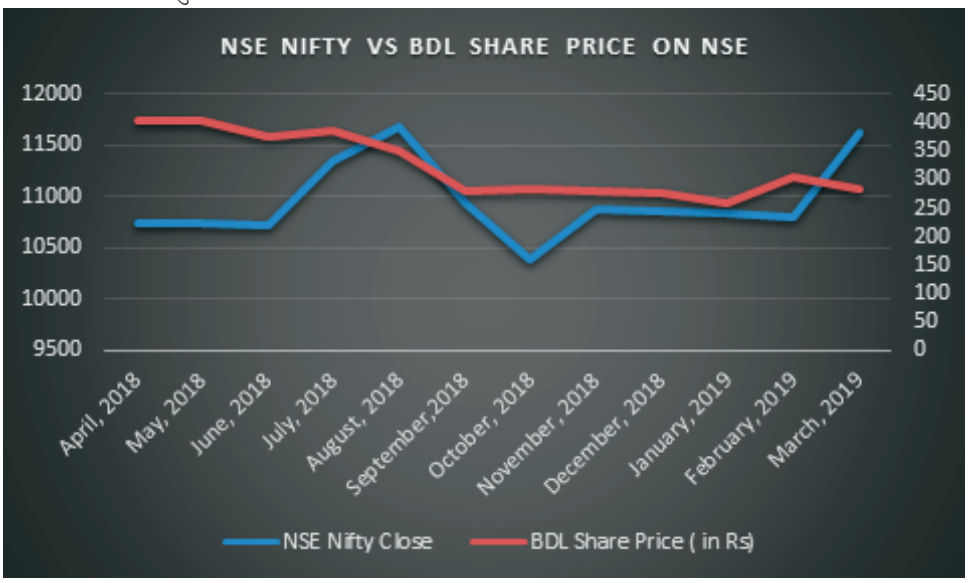

(आई) **रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट**

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डीमेटीरियलाइजेशन / रीमेटीरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
205-208,अनारकली कांप्लेक्स
झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044
दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543473
ई-मेल : rta@alankit.com
वेबसाइट : www.alankit.com
निवेशक शिकायत आई डी : rta@alankit.com
संपर्क-सूत्र : श्री जे के सिंग्ला

(जे) **शेयर ट्रांसफर प्रणाली**

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा क्रय/ बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से सपंर्क करना चाहिए। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक रूप से / प्रमाण पत्र के रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में शेयरधारक एस टी ए / कंपनी से पत्राचार करेंगे।

(के) **दि. 31 मार्च, 2019 तक शेयरधारण का वितरण**

मौजूद ईक्विटी शेयर	कुल शेयरधारक	%	कुल शेयर	%
1-100	108158	90.963	4378837	2.389
101-500	10008	8.417	2217642	1.210
501-1000	412	0.347	314779	0.172
1001-5000	238	0.200	515137	0.281
5001-10000	38	0.032	265703	0.145
10001-20000	15	0.013	183628	0.100
20001-30000	7	0.006	169502	0.092
30001-40000	5	0.004	182684	0.100
40001-50000	2	0.002	96000	0.052
50001-100000	5	0.004	314345	0.172
100001-500000	6	0.005	1356963	0.740
500001 और उससे अधिक	9	0.008	173286030	94.547
कुल	**118903**	**100**	**183281250**	**100**

(एल) **शेयर का डीमेटीरियलाइजेशन**

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा – नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयर	%
1	एन एस डी एल	180531055	98.5
2	सी डी एस एल	2750107	1.5
3	भौतिक रूप में	88	0
	कुल	**183281250**	**100**

(एम) **बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट**

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

(एन) **पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोख़िम तथा हेड्जिंग गतिविधियाँ :**

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरण टिप्पणियों में किया गया है।

(ओ) **संयंत्र के स्थान**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंचनबाग, हैदराबाद-500058 दूरभाष : (040)-24587002, फैक्स : (040)-24347513	
भारत डायनामिक्स लिमिटेड भानूर, पटानचेरु मंडल संगारेड्डी जिला, हैदराबाद-502305 दूरभाष: (040)-23469551 फैक्स : (040)-23469552	भारत डायनामिक्स लिमिटेड "जी" ब्लॉक, ए पी आई आई सी – आई ए एल ए, वी एस ई जेड पोस्ट विशाखापट्टणम-530049 दूरभाष : (0891)- 2821500 फैक्स : (0891)- 2821502

(पी) **पत्राचार का पता / निगम कार्यालय**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सी आई एन : L24292TG1970GOI001353
निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500 032
दूरभाष : (040) 23456 123 फैक्स : (0 4 0) 2 3456110
ई-मेल : bdlcompsecy@bdl-india.in ; investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

(क्यू) **क्रेडिट रेटिंग**

कंपनी ने रु. 410 करोड़ की राशि के लिए लघु अवधि बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स सी आर आई एस आई एल से 'A1+' (पुन:अभिपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

9. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतें	0
वर्ष के दौरान निपटान कर दी गई शिकायतें	0
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	0

10) अन-अनुपालन का विवरण :

वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1) के संदर्भ में आपकी कंपनी ने दि. 1 मई, 2018 से निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, दि. 3 मई, 2018 की सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 के अनुसार स्टॉक एक्स्चेंज (बी एस ई और एन एस ई) ने दि. 30 सितंबर, 2018; दि. 31 दिसंबर, 2018 और दि. 31 मार्च , 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माना लगाया है। यद्यपि कंपनी ने सूचित किया है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति और ऐसी नियुक्तियों से संबंधित पारिश्रमिक, मूल्यांकन मानदंड़ जैसी शर्तें व नियम का अधिकार भारत सरकार के पास रहता है। अत: ऐसे संदर्भों में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

11) गैर-आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकेतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को और कार्यकारी तौर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाते हैं।

12. इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी ज़रूरी है। आचरण संहित और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दी गई है। इस कोड में एस ई बी ई (अंदरूनी व्यापार रोकथाम) संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार संशोधन किया गया है जो दि. 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो गया।

13. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2018-19 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

घोषणा की जाती है कि निदेशक-मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार, आचरण एवं नैतिक संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10 अगस्त, 2019

Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रमाण-पत्र *

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण सूचीबद्ध विनियम की अनुसूची –V एवं विनियम 15(2) में संदर्भित अनुसार एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के संबद्ध प्रावधान एवं सी पी एस ई के लिए सरकार द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा यह परीक्षण नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

मेरी राय व मुझे प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने वर्ष के दौरान उक्त उल्लिखित सूचीबद्ध विनियम के निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता से संबंधित विनयम 17 (1) को छोड़ कर अभिशासन की अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी की गतिविधियाँ इसकी भावी व्यवहार्यता, न ही किसी दक्षता या प्रभावधर्मिता के प्रति कोई आश्वासन देती है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि कंपनी के रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की शिकायत एक महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं रही।

(वाई रमेश)
पेशेवर कंपनी सचिव
सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 23 मई, 2019

* अनूदित पाठ

Flat No. 304, 'F' Block, Sri Prabhasam Dynamics Enclave-II, 26-218, LIG Colony Road, BHEL, RC Puram, Hyderabad - 502 032
Email : racs_y@yahoo.co.in | racs7929@gmail.com

Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347

निदेशकों की गैर-निरर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र *

{एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (4) और अनुसूची V पैरा 'सी' उपबंध (10) (i) के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मेरी राय व मुझे प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण तथा निदेशक व प्रबंधन द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियुक्ति या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या निरर्ह नहीं किया है।

(वाई रमेश)
पेशेवर कंपनी सचिव
सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 23 मई, 2019

* अनूदित पाठ

Flat No. 304, 'F' Block, Sri Prabhasam Dynamics Enclave-II, 26-218, LIG Colony Road, BHEL, RC Puram. Hyderabad - 502 032.
Email : racs_y@yahoo.co.in | racs7929@gmail.com

अनुलग्नक-VI

संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड 'ए' : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की नैगमिक पहचान संख्या (सी आई एन)	L24292TG1970GOI001353
2	कंपनी का नाम	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	कंचनबाग, हैदराबाद-500058.
4	वेबसाइट	www.bdl-india.in
5	ई-मेल आईडी	investors@bdl-india.in
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2018-19
7	क्षेत्र जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	अस्त्र प्रणाली का विनिर्माण (25200)
8	कंपनी की तीन प्रमुख उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार)	मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण
9	कुल स्थान जहां कंपनी का संव्यवहार कार्य संपन्न होता हो ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों के विवरण दें) बी. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	4 शून्य 4
10	कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय / राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड 'बी' : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूँजी (भारतीय रुपये)	183,28,12,500
2	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपय)	3069.35 करोड़
3	कुल कराधान बाद लाभ (भारतीय रुपये)	422.59 करोड़
4	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर कुल व्यय (भारतीय रुपये)	16.83 करोड़
5	उपर्युक्त मद सं. 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर व्यय किया गया हो, उसकी सूची	बी डी एल की सी एस आर गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं: • शिक्षा और कौशल विकास • ग्रामीण विकास • खेल-कूद और स्वच्छ भारत परियोजनाएँ • पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी पहल

खण्ड 'सी' : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?	नहीं
2	सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व की पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या बताएँ	लागू नहीं
3	क्या कोई ऐसी इकाई / इकाइयाँ (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) हैं जिनके साथ कंपनी संव्यवहार करती हो और वे संस्था / संस्थाएँ कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी इकाई / इकाइयों का प्रतिशत बताएँ। [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	नहीं

खण्ड 'डी' : संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी

1	संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण (ए) संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण डी आई एन नंबर नाम पदनाम (बी) संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान के विवरण डी आई एन नंबर (यदि लागू हो तो) नाम पदनाम दूरभाष सं. ई-मेल आई डी	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता संबंधी संव्यवहार उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति द्वारा किया जाता है। सी एस आर अण्ड एस डी समिति के गठन का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी के सर्वांगीण संव्यवहार का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का है जो संबंधित समूह प्रधान द्वारा इनका कार्यान्वयन करवाते हैं : बी डी एल के सी एम डी के विवरण इस प्रकार हैं : डी आई एन : 08367035 नाम : कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक् दूरभाष : 040-23456123 ई-मेल : cmdbdl@bdl-india.in निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान की जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं।

2. सिद्धान्तवार (एन वी जी अनुसार) संव्यवहार विकास नीति / नीतियाँ

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एन वी जी) में दर्शाये गये नौ (9) सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :

सिद्धान्त-1	संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।
सिद्धान्त-2	संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने जीवन-चक्र में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।
सिद्धान्त-3	संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
सिद्धान्त-4	व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
सिद्धान्त-5	संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इसको बढ़ावा दें।
सिद्धान्त-6	संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसकी पुन:स्थापन के प्रयास होना चाहिए।

सिद्धान्त-7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त-8	समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।
सिद्धान्त-9	संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

ए) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें।)

सं.	प्रश्न	पी-1	पी-2	पी-3	पी-4	पी-5	पी-6	पी-7	पी-8	पी-9
1	क्या आपकी कंपनी में संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए कोई नीति / नीतियाँ लागू हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है?	हाँ। कंपनी, कंपनी संबंधी विभिन्न नीतियाँ सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / संचालन के क्षेत्र में बतायी गयी सभी कार्यपद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुपालन करती है।								
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंड़ के अनुरूप है ?	हाँ। बी डी एल में विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न लागू कानून / दिशानिर्देश / नियमों आदि के अनुरूप हैं और समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है। नीतियाँ तैयार करते समय उद्योग प्रथाओं, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंड़ों का ध्यान रखा जाता है।								
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अनुमोदन प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सी ई ओ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	विभिन्न लागू कानून / विधियों / नियमों / दिशानिर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियों को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक/ अधिकारी की कोई निर्दिष्ट समिति है?	वार्षिक विवरण का अंग नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये अनुसार विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी करती है।								
6	नीति ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ।	नीतियाँ कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या यह नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है?	कंपनी की नीतियों और परिचालन ढांचे कंपनी की वेबसाइट और साथ ही इंट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं। गुणता, स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण नीतियाँ कंपनी परिसर में सभी प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित की गयी हैं।								
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था है?	हाँ। कंपनी के माल और सेवाओं को सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक बुनियादी ढांचे, मानव-शक्ति समूह, दस्तावेजीकृत मानक परिचालन पद्धति तथा अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित है।								
9	क्या नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एस ई बी आई (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अंतर्गत कंपनी में प्रतिभूतियाँ रखने वाले हितधारक अन्य व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए 'हितधारक संबंध समिति' नाम से एक समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने किसी निदेशक या कर्मचारी की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए एक सतर्क तंत्र भी स्थापित किया है। आगे, बिडर / ठेकेदार से अभ्यावेदन और साथ ही विभिन्न निविदाओं के प्रति कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राय स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आई ई एम) को संदर्भित किये जाते हैं। आवश्यकता महसूस करने पर आई ई एम संबंधित अधिकारी और बिडर के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा कर 'स्पीकिंग आर्डर' (मौखिक आदेश) के माध्यम से अपनी राय देते हैं।								
10	क्या कंपनी ने इस नीति की कार्यात्मकता का आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया है?	कंपनी नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखाकार लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, साचिविक लेखापरीक्षा, गुणता लेखापरीक्षा, संरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।								

(बी) यदि क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर किसी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' हो तो इसका कारण बताएँ। लागू नहीं।

3. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी अभिशासन

	(ए) कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या सी आई ओ की बारंबारिता बताएँ।	कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन दैनिकता आधार पर संव्यवहार उत्तरदायित्व कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित बोर्ड / समितियाँ वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करती हैं।
	(बी) क्या कंपनी संव्यवहार उत्तरदायित्व या सातत्यता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यह लिंक देखने के लिए कौन-सा हाइपरलिंक है? कितने अंतराल से यह प्रकाशित किया जाता है?	हाँ। कंपनी, अपने वार्षिक विवरण के अंग के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट http://www.bdl-india.in/ investors पर देखी जा सकती है।

खण्ड-ई : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।		
1	क्या नैतिक मूल्य, घूसकोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है? हाँ / नहीं। क्या यह ग्रुप / संयुक्त / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी लागू है?	कंपनी में 'एकता समझौता' लागू है जिस पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ताकि समय-समय पर जारी होने वाली रु. 2 करोड़ के ऊपर के उच्च मूल्य वाली निविदाओं के संबंध में कोई सवाल हो तो उठाये जा सकें। इस 'एकता समझौता' के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए उच्च प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस समझौते में विशेषत: संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वाले और बी डी एल दोनों पक्षों के कार्मिक / अधिकारियों के बीच ठेके के किसी भी पहलू / चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथा न अपनाए इस दृष्टि से एकता समझौते में विचार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर बोली लगाने वालों को अयोग्य करार दिया जाता है और भावी व्यापार लेनदेन से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितनों का संतोषजनक रूप से हल निकाला गया?	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को और एस ई बी आई स्कोर्स प्लेटफार्म, एन एस ई, बी एस ई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का प्राथमिकता आधार पर निपटान कर दिया गया। इनके अतिरिक्त ग्राहकों को आपूर्त उत्पादों के संबंध में बी डी एल को 23 ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 15 शिकायतों का संतोषजनक निपटान कर दिया गया और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 08 शिकायतें लंबित थे।

सिद्धांत 2 : संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।		
1	आपके ऐसे तीन उत्पाद या सेवाओं की सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोख़िम का ध्यान रखा गया हो।	कंपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइल व संबद्ध रक्षा उपकरण बनाने के संव्यवहार में लगी हुई है।
2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) :	कंपनी सातत्यता पद्धतियों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत है। इसे उचित टेक्नोलॉजी अपनाने, खरीद व आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और सातत्य विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से हासिल करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा संयंत्र, पारंपरिक डिसचार्ज लैंप के स्थान पर एल ई डी से बिजली जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण मानकों का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भानूर इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो सितंबर, 2017 से परिचालन में आ गया है। इसी तरह कंपनी ने इब्राहीमपट्टणम इकाई में मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो इस साल के अप्रैल से चालू हो गया है।
3	क्या कंपनी में संवहनीय स्रोतीकरण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं?	टिकाऊ सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए कंपनी विक्रेताओं के चयन संबंधी अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणित विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेताएँ, विनिर्माता के विभिन्न प्राधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता तथा अन्य आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। निर्धारित समय के भीतर सामग्री की आपूर्ति, किसी विक्रेता को दिये गये कार्य आदेशों के वार्षिक मूल्यांकन से औसत कार्यनिष्पादन का निर्धारण कार्य किया जाता है।
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपासी क्षेत्र भी शामिल हों?	रक्षा क्षेत्र का उद्यम होने के नाते माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम से खरीद-नीति लागू नहीं है। यद्यपि कंपनी स्थानीय और लघु उत्पादक और सेवा प्रदाताओं से खरीदने / सेवाएँ लेने की कोशिश कर रही है। वैसे कंपनी ने माइक्रो, लघु मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित छ: विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है।

5	क्या कंपनी में उत्पाद / अपशिष्ट के पुन:चक्रण के लिए कोई मेकानिज़्म है?	बी डी एल में अपशिष्ट को प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से पुन:चक्रण के लिए भेजने की व्यवस्था मौजूद है : ए) मेटल स्क्रैप, वुडेन स्क्रैप, खराब हो चुके बैरल, डीजल जेनेरेटर सेट, एयर हैंडलिंग यूनिट जैसे मेटल स्क्रैप को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रोसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। बी) अपशिष्ट ऑयल, खाली केमिकल कंटेनर, खाली कॉच के बोतल, एम एस पेंट कंटेनर आदि का निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। सी) ई-अपशिष्ट को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रोसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। डी) लेड एसिड बैटरियों को आवश्यकतानुरूप वापस-खरीद के आधार पर प्राधिकृत पुन:चक्रक / डीलर को दे दिया जाता है।

सिद्धांत 3 : संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

1	दि. 31.03.2019 तक कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या	2997
2	अस्थाई / संविदागत / कैजुअल आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या	33
3	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	318
4	स्थायी अपंग कर्मचारियों की संख्या	111
5	कर्मचारी (असोसिएशन) संघ	बी डी एल में प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त तीन संघ हैं।
6	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी मान्यता प्राप्त असोसिएशन के सदस्य हैं?	97%
7	वित्तीय वर्ष के अंत में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पादन संबंधी मामलों में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	शून्य
8	पिछले वर्ष के दौरान संरक्षा और कौशल उन्नयन विषयों पर कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :	**वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)** विवरण / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / अनारक्षित / कुल जे ओ टी एन ए / 220 / 122 / 397 / 464 / 1203 जे ओ टी एन ए से इतर / 470 / 223 / 809 / 1181 / 2683

सिद्धांत 4 : व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक / बाह्य हितधारकों को जोड़ा है? हाँ / नहीं	हाँ
2	उपर्युक्त में से कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित हितधारकों की पहचान की है?	बी डी एल की सी एस आर परियोजनाओं का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित समुदायों को लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त बी डी एल में सुनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन हो। बी डी एल, यह भी प्रयास करता है कि परियोजनाएँ जिन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनायी गई हों उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कंपनी ने रोजगार की दृष्टि से (i) अ.जा / अ.ज.जा (ii) दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान वंचित, कमजोर और हाशिये के व्यक्तियों के रूप में की है।
3	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ?	बीडीएल ने अपनी सी एस आर योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित करने पर बल दिया है जिनसे प्रमुखत: वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास, स्वास्थ्य संरक्षण पहल, पेयजल आदि के प्रावधान शामिल हैं। कंपनी, अ.जा./ अ.ज.जा तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5 : संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इसको बढ़ावा दें।

1	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या फिर समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य भी इसके दायरे में आते हैं ?	कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह इत्यादि नहीं है। कंपनी की मानव संसाधन संबंधी नीतियों में कर्मचारी और अपने संव्यवहार के परिचालन से संबद्ध अन्य सभी के मानवाधिकार संबंधी सभी बातें शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, महिला कर्मचारियों का आदर करने और इनकी गरिमा को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए एक नीति क़ायम की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 : संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसकी पुन:स्थापन के प्रयास होना चाहिए।

1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक व्याप्त है या इसके समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी हैं?	कंपनी के रूप में यह पूरी तरह से व्याप्त है। बीडीएल के कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह आदि नहीं है।

2	जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए क्या कंपनी की कोई रणनीतियाँ / पहल है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।	बी डी एल की तीनों इकाइयाँ – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान बी डी एल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, बाह्य लेखापरीक्षा तथा कोर समिति की बैठकें और प्रबंधन समीक्षा बैठक जैसे विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोख़िम की पहचान कर इनका मूल्यांकन करती है? हाँ / नहीं।	हाँ
4	क्या कंपनी की क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज़्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में तत्संबंधी जानकारी दें। साथ ही, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई?	बी डी एल द्वारा क्लीन डेवलेपमेंट मेकानिज्म से संबंधी किसी परियोजना को अपनाया नहीं गया है। लेकिन, इस मानदंड के अंतर्गत बी डी एल इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में वेंट्यूरी स्क्रबर का इस्तेमाल कर उत्सर्जन कम कर रहा है। बी डी एल ने सी पी सी बी प्रतिमानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में डीजल जनरेटर लगवाये हैं।
5	क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपृष्ठ आदि से संबंधित हाइपरलिंक दें।	सी एन सी मशीन, फ्लोफार्मिंग मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग और वेव सोल्डरिंग मशीन लगवाकर क्लीनर टेक्नोलॉजी लागू की जाती है। बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : - 0.96 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। - भानूर इकाई और आने वाली इब्राहीमपट्टणम इकाइयों में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाये गये हैं। - विशाखापट्टणम इकाई में 513 किलोवाट सोलार रूफटॉप संयंत्र की योजना है।
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा होने वाले उत्सर्जन / अपशिष्ट सी पी सीबी / एस पी सी बी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर हैं?	हाँ
7	सी पी सी बी / एस पी सी बी से प्राप्त कारण बताओ / कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित (यानी संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किये गये) हैं।	शून्य

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।		
1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां, केवल उन प्रमुख संघों का नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध हैं :	ए) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) बी) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (सॉडेट) सी) हैदराबाद प्रबंधन असोसिएशन डी) स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक कान्फ्रेंस
2	क्या आपने सार्वजनिक उन्नयन या सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत / दलबंदी की है?	नहीं।

सिद्धांत 8 : समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।		
1	क्या सिद्धांत 8 संबंधी नीति के अनुसरण में कंपनी के कोई निर्धारित कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं?	जैसा कि उपर्युक्त खण्डों में बताया गया है कि बीडीएल की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएँ उन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास में लगी हैं जहाँ कंपनी की इकाइयाँ स्थित हैं। इसके अलावा बीडीएल के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
2	क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं।	बीडीएल मौजूदा परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न एन जी ओ, फउण्डेशन, सरकारी एजेंसियाँ तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के साथ सहयोग से काम करता है।
3	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का कितना प्रत्यक्ष योगदान है?	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर रु. 16.83 करोड़ की राशि खर्च की है। कृपया इस वार्षिक विवरण के अंग के रूप में प्रस्तुत की गई सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट देखें।
4	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जिनसे कि आपकी यह सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनायी गयी है।	हाँ। बी डी एल, अपनी अधिकतम परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है।

सिद्धांत 9 : संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।		
1	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राहक शिकायतों /उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत कितना लंबित है?	वर्ष के दौरान बी डी एल को 23 ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुईं इनमें से 15 शिकायतों का संतोषजनक निपटान कर दिया गया और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 08 शिकायतें लंबित थे। ये कुल पंजीकृत / दर्ज की गई शिकायतों का 34.78% है।
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार और उससे परे उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?	कंपनी अस्त्र प्रणाली विनिर्माण के संव्यवहार से जुड़ी है अत: यह लागू नहीं। उत्पाद संबंधी जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। अत: उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।
3	क्या पिछले पॉच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है?	नहीं।
4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान कार्यक्रम किया है?	नहीं। यद्यपि बी डी एल हमेशा नियमित अंतराल से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कर ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है।

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट *

सेवा में, सदस्य-गण, भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

1. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

हमने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नक़द-प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी।) के सार की लेखापरीक्षा की है।

2. राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ दि. 31 मार्च, 2019 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द-प्राप्ति के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

3 राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा मानदण्डों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण हमारी रिपोर्ट के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखपरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व वाले खण्ड में दिया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकमेव वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार-संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें (के ए एम) वे मदें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मदों को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मदों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मद	लेखापरीक्षा में हमने इसका कैसे हल किया :
1. भारतीय लेखामानक 115 एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी सं. **37 (21)** में वर्णित अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखामानक 115 को 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' के रूप में अपनाया है जो राजस्व संबंधी एक नया लेखा मानक है। इस लेखा मानक का अनुप्रयोग और संक्रमण जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान केंद्रित करने की एक बिंदु है।	हमने नये लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया, जिसमें निम्न विषय शामिल हैं - • नये राजस्व लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प और कार्यान्वयन का मूल्यांकन;

*** अनूदित पाठ**

राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा देता है कि और कितना और कब राजस्व प्राप्त किया गया है। इसमें विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचान किये गये निष्पादन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किये गये आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नए राजस्व लेखा मानक में ऐसे खुलासे होते हैं जिनमें असंगत राजस्व और अवधियों के संबंध में जानकारी का एकत्रीकरण शामिल होता है, जिस पर शेष निष्पादन दायित्वों को तुलन-पत्र की तारीख के बाद संतुष्ट किया जाता है। कपंनी ने भारतीय लेखामानक 115 को अपनाते हुए तुलनात्मक अवधि को पुन: स्पष्ट न करने के लिए उक्त मानक के तहत उपलब्ध करायी गयी छूट को भी अपनाया।	• ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूनों का चयन करके राजस्व शाखाओं पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया और उन राजस्व शाखाओं के संबंध में वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया गया। • नये राजस्व मानक के अनुपालन के लिए 1 अप्रैल 2018 को संचयी प्रभाव समायोजन का मूल्यांकन; तथा • नये राजस्व मानक के तहत प्रदान किये गये प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया और प्रासंगिक खुलासे की पूर्णता और गणितीय परिशुद्धता का आकलन भी।
2. दुर्वह संविदा निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में राजस्व की परिशुद्धता और दुर्वह दायित्वों में जटिल अनुमान शामिल होते हैं। अनुमानित प्रयास राजस्व और दुर्वह दायित्वों के निर्धारण के लिए एक जटिल अनुमान होता है। इस अनुमान में एक उच्च अंतर्निहित अनिश्चितता होती है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयास, शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक होता है। लेखा नीति सं. 16.5 और एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी सं. 27 का संदर्भ लें।	हमारी लेखापरीक्षा विधि आंतरिक नियंत्रण और मूल प्रक्रियाओं के परीक्षण का संयोजन था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: • निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों के अभिलेखीकरण और प्रयासों के आकलन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • समय रिकॉर्डिंग, नियोजित और वास्तविक व्यय के आबंटन से संबंधित पहुँच और अनुप्रयोग नियंत्रण का परीक्षण किया। • अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और इन नियंत्रणों के निष्पादन के साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से किये गये प्रयासों से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • अनुबंधों के नमूने का चयन किया और महत्वपूर्ण विविधताओं की पहचान करने के लिए अनुमानित प्रयासों के साथ किए गए प्रयासों की पूर्वव्यापी समीक्षा की और सत्यापित किया कि अनुबंध को पूरा करने के शेष प्रयासों का अनुमान लगाने में उन विविधताओं पर विचार किया गया है या नहीं। • किये गये विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और किये गये अनुमानों और अनुमानित प्रयासों के तर्क के लिए विवरण का परीक्षण। **निष्कर्ष : हमारी प्रक्रियाओं ने किसी भी सामग्री अपवाद की पहचान नहीं की।**

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

*** अनूदित पाठ**

5. विषयों का महत्व :

हम निम्न के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं :

एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिका की टिप्पणी सं. 29 दर्शाता है कि ग्राहक द्वारा गुणता की स्वीकृति एवं ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा दरों की स्वीकृति के आधार पर कुछ-एक विक्रय के हिसाब करने संविदा में संशोधन किया जाना प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. एकमेव वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक विवरण में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं और इस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना कि क्या यह अन्य जानकारी एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के साथ वास्तविक (भौतिक) रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है कि वास्तविक (भौतिक) रूप से गलत प्रकट किया गया हो।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। अन्य जानकारी के आधार पर हमें अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर जो कंपनी के वार्षिक विवरण में भी दी गयी है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द-प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाए।

इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करने में कम्पनी के प्रबंधन सहित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वर्तमान स्थिति में कम्पनी के चलने की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान स्थितियों में कम्पनी के आगे बढ़ने से सम्बंधित लागू प्रकटीकरण करने और जब तक कम्पनी को परिसमाप्त कर देने या परिचालन बंद कर देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, तब तक लेखांकन की यह चलायमान पद्धति अपनाएँ। निदेशक मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

*** अनूदित पाठ**

8. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकमेव वित्तीय विवरण सर्वांगीण रूप में भौतिकत: गलतफहमी से मुक्त रहे भले ही धोखाधड़ी हुई हो या त्रुटि के कारण, एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा हमेशा किसी सामग्री की गलत मौजूदगी का पता लगाएगा। अकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवराना संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट कहते हैं कि :

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ताक पर रखना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनीय प्रभावशीलता है।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी में लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा आधार पर प्रबंधन की प्रयुक्ति की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो चालू व्यवसाय अवधारणा के रूप में जारी रहता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें राय भी संशोधित करनी पड़ती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चालू व्यवसाय की अवधारणा बनी रह सकती है।
- घोषणा सहित एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणिकाएँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं पर दृष्टिपाल करना जिन्हें साफ-सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

भौतिकत्व एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में अशुद्ध विवरण बड़ा आधार होता है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। (i) हमारे लेखापरीक्षा-कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किये गये अशुद्ध विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

*** अनूदित पाठ**

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो, ।

अभिशासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के एकमेव वित्ती यविवरणिकाओं की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा के मद हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मदों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मद के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी। ।

9. अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक-'ए' में संलग्न है।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी इस प्रकार है कि –

(ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी और प्राप्त की गई हैं।

(बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।

(सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व ईक्विटी परिवर्तन विरणिका एवं नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानक तथा इनके तहत बने नियमों के अनुरूप रखे गये हैं।

(ई) दि. 31 मार्च, 2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन तथा निदेशक मंडल द्वारा किये गये रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से लेकर दि. 31 मार्च, 2019 तक कोई भी निदेशक अक्षम नहीं पाया गया।

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' का अवलोकन करें।

(जी) धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक-'सी' में प्रस्तुत करते हैं।

*** अनूदित पाठ**

(एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार –

(i) कंपनी ने अपनी भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 36 (6) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

(ii) कंपनी ने, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा पर यदि कोई हो तो, सामग्री नुकसान के लेखा मानक या अनुप्रयोज्य विधि के आवश्यकतानुरूप प्रावधान रखा है।

(iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30.05.2019

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

*** अनूदित पाठ**

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए *

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिका के संबंध में दी गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (1) के संबंध में है।

1. ए) निम्न लिखित उप-खण्ड (सी) के अधीन कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूरे विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है।

   बी) कंपनी में नियमित रूप से स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की विधि कायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिसंपत्तियों का भौतिकतः सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है।

   सी) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेख देखने पर पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधिकार विलेख कंपनी के नाम से है जबकि निम्न संपत्तियों के संदर्भ में अधिकार विलेख प्राप्त होना शेष हैं :

परिसंपत्ति की प्रकृति	रु. लाखों में	कारण
कंचनबाग स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि (0.97 लाख की निवेश संपत्ति सहित)	29.39	राज्य सरकार द्वारा यह भूमि मुफ्त में दी गई। अधिकार विलेख जारी नहीं किया गया। भा.ले.मा. 16 के अनुसार मूल्य सही है।
इब्राहिमपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	6316.90	टी एस एच सी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया। उनके नियमानुसार फैक्टरी बनाने के बाद ही भूमि का पंजीकरण किया जाएगा।
विशाखपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	376.13	ए पी आई आई सी द्वारा अधिकार विलेख कार्यान्वित किया जाना है।
विशाखापट्टणम में पट्टे पर भूमि	-	पट्टाकर्ता द्वारा पट्टा विलेख किया जाना है।

2. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मार्गस्थ एवं तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री छोड़कर तैयार माल, कच्चा माल, भंडार, पुर्जे की सामग्री सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार यह सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं तथा वास्तविक परीक्षण में पाई गई लेखा विसंगतियाँ उचित रूप से दर्शाए जा रहे हैं।

3. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म / कंपनी या अन्य पार्टियों को अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अतः धारा 189 के तहत सूचित पार्टियों को अग्रिम एवं ऋण संबंधी मामले यहाँ लागू नहीं होंगे।

4. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने तथा गारंटी देने संबंधी मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

*** अनूदित पाठ**

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

5. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। अतः निक्षेप स्वीकार किए जाने तत्संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा यथा संशोधित कंपनी नियमावली (निक्षेप स्वीकार करना), 2014 कंपनी के लिए लागू नहीं होंगी।

6. हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना है। हमने संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है। तथापि, इन अभिलेखों की सटीकता या पूर्णता के बारे में अभिलेखो की विस्तृत जाँच नहीं की गई है।

7. सांविधिक शुल्क के संबंध में हमें दी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर (जी एस टी), बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रहा है। कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी एवं सूचना के अनुसार मार्च 31, 2016 तक देय तिथि से लेकर छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी अविवादित कर भुगतान के लिए शेष नहीं है।

बी) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं मूल्यवर्द्धित कर के संबंध में देय विवादित राशि के विवरण निम्नप्रकार हैं :

(रुपये लाख में)

संविधि	शुल्क की प्रकृति	विवादित राशि (रुपये लाख में)	विधि के अनुसार समायोजित / विरोध किये जाने पर प्रदत्त	शेष	अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	284.36	71.09	213.27	2007-08	टीएस वीएटी ए टी
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5550.83	693.85	4856.98	2011-12	हैदरबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5024.27	-	5024.27	2012-13	हैदरबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4266.81	-	4266.81	2013-14	हैदरबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।

*** अनूदित पाठ**

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6468.12	-	6468.12	2014-15	हैदरबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	2355.81	1177.75	1177.55	2012-13 से 2014-15	सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद
कुल		**23949.89**	**1942.69**	**22007.20**		

8. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को शुल्क के भुगतान में कोई चूक नहीं की है तथा कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किया है।

9. कंपनी ने प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव या मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सी ए आर ओ) का खण्ड (ix) कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।

10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी देखने में नहीं आयी है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है. अतः सी ए आर ओ का खण्ड (xi) लागू नहीं होगा।

12. कंपनी निधि (एन आई डी एच आई आदि) कंपनी नहीं है. अतः निधि संबंधी सी ए आर ओ का खण्ड (xii) लागू नहीं होगा।

13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि संबंधित पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा-मानक के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं में सभी विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

14. कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिमान्य ईक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, अधिमान्य प्रस्ताव के मामले लागू नहीं होते हैं।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नक़द लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30.5.2019

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy,
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

*** अनूदित पाठ**

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी *

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं पर दी गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (2) (एफ) के संबंध में है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2019 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

2. प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व होता है वह कि भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों के अनुवर्तन के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

3. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" (निर्देश टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार की मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभाविता के उचित आश्वसन प्राप्त होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमियाँ होने के जोख़िम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त लिए गए लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

*** अनूदित पाठ**

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

4. वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं 1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; 2) उचित आश्वसान देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किये गये हैं। 3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आशवसन।

5. वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ :

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेईमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखादड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोख़िम हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

6. राय :

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30.5.2019

*** अनूदित पाठ**

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy.
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी *

यह अनुलग्नक दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के एकमेव वित्तीय विवरणों पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखपरीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (2) (जी) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 143 के उपखण्ड 5 के अंतर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के निदेशों का रिपोर्ट इस प्रकार है :

निदेश	रिपोर्ट	प्रभाव
1. क्या कंपनी के पास लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि है तो, आई टी प्रणाली से इतर लेखा संबंधी लेखन का लेखा की अखण्डता पर प्रभाव और साथ ही वित्तीय खर्च की जानकारी दें।	हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कंपनी में आवश्यक प्रणाली मौजूद है। वर्ष के दौरान कोई किसी भी वित्तीय लेन-देन का लेखांकन आई टी प्रणाली से इतर माध्यम से नहीं किया गया।	शून्य
2. कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जाने की स्थिति में क्या कोई मौजूदा उधार / ऋण / ब्याज की पद्धति में परिवर्तन किया गया या ऋणदाता द्वारा अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि हैं तो तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें।	हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में वर्ष के किसी भी प्रकार के उधार / ऋण / ब्याज का कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा इसकी पद्धति में परिवर्तन न किया गया और इसे अधित्याग /बट्टे खाते में डालने का मामला सामने आया।	शून्य
3. निर्धारित योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया गया / लेखित किया गया? विचलन के मामलों का विवरण दें?	कंपनी की लेखा-बही तथा रिकॉर्ड के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने सोलार सौर ऊर्जा संयंत्र के संस्थापन के लिए निधियाँ प्राप्त की हैं। यह राशि जिस उद्देश्य के लिए ली गई थी, उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई और इसका उचित रिकॉर्ड रखा गया है।	शून्य

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30.5.2019

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

*** अनूदित पाठ**

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

नि./बी.डी.एल.लेखा(2018-19)/2019-20/ 283
सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE.

01 अगस्त 2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सेवा मे,
श्री वी.उदय भास्कर,
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,प्लॉट सं. 38-39,
टीएसएफसी बिल्डिंग, फिनान्सियल डिस्ट्रिक्ट
गाछीबौली, हैदराबाद - 500032
महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "निल टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये |

कृपया पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,
ए. सुब्रमनियन 1/8/19
(ए. सुब्रमनियन)
निदेशक (प्रशासन)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

By Speed Post
Confidential

सं./No. Insp/BDL A/cs(2018-19)/2019-20/ 283

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 01.08.2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

To
Shri V Udaya Bhaskar
Chairman and Managing Director.
M/s. Bharat Dynamics Limited.
Corporate Office,Plot No.38-39.
TSFC Building,Financial District.
Gachibowli,Hyderabad – 500 032

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2019.

I forward **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2019.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing:

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013: and

(iii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

A. Subramaniyan 1/8/19
(A. Subramaniyan)
Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

*** दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ :**

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो प्राथमिकत: सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा-अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक लेखापरीक्षा पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

01/08/2019

संतोष कुमार
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 01 अगस्त, 2019

* अनूदित पाठ

भारतीय लेखा मानक
वित्तीय विवरणिका - 31 मार्च, 2019

निगम संबंधी सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन सार्वजनिक उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्था पना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं।

विषय-सूची

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं –

(ए) तुलन-पत्र

(बी) लाभ-हानि लेखा

(सी) ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(डी) नक़द-प्राप्ति विवरण

(ई) महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ

(एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी

रिपोर्टिंग संस्था :

भारत डायनामिक्सन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद-500058

निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा

हैदराबाद-500032

31 मार्च, 2019 को समाप्त
तुलन-पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
आस्तियाँ			
(1) गैर-चालू आस्तियाँ			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	81,246.57	72,016.16
(बी) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	2	4,703.08	12,984.34
(सी) निवेशित संपत्ति	3	0.97	0.97
(डी) अमूर्त आस्तियाँ	4	14,449.08	14,820.96
(ई) विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	5	-	-
(एफ) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	6	371.74	368.94
(ii) ऋण	7	299.20	294.25
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	8	4,620.24	5,030.98
(जी) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	28A	7,177.36	19,255.98
(एच) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	9	3,023.59	3,297.25
कुल गैर-चालू आस्तियाँ		**115,891.83**	**128,069.83**
(2) चालू आस्तियाँ			
(ए) सामग्री-सूची	10	166,453.20	192,586.64
(बी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	11	-	23,529.92
(ii) प्राप्य ट्रेड	12	58,720.51	77,040.62
(iii) नक़द एवं नक़द तुल्य	13	1,697.07	2,998.94
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक में शेष	14	35,434.60	32,680.00
(v) ऋण	15	244.65	223.68
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	16	132,294.90	151,616.08
(सी) चालू कर आस्तियाँ	28B	4,538.01	-
(डी) अन्य चालू आस्तियाँ	17	31,567.11	51,091.54
कुल चालू आस्तियाँ		**430,950.05**	**531,767.42**
कुल आस्तियाँ		**546,841.88**	**659,837.25**
ईक्विटी एवं देयताएँ			
ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	18	18,328.12	18,328.12
(बी) अन्य ईक्विटी	19	208,526.48	177,309.87
कुल ईक्विटी		**226,854.60**	**195,637.99**
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	4,751.46	5,173.88
(बी) प्रावधान	21	-	-
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	23,323.86	35,826.18
कुल गैर-चालू देयताएँ		**28,075.32**	**41,000.06**
(2) चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	23	181.55	-
(ii) ट्रेड अदायगी			
(ए) माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बकाया कुल राशि;	24	2,756.32	3,725.68
(बी) माइक्रो तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाता / लेनदार को बकाया कुल राशि	24	49,189.40	97,424.88
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	25	12,344.45	24,015.89
(बी) अन्य चालू देयताएँ	26	191,567.21	231,412.47
(सी) प्रावधान	27	35,873.03	63,285.87
(डी) चालू कर देयताएँ, निवल	28B	-	3,334.41
कुल चालू देयताएँ		**291,911.96**	**423,199.20**
कुल देयताएँ		**319,987.28**	**464,199.26**
कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		**546,841.88**	**659,837.25**

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 242470)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन : 07117827

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का
लाभ-हानि लेखा

(लाख ₹ में)

	विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
	आस्तियाँ			
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	29	306,934.97	458,759.75
II	अन्य आय	30	13,598.60	17,255.91
III	**कुल आय (I + II)**		**320,533.57**	**476,015.66**
IV	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	31	181,896.95	290,759.21
	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	32	(16,587.40)	(5,370.00)
	कर्मचारी लाभ पर व्यय	33	53,420.88	52,933.98
	वित्त लागत	34	423.07	327.92
	मूल्यह्रास एवं परिशोध व्यय	35	8,250.21	6,347.75
	अन्य खर्च	36	25,993.40	53,634.39
	कुल व्यय (IV)		**253,397.11**	**398,633.25**
V	**असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / (हानि)**		67,136.46	77,382.41
VI	**असामान्य मदें**		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**67,136.46**	**77,382.41**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	28C	22,185.99	29,678.52
	(2) आस्थगित कर	28C	2,691.75	(5,111.27)
	कुल कर व्यय		**24,877.74**	**24,567.25**
IX	**वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)**		**42,258.72**	**52,815.16**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	ए सामग्री जो बाद में लाभ-हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं की जा सकती।		-	-
	(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	37(4)	(1,646.05)	-
	(बी) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाले मदों से संबंधित आयकर	28C	575.20	-
	कुल अन्य व्यापक आय		**(1,070.85)**	**-**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**		**41,187.87**	**52,815.16**
XII	**प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन**			
	मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	37 (3)	23.06	26.65

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 242470)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन : 07117827

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. ईक्विटी **(लाख ₹ में)**

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2017 तक प्रदत्त एवं जारी पूँजी	12,218.75
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	6,109.37
31 मार्च, 2018 को शेष	18,328.12
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**18,328.12**

बी. अन्य ईक्विटी **(लाख ₹ में)**

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2017 को शेष	188,298.51	-	18,980.33	**207,278.84**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	52,815.16	52,815.16
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	-
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(18,922.23)	(18,922.23)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	(3,054.69)	-	-	(3,054.69)
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	23,000.00	-	-	23,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
वर्ष के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	3,054.69	-	3,054.69
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	(41,998.90)	-	-	(41,998.90)
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	(6,109.38)	(3,054.69)	-	(9,164.07)
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	(9,689.99)	(9,689.99)
अंतरिम लाभांश	-	-	(2,500.00)	(2,500.00)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(508.94)	(508.94)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**160,135.54**	**-**	**17,174.33**	**177,309.87**

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेष	160,135.54	-	17,174.33	**177,309.87**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	42,258.72	42,258.72
भारतीय लेखामानक 115* अपनाने पर समायोजन			17,736.54	17,736.54
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	(1,070.85)	(1,070.85)
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(16,107.64)	(16,107.64)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	23,000.00	-	-	23,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
वर्ष के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	(9,622.27)	(9,622.27)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(1,977.89)	(1,977.89)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**183,135.54**	**-**	**25,390.94**	**208,526.48**

* टिप्पणी सं. 37(21) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 115 लागू करना।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 242470)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन : 07117827

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

नक़द प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्रवाह				
असामान्य सामग्री तथा कर पूर्व लाभ		67,136.46		77,382.41
समायोजन :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	8,250.21		6,347.75	
वित्त लागत	423.07		327.92	
ब्याज से आय	(4,692.06)		(9,181.75)	
स्थायी अस्तियों की बिक्री पर आय	(4.86)		-	
ग्राहक से उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	(1,311.05)		(734.05)	
व्यय के लिए प्रावधान	1,208.04		7,153.37	
दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं / प्रावधानों को बट्टे खाते में डाला गया	(3,732.37)		(120.06)	
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के निवेश पर उचित मूल्य का समायोजन	(148.92)		(727.55)	
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री पर लाभ	(746.35)		(26.02)	
कार्यगत पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनीय लाभ		**66,382.17**		**80,422.02**
कार्यगत पूँजी में परिवर्तन				
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन				
प्राप्य ट्रेड	18,320.11		(47,296.39)	
ऋण	(25.92)		94.06	
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	20,002.21		3,235.92	
सामग्री-सूची	26,118.07		28,990.28	
अन्य आस्तियाँ	19,659.08		86,998.14	
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन				
देय ट्रेड	(49,204.84)		(51,785.86)	
अन्य वित्तीय देयताएँ	(10,852.10)		10,279.56	
अन्य देयताएँ	(50,747.45)		(125,680.45)	
प्रावधान	(1,816.28)		5,996.62	
परिचालनों से प्रजनित नक़द		**37,835.05**		**(8,746.10)**
निवल आयकर प्रदत्त		(29,483.21)		(25,403.72)
असामान्य सामग्री से पहले निवल नक़द		8,351.85		(34,149.82)
असामान्य मदें		-		-
परिचालनीय गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (ए)		**8,351.85**		**(34,149.82)**
बी. निवेश गतिविधियों से नक़द-प्रवाह				
स्थायी आस्तियों पर पूँजीगत व्यय	(8,827.90)		(16,868.58)	
बैंक जमा	(2,754.60)		131,810.00	
स्थायी आस्तियों की बिक्री से प्राप्ति	5.28		-	
वर्ष के दौरान म्युचुअल फण्ड में शोधन / (निवेश)	23,529.92		(23,026.02)	
लाभ-हानि के तरीके से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुआ लाभ	746.35		26.02	
ब्याज प्राप्ति	4,278.81		12,760.32	
निवेश गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (बी)		**16,977.86**		**104,701.74**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नक़द-प्राप्ति				
ईक्विटी शेयर की जारी से प्राप्ति	-		-	
वित्त लागत	(284.06)		(188.90)	
शेयरों की वापस-खरीद	-		(45,053.59)	
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-		(9,689.99)	
प्रदत्त लाभांश और इस पर कर	(26,529.07)		(21,931.17)	
वित्तीय गतिविधियों से / उपभोक्त निवल नक़द (सी)		**(26,813.13)**		**(76,863.65)**
नक़द एवं नक़द तुल्य में निवल वृद्धि / (अपवृद्धि) (ए+बी+सी)		**(1,483.42)**		**(6,311.73)**
वर्ष के आरंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य		**2,998.94**		**9,310.67**
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य (निम्न नोट (i) का संदर्भ लें।		**1,515.52**		**2,998.94**
टिप्पणी (i):				
नक़द एवं नक़द तुल्य में शामिल हैं :				
चालू खाते में		193.69		370.28
जमा खाते में		1,500.00		2,620.24
नक़द राशि		3.38		8.42
बैंक ओवरड्राफ्ट		(181.55)		-
		1,515.52		**2,998.94**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 242470)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन : 07117827

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन:

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्न लिखित सम्मिलित नहीं हैं:

उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियां और देयताएं (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल।

निर्धारित लाभ योजनाएं – योजना आस्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग:

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण

2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

2.2 लेन-देन और शेष राशियां

i. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गांकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की धन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।

iii. तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

3. राजस्व की मान्यता

ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

(i) कंपनी द्वारा जब (या जैसे) कार्यनिष्पादन पूरा करने पर राजस्व लिया जाता है।

(ii) समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) जहां समय के साथ माल या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण होता है, उस कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्णता की तुलना में प्रगति को मापकर निम्न मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर राजस्व को लिया जाता है :

- कंपनी का कार्यनिष्पादन ग्राहक को कंपनी के काम के साथ-साथ लाभ और उपभोग करने का अधिकार देता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कोई आस्ति बनाता है या उसमें वृद्धि करना है जिसे ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिये कोई आस्ति नहीं तैयार करता है और कंपनी को किसी तारीख तक पूर्ण निष्पादन के लिए उचित लाभ सहित भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

बी) एक कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि में हुई प्रगति का आकलन रिपोर्टिंग तिथि तक संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित लागत के मुकाबले किये गये खर्च की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभावना है कि लागतों की वसूली की जाएगी, तो किये गये खर्च को राजस्व के रूप में लिया जाता है।

सी) ए एम सी अनुबंधों के मामले में, जहां खर्च / बीते समय के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि देखी जाती है वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व लिया जाता है।

(iii) किसी एक समय में निष्पादन दायित्व की पूर्णता

ए) उन मामलों में जहां नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उन मामलों में राजस्व की पहचान निष्पादन दायित्व पूरा होने वाले क्षण करती है।

बी) ग्राहक द्वारा आस्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने पर निष्पादन दायित्व पूरा माना जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण में निम्नलिखित सूचक होते हैं :

- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया हो।
- ग्राहक के पास आस्ति का कानूनी हक हो।
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया हो।
- जब कंपनी के पास आस्ति के भुगतान का वर्तमान में अधिकार हो।
- ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और रिवार्ड हों। अनुबंधों में शामिल शर्तों के आधार पर इन महत्वपूर्ण जोखिमों और रिवार्ड स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है।

कार्यस्थलीय संविदा : कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

निःशुल्क रेल संविदा: निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएं वाहक को सौंप दी जाएं। निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएं लेखाअवधि के भीतर गन्तव्य पर पहुँच जाएं।

बिल और होल्ड बिक्री:

बिल और होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब निम्न सभी मानदंड पूरे होते हों :

- बिल और होल्ड बिक्री के काफी आधार मौजूद हों।
- जब उत्पाद को ग्राहक के उत्पाद रूप में अलग से पहचाना जाता हो।
- वर्तमान में जब उत्पाद ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरण के लिए तैयार हो।
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या इसे किसी अन्य ग्राहक को देने की क्षमता नहीं हो।

(iv) मापन

ए) राजस्व को उस लेनदेन मूल्य की राशि से पहचाना जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि और अनुमानित परिसमापन क्षति के निवल को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

विनिमय दर में अंतर और किसी भी अन्य अतिरिक्त विचार को अनुबंध की शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बी) मानक वारंटी शर्तों के तहत खराब / सामान को बदलने या मरम्मत करने के लिए दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेनदेन की कीमत के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से से खरीदने का विकल्प नहीं है।

सी) ऐसे मामलों में जहां अनुबंधों में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक एकमेव विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आबंटित करती है।

पुंज संविदा - जिस पुंज संविदा में संस्थापन और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कम्पनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

बहुविध घटक – जहां संस्थापन और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्त रखी गयी हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) पर कंपनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग-अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

डी) अगर एकमेव बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है तो कंपनी, एकमेव बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

(v) महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक की समीक्षा प्रत्येक मामले के लिए अलग से की जाती है।

vi) ग्राहकों से वित्तपोषित आस्तियां:

ग्राहकों से मुफ्त में प्राप्त आस्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उनके अनुरूपी आय को आस्ति की कालावधि पर मूल्यह्रास के अनुपात में मान्यता दी जाएगी ।

बी. अन्य आय

अन्य आय की मान्यता इस प्रकार की जाती है :

i) ब्याज की आमदनी:

किसी भी वित्तीय आस्ति से ब्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। ब्याज की आमदनी अवधि के आधार पर बकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले ब्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राक्कलित भावी नकद प्राप्तियों में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

ii) लाभांश:

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान:

4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गए सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।

4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।

4.3 ह्रासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएं पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।

4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानी जाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यह्रास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। अनुदान / सब्सिडी, यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

5. आय कर

5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमाई जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

5.3 आस्थगित कर:

i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरों पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की

जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियां उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।

ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरों और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियां उपलब्ध होंगी। कराधान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।

iii) आस्थगित आस्ति-देयताएं तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएं तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।

iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्विटी मूल्य में भी दी जाती है।

6. पट्टे

प्रारम्भ की तारीख को पट्टे का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

6.1 पट्टादाता के रूप में

i) जहाँ पट्टादाता के रूप में कम्पनी व्यावहारिक तौर पर स्वामित्व की सभी जोखिमें वहन करने और लाभ उठाने वाली हो, वहाँ सम्पत्ति, संयन्त्र और उपकरणों के पट्टों का वर्गीकरण वित्तीय पट्टों के रूप में किया जाता है। वित्तीय पट्टे प्रारम्भ में ही पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के उचित मूल्य पर या उससे नीचे पूँजी में परिणत किए जाएंगे, यदि पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य न्यूनतम हो। उनके अनुरूप भाड़े की देयताएं उधारियों में सम्मिलित तो की जाती हैं, लेकिन वित्त प्रभार घटाकर या यथासंगत अन्य वित्तीय देयताओं में। प्रत्येक पट्टा भुगतान का वर्गीकरण देयता और वित्तीय लागत के बीच किया जाता है। वित्तीय लागत पट्टे की सम्पूर्ण अवधि पर लाभ-हानि में इस प्रकार प्रभारित की जाती है कि प्रत्येक अवधि के लिए शेष राशि पर ब्याज की टिकाऊ नियतकालिक दर निकल आए।

ii) जिन पट्टों में पट्टादाता रूपी कम्पनी को स्वामित्व के जोखिमों और लाभों के उल्लेखनीय हिस्से हस्तान्तरित न हों, उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों के अन्तर्गत किए गए भुगतानों (पट्टाधारक से प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रोत्साहनों को घटाकर) को सरल रेखा आधार पर लाभ-हानि में प्रभारित किया जाता है, यदि भुगतानों की रूपरेखा पट्टाधारक की प्रत्याशित मुद्रास्फीतिजन्य बढ़ी हुई लागतों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने वाली न हो।

6.2 पट्टाधारक के रूप में

जहाँ कम्पनी पट्टाधारक हो, वहाँ परिचालन पट्टों से पट्टा आमदनी को पट्टे की सम्पूर्ण मीयाद पर सरल रेखा आधार पर आमदनी में मान्यता दी जाती है, यदि धन-प्राप्तियों की रूपरेखा मुद्रास्फीति के कारण प्रत्याशित लागत में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ बढ़ने वाली न हो। पट्टे पर दी गई सम्बन्धित आस्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

7. सामग्री-सूची

7.1 मालसूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुरज़ों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुरज़ों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।

7.2 लेखन सामग्री, वर्दियां, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।

7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुरज़े, निर्माण सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार तथा फ़ालतू पुरज़े आय में प्रभारित किए जाते हैं।

7.4 कच्चे माल, पुरज़ों और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

8. वित्तीय लिखतें

8.1 वित्तीय आस्तियां :

सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्त के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाज़ार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कम्पनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है:

- जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाना है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएंगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है। शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंत:स्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह देखा जाता है कि क्या उनका नक़द-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नक़द प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए)(i) परिशोधित लागत: संविदागत नक़द प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले

ऋण निवेश पर नफ़ा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) :

ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नक़द-प्रवाह के लिए रोक रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नक़द-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि में लिया जाता है। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्विटी से लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य :

परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंड़ों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्विटी लिखतें:

(बी)(i) कम्पनी सभी ईक्विटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांशों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(बी)(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफ़ा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ वी ओ सी आई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ वी ओ सी आई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदर्शी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यत: ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोखिम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नक़द प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या

- जब वित्तीय आस्ति के नक़द प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नकद प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमें और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमें और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।

v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियां

व्यापारिक प्राप्तियां साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियां हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 18 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्त:स्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएं और ईक्विटी लिखतें

वर्गीकरण

ऋण और ईक्विटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्विटी के रूप में।

i) ईक्विटी लिखतें

ईक्विटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएं घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्विटी लिखतों को प्राप्त आय-राशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आवंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राक्कलित भावी नकद भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

iii) व्यापार और अन्य देय राशियां

ये राशियां कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने उचित मूल्य पर मान्यता दी

जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

iv) व्युत्पन्नियां

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफ़ों/(नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नकद प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियां ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोखिमें आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोखिमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियां

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियां परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात् अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तः-स्थापित व्युत्पन्नियां अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियां और देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

9. नक़द और नकद सममूल्य:

नक़द प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नकद और नकद सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं - हाथ में नक़दी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियां, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नकद राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोखिम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ़्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

10. उचित मूल्य पर मापन

10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियां और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।

10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रम परम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है:

स्तर-1 — सक्रिय बाज़ारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।

स्तर-2 — स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात् मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात् मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।

स्तर-3 — आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाज़ार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोखिमों और उचित मूल्य क्रम परम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

11. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर

11.1 मापन

i. भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।

ii. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से ह्रास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।

iii. बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।

iv. जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राक्कलित सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर ह्रास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

11.2 ह्रास की विधि, प्राक्कलित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

i. अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आवंटन के लिए सम्पूर्ण प्राक्कलित जीवन-काल पर ह्रास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।

ii. निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।

iii. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

11.3 निपटान

निपटान पर नफ़ा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगम राशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

12. अमूर्त आस्तियाँ

12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइन्सेस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियां तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों, उनका वर्गीकरण 'विकासाधीन अमूर्त आस्तियां' के रूप में किया जाता है।

बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।

सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :

- साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
- प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।
- साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
- यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
- साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और
- साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।

ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन / परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है :

अनुज्ञप्त	उपयोगी काल
कंप्यूटर के साफ्टवेयर का उत्पादन	3 वर्ष

13. संपत्ति निवेश :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ न हो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखत: बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आयी लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जाने पर बिक्री की लागत घटाकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढ़ोतरी को नफ़े की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफ़ा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियां भी सम्मिलित हैं) ह्रास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज़ और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियां और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियां तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएं तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।

14.5 बंद परिचालन किसी बिकी हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यत: फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समनुषंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

15 आस्तियों की क्षति :

15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।

15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नकद उत्पन्न इकाइयां) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टावधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती हैं।

16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकत: आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।

16.2 जहाँ समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएं हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यूँ न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।

16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।

16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनुरूप वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।

16.5 दुर्वह संविदा : जब किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वह संविदाओं को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को संविदा छोड़ देने के अनुमानित न्यूनतम लागत और संविदा को जारी करने के संभावित निवल लागत के आधार पर मापा जाता है। किसी भी प्रकार प्रसवधान बनाने से पूर्व कंपनी, उस संविदा से संबद्ध आस्तियों के परिसमापन क्षति की पहचान करती है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ :

कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएं जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णत: समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएं तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

17.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ देयताएं

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अत: इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्तें संबंधित बाध्यता की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

17.3 रोजगार-उपरांत बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरान्त बाध्याताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (एँ)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित योजनाएं संबंधी देयता अथवा आस्ति की तुलन-पत्र में पहचान योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएं बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बॉण्ड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राक्कलित भविष्य नकद बहिर्भाव को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुन:मापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से जन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।

बी) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अशंदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नकद वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा-समापन लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरेक पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निमाण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरेक को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किये जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किये जाते हैं।

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

18 दी गई ईक्विटी

ईक्विटी शेयर को ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्विटी में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद

में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर अर्जन

20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना भाग कर की जाती है:

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर।

20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त आँकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित ईक्विटी शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- भारित औसत संख्या के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

नोट 1 से 37 और लेखा नीति लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते – एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002111S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस संदीप रेड्डी	**एस पिरमनायगम**	**कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)**
भागीदार	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं. 242470)	डी आई एन 07117827	डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. ए19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत
टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राश				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2017 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	6,560.40	1,868.73	-	**8,429.13**	-	-	-	-	**8,429.13**
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	74.10	37.05	-	**111.15**	**3,366.02**
भवन	14,670.32	5,681.61	15.65	**20,367.58**	969.44	852.95	15.81	**1,838.20**	**18,529.38**
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,112.13	16.38	0.49	**1,129.00**	550.61	207.35	1.89	**759.85**	**369.15**
सड़कें तथा नालियाँ	853.43	-	-	**853.43**	222.39	110.61	-	**333.00**	**520.43**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	143.00	27.51	1.95	**172.46**	6.24	5.84	1.95	**14.03**	**158.43**
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण #	33,043.35	8,522.76	775.03	**42,341.14**	4,132.59	2,767.88	327.67	**7,228.14**	**35,113.00**
फर्नीचर तथा उपकरण *	2,575.54	1,068.77	(641.47)	**3,002.84**	858.63	447.44	(39.39)	**1,266.68**	**1,736.16**
परिवहन वाहन	539.12	8.15	(1.24)	**546.03**	134.21	79.53	(1.23)	**212.51**	**333.52**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,173.26	74.79	-	**5,248.05**	1,500.98	286.13	-	**1,787.11**	**3,460.94**
कुल	**68,147.72**	**17,268.70**	**150.41**	**85,566.83**	**8,449.19**	**4,794.78**	**306.70**	**13,550.67**	**72,016.16**

 # पुनर्वर्गीकरण रु. 523.69 लाख (संचित मूल्ह्रास रु. 95.61 लाख) सहित समायोजन।

*** पुनर्वर्गीकरण रु. 718.10 लाख (संचित मूल्यह्रास रु. 211.70 लाख) सहित समायोजन।**

विवरण	सकल वहन राश				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,429.13	341.74	-	**8,770.87**	-	-	-	-	**8,770.87**
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	111.15	37.05	-	**148.20**	**3,328.97**
भवन	20,367.58	10,488.88	(69.95)	**30,786.51**	1,838.20	1,180.93	(9.22)	**3,009.91**	**27,776.60**
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,129.00	-	-	**1,129.00**	759.85	187.17	-	**947.02**	**181.98**
सड़कें तथा नालियाँ	853.43	372.69	-	**1,226.12**	333.00	122.46	-	**455.46**	**770.66**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	172.46	1.10	-	**173.56**	14.03	6.30	-	**20.33**	**153.23**
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण #	42,341.14	3,668.88	(19.59)	**45,990.43**	7,228.14	3,207.45	(5.71)	**10,429.88**	**35,560.55**
फर्नीचर तथा उपकरण *	3,002.84	372.68	(47.19)	**3,328.33**	1,266.68	513.80	(12.36)	**1,768.12**	**1,560.21**
परिवहन वाहन	546.03	39.42	-	**585.45**	212.51	77.23	-	**289.74**	**295.71**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,248.05	109.90	-	**5,357.95**	1,787.11	723.05	-	**2,510.16**	**2,847.79**
कुल	**85,566.83**	**15,395.29**	**(136.73)**	**100,825.39**	**13,550.67**	**6,055.44**	**(27.29)**	**19,578.82**	**81,246.57**

टिप्पणियाँ :

पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि :

(ए) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित

(i) 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत कंचनबाग स्थित 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2018 को 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन) शामिल है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी हुयी है जिस पर उनका स्वामित्व है।

(ii) कंचनबाग स्थित 146 एकड़ 32 गुण्टा की ज़मीन राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई (31 मार्च, 2018 तक 146 एकड़ 32 गुण्टा, मूल्य 28.42 लाख) जिसका मूल्य 28.42 लाख है। इस भूमि पर हकनामा / स्वामित्व अभी प्राप्त होना है।

(बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार से अधिगृहीत करमनघाट स्थित 82 एकड़ 31 गुंटा ज़मीन जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.66 लाख का (31 मार्च, 2018 तक 21.66 लाख) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(सी) विशाखापट्टणम स्थित 10 एकड़ 13 गुंटा ज़मीन (31 मार्च, 2018 तक 10 एकड़ 13 गुंटा) का हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना शेष है जिसके लिए भुगतान की गई 376.13 लाख (31 मार्च, 2018 तक 376.13 लाख) राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(डी) इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी स्थित स्वामित्व में ली जा चुकी 632 एकड़ 16.50 गुण्टा ज़मीन के लिए अंतरण लिखत रसीद प्राप्ति के लेबित रहने के संबंध में इसे भुगतान की गई अनुमानित कीमत के आधार पर पूँजीकृत किया गया है। कुछ शर्तों के अधीन क्रय करार पर रु. 6136.90 लाख (31 मार्च, 2018 को रु. 5831.28 लाख) का भुगतान कर पूर्ण स्वामित्वाधिकार पर ज़मीन ली गई है। इनमें से एक शर्त है कि करार की तिथि और इसके समय-विस्तार से लेकर दो वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पाद आरंभ न किये जाने पर उस समय की ज़मीन की लागत के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।

पट्टे पर प्राप्त भूमि :

(ए) प्रति एकड़ प्रति वर्ष रु. 1 के पट्टे किराये के आधार पर भारत सरकार से विखाखापट्टणम में 3 एकड़ 25 गुण्टे की ज़मीन पट्टे पर ली गई। पट्टे पर किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता। अत: पूँजीगत लागत शोध्य है।

(बी) अमरावती में कुछ शर्तों के साथ पूर्ण स्वामित्वाधिकार 553.34 एकड़ 34 गुण्टे की ज़मीन (31 मार्च, 2018 तक 553.34 गुण्टा) पट्टे पर ली गई ज़मीन के लिए 07.02.2014 को प्रीमियम के रूप में रु. 3922.97 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इन शर्तों में प्रमुख है कि जब तक समय के विस्तार के आदेश प्राप्त न हों, आबंटित तिथि से 60 महीने के भीतर फैक्टरी भवन तथा अन्य कार्य पूरे न होने की स्थिति में पट्टा करार रद्द कर दिया जा सकता है और कंपनी को बिना किसी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये किसी तरह के निर्माण सहित पट्टे की भूमि पर पट्टाकर्ता का स्वामित्वाधिकार होगा। वर्तमान में, दि. 5.4.2019 तक समयावधि का विस्तार किया गया है। जिस परियोजना के लिए यह ज़मीन पट्टे पर ली गई है, उसे रक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाना है। कंपनी, निवेश की समयावधि के विस्तार पर विचार कर रही है।

भवन :

(ए) कंपनी की मालिकयत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य रु. 111.00 लाख (31 मार्च, 2018 को रु. 111.00 लाख) सम्मिलित है।

(i) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमोदित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

आस्ति	प्रयोक्ता अवधि
भवन	30 / 60
फेंसिंग और चहारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल-आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

(ii) मूल्यह्रास की गणना-पद्धति के लिए लेखा-नीति 11 का संदर्भ लें : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(iii) नुकसान का जायज़ा लेखानीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

टिप्पणी 2 : पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
सिविल	1,122.69	9,970.47
संयंत्र एवं मशीनरी	3,558.76	2,995.63
अन्य	21.63	18.24
कुल	**4,703.08**	**12,984.34**

टिप्पणियाँ :

(i) 31 मार्च, 2019 तक भवन संबंधी पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य में 40.09 लाख शामिल है (31 मार्च, 2018 को रु. 40.09 लाख) जिसे स्थगित रखा गया है। उप जिला अधीक्षक और तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्टों के बाद कंपनी ने रंगारेड्डी जिले के सर्वेक्षण समायोजन तथा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है। आगे, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्राधिकारी से भी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण एवं अन्य प्राधिकारियों से स्वीकृति मिल जाने के बाद लेखा-बही में आवश्यक समायोजन किये जाएँगे।

(ii) पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 37 (7) तथा अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी 37 (8) का संदर्भ लें।

टिप्पणी 3 : निवेश संपत्ति **(लाख ₹ में)**

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2017 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

(i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गयी राशि

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
किराये से आय	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-

(ii) संविदात्मक बाध्यताएँ

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्थाएँ

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ और 1 गुण्टा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु. 1 प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 में भी यही रही।

(iv) उचित मूल्य

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
निवेशित संपत्तियाँ	1459.26	1459.26

उल्लेखनीय निर्णय

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और यह भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में ही है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस विभाग के अनुसार इस भूमि का उचित मूल्य रु. 0.06 लाख प्रति वर्ग गज है।

(v) नुकसान का जायज़ा लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

टिप्पणी 4 : अमूर्त आस्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2017 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
विकास व्यय	4,036.18	426.72	(1,138.80)	**3,324.10**	2,303.11	714.24	-	**3,017.35**	**306.75**
कंप्यूटर साफ्टवेयर #	1,086.22	474.70	195.00	**1,755.92**	501.76	474.49	116.68	**1,092.93**	**662.99**
अनुज्ञप्ति शुल्क	13,696.18	519.28	-	**14,215.46**	-	364.24	-	**364.24**	**13,851.22**
कुल	**18,818.58**	**1,420.70**	**(943.80)**	**19,295.48**	**2,804.87**	**1,552.97**	**116.68**	**4,474.52**	**14,820.96**

समायोजन में पुनर्वर्गीकरण सम्मिलित रु. 194.41 लाख (संचित मूल्यह्रास रु. 116.09 लाख)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	**3,324.10**	3,017.34	128.78	-	**3,146.12**	**177.98**
कंप्यूटर फटवेयर #	1,755.92	348.27	-	**2,104.19**	1,092.93	470.67	-	**1,563.60**	**540.59**
अनुज्ञप्ति शुल्क	14,215.46	1,492.00	-	**15,707.46**	364.24	1,612.71	-	**1,976.95**	**13,730.51**
कुल	**19,295.48**	**1,840.27**	**-**	**21,135.75**	**4,474.51**	**2,212.16**	**-**	**6,686.67**	**14,449.08**

टिप्पणी 5 : विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	-
कुल	**-**	**-**

उल्लेखनीय निर्णय

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि सॉफ्टवेयर की कार्यावधि / प्रयोगावधि 3 साल हो सकती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।"

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
6	**गैर-चालू निवेश**		
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश (अनकोटेड)	371.74	368.94
	(i) ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (31 मार्च, 2018 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)		
		371.74	**368.94**
	- नुकसान का जायज़ा लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।		
	- टिप्पणी 37 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
	उल्लेखनीय निर्णय : ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेशी की निवल मालियत पर आधारित है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कपंनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है।		
7	**गैर-चालू ऋण**		
	सुरक्षित, शोध्य माल	249.22	249.58
	असुरक्षित, शोध्य माल	49.98	44.67
		299.20	**294.25**
	- टिप्पणी 37 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
8	**अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	- आस्थगित ऋण	4,620.24	5,030.98
		4,620.24	**5,030.98**
	- टिप्पणी 37 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय।		
	उल्लेखनीय निर्णय : **आस्थगित ऋण :** आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आयुध निर्माणी से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रूपयों में दि. 1.4.1992 से आरंभ कर समान किश्तों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसार पूर्णत: मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड (एस पी पी आई) के अनुरूप नहीं हैं। अत: प्राप्तियों को लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान कर आस्थगित ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थगित ऋण के अंतर को आस्थगित खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।		
9	**अन्य गैर-चालू अस्तियाँ**		
	पूँजीगत अग्रिम	660.30	794.95
	आस्थगित व्यय *	2,363.29	2,502.30
		3,023.59	**3,297.25**
	* आस्थगित ऋण पर टिप्पणी सं. 8 में उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	
10	सामग्री-सूची *				
	कच्चा माल तथा घटक	90,892.88		131489.68	
	घटाव : प्रावधान	(4,002.67)		(4,532.64)	
	मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	55.65		2404.65	
			86,945.86		**1,29,361.68**
	निर्माणाधीन कार्य #	38,104.61		61497.48	
	घटाव : प्रावधान	(521.72)		(462.42)	
			37,582.89		**61,035.06**
	तैयार माल	40,606.29		626.02	
	घटाव : प्रावधान	(94.98)		(190.38)	
	मार्गस्थ तैयार माल	-		-	
			40,511.31		**435.65**
	भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	896.59		1059.90	
	घटाव : प्रावधान	(173.32)		(135.25)	
	मार्गस्थ भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	-		-	
			723.27		**924.65**
	शिथिल औजार	1,070.16		1055.24	
	घटाव : प्रावधान	(403.06)		(254.68)	
	मार्गस्थ शिथिल औज़ार	-		0.89	
			667.10		**801.45**
	निर्माण सामग्री		-		-
	भण्डार तथा उपस्कर - कल्याण	306.35		294.07	
	घटाव : परिशोधन	(305.87)		(293.56)	
			0.48		**0.51**
	विविध भंडार		**22.29**		**27.64**
			1,66,453.20		**1,92,586.64**
	# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री-सूची मिलाकर।		9.20		9.20
	* उप ठेकेदारों / अन्यों को जारी की गई सामग्री सहित।		8,413.15		13,497.30
	- रु. 8413.15 लाख (31 मार्च, 2018 को रु.13497.30 लाख) में से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 7427.69 लाख (31 मार्च, 2018 को रु. 11,325.55 लाख) की सामग्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है। उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 525.13 लाख मूल्य की सामग्री के भौतिक रूप से किये गये सत्यापन के दौरान पाये गये अंतर को प्राप्य दावे के अंतर्गत दर्शाया गया और सामग्री-सूची में से इसे कम कर दिया गया।				
	- सामग्री-सूची की मूल्य-गणना कंपनी की लेखानीति सं. 7 के तहत की गयी है।				
	- टिप्पणी सं. 37 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।				

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
11	**चालू निवेश**		
	लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
	म्युचुअल फण्ड में निवेश (कोटेड)		
	एस बी आई प्रीमियर लिक्विड फण्ड - रेग्युलर प्लान ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : शून्य (31 मार्च, 2018 : 74818.404)	-	2,031.76
	एस बी आई अल्ट्रा शार्ट टर्म - डेब्ट फण्ड - डायरेक्ट प्लॉन ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : शून्य (31 मार्च, 2018: 455024.513)	-	10,246.46
	एस बी आई शार्ट टर्म - डेब्ट फण्ड - डायरेक्ट प्लॉन ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : शून्य (31 मार्च, 2018 : 49751986.348)	-	10,199.60
	एस बी आई प्रीमियर लिक्विड फण्ड - डायरेक्ट प्लॉन ग्रोथ : यूनिट्स की संख्या : शून्य (31मार्च, 2018 : 38617.679)	-	1,052.10
		-	**23,529.92**
	टिप्पणी संख्या 37 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	उद्धृत निवेशों के बाजार मूल्य का कुल	-	23,529.92
12	**प्राप्य ट्रेड**		
	सुरक्षित		-
	असुरक्षित, शोध्य माल		77,040.62
	संदिग्ध		-
	घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (अनुमानित जमा राशि भत्ता)	-	-
		58,720.51	**77,040.62**
	संदर्भ टिप्पणी 37(16) : उचित मूल्य के उपाय; 37 (13) पंजीकृत प्रभार।		
	संदर्भ टिप्पणी 37 (22) (एफ) : प्राप्य ट्रेड का आवागमन		
13	**नक़द एवं नक़द तुल्य**		
	बैंक में शेष		
	- चालू खातों में	193.69	370.28
	- जमा खातों में (3 महीनों से कम)	1,500.00	2,620.24
	हाथ नक़दी *	3.38	8.42
	मार्गस्थ प्रेषण व्यय	-	-
		1,697.07	**2,998.94**
	नक़द प्रवाह विवरणिका अनुसार नक़द एवं नक़द तुल्य	**1,697.07**	**2,998.94**
	रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नक़द तथा नक़द तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं हैं।		
	* हाथ नक़दी में अग्रदायी धारकों के पास की नक़दी भी शामिल है।		
	टिप्पणी संख्या 37 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	टिप्पणी 37 (2) का संदर्भ लें : वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं की ऑफसेटिंग - बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।		
14	**अन्य बैंकों में शेष**		
	सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा		32,680.00
	(परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)		
		35,434.60	**32,680.00**
	- कंपनी ने रु. 1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने रु. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये थे।		
	- कंपनी ने रु. 9250.00 लाख के सुरक्षित ऋण के लिए रु. 10400.00 लाख के स्थायी जमा संबंधी रसीदें रखीं।		
	टिप्पणी 37 (1) का संदर्भ लें : वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं की ऑफसेटिंग - मियादी / सावधि जमा के तहत समायोजित ऋण।		
	- 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
	नक़द एवं बैंक शेष का समाधान :		
	नक़द एवं नक़द तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	1,697.07	2,998.94
	बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	35,434.60	32,680.00
	बैंक में शेष एवं कुल नक़द	**37,131.67**	**35,678.94**
15	**चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, शोध्य माल	99.88	113.08
	असुरक्षित, शोध्य माल	144.77	110.60
	कुल चालू ऋण	**244.65**	**223.68**
	टिप्पणी सं. 37 (16) भी देखें : उचित मूल्य के उपाय		
16	**अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	दावे / वापसी की प्राप्ति	5,238.62	6,854.09
	घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (निम्नलिखित टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें।)	(21.47)	(21.47)
	आस्थगित ऋण *	423.54	358.85
	बिल रहित राजस्व #	1,25,732.15	1,43,772.84
	जमा पर उपचित ब्याज	903.75	633.74
	उपचित ब्याज - अन्य	18.31	18.03
	बिक्री के लिए रखी गयी आस्तियॉ (निम्नलिखित टिप्पणी 'बी' का संदर्भ लें।)	-	-
	कुल अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ	**1,32,294.90**	**1,51,616.08**
	टिप्पणी सं. 37 (16) देखें : उचित मूल्य के उपाय		
	# टिप्पणी 37 (22) (सी) देखें : ठेका आस्तियाँ और ठेका देयताओं की आवाजाही		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी-ए		
	(i) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज़ सहित रु. 17.14 लाख रुपय की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम रु. 48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे / आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर 'स्टे' प्राप्त हुई है और आज तक यह मामला विचाराधीन है।		
	(ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज़ सहित 4.33 लॉख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीद के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और यह फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है।		
	टिप्पणी-बी		
	वर्ष 2018-19 के दौरान काम से बाहर कर दी गयी और बिक्री के लिए लगायी गयी आस्तियों का सकल ब्लॉक रु. 107.56 लाख और संचित मूल्यह्रास 107.56 लाख है।		

(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
17	**अन्य चालू अस्तियाँ**		
	पूँजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
	विक्रेताओं के लिए अग्रिम		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	425.03	17,828.33
	- असुरखित, शोध्य माल	22,523.90	24,535.31
	- असुरक्षित, शोध्य संदिग्ध	2.34	3.19
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(2.34)	(3.19)
	पूर्वदत्त व्यय	144.37	169.53
	जमा	2,599.83	1,421.62
	अग्रिम सेवा कर तथा जी एस टी	4,556.23	6,997.73
	आस्थगित व्यय *	139.02	139.02
	भुगतान न किये गये लाभांश के लिए बैंक में उद्दिष्ट शेष	1,178.73	
	कुल चालू आस्तियाँ	**31,567.11**	**51,091.54**
	टिप्पणी सं. 37 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

18 ईक्विटी शेयर पूँजी

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, खरीदी गई और प्रदत्त		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	18,328.12	18,328.12
	18,328.12	**18,328.12**

टिप्पणियाँ

ईक्विटी शेयर का सम मूल्य रु. 10/- है (वर्ष 2016-17 और उससे पहले यह रु. 1,000/- था।) यह धारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है तथा शेयर पर खर्च रुपय और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हक़दार बनाता है।

(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2017 का शेष	**1,221,875**	**12,218.75**
वर्ष के दौरान शेयरों का वर्गीकरण	122,187,500	12,218.75
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	(30,546,875)	(3,054.69)
वर्ष के दौरान जारी बोनस	91,640,625	9,164.06
31 मार्च, 2018 का शेष	**183,281,250**	**18,328.12**
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2019 का शेष	**183,281,250**	**18,328.12**

(बी) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति		31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	
	रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या	रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या
पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर				
भारत सरकार	160,829,297	87.75%	160,829,297	87.75%

सी) चालू वर्ष तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए वापस-खरीद का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
वापस खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)	-	30,546,875	-	172,500	-	-
वापस खरीदे गये शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	-	10.00	-	1,000.00	-	-
वापस खरीदे गये कुल शेयरों का अंकित मूल्य	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-
वापस खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	-	41,998.90	-	18,160.80	-	-
वापस खरीदे गये शेयरों से संबंधित प्रदत्त प्रतिफल	-	45,053.59	-	19,885.80	-	-
शेयर पूँजी कटौती	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-
प्रयुक्त शेयर प्रीमियम	-	-	-	-	-	-
प्रयुक्त सामान्य प्रारक्षण	-	45,053.59	-	19,885.80	-	-
पूँजी शोधन प्रारक्षण में राशि का अंतरण	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-

रु. 1,000/- प्रति अंकित मूल्य के शेयर को रु. 10/- के अंकित मूल्य में बाँटा गया जिससे ईक्विटी शेयर दि. 8 मई, 2017 से 100 गुना बढ़ गये।

- कंपनी अधिनियम की धारा 68; 69 और 70 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरों की वापस खरीद प्रक्रिया आरंभ कर पूरी कर ली।

डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
जारी बोनस शेयरों की संख्या (संख्या)	-	91640625	244375	-	-	-
जारी बोनस शेयरों का मूल्य (रु. लाख में)	-	9164.06	2443.75	-	-	-

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
19	**अन्य ईक्विटी**		
	सामान्य प्रारक्षण	1,83,135.54	1,60,135.54
	पूँजी शोधन प्रारक्षण	-	-
	प्रतिधारित अर्जन	25,390.94	17,174.33
	वर्ष के अंत में शेष	**2,08,526.48**	**1,77,309.87**
	ए. सामान्य प्रारक्षण		
	वर्ष के आरंभ में शेष	1,60,135.54	1,88,298.51
	पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	(3,054.69)
	वापस खरीदे गये बट्टे खाते में डाला गया	-	(41,998.90)
	मूल्यह्रास समायोजन	-	-
	लाभ-हानि खाते की विवरणिका से अंतरण	23,000.00	23,000.00
	जारी किये गये बोनस शेयर	-	(6,109.38)
	वर्ष के अंत में शेष	**1,83,135.54**	**1,60,135.54**
	सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरिम करने के लिए किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अत: सामान्य प्रारक्षण में शामिल मदों को क्रमश: लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
	बी. प्रारक्षित पूँजी शोधन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
	सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	-	3,054.69
	जारी किये गये बोनस शेयरों की प्रयुक्ति	-	(3,054.69)
	वर्ष के अंत में शेष	-	-
	वापस खरीद के संदर्भ में शेयर पूँजी के नाममात्र मूल्यों में कमी को पूँजीगत पुन:प्राप्ति प्रारक्षण में रिकॉर्ड किया जाता है।		
	सी. प्रतिधारित अर्जन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	17,174.33	18,980.33
	भारतीय लेखा-मानक 115 अपनाने पर समायोजन *	17,736.54	
	वर्ष में हुआ लाभ	42,258.72	52,815.16
	अंतिम लाभांश और उस पर कर	(16,107.64)	(18,922.23)
	शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-	(9,689.99)
	अंतरिम लाभांश	(9,622.27)	(2,500.00)
	अंतरिम लाभांश पर कर	(1,977.89)	(508.94)
	सामान्य प्रारक्षण में अंतरण	(23,000.00)	(23,000.00)
	अन्य विस्तृत आय (कर का निवल)	(1,070.85)	-
	वर्ष के अंत में शेष	**25,390.94**	**17,174.33**
	*टिप्पणी सं. 37 (21) देखें : भारतीय लेखा-मानक 115 लागू करना		
20	**अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ**		
	अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ	1,833.09	1,878.42
	आस्थगित जमा	2,918.37	3,295.46
	अंतर्निहित व्युत्पन्न देयता (आस्थगित देयता)	**4,751.46**	**5,173.88**
	टिप्पणी 37 (16) भी देखें : उचित मूल्य उपाय		
	उल्लेखनीय निर्णय :		
	1) आस्थगित ऋण : आस्थगित ऋण राशियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष (01.04.1992 से आरंभ) के आस्थगित ऋण के मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाता है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अत: इसे उचित मूल्य पर लिया जाएगा। उचित मूल्य 8% की दर से अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इस 8% को पूँजी की लागत के रूप में मानती है।		
	2) अंतर्निहित व्युत्पन्न : एस डी आर दर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को 'अंतर्निहित व्युत्पन्न' के रूप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजित रुपय मूल्य माना जाता है।		
21	**गैर-चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ	-	-
	प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
	उपदान	-	-
		-	-
22	**अन्य गैर-चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम-$		
	रक्षा मंत्रालय	10,395.74	21,181.70
	अन्य	949.20	1,050.00
	आस्थगित आय *	2,430.41	2,573.37
	आस्थगित राजस्व #	9,548.51	11,021.11
		23,323.86	**35,826.18**
	* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
	# टिप्पणी सं. 37 (20) : सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुदान का संदर्भ लें।		
	$ टिप्पणी सं. 37 (22) (सी) : ठेका आस्तियाँ एवं देयताओं की आवाजाही का संदर्भ लें।		
	साथ ही, लेखा नीति सं. 3 (ए) (vi) और 4.4 का भी संदर्भ लें।		
23	**उधार**		
	(ए) माँग पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले ऋण		
	(i) बैंकों से		
	- सुरक्षित बैंक ओवरड्राफ्ट	181.55	-
	- असुरक्षित	-	-
		181.55	**-**
	- कंपनी को रु. 1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसके लिए कंपनी ने रु. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये हैं।		
	टिप्पणी 37 (2) का संदर्भ लें : वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं की ऑफसेटिंग - बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।		

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
24	**देय ट्रेड**		
	देय ट्रेड - चालू		
	माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को देय राशि	2,756.32	3,725.68
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ ऋणदाताओं को शेष	49,189.40	97,424.88
		51,945.72	**1,01,150.56**
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।		
	(i) लेखांकन वर्ष के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
	- मूल धन	2,521.35	3,524.81
	- ब्याज	234.97	200.87
	(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गई राशि के साथ दिया गया ब्याज़		
	(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	22.03	25.94
	(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	234.97	200.87
	(v) ऊपर की तिथि पर दिये गये ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
	- माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखापरीक्षकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		
25	**अन्य चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता *	357.73	369.04
	जमा	1,245.53	1,405.73
	व्यय के लिए ऋणदाता	3,394.60	5,085.67
	देय कर्मचारी लाभ	5,135.84	9,681.17
	अन्य	675.72	2,496.90
	पूँजीगत कार्य	1,535.03	4,977.38
		12,344.45	**24,015.89**
	टिप्पणी सं. 37 (16) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
26	**अन्य चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम :#		
	- रक्षा मंत्रालय	1,33,905.99	1,40,816.49
	- अन्य	52,088.83	52,812.16
	आस्थगित आय *	142.97	142.97
	आस्थगित राजस्व	2,289.79	1,989.46
	सांविधित प्रेषण	3,139.63	35,651.39
		1,91,567.21	**2,31,412.47**
	टिप्पणी सं. 37 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		
	# टिप्पणी सं. 37(22)(C) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियाँ एवं देयताओं की आवाजाही		
	* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
27	**चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ		
	- उपदान	2531.82	5,733.97
	- उपचित छुट्टी	2797.92	153.25
	वारंटी	5716.49	4,990.22
	परिसमापन क्षतियाँ	-	27,123.41
	दुर्वह ठेका	1417.36	950.96
	सी एस आर एवं सतत् विकास	967.08	958.93
	भावी प्रभार	11397.96	13,509.46
	अन्य	11044.40	9,865.67
		35,873.03	**63,285.87**

प्रावधानों में गति

अन्य प्रावधान	कर्मचारी लाभ	वारंटी	परिसमापन क्षतियाँ	दुर्वह ठेका	सी एस आर एवं सतत् विकास	भावी प्रभार	अन्य
31 मार्च, 2018 का शेष	**5,887.22**	**4,990.22**	**27,123.41**	**950.96**	**958.93**	**13,509.46**	**9,865.67**
मान्य अतिरिक्त प्रभार	5,329.74	1,839.61		1,072.19	1,615.97	162.60	1,178.73
भुगतान से आयी कमी / भावी आर्थिक लाभ के लिए अन्य त्याग	(5,887.22)	(1,113.34)	(27,123.41)	(605.79)	(1,607.82)	(2,274.10)	
31 मार्च, 2019 का शेष	**5,329.74**	**5,716.49**	-	**1,417.36**	**967.08**	**11,397.96**	**11,044.40**

वारंटी :

वारंटी अनुमान का निर्धारण, वारंटी दावा की प्रकृति, बारंबारिता तथा इनकी औसत लागत की ऐतिहासिक सूचना तथा उत्पाद की आपूर्ति 1 या 2 वर्ष के भीतर इसमें आने वाली विफलता को ठीक करने पर आने वाले भविष्यंभावी खर्च के प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर की जाती है।

परिसमापन क्षतियाँ :

परिसमापन क्षतियों का निर्धारण, तय आपूर्ति अवधि तथा इसमें देरी की वजहों की ऐतिहासिक सूचना तथा ग्राहकों को दिये जाने वाले माल या सेवाओं में हो सकने वाली देरी पर भविष्य में संभावित खर्च को प्रबंधन के प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है और ये वित्तीय वर्ष 2017-18 तक लेखांकित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से माल या सेवाओं की इस प्रकार की प्राक्कलित समापन क्षतियाँ भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ ठेकों से प्राप्त राजस्व' के तहत लेनदेन मूल्य में समायोजित किया जाता है। अत: प्रावधानों में कोई जोड़ नहीं है। लेनदेन मूल्य में समायोजित किये जाने की वजह से भविष्य की आपूर्तियों में होने वाली देरी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। टिप्पणी सं. 37 (21) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 115 लागू करना।

दुर्वह ठेके :
दुर्वह ठेके संबंधी प्रावधान, कंपनी द्वारा बिक्री ठेके के कार्यान्वयन पर मूल्यांकित हानि को दर्शाता है। इस प्रकार की हानि ऐसे ठेकों के कार्यान्वयन के दौरान मूल्यांकन के समय कंपनी द्वारा मूल्यांकित कर दी जाती है।

सी एस आर एवं सतत् विकास :
सी एस आर एवं सतत् विकास व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आने वाले व्यय के रूप में लिया जाता है।

भावी प्रभार :
भावी प्रभार संबंधी प्रावधान, पूर्व से प्रभावी क्रय संबंधी ठेके शर्तों के अंतर्गत सुपुर्द करने के लिए स्वीकृत अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के समानांतर परिवर्द्धित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के लिए अनुमानित देयताओं को दर्शाती है।

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
28	**आयकर**		
28A	**आस्थगित कर शेष**		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	14,512.58	25,814.49
	आस्थगित कर देयताएँ	7,335.22	6,558.51
	कुल	**7,177.36**	**19,255.98**
	आस्थगित कर शेष का ब्योरा		
	आस्थगित कर आस्तियाँ		
	पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,632.41	1,542.74
	प्रावधान	12,445.66	23,840.02
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	434.51	431.73
	उप-कुल	**14,512.58**	**25,814.49**
	आस्थगित कर देयताएँ		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4,279.41	3,568.85
	अमूर्त आस्तियाँ	2,532.72	2,322.70
	निवेश का उचित मूल्य		
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	74.12	72.76
	- म्युचुअल फण्ड	-	174.39
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	448.97	419.81
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**7,335.22**	**6,558.51**
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)	**7,177.36**	**19,255.98**

आस्थगित कर शेष का समाधान
वर्ष 2017-18 के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,364.26	178.48	-	1,542.74
प्रावधान	17,351.81	6,488.21	-	23,840.02
आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	300.32	131.41	-	431.73
उप-कुल	**19,016.39**	**6,798.10**	**-**	**25,814.49**
आस्थगित कर देयताओं से संबंधित :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2,561.41	1,007.44	-	3,568.85
अमूर्त आस्तियाँ	1,785.19	537.51	-	2,322.70
निवेश का उचित मूल्य			-	-
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	55.62	17.14		72.76
- म्युचुअल फण्ड		174.39		174.39
आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	292.03	127.78	-	419.81
अन्य	177.43	(177.43)	-	-
उप-कुल	**4,871.68**	**1,686.83**	**-**	**6,558.51**
कुल	**14,144.71**	**5,111.27**	**-**	**19,255.98**

आस्थगित कर शेष का समाधान
वर्ष 2018-19 के लिए

विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,542.74	89.67	-	1,632.41
प्रावधान	23,840.02	(2,007.49)	(9,386.87)	12,445.66
आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	431.73	2.78	-	434.51
उप-कुल	**25,814.49**	**(1,915.04)**	**(9,386.87)**	**14,512.58**
आस्थगित कर देयताओं से संबंधित :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,568.85	710.56	-	4,279.41
अमूर्त आस्तियाँ	2,322.70	210.02	-	2,532.72
निवेश का उचित मूल्य		-	-	-
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	72.76	1.36		74.12
- म्युचुअल फण्ड	174.39	(174.39)		-
आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	419.81	29.16	-	448.97
अन्य	-	-	-	-
उप-कुल	**6,558.51**	**776.71**	**-**	**7,335.22**
कुल	**19,255.98**	**(2,691.75)**	**(9,386.87)**	**7,177.36**

*टिप्पणी सं. 37 (21) देखें : भारतीय लेखा-मानक 115 लागू करना

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
28बी	**चालू कर आस्तियाँ तथा देयताएँ**		
	चालू कर आस्तियाँ	4,538.01	-
	कुल चालू कर आस्तियाँ	**4,538.01**	-
	चालू कर देयताएँ	-	3,334.41
	कुल चालू कर देयताएँ	**-**	**3,334.41**

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
28सी	**कर व्यय**		
	i) लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	22,228.18	29,130.44
	पिछले वर्ष से संबंधित	(42.19)	548.08
	कुल	**22,185.99**	**29,678.52**
	आस्थगित कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	2,691.75	(5,111.27)
	कुल	**2,691.75**	**(5,111.27)**
	ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	575.20	-
	कुल	**575.20**	**-**

वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकित लाभ का समाधान निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी परिचालनों से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**67,136.46**	**77,382.41**
कर देय आय की गणना में (देय कर) राशियों पर नहीं की जाने वाले व्यय की कटौती		
34.944% पर आयकर व्यय की गणना की गई है। (वित्तीय वर्ष 2017-18 : 34.608%)	23,460.17	26,780.50
वर्ष के दौरान किये गये दान	0.87	0.09
सी एस आर गतिविधियों से संबंधित राशि	564.68	522.42
एम एस एम ई को बकाया ब्याज	12.89	11.84
पूँजीकृत विदेशी मुद्रा	-	-
अन्य	(1,484.92)	2,425.04
धारा 234A, 234B, 234C के तहत देय ब्याज	-	86.56
देय कर आय की गणना में कर व्यय राशि जिस पर भारांश कटौती उपलब्ध है।		
अनुसंधान एवं विकास व्ययपर भारित कटौती	(933.87)	(696.00)
मूल्यह्रास	-	-
धारा 32(AC) के तहत निवेश भत्ता	-	-
प्रावकाश (वी एल) नक़दीकरण	-	-
भूमि सूचीकरण पर आस्थगित कर का प्रभाव	-	-
आस्थगित कर का प्रभाव	2,691.75	(5,111.27)
पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन	-	-
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष लेखा वर्ष 2014-15 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	0.72	1.02
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष लेखा वर्ष 2015-16 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(3.41)	(1.09)
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष लेखा वर्ष 2016-17 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(39.50)	
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर का वर्ष लेखा वर्ष 2017-18 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	548.15
आने वाले वर्ष के चालू कर का चालू वर्ष में संबंधित समायोजन पहचाना गया	-	-
आने वाले वर्षों (कर दरों में परिवर्तन) का आस्थगित कर से संबंधित चालू वर्ष में समायोजन पहचाना गया।	33.16	-
लाभ / हानि का आयकर संबंधी सामग्री का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया	575.20	-
लाभ या हानि में पहचाना गया आयकर व्यय	**24,877.74**	**24,567.25**
अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	575.20	-
अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	**575.20**	**-**

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
29	**परिचालनों से प्राप्त राजस्व**		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	2,66,467.48	3,09,548.27
	पुर्जे	14,670.94	84,442.62
	उत्पाद शुल्क	-	1,134.10
	विविध	1,445.50	349.31
	सेवाओं की बिक्री		
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	716.11	6,636.87
	प्रशिक्षण	19.58	402.91
	जॉब वर्क	4,880.40	6,644.50
	विविध	9,838.39	22,645.17
	अन्य परिचालन राजस्व		
	विनिर्माण ठेके	-	8,712.96
	स्क्रैप की बिक्री	34.24	1.26
	ग्राहक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	1,311.05	734.05
	अन्य दावे	22,449.16	17,507.73
	ग्राहकों द्वारा की गई परिसमापन क्षतियाँ	(14,897.88)	-
	कुल	**3,06,934.97**	**4,58,759.75**
	- टिप्पणी 37(5) का संदर्भ लें : विनिर्माण ठेके		

पुर्जों की बिक्री में रु. 5329.10 लाख (पिछले वर्ष 75221.63 लाख) शामिल है जिनका लेखांकन ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक स्वीकृति और मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और इसका संशोधन ग्राहक के विचाराधीन है। कंपनी को इस राशि की प्राप्ति का भरोसा है।
टिप्पणी सं. 37 (21) का संदर्भ लें : भारतीय लेखामानक 15 लागू करना और साथ ही टिप्पणी सं. 37 (22) का भी संदर्भ लें : भारतीय लेखामानक 15 के अंतर्गत प्रकटीकरण।
उल्लेखनीय निर्णय :
राजस्व:
- कंपनी द्वारा कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता पद्धति के आधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है जहाँ समानांतर रूप से ग्राहक भी सेवाओं से लाभान्वित होता है।
- कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है।
- कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की स्थिति में अनुमानित नष्ट की पहचान तुरंत की जाती है।

30	**अन्य आय**		
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय		
	बैंक निक्षेप	3,621.53	8,173.83
	संबंधित पार्टियों से ब्याज आय	-	-
	अन्य	1,070.53	1,007.92
		4,692.06	**9,181.75**
	अन्य गैर-परिचालित आय		
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया	1,241.76	120.06
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसे प्रावधानों को बट्टे खाते में डाला गया	2,490.61	-
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	4,049.83	7,321.94
	विविध आय (निवल)	495.57	433.34
		8,277.77	**7,875.34**
	अन्य लब्धि एवं क्षतियाँ		
	निवल विदेशी मुद्रा लब्धि / (हानि)	(271.36)	(554.75)
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि (हानि)	148.92	727.55
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	4.86	-
	लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	746.35	26.02
		628.77	**198.82**
	कुल	**13,598.60**	**17,255.91**
31	**खपत सामग्री की लागत**		
	खपत सामग्री की लागत	1,75,696.15	2,73,816.22
	प्रत्यक्ष व्यय	6,200.80	16,942.99
		1,81,896.95	**2,90,759.21**
32	**तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन**		
	अथ स्टॉक		
	तैयार माल	626.02	624.88
	निर्माणाधीन कार्य	61,497.48	56,128.62
		62,123.50	**56,753.50**
	इति स्टॉक		
	तैयार माल	40,606.29	626.02
	निर्माणाधीन कार्य	38,104.61	61,497.48
		78,710.90	**62,123.50**
	निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि	**(16,587.40)**	**(5,370.00)**
33	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	बोनस सहित वेतन तथा मजदूरी	44,907.32	38,325.96
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	6,215.23	12,880.19
	स्टॉफ कल्याण व्यय	2,298.33	1,727.83
	कुल	**53,420.88**	**52,933.98**
	टिप्पणी 37 (4) का संदर्भ लें : रोज़गार लाभ दायित्व, 37 (9) पार्टी से संबंधित लेन-देन		
34	**वित्त लागत**		
	ब्याज व्यय	284.05	188.90
	अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
	कुल	**423.07**	**327.92**
35	**मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	6,038.05	4,794.78
	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	2,212.16	1,552.97
	कुल	**8,250.21**	**6,347.75**

(लाख ₹ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
36	**अन्य व्यय**		
	शॉप आपूर्तियाँ	441.30	448.03
	माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क	-	1,088.83
	बिजली तथा ईंधन	2,028.71	2,092.51
	पानी का प्रभार	575.42	640.73
	यात्राएँ #	1,398.13	1,345.41
	मरम्मत :		
	भवन	1,413.39	1,481.53
	संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	990.73	633.47
	फर्नीचर तथा उपस्कर	99.62	82.53
	वाहन	11.55	10.16
	अन्य	57.36	80.79
	वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल	79.13	125.62
	शिथिल औजार तथा उपस्कर	149.13	132.15
	बीमा	590.46	467.37
	दरें तथा कर	541.41	735.00
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलिफोन	143.34	184.25
	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	149.75	88.43
	प्रचार-प्रसार	367.08	653.28
	विज्ञापन	186.55	150.98
	बैंक प्रभार	92.19	92.13
	विधि व्यय	6.35	30.48
	दान	5.00	5.50
	अन्य प्रभारित	-	1,138.60
	बट्टा खाता - अन्य	-	-
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें।)	13.35	10.90
	सुरक्षा व्यवस्थाएँ	3,894.68	3,528.93
	परिसमापन क्षतियाँ - व्यय	-	18,019.56
	परिसमापन क्षतियों के लिए प्रावधान *	-	20,366.29
	घटाव : पूर्व में बट्टे खाते में लिखित परिसमापन क्षतियों के लिए प्रावधान	-	(17,243.33)
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा विकास	0.05	0.08
	मनोरंजन	0.84	0.68
	सौजन्यात्मक	151.52	112.48
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	11.90	11.82
	स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	1.20	0.40
	सी एस आर तथा सतत् विकास व्यय	1,615.97	1,509.54
	प्रतिस्थापन एवं अन्य प्रभार, वारंटी एवं बैच अस्वीकृतियाँ	726.28	400.37
	निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	15.36	2,464.64
	भविष्य प्रभार के लिए प्रावधान	-	2,666.30
	दुर्वह ठेके के लिए प्रावधान	466.40	911.95
	अन्य प्रावधान	-	710.11
	विविध परिचालनीय व्यय	9,769.25	8,659.19
	घटाव : पूँजीकरण व्यय	-	-
	अमूर्त आस्तियाँ (डी आर ई)	-	(203.30)
	टूल्स एवं जिग्स	-	-
	अन्य	-	-
	कुल	**25,993.40**	**53,634.39**
	# निदेशकों का यात्रा व्यय शामिल।	74.43	78.78
	* टिप्पणी सं. 37(7) और 37(21) का संदर्भ लें।		
	टिप्पणिय :		
	i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :		
	विवरण		
	सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए	10.00	10.00
	कर लेखापरीक्षा के लिए	0.70	0.59
	अन्य सेवाओं के लिए	2.65	0.31
	लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	**13.35**	**10.90**
	i) उपर्युक्त रु. 10.90 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षकों को कंपनी धारित शेयरों के बिक्री प्रस्ताव संबंधी रु. 5.75 लाख की राशि दी गई।		
	ii) टिप्पणी सं. 37(6) का संदर्भ लें : अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय		
	iii) टिप्पणी सं. 37(9) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लेन-देन		
	iv) टिप्पणी सं. 37(21) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 115 लागू करना।		

टिप्पणी 37 : सामान्य टिप्पणियाँ

अनुपालन की विवरणिका

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (कंपनी नियमाली (भारतीय लेखा मानक) 2015 के नियम 3 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में अधिसूचित अनुसार) एवं अधिनियम के अन्य संब्द्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

37(1) वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं को बराबर करना- मियादी जमा के प्रति ऋण का समायोजन

निम्न सारणी 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च 2018 तक के मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखितों को बराबर करने की स्थिति को दर्शाती है। "निवल लाभ" वाला कॉलम, बराबार किए जाने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने पर कंपनी के तुलन पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

(लाख ₹ में)

विवरण	तुलन पत्र पर बराबर किए जाने का प्रभाव		
	सकल राशि	तुलन पत्र में बराबर की गई सकल राशि	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल राशि
31 मार्च, 2019 तक			
सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	44,700.00	(9,265.40)	35,434.60
रु. 10,400.00 लाख के मियादी जमा के प्रति ऋण	(9,265.40)	9,265.40	-
31 मार्च, 2018 तक			
सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	32,680.00	-	32,680.00
मियादी जमा के प्रति ऋण	-	-	-

37(2) वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं को बराबर करना - बैंक ओवरड्राफ्ट के प्रति बैंक फ्लेक्सी एवं चालू खाते का समायोजन

निम्न सारणी 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च 2018 तक के मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखितों को बराबर करने की स्थिति को दर्शाती है। "निवल लाभ" वाला कॉलम, बराबार किए जाने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने पर कंपनी के तुलन पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

विवरण	तुलन पत्र पर बराबर किए जाने का प्रभाव		
	सकल राशि	तुलन पत्र में बराबर की गई सकल राशि	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल राशि
31 मार्च, 2019 तक			
बैंक ओवरड्राफ्ट	(1,170.55)	989.00	(181.55)
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	989.00	(989.00)	-
31 मार्च, 2019 तक			
बैंक ओवरड्राफ्ट	(6.67)	6.67	-
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	2,626.91	(6.67)	2,620.24

37(3) प्रति शेयर अर्जन

(i) निरंतर परिचालनों के लिए :

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद लाभ	42,258.72	52,815.16
मूल :		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	1832,81,250	1832,81,250
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1832,81,250	1981,78,082
प्रति शेयर अर्जन (आई एन आर)	23.06	26.65
विलयित :		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्विटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1832,81,250	1981,78,082
प्रति शेयर अर्जन (आई एन आर)	23.06	26.65
टिप्पणी : ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है। विगत वर्ष के ई पी एस का समायोजन वर्ष के दौरान जारी बोनस के प्रति किया गया।		

(ii) परिचालनों के जारी न रखने के लिए :

परिचालनों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है

(iii) परिचालनों को जारी रखने एवं जारी न रखने के लिए :

तालिका (i) का संदर्भ लें।

37 (4) रोजगार लाभ दायित्व

(i) रोजगार उपरांत दायित्व : उपदान

कंपनी द्वारा भारत के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान उपलब्ध कराया जाता है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह्ह होंगे। सेवानिवृत्ति / पदच्युत कर्मचारी को देय उपदान की गणना, उसकी प्रति माह के मूल वेतन के 15 दिन के समानुपातिक आधार पर उसके कुल सेवा वर्षों को गुणित कर की जाती है। यह उपदान योजना एक निधिक योजना है और कंपनी द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त निधियों में अंशदान दिया जाता है। कंपनी के पास पूर्णतः निधिधारित देयता का प्रावधान नहीं है और अपेक्षित उपदान भुगतान के अनुमान के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किये जाने योग्य निधि लक्ष्य का अनुरक्षण किया जाता है।

उपदान

बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	18,553.90	12,509.75
चालू सेवा लागत	640.80	5,662.78
ब्याज व्यय या लागत	1,414.62	1,000.78
पुनर्मापन		
(लब्धि)/हानि से जनांकिक अनुमान में परिवर्तन	135.80	
(लब्धि)/हानि से वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	268.63	
अनुभव (लब्धि)/हानि	1,241.62	
कर्मचारी अंशदान		-
लाभ भुगतान	(1,742.24)	(619.41)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	**20,513.13**	**18,553.90**

योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,819.93	11,184.15
ब्याज आय	1,169.66	929.59
कर्मचारी अंशदान	5,733.97	1,325.60
लाभ भुगतान	(1,742.24)	(619.41)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**17,981.32**	**12,819.93**

अवधि के दौरान पहचाने गए कुल व्यय

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
लाभ एवं हानि विवरणिका में	885.76	5,733.97
अन्य व्यापक आय में	1,646.05	-
कुल	**2,531.81**	**5,733.97**

ऊपर प्रकटित कुल देयता निधिक तथा गैर-निधिक योजना संबंधी है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20,513.13	18,553.90
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17,981.32	12,819.93
निधि योजनाओं का घाटा	**2,531.81**	**5,733.97**

उल्लेखनीय वार्तविक अनुमान निम्न प्रकार रहे :

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट दर	7.75%	8.00%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	2.63%	1.90%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्व	20,513.13	18,553.90
छूट दर (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	19,476.53	17,330.24
अपवृद्धि : -1%	21,657.14	19,940.16
वेतन वृद्धि दर :(मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,182.08	19,093.30
अपवृद्धि : -1%	19,807.01	18,018.19
संघर्षण दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	20,687.20	17,330.24
अपवृद्धि : -1%	20,325.10	19,940.16

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी प्राक्कलनों को स्थिर रखते हुए प्राक्कलन में परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक तौर पर, यह संभव नहीं होता है और कुछ प्राक्कलनों में परिवर्तन सहसंबंधित हैं। प्रमुख वास्तविक प्राक्कलनों के लिए निर्धारित लाभ बाध्यतों की संवेदनशीलता की गणना करते समय (निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग समय की समाप्ति पर दर्शायी गयी इकाई ऋण पद्धति के साथ की जाती है) भी वही पद्धति अपनायी जाती है जो तुलन-पत्र में ली गई निर्धारित लाभ देयताओं की गणना के समय अपनायी जाती हो। संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रकार से पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवरतन नहीं होता।

योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं : (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
केंद्र सरकार सुरक्षा	4,418.59	3,384.46
राज्य सरकार सुरक्षा	7,636.42	4,719.02
एनसीडी/बॉण्ड्स	4,002.34	3,204.97
ईक्विटी	1,157.88	989.70
मियादी जमा	60.83	280.76
सीबीएलओ	515.02	83.33
ऋण	2.54	3.85
अन्य अनुमोदित सुरक्षा	187.68	153.84
	17,981.32	**12,819.93**

परिभाषित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

"कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलसी खरीदी है। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा में आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निधि का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछले मूल्य निर्धारण तिथि पर निर्धारित अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के लिए संभावित नक़द - प्राप्ति निम्न प्रकार है (लाख ₹ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	2-3 वर्षों के मध्य	4-5 वर्षों के मध्य	कुल
31 मार्च, 2019				
परिभाषित लाभ दायित्व-उपदान	2,248.43	4,833.17	5,618.10	12,699.70

जोख़िम का सामना

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने कई जोख़िमों का सामना किया है। इनमें से प्रमुख जोख़िम का विवरण इस प्रकार है :

ब्याज़ दर जोख़िम : गणित निर्धारित लाभ बाध्यताओं में सरकारी बांड के आधार पर रियायती दर का उपयोग किया जाता है। यदि बांड-लब्धियों में क्षति होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

वेतन में वृद्धि का जोख़िम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोख़िम : यह जोख़िम घाटे (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से है जिनमें मृत्यु दर, आहरण, अपंगता तथा सेवानिवृत्तियाँ शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदंड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व देना होता है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम सेवा-समय वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारिय़ों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

(ii) भविष्य–निधि

कंपनी के भविष्य-निधि न्यास को भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज दर से अधिक ब्याज घोषित करना होता है। यदि न्यास द्वारा ब्याज की देयता में कोई कमी रहती है तो कंपनी को वह कमी पूरी करनी होगी। यह एक निर्धारित लाभ योजना है और कंपनी ने यह प्रोद्भूतता मूल्य प्राप्त किया है और वर्ष के लिए कोई अतिरिक्त देयताओं की आवश्यकता नहीं है।

(लाख ₹ में)

वास्तविक धारणाएँ	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
	वित्त पोषित	रियायती दर
रियायती दर	7.50%	8.60%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
भविष्य-निधि पर ब्याज दर गारंटी	8.65%	8.55%
बी डी एल भविष्य निधि न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर	8.67%	8.60%

(iii) परिभाषित आस्थगित अंशदान योजनाएँ :

राज्य बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान : कर्मचारियों के लिए 4.75 दर से राज्य बीमा योजना में अंशदान दिया जाता है। कंपनी परिचालन प्रांत से संबंधित कर्मचारी राजय बीमा निगम (ई एस आई) में अंशदान दिये जाते हैं। यह निगम भारत सरकार के प्रशासनाधीन है और इसकी बाध्यताएँ अंशदान दी गई राशियों तक सीमित हैं। इससे आगे किसी प्रकार के संविदागत या अन्य निर्माणात्मक बाध्यताएँ नहीं होंगी।

(iv) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति :

अवकाश संबंधी बाध्यताओं में कंपनी के अर्जित अवकाश संबंधी देयताएँ शामिल हैं।

कंपनी, क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना का अनुरक्षण करती है। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित आस्तियाओं से निवल बाध्यताओं को पहचानती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कंपनी कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	12348.28	9362.85
घटाव : योजना आस्तियाँ	9550.37	9209.60
निवल दायित्व	2797.91	153.25
उल्लेखनीय अनुमान		
छूट दर	7.75% P.A.	8.00% P.A.
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(v) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ए) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान	284.74	277.95
बी) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान –पी एस एम बी – III	410.27	384.94
सी) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा (आर ई एम आई) योजना के लिए किये गये अंशदान	-	-

37(5) विनिर्माण ठेके :

निर्माण ठेकों की राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है।

ठेका राजस्व की पहचान पद्धति

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है।

ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित ठेका लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आई लागत के आधार पर किया जाता है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के दौरान ठेके राजस्व की पहचान	-	8,712.96
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	41,158.14	40,875.34
पहचाना गया लाभ	4,454.38	4,737.17
बकाया प्रतिधारण धन की राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	3,335.21	-

37(6) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित है जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पादन विकास शामिल है :

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
राजस्व व्यय में सम्मिलित रहने के कारण	4991.36	3351.12
पूँजीगत व्यय में सम्मिलित रहने के कारण (पूँजीकृत आस्तियाँ)	353.58	671.05

37(7) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धता : **(लाख ₹ में)**

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित बकाया पत्र		
(i) साख पत्र	360.08	4,456.52
(ii) प्रत्याभूतियाँ एवं प्रति-प्रत्याभूतियाँ	5,564.24	6,250.51
कुल	**5,924.32**	**10,707.03**
दावें / माँग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	20,829.42	20,995.51
(iii) सेवा कर	1,177.75	2,355.51
(iv) अन्य	178.06	347.39
कुल	**22,185.23**	**23,698.41**
ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :		
(ए) निवेश पूँजी पर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि और उपलब्ध नहीं कराई गई हो		
(i) संपत्ति, संयंत्र, एवं उपस्कर	1,375.42	8,262.69
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	-	-
(बी) 31.03.2019 तक देय सुपुर्दगी की परिसमापन क्षतियों के लिए ठेके प्रतिबद्धताओं का लेखांकन संबद्ध राजस्व निर्धारण के बाद किया जाएगा।	22,694.98	-
कुल	**24,070.40**	**8,262.69**

37(8) अल्पावधि में बंद की गयी परियोजनाएँ :

कंपनी ने ग्राहकों से समय पूर्व समाप्त पाँच संविदाओं / माँग पत्र तथा एक एल ओ आई के लिए प्राप्त रु. 36,450.36 लाख (31 मार्च, 2018 तक रु. 38456.42 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ताओं के खाते में से विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 1) के लिए 114.05 लाख (31 मार्च 2018 तक रु. 114.05 लाख), चालू आस्तियाँ (टि- 10-17) के लिए रु. 12694.40 लाख (31 मार्च 2018 तक 11271.64 लाख) जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान विक्रताओं को दिया गया 1422.76 लाख अग्रिम शामिल है तथा सामग्री खाते में रु. 7880.32 लाख (31 मार्च, 2018 तक रु. 7903.45 लाख) जो कुल मिलाकर रु. 20688.77 लाख है। (31 मार्च 2018 तक रु. 19289.14 लाख)। इन आस्तियों की प्राप्ति / किया गया खर्च कंपनी ने पुख़्ता आदेशों / एल ओ आई के आधार पर किया तथा ग्राहक द्वारा दी गई ऐसी निधि में से कंपनी को दीर्घावधि शेष अग्रिम और रुके पड़े विशेष औज़ार तथा सामग्री से किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है। अतः किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी। आगे, इन समय पूर्व समाप्त माँग-पत्र /संविदाओं /एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर रु. 6072.67 लाख (31 मार्च 2018 तक रु. 3590.00 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया। चूँकि सरकार / ग्राहक से इस राशि का निश्चित होना शेष है, कंपनी की लेखा-बही में किसी प्रकार का लाभ लेखांकित नहीं किया गया है।

37(9) संबंधित पार्टी लेन-देन

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के नाम	
श्री कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (01.03.2019 से)	श्री के दिवाकर, नि.(तकनीकी) (31.08.2018 तक)
श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी (28.02.2019 तक)	श्री एन पी दिवाकर, नि.(तकनीकी) (01.09.2018 से)
श्री एस पिरमनायगम, नि.(वित्त)	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, नि.(उ)
श्रीमती सुषमा वी दबक, स्वतंत्र निदेशक	प्रो. अजय पांडे, स्वतंत्र निदेशक
श्री के एस संपत, स्वतंत्र निदेशक (13.09.2017 से)	श्री अजय नाथ, स्वतंत्र निदशक (13.09.2017 से)
श्रीमती लता नरसिंहा मूर्ति, स्वतंत्र निदेशक (13.09.2017 से)	श्री एन नागराज, कंपनी सचिव

(लाख ₹ में)

आधारभूत प्रबंधन कार्मिक की प्रतिपूर्ति	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	264.51	230.03
रोजगार उपरांत लाभ	40.34	41.54
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आसीन शुल्क	11.90	11.82
कुल मुआवजा	**316.75**	**283.39**

37(10) पूँजीगत प्रबंधन

ए) जोख़िम प्रबंधन

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयर्धारकों से जुड़ी है तथा रु. 181.55 लाख की ओवरड्राफ्ट राशि को छोड़कर कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है।

बी) लाभांश **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
(i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु. 5.25 प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर है। (31 मार्च, 2018 के को 1.36)	9,622.27	2,500
(ii) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अप्रेक्षणीय लाभांश : निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रु. 1.67 के लाभांश की सिफारिश की है (31 मार्च, 2018 : 7.29) प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है.	3,060.80	13,361.20

रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :

निदेशक-गण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

37(11) शेष की सुनिश्चितता :

देनदार, लेनदार प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथा प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान/ समायोजन किये जाते हैं।

37(12) बिक्रियों की अवधारणा :

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनके जोख़िम पर रखा गया माल) रु. 1,52,530 लाख है। (2017-18 रु. 2,75,981.41 लाख)

37(13) पंजीकृत प्रभार :

कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक के साथ बही ऋण पर रु. 41,010 लाख के फ्लोटिंग प्रभार का पंजीकरण किया है। (31 मार्च, 2018 तक 41010 लाख)

37(14) परिचालन चक्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार, यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

37(15) आकस्मिक आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आकस्मिक आस्तियाँ	-	-

37(16) उचित मूल्य माप **(लाख ₹ में)**

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च 2019 तक की स्थिति			31 मार्च 2018 तक की स्थिति		
			लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
ए. वित्तीय आस्तियाँ								
ए) परिशोधित लागत पर माप								
i) नक़द एवं नक़द तुल्य	3	13	1,697.07	1,697.07	-	2,998.94	2,998.94	
ii) अन्य बैंकों में शेष	3	14	35,434.60	35,434.60	-	32,680.00	32,680.00	
iii) ऋण	3	7, 15	543.85	543.85	-	517.93	517.93	
iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	8, 16	1,31,871.36	1,31,871.36	-	1,75,441.48	1,75,441.48	
iv) प्राप्य ट्रेड	3	12	58,720.51	58,720.51	-	52,856.37	52,856.37	
कुल योग			**2,28,267.39**	**2,28,267.39**	**-**	**2,64,494.72**	**2,64,494.72**	-
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित								
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिए किया गया निवेश	3	6	53.60	-	371.74	53.60		368.94
ii) आस्थगित प्राप्य	3	8, 16	3423.48	-	5,043.78	3,613.67		5,389.83
iii) म्यूच्युअल फंड में निवेश	1	11	-		-	23,026.02		23,529.92
उप-कुल			**3,477.08**	**-**	**5,415.52**	**26,693.29**	**-**	**29,288.69**
कुल वित्तीय आस्तियाँ			**2,31,744.47**	**2,28,267.39**	**5,415.52**	**2,91,188.01**	**2,64,494.72**	**29,288.69**
बी. वित्तीय देयताएँ								
ए) परिशोधित लागत पर मापन								
i) देय ट्रेड	3	24	51,945.72	51,945.72	-	1,01,150.56	1,01,150.56	
ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	20, 25	13,819.81	13,819.81	-	25,525.27	25,525.27	
उप-कुल			**65,765.53**	**65,765.53**	**-**	**1,26,675.83**	**1,26,675.83**	-
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित								
i) एंबेडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	20,25	-	-	3,276.10	-		3,664.50
उप-कुल			**-**	**-**	**3,276.10**	**-**	**-**	**3,664.50**
कुल वित्तीय देयताएँ			**65,765.53**	**65,765.53**	**3,276.10**	**1,26,675.83**	**1,26,675.83**	**3,664.50**

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नांकित तालिका आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रस्तुत करती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वित्तीय आस्तियाँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिए किया गया निवेश	3	371.74	368.94
ii) आस्थगित प्राप्य	3	5,043.78	5,389.83
iii) म्यूच्युअल फंड में निवेश	1	-	23,529.92
वित्तीय देयताएँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) एंबेडेड डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	3,276.10	3,664.50

उचित मूल्य का पदानुक्रम

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधर पर निभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है :

स्तर 1 : समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शाए जाते हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखित के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाले और वस्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम से कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक उपकरण की पहचान की जाती है जो स्तर-2 में शामिल है।

स्तर 3 : आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं हो तो उसे स्तर 3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाज़ार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक :

वित्तीय लिखत के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त निर्धारित मूल्य निर्धारण तकनीक में शामिल हैं :

• कोट नहीं किये गये ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण कंपनी की निवल मालियत के आधार पर किया जाता है।

• 45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किये जाते हैं।

प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट (स्तर 3) का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर – 3 के मदों में परिवर्तन को दर्शाती है। **(लाख ₹ में)**

विवरण	ईक्विटी शेयरों की प्रयुक्ति	आस्थगित प्राप्य	एंबेडेड डेरिवेटीव देयता
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	368.94	5,389.83	3,664.50
लाभ-हानि में पहचानी गई लब्धि / हानि	2.80	(346.05)	(388.40)
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	371.74	5,043.78	3,276.10

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर 3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है :

विवरण	उचित मूल्य की स्थिति		उल्लेखनीय अप्रेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018		
कोट न किये गए ईक्विटी शेयर	371.74	368.94	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य के 1% की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु. 3.72 लाख की वृद्धि होगी। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर और प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु. 3.72 लाख की अपवृद्धि होगी।
आस्थगित प्राप्य	5,043.78	5,389.83	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 68.74 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में 68.74 लाख की अपवृद्धि होगी।
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता	3,276.10	3,664.50	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	"एस डी आर दर में एक रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 70.69 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में 70.69 लाख की अपवृद्धि होगी।

37(17) वित्तीय जोख़िम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोख़िम, परिसमापन जोख़िम और ऋण जोख़िम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोख़िम का विश्लेषण इस प्रकार है :

ए) जमा जोख़िम

ऋण जोख़िम, नक़द एवं नक़द-तुल्य, प्रतिशोधन लागत पर लिखत का तथा बैंक में जमा व बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों को मिलने वाले ऋण पर किया जाता है।

(i) जमा जोख़िम प्रबंधन

ए) नक़द एवं नक़द-तुल्य पर ऋण जोख़िम सीमित होता है क्योंकि सामान्यतः कंपनी अपना निवेश बैंकों में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी. दावे/पुनः प्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर ऋण जोख़िम का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है :

(i) 31 मार्च 2019 को समाप्त :

ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य प्ररूप लागू होता है : **(लाख ₹ में)**

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी।	दावे/वापसी प्राप्य	5238.62	0.41%	(21.47)	5,217.15
- 12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	543.85	-	-	543.85

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	172737.97	11714.69	184452.66
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	172737.97	11714.69	184452.66

(ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष :

ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित जमा हानि जहाँ सामान्य रूप अपनाया गया।

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे/वापसी प्राप्य	6854.09	0.31%	(21.47)	6,832.62
- 12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	517.93	-	-	517.93

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	207473.41	13340.05	220813.46
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	207473.41	13340.05	220813.46

(iii) हानि भत्ते का समाधान : **(लाख ₹ में)**

विवरण	ट्रेड प्राप्य एवं बिल नहीं किया गया राजस्व	दावे / प्राप्य वापसियाँ
31 मार्च, 2018 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)
जोड़ / कमी	-	-
31 मार्च, 2019 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)

(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वितीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोख़िम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाज़ार की स्थिति और साथ ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

बी) क्षति संबंधी जोख़िम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोख़िम प्रबंधन का तात्पर्य है बकाये की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नक़द निधियों का होना. कंपनी खज़ाने द्वारा बैंको में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नक़द-प्राप्ति के आधार पर नक़द-तुल्य पर नज़र रखी जाती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है :

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1318.45	1500.00

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2018 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.11	466.73	1,034.99	1878.42
निक्षेप	1405.73	-	-	-	1405.73
व्यय के लिए ऋणदाता	5085.67	-	-	-	5085.67
कर्मचारी लाभ देय	9681.17	-	-	-	9681.17
अन्य	2496.90				
पूँजी कार्य	4977.38				
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	369.04	173.45	520.35	2601.65	3664.49

31 मार्च, 2019 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.11	466.73	989.66	1833.10
निक्षेप	1245.53	-	-	-	1245.53
व्यय के लिए ऋणदाता	3394.60	-	-	-	3394.60
कर्मचारी लाभ देय	5135.84	-	-	-	5135.84
अन्य	675.72				
पूँजी कार्य	1535.03				
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	2269.86	3276.15

सी) विपणन जोख़िम

(i) विदेशी मुद्रा जोख़िम

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र से परिचालित करती है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखतः यू एस डी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ तथा एस ई के के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोख़िम होती है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी विनिमय जोख़िम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (आई एन आर) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोख़िम का माप (गणना), उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नकद-प्राप्ति की भविष्य दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। बिक्री ठेके के अनुसार, कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय दर परिवर्तन के लिए अर्ह्य है। अतः कंपनी विदेशी मुद्रा जोख़िम की दृष्टि से सुरक्षित है।

विवरण	31 मार्च 2019				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	165.33	3.77	0.02	0	9.37

विवरण	31 मार्च 2018				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	83.16	15.09	0.03	0	107.59

(ii) संवेदनशीलता

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रेषण विनिमय ठेकाओं से होती है।

(लाख ₹ में)

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
संवेदनशीलता		
आई एन आर / यूएसडी – 1% की बढ़ोत्तरी	115.80	54.27
आई एन आर / यूएसडी – 1% की कमी	(115.80)	(54.27)
आई एन आर / यूरो – 1% की बढ़ोत्तरी	2.96	12.26
आई एन आर / यूरो – 1% की कमी	(2.96)	(12.26)
आई एन आर / जीबीपी – 1% की बढ़ोत्तरी	0.01	0.03
आई एन आर / जीबीपी – 1% की कमी	(0.01)	(0.03)
आई एन आर / सीएचएफ – 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / सीएचएफ – 1% की कमी	-	-
आई एन आर / एसईके – 1% की बढ़ोत्तरी	0.71	8.51
आई एन आर / एसईके - 1% की कमी	(0.71)	(8.51)

37 (18) खण्ड सूचना :

चूँकि कंपनी रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में है, अत: निगम मामले मंत्रालय के दि. 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत भारतीय लेखामानक (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

37 (19) विदेशी मुद्रा का प्रभाव :

विदेशी मुद्रा प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के अवलोकन में 31 मार्च, 2019 तक (31 मार्च, 2018 के ऑकड़े कोष्ठकों में दर्शाये गये) प्रमुख मुद्रावार प्रभाव निम्नवत है :

(लाख ₹ में)

मुद्रा	देय		प्राप्य		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि
यू एस डी	165.33	11579.62	-	-	0.79	55.10
	(83.16)	(5,426.75)	-	-	(63.08)	(4,150.77)
यूरो	3.77	296.39	-	-	3.57	280.63
	(15.09)	(1,226.44)	-	-	(3.76)	(305.75)
जी बी पी	0.02	1.46	-	-	-	-
	(0.03)	(2.57)	-	-	-	-
सी एच एफ	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
एस ई के	9.37	70.55	-	-	-	-
	(107.59)	(851.04)	-	-	-	-
कुल (₹)		**11948.04**	-	-	-	**335.73**
		(7,506.80)	-	-	-	**(4,456.52)**

37(20) जवाहरलाल नेहरू सोलार मिशन योजना (जे एन एन एस एम) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में भानूर इकाई में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। जे एन एन एस एम योजना के अनुसार कंपनी सोलार प्लांट के कमिशनिंग के लिए वायेबिलिटी गैप फण्ड (वी जी एफ के लिए अर्ह्ता है। संविदा के अनुसार परियोजना लागत के अधार पर वी जी एफ लेखांकित किया गया। योजना में बतायी गयी शर्तों के अनुसार इसका पालन आस्थगित राजस्व के अंतर्गत अनुरक्षित किया जा रहा है। वी जी एफ राशि रु. 995.89 लाख आस्थगित राजस्व के अंतर्गत लेखांकित किया गया। प्रत्येक वर्ष आस्थगित राजस्व की 4% राशि को राजस्व के रूप में पहचाना जाता है। वर्ष के दौरान रु. 39.84 लाख राजस्व के रूप में पहचानी गयी।

37(21) भारतीय लेखा मानक 115 का कार्यान्वयन

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

- कंपनी ने दि. 1 अप्रैल, 2018 से संचित प्रभावी पद्धति का उपयोग करते हुए भारतीय लेखामानक 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्ते राजस्व '' को अपनाया है। यह मानक पूर्वव्यापी रूप से मात्र ऐसे अनुबंधों पर लागू किया जाता है जो आवेदन के आरंभ की तिथि तक पूरे नहीं किये जाते हैं। अत: तुलनात्माक सूचना पुन: बतायी नहीं जाती है।

- दि. 1.04.2018 तक रु. 27123.41 लाख की परिसमापन क्षतियों का प्रावधान है और उक्त समायोजन पर तत्सं बंधी आस्थगित कर का प्रभाव रु. 9386.87 लाख है जो प्रतिधारित अर्जन में समायोजित किया गया है।

ए भारतीय लेखामानक 115 अपनाने का प्रभाव

(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2019 तक तुलन-पत्र (सार)	टिप्पणी सं.	भारतीय लेखा मानक अपनाये बिना 31मार्च, 2019	वृद्धि / (अपवृद्धि)	रिपोर्ट किये अनुसार 31 मार्च, 2019
गैर-चालू आस्तियाँ				
आस्थगित कर आस्थियाँ	28ए	15,107.89	(7,930.53)	7,177.36
कुल गैर-चालू आस्तियाँ		**15,107.89**	**(7,930.53)**	**7,177.36**
चालू देयताएँ				
प्रावधान	27	58,568.01	(22,694.98)	35,873.03
कुल चालू देयताएँ		**58,568.01**	**(22,694.98)**	**35,873.03**
निवल आस्तियाँ		**(43,460.12)**	**14,764.45**	**(28,695.67)**
ईक्विटी				
अन्य ईक्विटी	19	1,93,762.03	14,764.45	2,08,526.48
कुल ईक्विटी		**1,93,762.03**	**14,764.45**	**2,08,526.48**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा	टिप्पणी सं.	भारतीय लेखा मानक अपनाये बिना 31मार्च, 2019	वृद्धि / (अपवृद्धि)	रिपोर्ट किये अनुसार 31 मार्च, 2019
परिचालन से प्राप्त राजस्व	39	3,21,832.85	(14,897.88)	3,06,934.97
कुल आय		**3,21,832.85**	**(14,897.88)**	**3,06,934.97**
व्यय				
अन्य व्यय	36	36,462.85	(10,469.45)	25,993.40
कुल व्यय		**36,462.85**	**(10,469.45)**	**25,993.40**
कर पूर्व लाभ		**71,564.89**	**(4,428.43)**	**67,136.46**
आस्थगित कर	28सी	**4,148.09**	**(1,456.34)**	**2,691.75**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**45,230.81**	**(2,972.09)**	**42,258.72**

बी निष्पादित नहीं किये गये क्रय के मामले में परिसमापन क्षतियों के संबंध में लेखा-पद्धति के परिवर्तन के चलते वर्ष 2018-19 के दौरान कर पूर्व लाभ में रु. 4428.43 लाख और कराधान बाद लाभ में रु. 2972.09 लाख का अंतर पाया गया।

37(22) भारतीय लेखामानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण

ए निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि

i. अधिकतर अनुबंधों के संबंध में निष्पादन बाध्यता एक निश्चित समय पर संतुष्ट की जाती है जो प्राथमिकत: ग्राहक द्वारा आस्ति पर नियंत्रण पाने के समय निर्धारित की जाती है। जटिल प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन और कमिशनिंग से संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में निष्पादन बाध्यता 'कालांतर में' पहचानी जाती है।

ii. 'बिल अण्ड होल्ड' व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन बाध्यता, ग्राहक द्वारा माल को स्वीकार कर अनुबंध के लिए माल के बेशर्त पर विनियोजन पर संतुष्ट की जाती है।

iii. सामान्यत: कंपनी के अनुबंधों में वित्तीय घटक और कोई प्राप्त अग्रिम और / या ग्राहक द्वारा दी गई कोई राशि शामिल नहीं होती ताकि अनुबंध की दोनों पार्टियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

iv. परिवर्तनीय प्रतिफल में प्राथमिकत: विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर उपबंध और परिसमापन क्षतियों के तहत प्राप्य / प्रतिपूर्त की जाने वाली राशि शामिल होती है। इस संबंध में पहचान की गई राजस्व राशि को अनुबंध में विनिर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस राशि की पहचान अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व में की जाती है।

v. कंपनी के टर्नओवर में प्रमुखत: मिसाइल एवं संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

vi. प्रदत्त वारंटी में प्रमुखत: निष्पादन संबंधी वारंटी आती हैं।

vii. सामान्यत: कंपनी द्वारा ऐसे अनुबंधों के मामले में राजस्व की पहचान में 'इनपुट पद्धति' का उपयोग किया जाता है जिनकी निष्पादन बाध्यताएँ कालक्रम में संतुष्ट होती है। मान्यता प्राप्त करने राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए पूर्णता विधि का प्रतिशत अपनाया जाता है जहाँ राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए अनुबंधित मूल्य पर कुल अनुमानित लागत के प्रतिशत को लागू किया जाता है। कंपनी के अनुबंध (ए एम सी के अतिरिक्तब) को समय की अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आम तौर पर विभिन्न प्रकृति की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे भवन-निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापन। इसके चलते भौतिक रूप से कार्य की मात्रा (अर्थात् आउटपुट) को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि इनपुट पद्धति में इन विविध गतिविधियों के संबंध में होने वाली लागत का हिसाब किया जा सकता है और पूर्णता विश्वसनीय के प्रतिशत तक पहुँचने के लिए होने वाली कुल अनुमानित लागत के साथ तुलना की जा सकती है। ए एम सी अनुबंधों के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति अपनायी जाती है जहाँ निष्पांदन बाध्यताओं की संतुष्टि के लिए कालांतर मानदण्ड होता है।

viii. निश्चित समय पर निष्पादन बाध्यता संतुष्ट होने के संदर्भ में, ग्राहक ने 'आस्ति पर नियंत्रण' प्राप्त किया कि नहीं – इसका निर्धारण करने निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है :

- अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
- ग्राहक के पास आस्ति संबंधी वैधिक टाइटल हो
- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण कर दिया है
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार किया है
- कंपनी के पास आस्ति के लिए भुगतान करने का अधिकार है।

ix. लेनदेन दर का निर्धारण ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर किया जाता है। बहु-बाध्यताओं के संबंध में लेनदेन दर का आबंटन संबंधित एकमेव बिक्री मूल्य पर निर्भर होता है जो हाल ही में बेची गयी इसी प्रकृति के सामान से संबंधित अनुबंध के आधार पर है।

बी ग्राहकों के साथ अनुबंध के तहत मान्य राजस्व का ब्रेक-अप (लाख ₹ में)

विवरण	भारत सरकार	चैनल भागीदार (निर्यातों के लिए)	अन्य	कुल
उत्पादों की बिक्री	2,69,390.14	6,646.97	6,546.80	2,82,583.91
सेवाओं की बिक्री	15,352.60		101.89	15,454.49
कुल	**2,84,742.74**	**6,646.97**	**6,648.69**	**2,98,038.40**

सी अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देयताओं की आवाजाही

विवरण	अनुबंध आस्तियाँ	अनुबंध देयताएँ
अथ शेष (ए)	**1,43,772.84**	**2,11,470.15**
जोड़		
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री के तहत	64,006.04	
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		2,35,997.80
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मानी गयी लेनदेन दर में परिवर्तन		
अन्य (यदि कोई हो तो)	32,949.51	772.79
कुल - (बी)	**96,955.55**	**2,36,770.59**
कटौतियाँ		
वर्ष के दौरान अथ शेष में से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता		52,369.90
वर्ष के दौरान चालू वर्ष के शेष में से मान्यता प्राप्तव राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता		1,96,910.40
अनुबंध आस्तियों का ट्रेड प्राप्य में बदलाव	86,073.38	
अनुबंध आस्तियों की हानि यदि कोई तो*		
अनुबंध देयताओं का पुरांकन यदि कोई हो तो		
ग्राहकों द्वारा वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	2611.57	
वर्ष के दौरान/पिछले वर्ष मान्य लेनदेन दर में परिवर्तन		
अन्य (यदि कोई हो तो)	26,311.29	2,914.05
कुल - (बी)	**1,14,996.24**	**2,52,194.35**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**1,25,732.15**	**1,96,046.39**

* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है और क्रमानुगत रूप से निष्पादन बाध्यता की समाप्ति पर इसका समायोजन किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के उपरांत प्राप्य शेष राशि को ट्रेड प्राप्य में वर्गीकृत किया जाता है।

अनुबंध में पूर्ण कर दी गयी निष्पादन बाध्यता के संबंध में इसी अनुबंध की अन्य निष्पादित बाध्यता के भुगतान के साथ जोड़े रखने के चलते ग्राहक द्वारा रोक रखी गयी राशि को अनुबंध आस्ति में वर्गीकृत किया जाता है।

डी शेष निष्पादन बाध्यताओं का मूल्य

ग्राहकों के साथ अनुबंध से मान्यता प्राप्त न किया गया राजस्व जो अंशत: संतुष्ट या असंतुष्ट (₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष में	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निष्पादित नहीं किये गये आदेशों का मूल्य	7,25,795.45	3,72,980.31	1,85,520.21	67,359.81	99,935.12

ई अनुबंध मूल्य सहित लाभ-हानि लेखा में मान्य राजस्व का समाधान

विवरण	राशि	राशि
लाभ-हानि लेखा के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	2,82,583.91	
सेवाओं की बिक्री	15,454.49	
कुल (ए)		**2,98,038.40**
अनुबंध मूल्य में जोड़ / घटाव का समायोजन		
एफ ई परिवर्तन का दावा	(3,389.67)	
प्राप्त प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस	-	
आफर किया गया भुनाना, रिबेट	-	
आफर की गई दर में कटौती	-	
अन्य यदि कोई हो तो	22,330.95	
कुल समायोजन (बी)		**18,941.28**
अनुबंध मूल्य (ए+बी)		**3,16,979.68**

एफ ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	**70,859.68**	**6,180.94**	**77,040.62**
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	2,82,391.74	4,882.72	2,87,274.46
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	86,073.38	-	86,073.38
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	467.51	467.51
अन्य (यदि कोई हो तो)	21,617.38	-	21,617.38
कुल - (बी)	**3,90,082.50**	**5,350.23**	**3,95,432.73**
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	1,41,857.33	7,020.96	1,48,878.29
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	2,48,600.87	679.43	2,49,280.30
देनदार की हानि (प्रावधान)*	-	-	-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	15,555.83	38.42	15,594.25
कुल - (सी)	**4,06,014.03**	**7,738.81**	**4,13,752.84**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**54,928.15**	**3,792.36**	**58,720.51**

* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

जी भुगतान संबंधी ग्राहकों की शर्तें जिसमें अग्रिम और चरणवार भुगतान शामिल हैं और जो एक परियोजन से दूसरी परियोजना के लिए अलग-अलग होते हैं।

37 (23) "लेखा मानक जारी किये गये लेकिन अभी तक प्रभाव में नहीं है :

भारत सरकार, निगम मामले मंत्रालय ने जी एस आर ..... (ई) दि. 28.3./018 के तहत भारतीय लेखा मानक 116 को निर्धारित करते हुए और भारतीय लेखा मानक 117 का आहरण करते हुए घोषणा जारी की है। साथ ही, कुछ अन्य भारतीय लेखा मानकों में परिणामी परिवर्तनों को दि; 1 अप्रैल, 2019 से शामिल किया जा रहा है। भारतीय लेखा मानक 116 का प्रभाव और अन्य लेखा मानकों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। "

37 (24) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। ऋणात्मक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियआँ इन वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - एस आर मोहन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002111S

एस संदीप रेड्डी
भागीदार
(सदस्यता सं. 242470)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन : 07117827

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 30 मई, 2019

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

निगम पहचान संख्या (सी आई एन) : L2429TG1970GOI00353

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.

पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-50058.

दूरभाष : 040-23456145, **फैक्स :** 040-23456110

ई-मेल : investors@bdl-india.com वेबसाइट : www.bdl-india.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम सभा **शुक्रवार, दि. 27 सितंबर, 2019 को 15.00 बजे होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032 में** निम्नलिखित संव्यवहार के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य संव्यवहार

1) दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित इन पर विचार करना और अपनाना।

2) अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि कर दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री एस पिरमनायगम (डी आई एन : 07117827) के स्थान पर एक निदेशक को नियुक्त करना और अर्हता के नाते स्वयं की पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखना।

विशेष संव्यवहार

4) कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (डी आई एन : 08367035) को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प :

''**संकल्प लिया जाता है कि** रक्षा मंत्रालय द्वारा (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) जारी दि. 25 फरवरी, 2019 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (24)/02/2018-डी के क्रम में और कंपनी नियमावली (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ) , 2014 तथा अन्य लागू नियम यदि हो (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) तो उनके साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 149, 152, 160, 196 और यदि कोई और लागू कोई प्रावधान हो तो, और निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

5) **श्री एन पी दिवाकर (डी आई एन : 08207722) को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

''**संकल्प लिया जाता है कि** रक्षा मंत्रालय द्वारा (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) जारी दि. 30 जुलाई, 2018 की भारत सरकार की पत्र सं. एच-62011/1/2016-डी के क्रम में और कंपनी नियमावली (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ), 2014 तथा अन्य लागू नियम यदि हो (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) तो उनके साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 149, 152, 160, 196 और यदि कोई और लागू कोई प्रावधान हो तो, और निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री एन पी दिवाकर को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

6) **श्री पी राधाकृष्ण (डी आई एन : 08437975) को कंपनी के निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

''**संकल्प लिया जाता है कि** रक्षा मंत्रालय द्वारा (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) जारी दि. 27 मई, 2019 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (11)/02/2018-डी के क्रम में और कंपनी नियमावली (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ), 2014 तथा अन्य लागू नियम यदि हो (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) तो उनके साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 149, 152, 160, 196 और यदि कोई और लागू कोई प्रावधान हो तो, और निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री पी राधाकृष्ण को कंपनी के निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

7) **श्रीमती सुषमा वी दबक (डी आई एन : 07085413) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

''**संकल्प लिया जाता है कि** रक्षा मंत्रालय द्वारा (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) जारी दि. 28.11.2018 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (24)/04/2018-डी (बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्रीमती सुषमा वी दबक को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

8) **प्रो. अजय पाण्डेय (डी आई एन : 01292877) को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

''**संकल्प लिया जाता है कि** रक्षा मंत्रालय द्वारा (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) जारी दि. 28.11.2018 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (24)/04/2018-डी (बीडीएल) के क्रम में और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) और अन्य कोई लागू प्रावधान के साथ पठनीय धारा 149, 150, 152 के तहत सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्रो. अजय पाण्डेय को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात् स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

9) **लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

''**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) और इसके तहत बने नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक मेसर्स नरसिंह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को रु. 1,50,000/- (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग) पारिश्रमिक लागू कर सहित भुगतान के लिए कंपनी की सहमति ली जाती है।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा

कंपनी सचिव

हैदराबाद

10 अगस्त, 2019

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार सूचना में तय विशेष संव्यवहार संबंधी विवरण संलग्न है।

2. **वार्षिक आम सभा (बैठक) में भाग लेने और मतदान देने के लिए अर्ह्ह सदस्य अपनी जगह मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया विधिवत् रूप से पूरा कर, मुहर लगाकर, हस्ताक्षरित कर तत्संबंधी दस्तावेज बैठक आरंभ होने के 48 घंटे पहले कंपनी के निगम कार्यालय में जमा कर दिये जाने चाहिए। लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी आदि की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधि उचित संकल्प / प्राधिकरण इनमें जो भी लागू हो, साथ होना अनिवार्य है।**

3. **अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, एक व्यक्ति ऐसे पचास से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जिनके पास कंपनी की कुल शेयर पूँजी का कुल 10 प्रतिशत से अधिक का हिस्सान रखता हो और मतदान का अधिकारी हो। कंपनी की कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक स्वामित्व रखते हुए मतदान अधिकार रखने वाले सदस्य प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं तो ऐसे प्रतिनिधि किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।**

4. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के तहत अनिवार्य स्टॉक एक्सचेंजों के साथ नियुक्ति / पुन: नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस सूचना का अंग है।

5. अधिनियम की धारा 101 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 की शर्तों के अनुसार वार्षिक विवरण सहित वार्षिक आम सभा की सूचना व अन्य दस्तावेज, डीमैट अकाउंट पर ई-मेल पता देने वाले सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-मेल के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। यद्यपि, सभी सदस्य नोट करें कि अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें सभी संबंधित कागजात सहित कंपनी के वार्षिक विवरण की एक हार्ड कॉपी नि:शुल्क दी जाएगी। दस्तावेज भौतिक रूप से प्राप्त करने के लिए इच्छुक सदस्य विधिवत रूप से डीमैट अकाउंट देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को यथाशीघ्र सूचित करें। साथ ही, डीमैट अकाउंट का विवरण देते हुए अनुरोध rta@alankit.com ई-मेल पर भेजें।

6. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका **शनिवार दि. 21 सितंबर, 2019 से शुक्रवार दि. 27 सितंबर, 2019** (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

7. निदेशक मंडल ने रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु. 1.67 के लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में इसकी घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्तियों को यह देय होगा :

- जिनके नाम गुरुवार दि. 19 सितंबर, 2019 के कार्यालयीन समय की समाप्ति तक नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (सी डी एस एल) द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली शेयरधारक लाभार्थियों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक के रूप में दर्ज हों।
- **गुरुवार दि. 19 सितंबर, 2019** तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के पास वैध रूप से शेयरों के हस्तांतरण किये जाने पर सदस्यों के रूप में नाम दर्ज होने पर।

8. कंपनी जहाँ भी संभव हो, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से और अन्य मामलों में लाभांश वारेंट / बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद शेयर के संबंध में, लाभांश का भुगतान **दि. 19 सितंबर, 2019** के संव्यवहार समय की समाप्ति तक इस उद्देश्य के लिए डिपाजिटरी (एन एस डी एल एवं सी डी एस एल) द्वारा दिये गये लाभार्थी मालिकयत की सूची के आधार पर किया जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी, लाभांश का भुगतान, सदस्यों द्वारा अपने संबंधित डिपाजिटरी अकाउंट के प्रति दिये गये बैंक विवरणानुसार ही करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन करने के लिए किये जाने वाले सीधे अनुरोध पर कंपनी या इसके रजिस्ट्रार इस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन संबंधी सुझाव सदस्यों के डिपाजिटरी प्रतिभागियों को ही दिये जाते हैं। डिपाजिटरी अकाउंट खोलने के बाद जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में परिवर्तन किया हो और लाभांश, डिपाजिटरी अकाउंट खोलते समय निर्दिष्ट अकाउंट से अन्य अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे **शुक्रवार दि. 20 सितंबर, 2019** से पहले अपने डिपाजिटरी प्रतिभागी के द्वारा अपने बैंक अकाउंट विवरण में परिवर्तन / सुधार (9 डिजिट वाले बैंक कोड सहित) करवा लें।

9. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी, भुगतान न किये गये लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष तक भुगतान न की गई राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' (निधि) में जमा कर देने के लिए बाध्य है। आगे, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016, यथासंशोधित ('आई ई पी एफ नियमावली') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार लगातार सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जिन शेयर के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया हो, उन शेयरों को निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट में अंतरित किया जाता है। अत: कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश ले लें / दावा करें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि -

    I. ध्यान दें कि वार्षिक विवरण की प्रतियाँ वार्षिक आम सभा में वितरित नहीं की जाएँगी।

    II. बैठक में वार्षिक विवरण, सूचना और विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची अपने साथ लाएँ।

    III. ध्यान दें कि उपस्थिति पर्ची / प्रॉक्सी फॉर्म में हस्ताक्षर अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हो।

    IV. बैठक स्थान के प्रवेश द्वार पर विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची दे दें क्योंकि बैठक में प्रवेश काउंटर पर उपलब्ध उपस्थिति पर्ची और इसके आदान-प्रदान के आधार पर ही अंदर जाने दिया जाएगा।

    V. ध्यान दें कि बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के संदर्भ में, नामों के क्रम में जो सदस्य ऊपर हैं, वे ही मतदान के हकदार होंगे।

    VI. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के संबंध में उनके डीपी को सूचित करें और भौतिक शेयरों के संबंध में अपने संबंधित पते में कोई परिवर्तन हो तो पिनकोड सहित इसकी सूचना समय रहते हुए कंपनी / कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को दे दें।

    VII. सभी पत्राचार में उनके फोलियो / क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी संख्या उद्धृत करें।

    VIII. समान ऑर्डर में नामों वाले एकाधिक फ़ोलियो के मामले में एकाधिक फ़ोलियो समेकित होल्डिंग्स को एक फोलीओ में।

    IX. ध्यान दें कि वार्षिक आम सभा में किसी भी प्रकार के उपहार / कूपन वितरित नहीं किये जाएँगे।

11. प्रश्नों की प्रासंगिकता तथा सवाल करने वालों का क्रम अध्यक्ष महोदय निर्धारित करेंगे। इस बैठक में कारोबार के किसी भी मद पर कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर कंपनी के कंपनी सचिव को कंपनी के निगम कार्यालय के पते पर बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पहले लिखें, या investors@bdl-india.in पर ई-मेल भेजें ताकि आवश्यक जानकारी बैठक में आसानी से उपलब्ध करायी जा सके।

12. सदस्य यह भी नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित कंपनी का वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

13. **जिन सदस्यों द्वारा अभी तक अपने ई-मेल आई डी रजिस्टर्ड नहीं किये गये हों या जो सदस्य अपने ई-मेल आई डी में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे संबंधित डी पी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने वालों के लिए) या आर अण्ड टी ए / कंपनी (भौतिक रूप से रखने वालों के लिए) से संपर्क स्थापित करें ताकि कंपनी द्वारा प्रेषित किये जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, एन ई सी एस सूचनाएँ इत्यादि पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हें प्राप्त हो सकें।**

14. सदस्यों से अनुरोध है कि शेयर संबंधी सभी पत्राचार हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

एस ई बी आई पंजीकरण सं. INR000002532

पता : 205-208, अनारकली कांप्लेक्स

झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

दूरभाष : +91 11 42541234, Facsimile : +91 11 41543474

ई-मेल : **rta@alankit.com ;** वेबसाइट : www.alankit.com

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य अपने सभी शेयर के लिए अकेले या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। व्यक्तिगत नाम पर शेयर रखने वाले सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि फार्म नं. एस एच-13 भरकर अपनी इच्छा से इस नामांकन सुविधा का उपयोग करें। अनुरोध पर आर टी ए से फार्म प्राप्त किया जा सकता है। डीमेटीरियलाइज्ड फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य नामांकन पंजीकरण के लिए संबंधित डी पी को संपर्क करें।

16. कंपनी के निदेशक किसी भी रूप से एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

17. बैठक के स्थान का रूट-मैप संलग्न है।

18. अधिनियम की धारा 108 और इस पर बनी नियमावली तथा एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में सदस्यों को इस आम सभा की कार्य-सूची में शामिल मदों पर सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज (इंडिया) लि. के माध्यम से आर टी ए द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने ई-वोटिंग की सुविधा सुलभ करायी जाती है। ई-वोटिंग के अनुदेश इस प्रकार हैं :

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए अनुदेश

ए) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) प्रावधान नियम 44, नियम 2015 के अनुपालन में सदस्यों को सी डी एस एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग के माध्यम से अर्थात् सदस्यों द्वारा वार्षिक आम सभा के स्थान से इतर स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इस सूचना में शामिल मदों पर मतदान देने की सुविधा सुलभ करायी जाती है।

बी) यह वोटिंग **सोमवार दि. 23 सितंबर, 2019 को (सुबह 9 बजे)** शुरू होगी और **गुरुवार दि. 26 सितंबर 2019 (शाम 5 बजे)** बंद होगी। इस अवधि के बीच कंपनी के ऐसे सभी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनके पास **गुरुवार दि. 19 सितंबर, 2019** की अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से कंपनी के शेयर हों।

सी) सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी **गुरुवार, 19 सितंबर, 2019** तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के अंश के अनुपात में होगा।

डी) कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा करने संवीक्षक के रूप में और बैलट पेपर्स की प्रक्रिया की पारदर्शिता व सही ढंग से इसके आयोजन के लिए मेसर्स सी वी रेड्डी के अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य उक्त ए जी एम में भी भाग ले सकते हैं पर वे फिर से वोट नहीं डाल सकते।

एफ) उक्त बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें बैठक के दौरान मताधिकार का प्रयोग करने बैलट पेपर की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। सदस्य मतदान के लिए एक ही पद्धति अपना सकते हैं या तो वार्षिक आम सभा के दौरान बैलट वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। यदि सदस्य दोनों माध्यमों से अपना मतदान देते हैं तो ई-वोटिंग को ही स्वीकार किया जाएगा और बैलट के माध्यम से दिया गया वोट अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जी) वार्षिक आम सभा में वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद, संवीक्षक वार्षिक आम सभा में डाले गए वोट की गणना करेंगे और कंपनी के कर्मचारी न रहे ऐसे दो साक्ष्यों के समक्ष ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गये वोट को खोलेंगे। संवीक्षक, वार्षिक आम सभा की समाप्ति से तीन कार्य दिवस के भीतर पक्ष या विपक्ष में यदि कोई हो तो, डाले गये वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वोटिंग के परिणाम तुरंत घोषित करेंगे। अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणाम संवीक्षक रिपोर्ट सहित कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in और सी डी एस एल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर घोषित किये जाने के तुरंत बाद दर्शाए जाएँगे। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सजेंच जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, अर्थात् बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेज दिये जाएँगे।

एच) ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया:

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान देने सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं : ए) ई-मेल (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल कंपनी / रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किये गये हैं) प्राप्त करने वाले सदस्यों के संदर्भ में :

(i) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।

(ii) "शेयरधारक" टैब पर क्लिक करें।

(iii) अब आपका यूजर आई डी दर्ज करें।

- सी डी एस एल के लिए : 16 डिजिट वाला लाभार्थी आई डी।
- एन एस डी एल के लिए : 8 अक्षर वाला डी पी आई डी और बाद में 8 डिजिट वाला क्लाइंट आई डी।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करें।

(iv) आगे, प्रदर्शित अनुसार इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपके शेयर डीमैट फार्म में हैं और www.evotingindia.com पर लाग-इन होकर इससे पूर्व किसी अन्य कंपनी के लिए मतदान करने की स्थिति में मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करें।

(vi) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएँ :

पी ए एन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपके 10 अंकों वाला अल्फा-न्यूमेरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट शेयरधारक और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले दोनों के लिए लागू)
	जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फ़ील्ड में अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है। यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम है, तो कैपिटल अक्षरों में नाम के पहले दो वर्णों के बाद संख्या से पहले आवश्यकतानुरूप 0 जोड़ें। उदाहरण : यदि आपका नाम है और क्रम सं. 1 है तो RA00000001 दर्ज करें।

लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डी ओ बी)	लॉग-इन होने के लिए लाभांश बैंक विवरण या आपके डीमैट अकाउंट या कंपनी रिकॉर्ड अनुसार जन्मतिथि (तारीख/माह/वर्ष) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं करवाए गए हैं तो दर्ज किये गये लाभांश बैंक फील्ड विवरण में उपर्युक्त अनुदेश (iii) के अनुसार सदस्यता आई डी / फाइल संख्या दर्ज करें।

(vii) ये विवरण सही-सही दर्ज कर देने के बाद 'SUBMIT' टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर आएँगे। यद्यपि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेनू में आ जाएंगे, जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नये पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अन्य कंपनी के संकल्पों को वोट देने के लिए डीमैट धारकों द्वारा यह पासवर्ड भी उपयोग किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वह कंपनी सी डी एस एल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें। कड़ी सिफारिश की जाती है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, विवरण केवल इस सूचना में निहित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग किये जा सकते हैं।

(x) संबंधित कंपनी जिस पर आप वोट का चयन करना चाहते हैं अर्थात् भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए 'EVSN' पर क्लिक करें।

(xi) वोटिंग पेज पर "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और जिसके सामने मतदान के लिए 'हाँ / नहीं' दिखाई देगा। इच्छानुसार 'हाँ' या 'नहीं' का चयन करें। विकल्प 'हाँ' का तात्पर्य है कि आप संकल्प के लिए सहमत हैं और 'नहीं' का तात्पर्य है कि आप संकल्प के लिए असंतुष्ट हैं।

(xii) संकल्प के संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xiii) संकल्प का चयन कर, मतदान देने के लिए निर्णय ले लेने पर 'SUBMIT' पर क्लिक करें। अब एक 'कन्फरमेशन बॉक्स' दिखायी देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें / बदलें।

(xiv) एक बार जब आप संकल्प पर अपना वोट "CONFIRM" कर लेंगे, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) आप वोटिंग पेज पर "प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो यूजर आई डी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और 'Forgot Password पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा पूछे गये विवरण दर्ज करें।

(xvii) शेयरधारक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सी डी एस एल का मोबाइल ऐप 'एम-वोटिंग' का इस्तेमाल करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमश: ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर वोट डालते समय मोबाइल ऐप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(xviii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी :

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक (यानी व्यक्तियों के अलावा एच यू एफ, एन आर आई इत्यादि) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- मुहर और इकाई के चिह्न वाले पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनुपालन उपयोगकर्ता (कंप्लायेंस यूजर) बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते से लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजी जानी चाहिए और खातों की स्वीकृति पर वे अपना वोट डाल सकते हैं।
- बोर्ड रेज़ोल्यूशन एंड पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के नाम पर जारी किया है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक द्वारा जाँच किये जाने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xix) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई सवाल हैं तो आप 'अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफ ए क्यू) या Help Section के अंतर्गत उपलब्ध 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cslindia.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

(बी) 48वीं वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पार्सल के माध्यम से भौतिक रूप में प्राप्त करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आई डी कंपनी / डिपाजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं) के संदर्भ में : वोट डालने के लिए क्र.सं. (i) से (xvii) तक सभी चरणों का पालन करें।

कंपनी अधिनियम की धारा 102 के क्रम में व्याख्यात्मक विवरण / कथन

मद सं. 4

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.) को रक्षा मंत्रालय (भारत के राजष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 25.2.2019 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001(24)/02/2018-डी (बीडीएल) के तहत संस्था के अंतर्नियमों के नियम 101 की शर्तों के अधीन, इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् दि. 01 मार्च, 2019) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की और निदेशक मंडल ने दि. 18 मार्च, 2019 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में दि. 01 मार्च,2019 से इनकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता, पारिश्रमिक, कुल उपस्थित बैठकों की संख्या सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदुनसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 5

श्री एन पी दिवाकर को रक्षा मंत्रालय (भारत के राजष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 30 जुलाई, 2018 की भारत सरकार की पत्र सं. एच-62011/1/2016-डी (बीडीएल) के तहत संस्था के अंतर्नियमों के नियम 101 की शर्तों के अधीन, इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् दि. 01 सितंबर, 2018) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की और निदेशक मंडल ने दि. 31 अक्तूबर, 2018 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में दि. 01 सितंबर, 2018 से इनकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता, पारिश्रमिक, कुल उपस्थित बैठकों की संख्या सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदुनसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री एन पी दिवाकर अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 6

श्री पी राधाकृष्ण को रक्षा मंत्रालय (भारत के राजष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 27 मई, 2019 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/02/2018-डी (बीडीएल) के तहत संस्था के अंतर्नियमों के नियम 101 की शर्तों के अधीन, इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् दि. 01 जून, 2019) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश जो भी पहले आये, तक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की और निदेशक मंडल ने दि. 30 मई, 2019 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में दि. 01 जून, 2019 से इनकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।

योग्यताएँ, विशेषज्ञता, पारिश्रमिक, कुल उपस्थित बैठकों की संख्या सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदुनसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्री पी राधाकृष्ण अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 7 एवं 8

रक्षा मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी दि. 28.11.2018 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम0001(24)/04/2018-डी के तहत श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय को इनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति (अर्थात् दि. 01 दिसंबर 2018 से) से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक जो पहले आये, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पुन:नियुक्त किया गया। इसी क्रम में निदेशक मंडल ने दि. 14 फरवरी, 2019 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में दि. 01 दिसंबर, 2019 से इनकी पुन:नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे अधिनियम की धारा 149 (6) में उपलब्ध करायी गयी स्वतंत्र मानदंड पूरा करेंगे और स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहने के लिए अर्ह्य / योग्य हैं।

अधिनियम के प्रावधानों की धारा 150 की शर्तों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति / पुन:नियुक्ति के लिए वार्षिक आम सभा में कंपनी का अनुमोदन आवश्यक है। तदुनसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है।

श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावाली, 2014 के अनुसार कंपनी के लिए लागू उत्पादों की रिकॉर्ड की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। निदेशक मंडल ने दि. 10 अगस्त, 2019 को संपन्न अपनी 254वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन देते हुए लागू कर के साथ-साथ रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष के पारिश्रम की भी सिफारिश की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशक मंडल इस सूचना के साथ संलग्न संकल्प की मद संख्या 9 को कंपनी के सदस्यों के समक्ष साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 9 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव

हैदराबाद

10 अगस्त, 2019

सामान्य बैठकों पर विनियम और साचिविक मानक-2 के विनियम 36 (3) के अनुसार वार्षिक आम सभा में पुन:नियुक्ति / नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम	श्री एस पिरमनायगम	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	श्री एन पी दिवाकर	श्री पी राधाकृष्ण	श्रीमती सुषमा वी दबक	प्रो. अजय पाण्डेय
डी आई एन	07117827	08367035	08207722	08437975	07085413	01292877
जन्म-तिथि	दि. 5 जून, 1960	दि. 25 मार्च, 1963	दि. 13 अगस्त, 1962	दि. 30 जून, 1963	दि. 12 नवंबर, 1953	दि. 06 जून, 1963
निदेशक मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	दि. 1 जनवरी, 2015	दि. 1 मार्च, 2019	दि. 1 सितंबर, 2018	दि. 1 जून, 2019	दि. 1 दिसंबर, 2015	दि. 1 दिसंबर, 2015
योग्यताएँ	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के सहायक सदस्य।	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक, रक्षा अध्ययन में एम. एससी तथा प्रबंधन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधियाँ प्राप्त। प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी और नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोणावाला के पूर्व छात्र।	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. की उपाधि।	जे एन टी यू, हैदराबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मेनेजमेंट में एम.टेक., और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की उपाधि।	मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम ए, एल एल बी सहित वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा की उपाधि।	इन्होंने रूड़की विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से फेलो कार्यक्रम पूर्ण किया।
विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र में विशेषज्ञता	इन्हें वित्त प्रबंधन, आंतरिक लेखपरीक्षा, जोख़िम प्रबंधन, फारेक्स प्रबंधन, बजटिंग तथा लागत नियंत्रण में 30 से अधिक साल का अनुभव प्राप्त है।	ये वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रैंच में कमीशन हुए थे। सितंबर, 2016 में नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद कमोडोर मिश्र ने अनुसूची "ए" के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ई सी आई एल, हैदराबाद में महाप्रबंधक (रक्षा) के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। अपने 33 साल के विशिष्ट सेवाकाल के दौरान कमोडोर मिश्र ने विभिन्न परिचालनीय व स्टॉफ संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ ई सी आई एल में चार प्रमुख समूहों के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभायी। नौसेना मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी शामिल करने और इसके प्रबंधन कार्य के अलावा नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही, इन्होंने नौसेना की कोर समिति के सदस्य के रूप में एयर क्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने संबंधी कार्य में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।	इन्हें 'पृथ्वी', 'आकाश', 'एटीजीएम' जैसे विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों में लगभग 28 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है। साथ ही, इन्होंने 'पृथ्वी','आकाश' मिसाइल प्रणालियों को विकास स्तर से उत्पादन स्तर तक लाने के लिए डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम किया।	इन्हें घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष गहन अनुभव प्राप्त है। इन्होंने 'मल्टी वेंडर बेस' तथा 'आयात प्रतिस्थापन' विकास के ज़रिये टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की भी स्थापना की।	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आई ए अण्ड ए एस) की सदस्य रह चुकी ये दि. 30 नवंबर, 2013 को लेखापरीक्षा के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। इन्होंने प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, महालेखाकार, (लेखा-I&II) राजस्थान तथा महालेखाकार, नागपुर सहित कई पद सँभाले।	इन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गाँव में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। इससे पूर्व इन्होंने ऑयल अण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के लिए काम किया और साथ ही, अनग्राम सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड के साथ वित्त के क्षेत्र में भी काम किया। ये संप्रति भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं।
नियुक्ति या पुन:नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	रक्षा मंत्रालय की दि. 01 जुलाई, 2015 की पत्र सं. एच-62011/4/2013-डी (बीडीएल) के क्रम में दि. 1 जनवरी, 2015 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	दि. 25.2.2019 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यालय ज्ञापन सं. डीडीपी-एम-0001 (24)/02/2018-डी के क्रम में दि. 1 मार्च, 2019 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	दि. 30 जुलाई, 2018 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. एच-62011/1/2016-डी के क्रम में दि. 1 सितंबर, 2018 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	दि. 27 मई, 2019 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (11)/02/ 2018-डी के क्रम में दि. 01 जून, 2019 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	दि. 28.11.2018 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम0001(24)/ 04/2018-डी के तहत श्रीमती सुषमा वी दबक को इनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति (अर्थात् दि. 01 दिसंबर 2018 से) से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक जो पहले आये, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पुन:नियुक्त किया गया।	दि. 28.11.2018 की भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम0001(24)/04/2018-डी के तहत प्रो. अजय पाण्डेय को इनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति (अर्थात् दि. 01 दिसंबर 2018 से) से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक जो पहले आये, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पुन:नियुक्त किया गया।

पिछले पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19)	₹ 65,00,595	₹ 3,59,751	₹ 45,09,130	-	शून्य	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकत्व (विदेशी कपंनियॉं, प्राइवेट कंपनियॉं और अनुसूची-8 की कंपनियों को छोड़ कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समितियों में सदस्यता / अन्य लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल बैठकों की संख्या	7	1	3	-	7	7
कंपनी में धारित कुल शेयर की संख्या						
ए) स्वयं कं लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) लाभ आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य

टिप्पणी :

श्री पी राधाकृष्ण दि. 1 जून, 2019 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किये गये। अत: वर्ष 2018-19 में उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और पारिश्रमिक आदि विवरण इनके लिए लागू नहीं होंगे।

BHARAT DYNAMICS LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353
Corporate Office: Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Tel. No: 040-23456145 **Fax No:** 040-23456110
Email: investors@bdl-india.in **Website:** www.bdl-india.in

ATTENDANCE SLIP

49TH ANNUAL GENERAL MEETING ON FRIDAY, 27 SEPTEMBER, 2019 AT 15:30 HRS

Folio No.:	DP ID No.:	Client ID No.:
No. of Shares Held:		

I/We hereby record my/our presence at the 49th Annual General Meeting of the company at Hotel Sheraton, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 at 15:30 hrs on Friday, 27 September 2019.

Name of the Member _____ Signature _____

Name of the Proxyholder _____ Signature _____

Notes:

1. Only Member/Proxyholder can attend the Meeting
2. Please completely fill this attendance slip and hand over, duly signed, at the attendance verification counter at the entrance of the meeting hall.
3. Authorised Representatives of Corporate members shall produce proper authorisation issued in their favour.
4. Electronic copy of the Annual Report for 2018-19 and Notice of Annual General Meeting (AGM) along with attendance slip and proxy form is being sent to all the members whose email address is registered with the Company/Depository Participant unless any member has requested for a hard copy of the same. Members receiving electronic copy and attending the AGM can print copy of this Attendance Slip.
5. Member/Proxyholder attending the meeting should bring copy of Annual Report for reference at the meeting.

BHARAT DYNAMICS LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353
Corporate Office: Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Tel. No: 040-23456145 **Fax No:** 040-23456110
Email: investors@bdl-india.in **Website:** www.bdl-india.in

PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member(s) :.....

Registered address :.....

Email ID:.....

Folio No. / Client ID No. :.....DP Id :.....

I/We, being the member (s) of ..... shares of Bharat Dynamics Limited, hereby appoint:

1. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

2. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

3. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

as my/our Proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Eighth Annual General Meeting of the company, to be held on Friday, 27 September 2019 at 15:30 hrs at Hotel Sherton, Nanakramguda, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

* I wish my above Proxy to vote in the manner as indicated in the box below:

Sl. No.	Resolutions	For	Against
ORDINARY BUSINESS			
1	To receive, consider and adopt audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st March 2019, together with the Reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon;		
2	To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the financial year ended 31st March 2019.		
3	To appoint a Director in place of Shri.S.Piramanayagam (DIN: 07117827), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
SPECIAL BUSINESS			
4	To appoint Cmde.Siddharth Mishra (Retd.)(DIN:08367035) as an Chairman & Managing Director of the Company		
5	To appoint Shri.N.P.Diwakar (DIN: 08207722) as an Director (Technical) of the Company		
6	To appoint Shri.P.Radha Krishna (DIN:08437975) as an Director (Production) of the Company		
7	To re-appoint Smt.Sushama. V. Dabak (DIN: 07085413) as Part-time Non-Official Director of the Company (i.e. Independent Director)		
8	To re-appoint Prof. Ajay Pandey (DIN:01292877) as Part-time Non-Official Director of the Company (i.e Independent Director)		
9	To ratify the remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2019-20		

Signed this..... day of 2019

Affix Revenue Stamp

Signature of Member ..... Signature of Proxyholder(s).....

Notes:

1. **This form of proxy in order to be effective should be duly filled, stamped, signed and deposited at the Corporate Office of the Company at Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032. not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.**
2. A proxy need not be a member of the Company.
3. This is only optional. Please put a '✓' in the appropriate column against the resolutions indicated in the box. If you leave the 'For' or 'Against' column blank against any or all the resolutions, your Proxy will be entitled to vote in the manner as he/she thinks appropriate.
4. For the resolutions, Explanatory Statement and Notes, please refer to the Notice of the Forty Ninth Annual General Meeting of the Company.

ROUTE MAP TO AGM VENUE

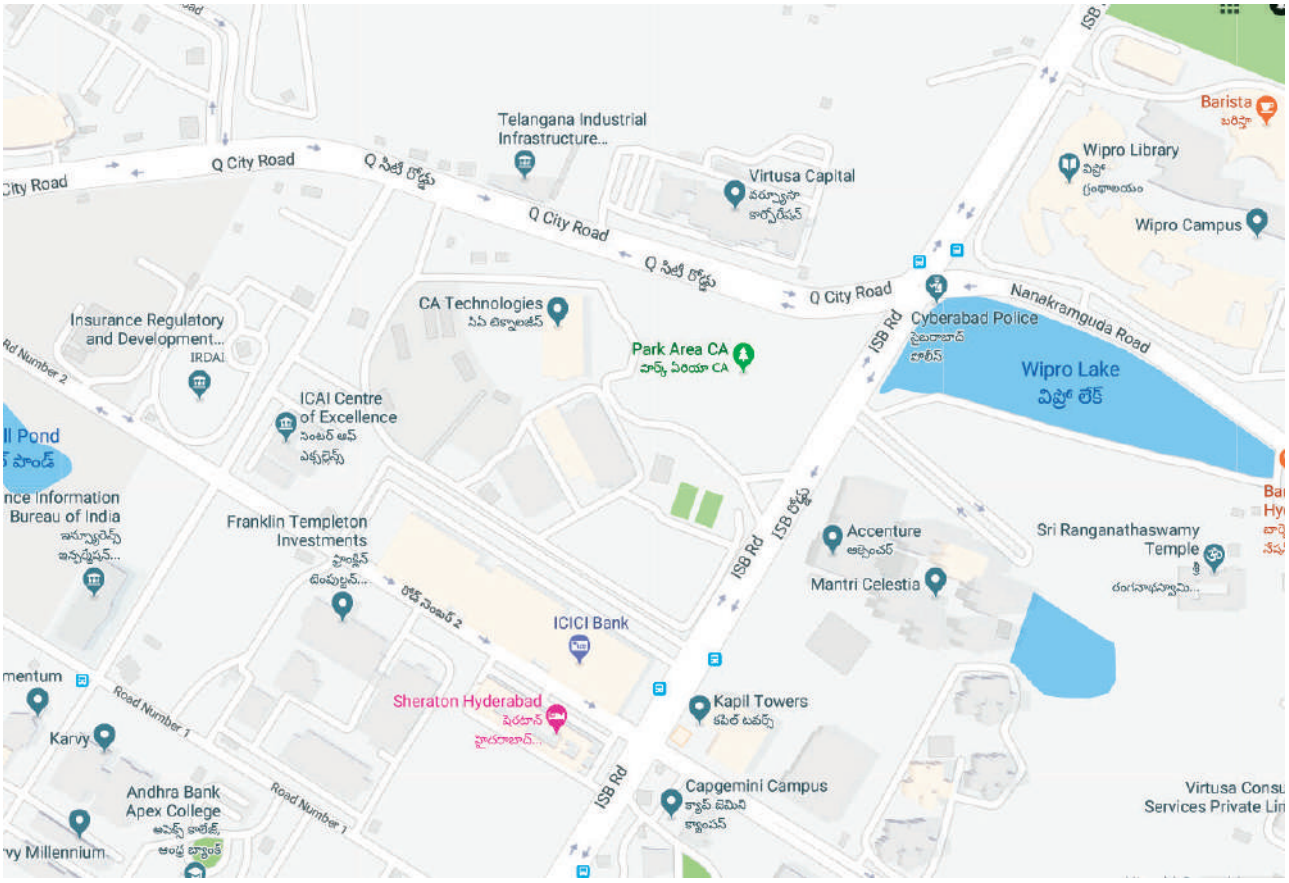

AGM Venue: **Hotel Sherton,** Nanakramguda, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032

टिप्पणियाँ

IN SERVICE OF THE SERVICES

49 years since its establishment, Bharat Dynamics Ltd has been developing and commercialising guided missiles and allied defence products through inhouse R&D as well as under ToT. Today BDL is one of the technologically advanced manufacturer of missiles in the world and a leading supplier of missiles and allied products to Indian Defence sector as well as India's friendly countries.

TABLE OF CONTENTS

Overview

Who we are 01
Former Chief Executives of BDL 02
Corporate Information 03
Board of Directors 04
Chairman's Statement 08
Our Products 13
Our Strategy 15
Financial Highlights 16
Ten Years at a Glance 17

Governance

Directors' Report 18
Management Discussion & Analysis 44
Report on Corporate Governance 51
Business Responsibility Report 64
Notice 120

Financial Statements

Independent Auditors' Report 69
C & AG Report 81
Balance Sheet 85
Statement of Profit and Loss 86
Statement of Changes in Equity 87
Statement of Cash Flows 88
Accounting Policies 89
Notes to Financial Statements 97

WHO WE ARE

Established in 1970, Bharat Dynamics Limited (BDL), is a Government of India Enterprise under the Ministry of Defence and a manufacturer of Surface to Air Missile (SAM), Anti -Tank Guided Missile (ATGM), torpedoes, and allied defence equipments.

Head Quarters of the company is located in Hyderabad and has three manufacturing units, located at Kanchanbagh, Hyderabad in Telangana State, Bhanur, Medak district in Telangana State and Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Two new units are planned at Ibrahimpatnam, Ranga Reddy district of Telangana State and Amravati District in Maharashtra. During the recent years the company also commenced export of selected defence equipments and have entered into strategic alliances with public and private sector companies. The company has 3034 employees as on 31 March 2019 and during the year 2018-19 reported a net sales turnover of ₹ 3069 Crore.

OBJECTIVES

To become self-reliant and competitive in Guided Missile and Underwater Guided Weapon Technology and Production.

To maximize utilization of existing production capacities.

VISION

To be a world-class enterprise producing international standard quality products for the Defence industry.

MISSION

To establish itself as a leading manufacturer in the aerospace & underwater weapons industry and emerge as a world class sophisticated, State-of-the-art, global enterprise, providing solutions to the security system needs of the country.

FORMER CHIEF EXECUTIVES OF BDL

DR B.D.NAGCHAUDHURI
Chairman
22-09-1970 To 20-09-1975

Prof. MGK Menon
Chairman
29.09.1975 To 30.12.1977

AVM VS Narayanan
PVSM, AVSM, VSM (Retd.)
Chairman
06.10.1978 To 01.04.1980

Dr. Raja Ramanna
Chairman
30.01.1981 To 30.08.1982

Dr VS Arunachalam
Chairman
30.08.1982 To 09.09.1990

AVM S J Dastur (Retd.)
Managing Director
22.09.1970 To 10.04.1974

BRIG JP Anthony (Retd.)
Managing Director
11.04.1974 To 31.08.1977

WG CDR VM Chitale (Retd.)
Managing Director
01.09.1977 To 30.09.1980

Shri ZP Marshall
Managing Director
01.10.1980 To 07.11.1988

Air CMDE R Gopalaswamay
AVSM, VSM (Retd.)
Managing Director
(1988-1990)
Chairman & Managing Director
(10.09.1990 To 30.06.1994)

CMDE S Rao, VMS (Retd.)
Chairman & Managing Director
01.07.1994 To 08.01.2000

Shri S Govindarajan
Officiating Chairman &
Managing Director
09.01.2000 To 31.08.2000

Shri VV Gangadhara Rao
Chairman & Managing Director
01.09.2000 To 30.06.2002

Shri GVBB Sarma
Officiating Chairman &
Managing Director
01.07.2002 To 23.07.2002

Maj Gen P Mohandas VSM
(Retd.)
Chairman & Managing Director
24.07.2002 To 27.04.2005

Maj Gen Raajinish Gossain
(Retd.)
Chairman & Managing
Director
28.04.2005 To 30.04.2008

CMDE PK Samanta VSM
(Retd.)
Officiating Chairman &
Managing Director
01.05.2008 To 30.06.2008

Maj Gen Ravi Khetarpal,
VSM (Retd.)
Chairman & Managing
Director
01.07.2008 To 31.03.2012

Shri SN Mantha
Chairman & Managing
Director
01.04.2012 To 31.12.2014

Shri.V.Udaya Bhaskar
Chairman & Managing
Director
30.01.2015 To 28.02.2019

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Shri Varanasi Udaya Bhaskar
Chairman and Managing Director
(upto 28 February 2019)

Cmde Siddharth Mishra
Chairman & Managing Director
(w.e.f 01 March 2019)

Shri. Ashwani Kumar Mahajan
Government Nominee Director

Shri. G. Sateesh Reddy
Government Nominee Director
(upto 31 December 2018)

Shri. MSR Prasad
Government Nominee Director
(w.e.f 31 December 2018)

Shri S Piramanayagam
Director (Finance) & CFO

Shri V Gurudatta Prasad
Director (Production)
(Upto 31 May 2019)

Shri K Divakar
Director (Technical)
(Upto 31 August 2018)

Shri.NP Diwakar
Director (Technical)
(w.e.f 01 September 2018)

Shri.P.Radha Krishna
Director (Production)
(w.e.f. 01 June 2019)

Smt Sushama V Dabak
Independent Director

Prof. Ajay Pandey
Independent Director

Shri. K.S.Sampath
Independent Director

Shri. Ajay Nath
Independent Director

Smt Latha Narasimha Murthy
Independent Director

Company Secretary

Shri. N Nagaraja

Principal Executives

(As on 31 March 2019)

Cmde Trilok Nath Kaul (Retd)
Executive Director (Marketing & Business Development)

Shri G.Gopal
Executive Director (Head-KBU)

Shri Arup Kumar Maiti
General Manager (CS)

Shri N Sampath Kumar
General Manager (Head-IBU)

Shri Sivanand S Khanapet
General Manager (Head-BU)

Shri V Latha
General Manager (OP, QR-SAM and D&E)

Shri MN Suresh
General Manager (GSD)

Shri KJ Joseph
General Manager (Finance)

Shri P Radha Krishna
General Manager (Konkurs-M)
(Upto 31 May 2019)

Shri Ashutosh Kumar
General Manager (Vizag Unit)

Shri.S.Narayanan
General Manager (HR)

Shri.CH.Ramesh Babu
General Manager (NP & TSD-KBU)

Shri.STGS Ramanujam
General Manager (ERP, ITD & CC)

Shri.S.V.Kameswar
General Manager (Head-VU)

Shri.P.V.Raja Ram
General Manager (Akash)

Shri.N.Srinivasulu
General Manager (Finance)

Auditors

M/s.S R Mohan & Co.
Chartered Accountants, Hyderabad

Internal Auditors

M/s. M. Bhaskara Rao & Co.,
Chartered Accountants

M/s. Uma Maheswara Rao & Co.,
Chartered Accountants

M/s. Ramamoorthy (N) & Co.,
Chartered Accountants

M/s. Narasimha Rao & Associates,
Chartered Accountants

M/s. B.V. Rao & Co., LLP

Cost Auditors

M/s.Narasimha Murthy & Co.,
Cost Accountants

Tax Consultants

Bansal & Dave,
Chartered Accountants

Legal Advisers

Shri V Uma Devi
Shri D Ravi Shankar Rao

Bankers

Andhra Bank
State Bank of India
Axis Bank
ICICI Bank
HDFC Bank

Registered Office

Kanchanbagh Post
Hyderabad – 500 058
Telangana, India
EPABX: 040-24587466 & 040-24587777
Fax: – 040 24340464
E-Mail: bdlitd@ap.nic.in
website: www.bdl-india.in

Corporate Office

Plot No.38-39, TSFC Building
Near (ICICI Towers)
Gachibowli, Financial District
Hyderabad-500032
Tel:-040-23456101
Fax: 040-23456110
E-Mail: investors@bdl-india.in
website: www.bdl-india.in

BOARD OF DIRECTORS

Cmde Siddharth Mishra (Retd)

Chairman and Managing Director

Cmde Siddharth Mishra (Retd) has assumed charge as the Chairman and Managing Director of Bharat Dynamics Limited (BDL) with effect from 01 March 2019. He was commissioned in the Electrical Branch of Indian Navy in the year 1985. Post-retirement from Navy in Sep 2016, Commodore Mishra served ECIL, a Schedule "A" Central Public Sector Enterprise. Prior to joining BDL, he was General Manager (Defence) at ECIL, Hyderabad.

Commodore Mishra is a B.Tech in Electrical Engineering, an MSc in Defence Studies and Master of Management Science. He is an alumnus of the prestigious Naval Academy and Naval College of Engineering, Lonavala.

In his 33 years of distinguished career, Commodore Mishra has held varied Operational and Staff appointments, in addition to heading four major groups at ECIL.

At Naval Headquarters, he was instrumental in inducting and managing state-of- the- art technology, including policy framing and was in the core team and represented Indian Navy for induction of the Air Craft Carrier into the Services.

At Naval Dockyard, Visakhapatnam, he planned, coordinated and oversaw execution of refits and modernization of ships and submarines. He also controlled and managed the flawless operation/ maintenance/asset management/infrastructure development and resource planning of the Dockyard.

As a member of the Top Management of ECIL, he has provided excellent leadership to steer various 'Make-in-India' programme in defence and other sectors, that has paid rich dividend to the Nation.

Shri. Ashwani Kumar Mahajan

Shri. Ashwani Kumar Mahajan belongs to the batch of 1988 IRS. He is also MBBS, LLB, LLM (International Taxation). He was appointed as Addl. FA &JS in the Ministry of Defence (Fin) on 8 Jan 2016. Shri Ashwani Kumar Mahajan is appointed as Government Nominee Director on the Board of BDL w.e.f. 9 March 2016.

Shri MSR Prasad

Shri MSR Prasad, Distinguished Scientist has been appointed as Director General (Missiles & Strategic Systems), on 28th September 2018. Born in 1961, he completed his B.Tech Degree from Madras Institute of Technology in 1984 and M. Tech from IIT, Bombay in Aeronautical Engineering. Over the past thirty years, Shri MSR Prasad has made significant contribution in missile technologies for the defence programmes of DRDO. His contribution in the areas of Aerospace Structural Design, Analysis and Structural Dynamics studies for various missile projects is noteworthy. As one of the senior designers for the submarine launched missile programme, he has provided number of innovative design concepts. He successfully contributed towards design, development and production of the country's first submarine launched ballistic missile B05.

He has also been responsible for development of highly reliable aerospace mechanisms for the programme. These activities have made Shri MSR Prasad achieve his career growth in the missile complex by holding positions as Deputy Project Director -B05, Project Director - K4, Programme Director of the Advanced Naval Systems Programme, Director, Defence Research and Development Laboratory(DRDL) and finally as Director General (Missile & Strategic System).

His meritorious and innovative contributions are recognized by DRDO as evidenced through various awards and honours conferred on him such as Laboratory Scientist of the Year Award-2003, DRDO Performance Excellence Team Award-2007, Scientist of the year by DRDO in 2011 and DRDO Best Innovative Technology Development Award in Strategic Missile Programme - 2014. Shri.MSR Prasad is appointed as Government Nominee Director on the Board of BDL w.e.f. 31 December 2018.

Shri S Piramanayagam

Shri S Piramanayagam is a Science Graduate and an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India. Prior to joining BDL as Director (Finance), he worked as General Manager handling finance functions of Rail & Metro Business vertical of M/s. BEML Limited. He worked in the middle Management cadre in BDL during 1996 to 2007 after his stint in Neyveli Lignite Corporation Ltd., for 10 years. He has vast work experience covering Auditing, Accounting, Finance and Taxation areas. He took charge as Director (Finance) of Bharat Dynamics Ltd., on 1 Jan 2015.

Shri N P Diwakar

Shri N P Diwakar is appointed as Director (Technical) on the Board of BDL w.e.f 01 September 2018, prior to his appointment as Director, he served as Executive Director (Bhanur Unit) at BDL. Shri N.P. Diwakar is B.E., in Mechanical Engineering from Osmania University, Hyderabad. He has rich Experience span of 28 years in various Missile programs such as Prithvi, Akash & ATGM's.

He worked in tandem with DRDO to realise the Prithvi & Akash Missile systems from Development Mode to Series Production Mode. He was an Instrumental in Establishing of production lines and man power planning of Akash Missiles and Konkurs Missiles to meet requirement of the Services. Establishing Production facilities for Astra Missile at Bhanur. Successfully negotiated with MOD, and received orders Konkurs-M Missiles during March 2017. Prior to joining BDL, he worked for M/s. Oil Natural Gas Corporation, for 6 Years.

Shri.P.Radhakrishna

Shri.P.Radhakrishna has assumed charge on 1 June 2019 as Director (Production) of Bharat Dynamics Limited (BDL). Prior to his new appointment, Shri Radhakrishna served as a General Manager in the Bhanur Unit of BDL where he played a key role in establishing the production line for Konkurs, Konkurs – M and Invar Anti-Tank Guided Missiles, Launcher & Rifles ensuring safe operations with an objective of reaching set targets. An M.Tech. in Industrial Engineering and Management from JNTU, Hyderabad and a B.Tech in Mechanical Engineering from Nagarjuna University in Andhra Pradesh, Shri Radhakrishna holds rich experience, spanning over 32 years, in various fields of Missile Production which includes areas like Component Production, Missile Integration& testing, Project Planning, Quality Control & Indigenization of Missile Systems.

He also established effective supply chain management in Anti-Tank Guided Missile Project/s by developing multi-vendor base and import substitution. He played a key role in modernizing and establishing state-of-the-art manufacturing facilities to improve the productivity. He actively involved in the preparation, implementation of ISO9001:2008 Quality Management System throughout BDL, Bhanur Unit, which is now operating as aerospace standard AS9100D.

He has been nominated as Member of Technical Oversight Committee by the Ministry of Defence for procurement of modular combat management systems for the Indian Navy and preparation of Long Term Orders for Draft Indigenization Policy.

Smt Sushama V Dabak

Smt Sushama V Dabak Joined Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) in 1981 and held various posts including Principal Accountant General, Haryana, Accountant General, Rajasthan and Maharashtra. In 2013, she retired as Director General of Audit in Mumbai. Before joining IA&AS, she worked as a Lecturer in Elphinstone College, Mumbai and as an Economist at National Institute of Public Finance& Policy (NIPFP), New Delhi. She did her MA in Economics, LLB and Diploma in Financial Management from University of Mumbai. She has Audit experience of all three tiers of Government viz Central, State and Local and different forms of Government organisations viz Government Companies, Autonomous Bodies and Local Bodies covering various sectors of the economy. Deputed as Financial Advisor in Nuclear Power Corporation Ltd and as Finance Member, Maharashtra Krishna Valley Development Corporation. Deputed for conduct of audit of UNHCR and Indian missions abroad. She has experience of certification of Government Accounts, Government Companies and externally aided projects. She was nominated for various training programs and seminars in India and abroad. She joined the Board of BDL as Part Time Non-Official Independent Director w.e.f. 1 December 2015.

Prof. Ajay Pandey

Prof. Ajay Pandey is currently with Indian Institute of Management, Ahmedabad as Professor of Finance & Accounting. He graduated as an Industrial Engineer from University of Roorkee (now IIT, Roorkee) and worked as project planning and monitoring engineer in Engineers India Limited (EIL) and Oil & Natural Gas Corporation (ONGC). Later, he continued his education at IIM Ahmedabad by joining Fellow Program and obtained his Fellow degree (equivalent to Ph.D.) by specializing in Finance area.

After obtaining doctorate, he had been associated with several academic institutions in India before moving to IIM Ahmadabad. In between, he also worked in financial sector with a private sector joint venture start up. His professional interests related to research, training and teaching are mainly in corporate finance and capital markets such as corporate governance, risk management, project finance, volatility and asset price dynamics etc. He also has professional interest in infrastructure sectors on issues such as project structuring and risk allocation, public procurement, land acquisition besides interest in the Electricity sector. He has been a consultant to the Government, Regulators and PSUs on infrastructure related issues. He has also been involved in academic administration as Chair, Post-Graduate Program (PGP), Dean [Faculty), Dean [Programs) and Director-in-charge at IIM, Ahmedabad. He joined the Board of BDL as Part Time Non-Official Independent Director w.e.f. 1 December 2015.

Shri.K.S.Sampath

Shri.K.S.Sampath is a Chartered Accountant in practice, having 32 years' professional exposure in Income Tax, Corporate Laws, Banking (Treasury, Forex, including Due Diligence of Foreign Banks) and Insurance and specializing in improving Corporate Governance. He has board-level exposure in the banking, insurance and co-operative sectors by serving as Board Member in some of the country's top public institutions – LIC of India, Punjab National Bank, Bank of India and more recently, as an advisory member on Board of Supervision for StCBs, DCCBs and RRBs under the aegis of NABARD. He has focused on improving corporate governance as part of various Board Committees like Audit Committee (as Chairman / Member), Management Committee, IT Committee, Risk Management Committee and Share Transfer Committee. He joined the Board of BDL as Part Time Non-Official Independent Director w.e.f. 13 September 2017.

Shri.Ajay Nath

Shri.Ajay Nath, is a member of the Indian Administrative Service ("IAS") of the 1982 batch belonging to the Madhya Pradesh Cadre. He holds a bachelor and masters' degree in Economics from the University of Delhi. He has worked as Principal Secretary and later as Additional Chief Secretary in the Finance Department of the Government of Madhya Pradesh from September 2011 to September 2015 when he retired from government service. He has previously worked as Director General (Investigation & Registration) with the Ministry of Corporate Affairs, GoI and later as Director with the Serious Frauds Investigation Office (SFIO), Ministry of Corporate Affairs, GoI. He has been associated as a Deputy Secretary with the Department of Economic Affairs, GoI, and as a Technical Assistant with the office of the Executive Director (India) of Asian Development Bank, Manila, Philippines.

He has also been associated previously as Managing Director with the Madhya Pradesh State Co –operative Marking Federation Limited and as a Chief Vigilance Officer with the Security, Printing and Minting Corporation of India, a CPSU, under the GoI. He joined the Board of BDL as Part Time Non-Official Independent Director w.e.f. 13 September 2017.

Smt Latha Narasimha murthy

Smt Latha Narasimha murthy is currently the Managing Partner of Melange Prime Properties, and Managing Partner at Toy Patnam. She has completed the MIT Global Entrepreneurship Boot camp and has been awarded certification on "New Ventures Leadership" from the Massachusetts Institute of Technology. She holds a post-graduate degree in Public Policy from the Takshashila Institution. She has completed the India-Women in Leadership (I-WIL) programme from the Indian Institute of Management, Bengaluru. She has previously served as a Corporator of the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) from 2010 – 2015. She is the recipient of the "Bengaluru Youth Award" in 2014 for her outstanding contribution in the political field. She is the winner of the "Safe Roads, Safe India Campaign", organized by UL and Ashoka Change Makers. She joined the Board of BDL as Part Time Non-Official Independent Director w.e.f. 13 September 2017.

CHAIRMAN'S STATEMENT

Cmde Siddharth Mishra (Retd)
Chairman and Managing Director

On this momentous occasion as BDL enters into its Golden Jubilee year, it gives me immense pleasure in welcoming you all, on behalf of the Board of Directors to this 49th Annual General Meeting of your Company.

I must admit, it is my privilege and honour to be a part of this great Company, built over five decades by the dedication, commitment and perseverance of the men and women associated with the Company since its inception.

It is remarkable to think that in 1970, BDL has started its journey in a modest way with a single product and today it is evolved into a multi-product, multi-unit, handling varied technologies.

The journey has been long and the milestones many, as BDL grew from strength to strength spreading its customer base across geographies as its products being used both in India and abroad. Today, BDL has emerged as the one of the leading Defence PSU not only meeting the ever changing requirements of our armed forces, but also making a significant mark across the globe. It gives us a great sense of fulfilment of having met the requirements of our armed forces.

Fifty years is an achievement by any standards but when one looks at what has been achieved in this period, it gives us a sense of pride.

Before I apprise you on achievements of your company in 2018-19 along with the operating scenario and the initiatives taken, I must say that though it is early days of my journey as Chairman and Managing Director of this company, I found it very exciting and eventful with "Team BDL" standing firmly behind me and providing me a sense of reassurance in overcoming the future challenges in taking this company to greater heights.

PERFORMANCE OVEREVIEW:

This year has been a challenging one in terms of performance. The performance of this year especially demonstrates the determination and resolute character of our organization as we could register a reasonably good sales turnover of ₹ 3069 Crore (with a value of production of ₹ 3235 Crore) under very trying circumstances with overwhelming technical challenges. I would give credit to each and every employee and stakeholder who made it possible to achieve this target especially under very difficult circumstances. The slight decline in VOS and VOP should not dampen our spirits as this drawback is mainly caused by some last minute technical hitches, but not due to lack of our efforts. None the less, there is every reason to feel sanguine as majority

of technical issues are resolved and your company is back on track and it is poised to get many new projects. I would like to advice all the employees to work with same determination and strengths and put your best efforts and I am certain your company will bounce back with renewed vigour.

Turning to financial performance, your company continues its journey in the path of profits and continues to pay dividends. I am happy to inform you that your board has decided to pay a final dividend of ₹ 30.61 Crore for the year 2018-19 (i.e. at ₹ 1.67 per equity share of ₹ 10/-each.)

OPERATING SCENARIO:

Indian industry today is on the threshold of entering into a new era where it will assume greater responsibility in making the nation self-reliant in Defence Production.

India's defence industry has been growing at a modest pace for the past few years. Modernisation of the armed forces and indigenisation of manufacturing are the key focus areas. The segment is receiving the much needed push under the Make in India programme. The concept of import substitution is being gradually accepted by stakeholders. This is an opportune time to embark upon a new phase of self-reliance in the sector by manufacturing technologically advanced equipment within India. Private sector participation is gradually picking up. The objective of the Indian defence offset guidelines is to encourage foreign vendors to engage in complete transfer of technology arrangements with Indian offset partners. That said, the government is set to announce radical changes in the guidelines to bring in investments in the defence and aerospace segments. Going forward, the government plans to substantially step up investments in modernisation of the armed forces and creation of infrastructure especially in the aerospace and electronics segments. In this regard, the new Defence Procurement Procedure is expected to speed up the process of awarding of contracts by the Government.

With the Government of India continues to unveil a host of initiatives to encourage defence indigenisation, your company with its long experience, manufacturing expertise, co-development partnership with DRDO labs, robust supply chain, strong project management skills and reinforced D&E is poised to benefit and prosper.

The maiden Coffee Table Book on BDL entitled, "***The Dynamic Decades of BDL***" was released by Dr.Ajay Kumar Secretary (DP) on 25 Jan 2019 at BDL, Visakhapatnam Unit. The book depicts the most defining and inspiring moments of the company since its inception, which was in the year 1970.

ACCOMPLISHMENTS DURING THE YEAR:

1) **New Orders**: I am pleased to announce that your company has bagged orders worth of Rs 2686 Crores excluding Taxes during 2018-19 which includes various types of missiles, launchers, test systems and accessories.

2) **Projects in Pipeline**: In addition, I am happy to share that some indents are in advanced stages of order placement on BDL, for which your company top management has been continuously pursuing for expediting the order placement.

3) **New Partners in pursuit of Technology Upgradation** : Keeping in pace with the current trends in the global defence industry, your company is always in pursuit for latest technologies and in process of continuous tie-ups with major weapon Design & Manufacturing giants around the world. As part of this, it has entered into MOUs/ NDAs/ LATOTs with various national and international defence players.

4) **New Infrastructure:** Keeping abreast with changing technologies, your company is in constant pursuit of establishing new infrastructure for manufacturing and testing latest weapons systems. As part of this,

i) Established Production facilities for manufacture of Man-Portable Anti-Tank Guided Missile (MPATGM) at your Bhanur unit which was inaugurated by Dr G. Sateesh Reddy, Chairman DRDO on 29th Sep 2018.

ii) Acoustic Tank Test Facility, one of its kind of the world class test facility used for testing underwater weapons like Torpedoes, mines, Sonobuoys, Decoys etc at your Vizag unit inaugurated by Secretary(DP) on 25th Jan, 2019.

iii) In House D&E has upgraded its labs by procuring latest equipment and software tools including RF Prototyping Software, RF Antenna Design Software, Opto-mechanical Software, DSP tools, IP cores, Keil Microcontroller tools etc.

iv) A Full-fledged Surface Mount Technology (SMT) line is established in Electronics Division at KBU which enables to take up the in-house assembly of all complex sub-systems like OBP, SCU, CGU etc.

5) Technical Breakthroughs: The dedication and hard work of your employees has achieved significant success and paid rich dividends in terms of technical achievements.

i) Your Company has contributed for the prestigious Anti Satellite Missile (Mission Shakti) by developing Reactive Armour System & Control Bay (Electronics Assembly) and total Cable Harness.

ii) Successfully associated with MPATGM Guidance flight Trials on 14th & 15th Mar 2019 at Pokhran.

6) Quality Systems: Being a missile manufacturing Company, quality of the product is of paramount importance and your products should work first time and every time. Hence, in pursuance of high Quality Standards, all the production Units in all the three units are certified with International Aerospace Quality Management Standard AS 9100D. Your Information Technology Division (ITD) is certified with ISO-IEC 27001-2013, Information Security Management Systems (ISMS).

In addition, all the three units have been upgraded to ISO 14001:2015 Environment Management System (EMS).

CORPORATE GOVERNANCE:

The philosophy of your company in respect of corporate Governance is its commitment to values, ethical business conduct, transparency, makes appropriate disclosures, comply with laws and regulations.

Your Company has a well established relationships between the company's management, its Board, its shareholders and other stakeholders. Your company with its established processes and structure through which the objectives of the company, the means of attaining the objectives and systems of monitoring performance are well in place.

Your company is complying to all mandatory provisions of SEBI and other Government statutory bodies relates to Board Composition, audit committees, Board Procedures, Management Discussions, analysis of Annual reports, certification of Financial Statements, internal controls and Corporate Governance reporting. Quarterly and annual compliance reports on Corporate Governance are being forwarded to MOD in the prescribed format.

Your Company's activities are monitored by several external agencies like Statutory Auditors, Comptroller and Auditor General of India, CVC, MOD (Dept of Defence Production) etc.

I am glad to convey that your company has been rated consistently as "Excellent" by MOD in the Corporate Governance category, which itself is a testimony for its established mechanisms, relations, regulations and processes by which it is Governed.

ENVIRONMENT PROTECTION & SAFETY:

Your Company is committed to protecting the environment, health and safety of our employees, customers and the communities where we work and live. The company contributes in all aspects of environment by maintaining a clean and green environment. As part of this, your company carries out tasks like Effluent water treatment, water conservation, tree plantation, rain water harvesting and landscaping utilizing effluent water. Committees at working level and steering level for handling various types of pollution in BDL are periodically reviewing the status of pollutions and implement necessary corrective/improvement mechanisms. Your Company strives for continual improvement in our environmental, health and safety management systems and in the environmental quality of our products, processes and services.

BDL also recognizes that we have a responsibility to our employees, suppliers and partners and to the communities, in which we operate.

Your Company meticulously follows promotion of Industrial Safety, health and environmental cleanliness and all statutory obligations are complied with. The two committees i.e. industrial safety committee, which is statutory and Explosive Safety Committee are functioning to meet the safety needs of BDL. Safety Committee meetings are held at regular intervals for reviewing, monitoring and upgrading safety, health and environment as per statutory requirement. The works are carried out in compliance with Factory's act 1948 and Explosive safety strictly adhering to the Storage and Transport of Explosive Committee (STEC) regulations. Clean surroundings, Green Environment, stringent Pollution Control measures, zero effluent discharge, energy conservation, systematic management and disposal of hazardous wastes etc have become a part and parcel of our regular well-established environment management system.

All the three productions units are awarded with IS14000 environmental quality standard is a testimony for the above.

INTERACTIONS WITH CUSTOMERS:

Customer demands are increasing with the rapid onset of technological innovation. Present day demands that Organizations proactively seek to know about the requirements of services and accordingly work towards the same.

Accordingly, Your company has considerably strengthened its product support Department for effective customer suppot. Exclusive retired service officers are being recruited for ensuring that the required support is reached the customer well within the committed downtime. Your company is in the process of establishing support teams at important locations in the close proximity of the customer i.e at base level depots or maintenance workshops of armed forces. Teams from D&E and production divisions regularly travel to the User locations to understand their requirements and to resolve their issues. Your company is also proposing to establish seamless communication channels with customers by installing latest electronic support equipment like Chatbots / Intelligent Virtual Assistant by using latest technologies like Artificial Intelligence (AI). This enables effortless conversations through voice or text, So you can offer more choices, more self-service, and consistency across channels to achieve customer care excellence. Regular interactions with customer reps are organized by way of periodical meetings for getting to know their requirements and monitoring the progress.

VENDOR DEVELOPMENT:

Your Company considers its vendors as partners in progress and believes in establishing mutually beneficial relationships. Our Vendors are our valued partners in our business development and we shall work with them in a spirit of mutual co-operation to meet our business objectives.

Corporate Commercial Department identifies the vendors, rates the vendors based on feedback received based on different parameters like Quality, Delivery time and Quantity etc.

Your company is perhaps the first one to organize AS9100D, an international airworthiness quality certification training for its vendors as part of vendor development. Your company believes in hand holding our vendor partners in terms of technology transfers, establishment of facilities, sharing our infrastructure wherever needed etc.

Vendor Meets are conducted by individual divisions and by Corporate Commercial Department in order to have clear, transparent and common understanding and thereby ensuring level playing field to all.

ROAD AHEAD:

Your Company has a healthy and consistent order book of Rs 7258 Crores as on 01st April 2019. Though there was a slight concern about the dip during 2018-19, as I have told in the beginning that your company is back on track resolving the bottlenecks it had. In addition, there is every reason to feel

sanguine about the future as many projects which are identified for BDL are in different stages of allocation. Your company is actively pursuing with the Ministry for clearance of these projects, which will strengthen our Order book in coming years.

In the years to come, your company will be primarily focussing in the following areas:

- Optimization of existing production lines
- Maximizing the geostrategic reach by increasing the export and indigenization.
- Co-development with design agencies for new projects.
- Offset projects
- Upgradation through innovation of its products.

As part of the focus in above areas, following initiatives were taken by your company.

i) Engaged in Co-Development Programmes of DRDO.

ii) It is entering into new domains and is in the process of developing infrastructure for manufacture of seekers.

iii) Your company is also under discussions with various foreign OEMs to get new technologies.

iv) It has significantly strengthened its in-house R&D by inducting professionally qualified personnel from premier institutions like IITs and NITs.

iv) Your company is progressing well in its in-house R&D efforts of developing a third generation anti-tank guided missile Amogha-III for which top management is totally committed. Though the path ahead in completing may have challenges, I am confident, your company with its grit and determination will overcome and come out with your own in-house designed, developed and produced missile.

v) In addition, your company is putting up its determined efforts towards indigenization of ATGM's with the objectives of self-reliance, import substitution, Foreign Exchange savings and overall cost reduction.

Moreover, Government's continuous thrust for initiatives like Make in India, indigenisation and import substitution will provide ample opportunities and your company with its decades of experience under its belt will exploit maximum advantage

Based on the order book position, anticipated orders and above mentioned initiatives, I am quite confident that your company is well poised for a sustained growth.

CSR FOCUS:

Corporate Social Responsibility (CSR) is interwoven in the business model of your Company. The Company's CSR efforts endeavour to support the less privileged, rural and urban communities, with a focus on sections of the vulnerable and marginalised local communities that live in close proximity to its manufacturing facilities in semi-rural locations. Your company has taken various steps for fulfilment of its social responsibilities under CSR activities by adopting villages, development of aspirational districts, Swacha Bharat, Skill development etc. Your company has carried out these activities by spending approximately Rs. 16 crores during the last year.

BDL is committed to contribute actively towards enhancing their living standards through its CSR interventions in water and sanitation, health, education and skill development. Your Company continues to take forward its good work in backward/ underdeveloped areas in Andhra Pradesh and Telangana as part of its CSR activities.

For Further details on CSR activities, please refer to Page No. 37.

CONCLUSION:

I offer my profound gratitude for the whole-hearted dedication, cooperation and hard work of its employees, encouragement received from its esteemed customers (the three services and their inspectorates), support from vendors, Technology Development and hand holding from DRDO, guidance from the Ministry of Defence, Government of India. We truly value your continued patronage.

I wish to thank the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member, the Statutory Auditors of the company and Audit Committee of the board for the valuable advice and cooperation extended by them.

I am confident that with continuous dedicated efforts, commitment and hardwork, your company shall march forward to achieve greater heights and will become a billion-dollar company in the coming few years.

I convey my sincere thanks to my colleagues on the Board for their counsel and support.

Finally, I would like to take this opportunity to thank all the shareholders for their trust and support and solicit continued support to fulfill your expectations.

Thanking You, Jai Hind !!!

Cmde Siddharth Mishra (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN 08367035

OUR PRODUCTS

BDL is the leading DPSU in India in manufacturing guided missile systems. The company has a product portfolio consisting of Surface to Air missiles (SAMs), Anti-Tank Guided Missiles (ATGMs), underwater weapons, launchers, countermeasures and test equipment. The company also undertakes life-extension and refurbishment of missile systems. Currently, it is the sole supplier of SAMs and ATGMs to the Indian Armed Forces.

Akash SAM

The Akash Surface to Air Missile (SAM) is an all weather area defence system which can engage multiple targets simultaneously. The Akash SAM can target helicopters, fighter aircraft and unmanned aerial vehicles. In addition to the Akash SAM, we also supply the ground support system and construct infrastructure facilities for the Akash SAM to our customers.

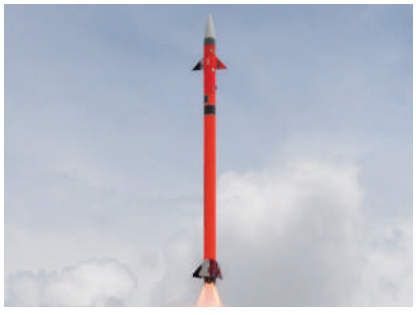

Long Range SAM ("LR SAM") and Medium Range SAM ("MR SAM")

The SAM is a high response quick reaction vertical launch supersonic missile to neutralise enemy aerial threats such as missiles, aircraft, guided bombs and helicopters.

The Milan 2T ATGM

The Milan 2T ATGM is a man portable second generation ATGM with a tandem warhead to destroy tanks. The Milan 2T ATGM can target both moving and stationary targets.

The Konkurs – M ATGM

The Konkurs – M ATGM is a second generation, semi-automatic tube launch optically tracked, wire guided and canard controlled missile which has been designed to destroy moving and stationary armoured targets. The Konkurs – M ATGM can be launched from vehicles and ground launchers.

The INVAR (3 UBK 20) ATGM

The INVAR (3 UBK 20) ATGM is a second generation plus mechanized infantry weapon which can be fired from the gun barrel of a T-90 tank to destroy armored vehicles.

CMDS

The CMDS is a micro controller chaff and flare based airborne defence system. The CMDS can be activated by the pilot or the radar warning receiver of the aircraft. The CMDS provides protection to the aircraft against radar guided and heat seeking missiles (air and ground) by dispensing chaff and / or flare payloads.

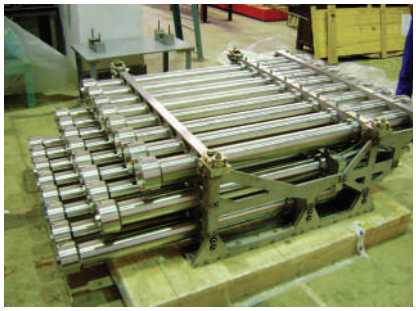

Anti Torpedo Decoy Launching System ("Anti Torpedo System")

The Anti Torpedo System is meant to counter the threat posed to any submarine by any active and / or passive homing torpedo.

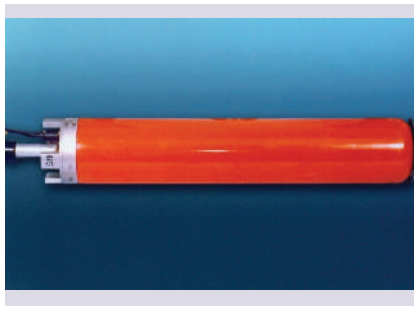

Submarine Fired Decoy ("SFD")

The SFD acts as preferred target in the presence of an own submarine to a passive or active homing torpedo.

Heavy Weight Torpedo

Heavy Weight Torpedo is a ship launched, electrically propelled underwater weapon equipped with one of the most advanced automatic guidance systems. The weapon system uses its own intelligence in tracking the target

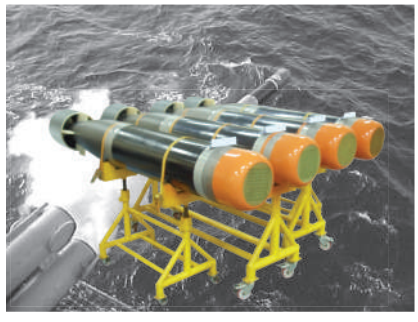

Light Weight Torpedo

The light weight torpedo can be launched from a ship or a helicopter. The light weight torpedo is used for anti-submarine warfare.

Launchers for the Konkurs M ATGM and the Milan 2T ATGM

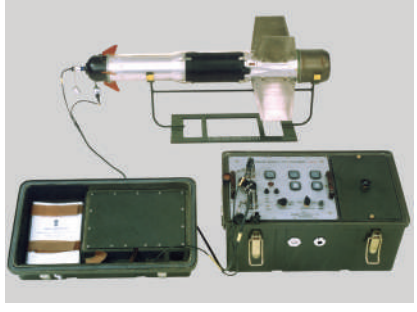

Test Equipments

OUR STRATEGY

An environment characterised by both increasing complexity in factors influencing national security and continuing economic challenges in India and globally is the key driver of BDL's business. This is further aided by advances in the technology, defence indigenization and increasing competition.

An important constituent of our business outlook in this environment is to focus on execution, improving standards, quality and predictability of the delivery of our products to the Indian Army. We also continue to invest in technologies to fulfil the requirements of the Indian armed forces and also invest in our people so that we have the necessary technical skills to succeed without limiting our ability.

Against this backdrop BDL's key strategies are aimed at enhancing the company's market position by optimizing existing product lines capitalising on opportunities in domestic and international markets, and enhance the company's competitive advantage focusing more on indigenisation, engage with Design Agencies for more co-development programmes.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

TURNOVER

(₹ in crore)

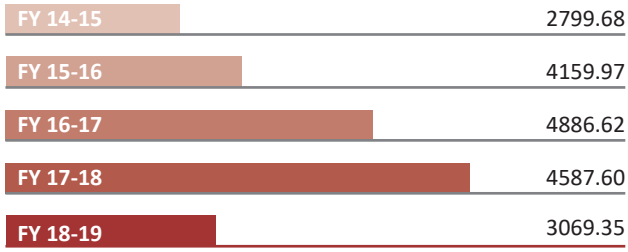

PROFIT BEFORE TAX

(₹ in crore)

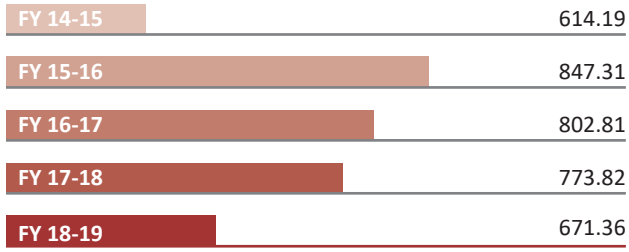

PROFIT AFTER TAX

(₹ in crore)

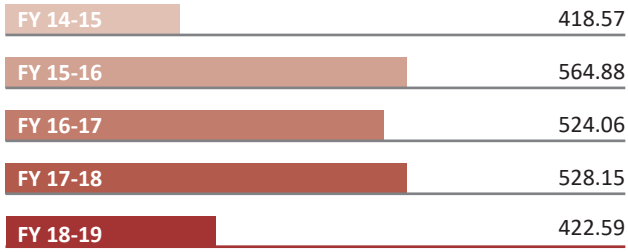

NET WORTH

(₹ in crore)

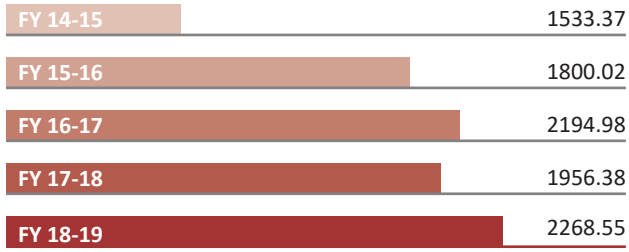

VALUE OF PRODUCTION

(₹ in crore)

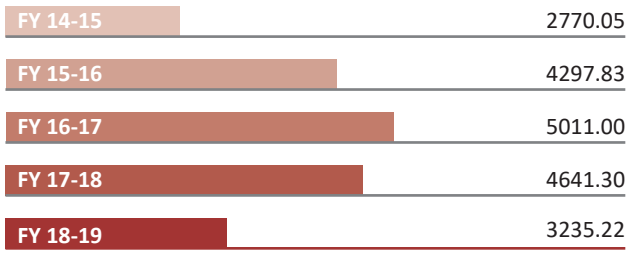

EQUITY

(₹ in crore)

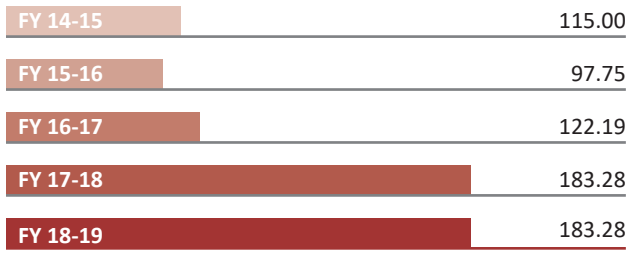

TEN YEARS AT A GLANCE

(₹ in Crore - unless otherwise stated)

Particulars	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
Sales (Gross)	3069.35 &	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71	959.12	939.16	627.23
Changes in WIP/SIT	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81	33.82	(28.18)	4.38
Value of Production	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52	992.94	910.98	631.61
Material Consumption	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57	633.53	580.14	438.01
Value Added	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95	359.41	330.84	193.60
Profit Before Tax	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06	348.19	79.17	50.63
Profit After Tax	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40	234.96	51.70	33.77
Equity	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
Reserves & Surplus	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30	617.38	437.05	412.08
Gross Block(Excl.Cap.WIP)	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55	604.24	488.08	461.20
Inventory	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53	602.57	502.19	570.26
Trade Receivables	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55	88.39	45.15	33.58
Working Capital	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34 ^	812.68 $	614.58 $	458.97	370.66 #	360.44
Capital Employed	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20 ^	1172.29 $	892.59 $	670.64	511.79 #	503.66
Net Worth	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	953.08	732.19	551.85	526.88
Number of Employees	3034	3095	3182	3132	3183	3266	3300	3142 @	2897	2894
Employee Costs	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99	240.32	234.53	178.84
Value Added per ₹ of Wage	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53	1.50	1.41	1.08
Value Added per Employee (₹ Lakh)	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00	11.44 @	11.42	6.69
Earnings per Share (EPS) ₹	23.06	26.65	24.51 !	42.73 !	36.40 !	30.04 !	25.08 !	20.43 !	4.50 !	2.94 !

& Sales are after deduction of LD ₹ 148.98 Cr as per Ind AS 115 for 2018-19
* Amounts from 2015-16 onwards are shown as per Ind AS.
# Re-adjusted due to presentation of accounts as per Revised Schedule VI from 2011-12 onwards.
@ Re-adjusted to include temporary employees.
$ Re-adjusted due to regrouping of Current Assets and Current Liabilities of 2013-14 in 2014-15.
^ Re-adjusted due to regrouping of Current Assets and Current Liabilities of 2014-15 in 2015-16.
! Splitting of shares from ₹ 1000/- to ₹ 10/- during the year 2017-18 and accordingly EPS is readjusted in previous years for Face Value of ₹ 10/-

DIRECTORS' REPORT

Dear Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 49th Annual Report together with the audited financial statements of the Company for the year ended 31 March 2019.

1. HIGHLIGHTS OF OPERATIONS

- BDL has completely executed Milan- 2T ATGM contract well before the contractual delivery schedule.
- During the year, BDL inaugurated production facility for manufacturing of Man–Portable Anti-Tank Guided Missile (MP-ATGM)
- During the year, BDL inaugurated Acoustic Tank Test Facility at its Visakhapatnam Unit. The test facility is one of its kind world class test facility used for testing underwater weapons like Torpedoes, Mines, Sono buoys, Decoys and other related systems

2. FINANCIAL RESULTS AND PERFORMANCE HIGHLIGHTS

2.1 Performance of the Company in financial terms is summarized below:

S. No	Particulars	₹ in Crore		% of Increase/ (Decrease)
		2018-19	2017-18	
i)	Sales/Revenue from Operations*	3069	4588	(33%)
ii)	Value of Production	3235	4641	(30%)
iii)	Profit Before Tax	671	774	(13%)
iv)	Profit After Tax	423	528	(20%)
v)	Value Added	1416	1734	(18%)
vi)	Earnings per share#	23	27	-

* As per IND-AS, Sales/Revenue from Operations of FY 2018-19 is after adjustment of LD amount of ₹ 148.98 Crore but whereas LD in previous year is treated as Expense;

EPS has been calculated based on profits excluding the other comprehensive income. EPS for previous year is adjusted for Bonus issue made during that year.

2.2 Following data reflect the financial position of the Company:

Particulars	₹ in Crore		% of Increase/ (Decrease)
	2018-19	2017-18	
Gross Block	1008	856	18%
Depreciation	196	136	44%
Net Block	812	720	13%
Working Capital	1390	1086	28%
Capital Employed	2347	1954	20%
Net Worth	2269	1956	16%

2.3 During the year under review, your Company has achieved sales turnover of ₹ 3069 Crore as against sales turnover of ₹ 4588 Crore of previous year. The reduction in revenue from operations in F.Y. 18-19 as compared to previous year is due to completion of order book of ground support equipments to Akash Weapon systems. Your Company has achieved profit before tax of ₹ 671 Crore as compared to ₹ 774 Crore achieved in the previous year. Profit after tax is at ₹ 423 Crore as against ₹ 528 Crore in the previous year. As far as profit margin is concerned there is an improvement in operating margin even though there is reduction in turnover.

2.4 This year your Company made an operating profit of ₹ 617 Crore as against ₹ 677 Crore in the previous year indicating a significant improvement in operational performance. Major order executed during the year for the Armed forces includes Akash Weapon system, ATGMs and other products.

2.5 The order book position of the Company as on 01 April 2019 is around ₹ 7258 Crore comprising mainly of Akash, MR-SAM, ATGMs, Export of LWT and other products.

3. FIXED DEPOSITS FROM PUBLIC:

3.1 The Company did not accept any fixed deposits from Public during the year, and there was no outstanding Fixed Deposits at the beginning/end of the year. Accordingly, there was no default in payment of deposits/interest thereon.

4. Dividend & transfer to general reserve:

4.1 Your Company has a consistent track record of Dividend Payment. The Board has recommended a Final Dividend of ₹ 1.67/- per equity share of ₹ 10/-each amounting to ₹ 30.61 Crore for the year 2018-19. Further, your Company has paid interim dividend of ₹ 96.22 Crore (i.e ₹ 5.25 per equity share of ₹ 10 each) in March 2019.

4.2 An amount of ₹ 230 Crore is being transferred to General Reserve for the year 2018-19.

5. CAPITAL STRUCTURE:

5.1 The paid up capital of the Company as on 31st March, 2019 stood at ₹ 183.28 Crore (18,32,81,250 equity shares of ₹ 10/-each).The Authorized Capital of the Company is ₹ 200 Crore (20,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each) as on 31st March 2019.

6. PERFORMANCE AGAINST MoU:

6.1 Your Company signs a Memorandum of Understanding (MoU) every year with the Ministry of Defence, Government of India. The performance of the Company for the year 2017-18 has been rated "Very Good". The MoU rating for the year 2018-19 is under evaluation. The MoU for the financial year 2019-20 was finalized with the Ministry, with a Net Sales target fixed at ₹ 4200 Crore. Your Company is striving to achieve the targets fixed in the MoU.

7. MODERNIZATION, UPGRADATION AND INDIGENIZATION:

7.1 Manufacturing Capacities of ATGMs and other products are being ramped up. During the year, an amount of ₹ 90 Crore has been earmarked for Capital Expenditure (CAPEX) towards modernization of Plant & Machinery and other Infrastructure development programme.

7.2 The following Key Technology Upgradation projects were taken up for implementation during the financial year 2018-19:

a) 160 KV X-RAY machine

b) SMD Pick and place machine.

c) Automatic inspection System.

7.3 Your Company is putting up determined efforts towards increasing indigenization contents in the manufacture of ATGMs with the objective of increasing self-reliance, reduction of Foreign Exchange out flow and achieving cost reduction. Indigenization of products like Konkurs-M, Invar, and Milan-2T has been achieved upto 95%, 78.6% and 71% respectively.

8. RESEARCH & DEVELOPMENT

8.1 Your Company recognizes that Research & Development is a thrust area for design and development of various products for Indian Armed Forces. During the year R&D facilities like PADS Schematic design software, Advanced Structural and Thermal Analysis software, Rapid prototyping and Reliability software, Opto-mechanical software, PCB design tools and other Development tools have been established.

8.2 Your Company has identified various products to meet the requirement of Indian Armed Forces and currently its research and development focusing in the following missions:

a) Counter Measures Dispensing System (CMDS): An airborne defensive system to provide self-protection to aircrafts

and helicopters by dispensing Chaffs / Flares. BDL has developed CMDS for Jaguar and variants of CMDS for many platforms including Advanced Light Helicopter (ALH), Light Combat Aircraft (LCA), Airborne Early Warning and Control (AEW&C), Mirage upgrade, Light Combat Helicopter (LCH) and Medium Lift Helicopter (MLH). However, flight trials are yet to be conducted for LCH and MLH. During 2018-19, first batch of CMDS for Mirage were supplied to M/s.HAL for integration to aircraft. CMDS for MLH were supplied to M/s.BEL for developmental trials. Development of CMDS for AVRO replacement aircraft is under progress. There is a substantial export market for CMDS.

b) Dispenser Unit for Ø50 mm round cartridges for Sukhoi Aircraft: BDL has designed and developed Ø50 mm Dispenser Unit for Su-30 MKI aircraft for dispensing Ø50 mm cartridges (chaffs and/or flares). Ø50 mm Dispenser Unit has been developed as Form-Fit-Functional replacement of existing Dispenser Unit of Russian-make CMDS. Another variant of Ø50 mm Dispenser Unit has been developed, which is compatible to work with BDL-CMDS. Both variants of Ø50 mm Dispenser Unit are ready for flight trials.

c) Amogha-III: It is a 3rd generation fire and forget, IIR seeker based ATGM. Prototypes of all the sub-assemblies of the missile are being developed as per in-house design. Pop-out test, which is the first milestone of the project, was successfully conducted twice during the year. System configuration has been finalized. Design of sub-systems are under progress.

8.3 The following table shows the recent trend in in-house R&D expenditure:

(₹ in Crore)

Particulars	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Sales Turnover (Gross)	4160	4887	4588	3069
R&D expenditure	29.43	34.71	40.22	53.45

8.4 Apart from in-house R&D activities, your Company has entered into MoUs with DRDO labs for co-development of various missiles with a substantial financial commitment and manpower support from the Company. This will further enhance the R&D efforts of BDL to strengthen Government of India's Make in India programme.

9. PROCUREMENT FROM MSMEs

9.1 Your Company has been providing increased thrust on procurement from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) as per the guidelines/notifications issued by the Ministry of MSMEs.

9.2 Your Company being a weapons manufacturing Company has been granted exemptions vide MSME Notification No.F.No.21(1)/201 I-MA Dated 23 March 2012. However, your Company would endeavor to procure general items from SMEs. A list of 358 items were reserved in the Company's IMM manual for procurement from SMEs.

9.3 As per Government of India guidelines issued from time to time your Company extends various facilities/concessions to vendors registered with NSIC under its Single Point Registration Scheme such as

a) Issue of Tender documents free of cost.

b) Exemption from payment of Earnest Money Deposit.

c) Price Preference of 15% over the quotation of large-scale units. In case the SME happens to be within 15% range above the L1 price who is not an SME, SME unit shall be provided with a counter price to reduce to L1 price. A quantity of up to 25% shall be ordered on SME on acceptance of L1 price. Out of 25% of annual procurement from MSEs 5% has been earmarked for procurement from MSEs owned by Scheduled Castes or the Scheduled Tribes entrepreneurs. Further another 3% has been earmarked for women owned MSEs.

d) Pre-qualification experience is relaxed for Start-ups (whether MSMEs or otherwise), as per guidelines of Govt. of India subject to the meeting of quality and technical specifications as per clarification given by Ministry of Finance, Department of Expenditure (DoE).

e) Interest free advance is also being paid to MSMEs and startups against Bank Guarantee for 110% of order value.

f) Vendors registered in other Defence PSUs will be considered as Deemed Registered. This Deemed registration will enable the vendors to participate in all future tenders of DPSUs for similar category of goods/services subject to fulfillment of other eligibility criteria indicated in the RFQ.

g) Providing Test facilities to MSMEs/Start-Up vendors.

9.4 Your Company has registered in Trade Receivables Discounting System (TReDS). It is an initiative undertaken by Reserve Bank of India to safeguard the interest of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) facilitating the financing of trade receivables of MSMEs from corporate buyers through multiple financiers. It enables discounting of invoices of MSME sellers raised against large corporate, allowing them to reduce working capital needs. In Trade Receivables Discounting System all registered MSMEs can discount their bills of exchange or invoice through TReDS with a quoted price of Bankers

9.5 **Preference to Make in India:**

The "Make in India" initiative is based on four pillars i.e. New processes, New infrastructure, New sectors and New mindsets, which have been identified to give boost to entrepreneurship in India, not only in manufacturing but also other sectors. The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as part of the policy of the Government of India to encourage 'Make in India' and promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment. Subject to the provisions of this Order and to any specific instructions issued by the Nodal Ministry or in pursuance of this Order, purchase preference shall be given to local suppliers in all procurements undertaken by procuring entities in the manner specified. As per the order the minimum local content shall ordinarily be 50%. The Nodal Ministry may prescribe a higher or lower percentage in respect of any particular item and may prescribe the manner of calculation of local content.

In procurement of goods for INR 5 million and less, and where the Nodal Ministry determines that there is sufficient local capacity and local competition, only local suppliers would be eligible. For procurements valued at more than INR 5 million (or where there is insufficient local capacity/ competition) if the lowest bid is not from a non-local supplier, the lowest-cost local supplier who is within a margin of 20% of L1, would be given the opportunity to match L1. If the procurement is of a type that the order can be divided and given to more than one supplier, the non-local supplier who is the lowest bidder will get half of the order and the local supplier will get the other half provided if it agrees to match the price of L1. If the procurement cannot be divided, then the lowest cost of local supplier would be given the order provided if it agrees to match L1.

9.6 **Government e-Marketplace (GeM):** Your Company has registered with GeM as per Rule No.149 of the General Financial Rules, 2017. GeM is a one stop portal to

facilitate online procurement of common use Goods & Services required by various Government Departments/ Organizations/PSUs. GeM aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement. It provides the tools of e-bidding, reverse e-auction and demand aggregation to facilitate the government users to achieve the best value for their money.

10. EXHIBITIONS:

10.1 Senior Executives and Directors participated in National and International Exhibitions during the year 2018-19. Such platforms are used to gain awareness in advanced technologies, interact with experts and share knowledge. Visiting the pavilions of other countries and understanding the systems available with them enables your Company to draw up its own future business plans effectively. During the year, your Company participated in the exhibitions as details given in Page 21.

11. EXPORTS

11.1 Your Company is now focused more into export markets. During the year, your Company has framed an Export Policy in line with the MoD guidelines with an object to strive continuously to identify potential opportunities for exports especially defence exports and strive to obtain the orders by working in coordination with various stake holders like GoI, PSUs, Private Sectors etc. Your Company aims to create an export oriented ecosystem within the organisation and among the vendors.

11.2 Your Company envisages lot of potential for exporting its products to friendly foreign countries. This assessment is based on the MoU target for export order execution during 2019-20, which is ₹ 420 Crore.

12. BOARD OF DIRECTORS:

12.1 The Board of Directors of the Company comprises Functional Directors, Government Nominee Directors and Independent Directors who are appointed by the Government of India from time to time.Further, the tenure and remuneration of Functional Directors including Chairman and Managing Director are decided by the Government of India through Public Enterprises Selection Board/Search Committee. The Government communication also indicates the detailed terms and conditions of their appointment including a provision for the applicability of the relevant rules of the Company.

12.2 The Government Nominee Directors are not entitled to any remuneration/ sitting fee. The Independent Directors are entitled to sitting fees for attending the Board/Committee meetings as duly approved by the Board considering the government directives, statutory acts, rules and regulations

12.3 **Appointment of Independent Directors**

In order to fulfill the requirement of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Government of India vide its letter No.H-62011/2/2016-D (BDL) dated 13 September, 2017 appointed three new Independent Directors viz., Shri Ajay Nath, Shri KS Sampath and Smt.Latha Narasimha Murthy as Part-time Non-Official Directors w.e.f 13 September 2017 for a period of three years or until further orders whichever is the earliest.

Aero India held from 20 – 24 Feb 2019 at Bengaluru

Chief of the Army Staff General during his visit to BDL stall

Principal Director of Commercial Audit during his visit to BDL

Exhibition at Langkawi Malaysia - 26-30 Mar 2019

Secretary DP at Lima 2019 International Exhibition at Langkawi Malaysia -26-30 Mar 2019

Visit by Chief of Philippines Navy

Indo-Defence Expo 7-10 Nov 2018 At Jakarta, Indonesia

EDEX-2018 Egyptian Defence Exposition at Cairo Egypt-3-5 Dec 2018

12.4 During the year, the Government of India vide letter No.DDP-M0001(24)/04/2018-D(BDL) dated 28th November 2018 extended the term of office of Independent Directors, Smt. Sushama V Dabak and Prof. Ajay Pandey for another period of one year with effect from 01 December 2018 or until further orders whichever is the earliest.

(i) Statement on declaration by Independent Directors:

Independent Directors have given declarations u/s 149(7) of the Companies Act, 2013 that they meet the criteria of independence as laid down u/s 149 (6) of the said Act.

(ii) Change in Directorate:

The following changes took place in the Directorate of your Company

S.No	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of cessation
1	Shri.V.Udaya Bhaskar	Chairman & Managing Director	-	28/02/2019
2	Cmde Siddharth Mishra	Chairman & Managing Director	01/03/2019	-
3	Shri.K.Divakar	Director (Technical)	-	31/08/2018
4	Shri.N.P.Diwakar	Director (Technical)	01/09/2018	-
5	Shri.G.Satheesh Reddy	Government Director	01/05/2018	31/12/2018
6	Shri.MSR Prasad	Government Director	31/12/2018	-
7	Shri.V.Gurudatta Prasad	Director (Production)	-	31/05/2019
8	Shri.P.Radha Krishna	Director (Production)	01/06/2019	-

In terms of provisions of section 152 of the Act, Shri. S. Piramanayagam, Director (Finance) & CFO retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible, offers himself for reappointment.

(iii) Number of Meetings of Board:

During the year 2018-19, Seven (7) Board Meetings were held on 30 May, 2018, 20 July 2018, 14 August 2018, 31 October 2018, 11 November 2018, 14 February 2019 and 18 March 2019.

(iv) Performance Evaluation

The provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 relating to evaluation of Board of Directors do not apply to your Company since necessary exemptions are provided to all government companies. Further, similar exemptions were granted to your Company by Securities Exchange Board of India (SEBI) under the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements {LODR}) Regulations, 2015 vide their letter No. SEBI/HO/CFD/DIL1/OW/P/2018/1679/1 dated January 17, 2018.

13. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

13.1 As per Section 134(5) of the Companies Act, 2013 as amended, the Directors state:

(i) that in the preparation of the annual accounts, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

(ii) that the selected accounting policies have been applied consistently and judgments and estimates made are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31 March 2019 and of the profit of the Company for the year ended on that date.

(iii) that proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(iv) that the annual accounts have been prepared on a going concern basis.

(v) that the Company has devised proper internal financial controls and that such internal financial controls were adequate and operating effectively.

14. EVENTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:

14.1 Material changes and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between 31 March 2019 and date of signing of this Report are - Nil.

15. MANPOWER AND RESERVATION OF POSTS FOR SCs/STs:

15.1 The Company has been following Presidential Directives of the Government with regard to reservation of posts for SCs/STs in recruitments.

15.2 Total manpower strength as on 31 March 2019 is at 3034 (including four functional directors) out of which the number of persons on temporary rolls is 33. Of the total strength, 84 are ex-servicemen, 577 are of Schedule Caste and 213 are of Scheduled Tribes. The percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in respect of Employees is at 19.02% and 7.02% respectively.

15.3 Number of persons on temporary rolls as on 31 March 2019 is 33, out of which 7 belong to Scheduled Caste category.

15.4 The No.of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in various categories of posts as on 31 March 2019 is given below:

Category	Number of Employees					
	Total Strength		Scheduled Castes		Scheduled Tribes	
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019
Group-A	856	864	153	156	86	83
Group-B	17	78	2	17	1	5
Group-C	1892	1797	342	329	111	107
Group-D	266	258	71	68	18	18
Temporary	60	33	18	7	1	0
Total	**3091***	**3030***	**586**	**577**	**217**	**213**

*excluding four functional directors.

15.5 Recruitment of employees in Scheduled Caste and Scheduled Tribes during 2018-19 is given below:

Classification of posts	Total Vacancies Released	Total Recruitment	Reservation of posts (out of Col.2)		Recruitment made during the year 2018-19	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			SCs	STs	SCs	STs
Group-A	24	24	5	0	5	0
Group-B	0	0	0	0	0	0
Group-C	24	24	9	1	9	1
Group-D	0	0	0	0	0	0
Total	**48**	**48**	**14**	**1**	**14**	**1**

16. EMPLOYMENT OF WOMEN:

16.1 As per the recommendation No.51, Para (ii)(a) of the National Commission for Women (NCW) in its Annual Report for the year 1995-96, the employment position of Women as on 31 March 2019 is given below as directed by the Ministry of Defence, vide their letter Nos. 39(6)/99/D(B&C), dated 27 August 1999.

I. Executives

Grade	No. of Employees	Women	Percentage
I	78	12	15.38%
II	193	23	11.92%
III	207	32	15.46%
IV	149	19	12.75%
V	83	10	12.05%
VI	176	11	6.25%
VII	40	0	0.00%
VIII	14	1	7.14%
IX	2	0	0%
Functional Directors	3	-	0%
CMD	1	-	0%
Total	**946**	**108**	**11.42%**

II. Non-Executives

Grade	No. of Employees	Women	Percentage
WG-0	2	0	0.00%
WG-1	10	1	10.00%
WG-2	143	20	13.99%
WG-3	170	16	9.41%
WG-4	331	34	10.27%
WG-5	193	40	20.73%

WG-6	196	28	14.29%
WG-7	53	7	13.21%
WG-8	53	5	9.43%
WG-9	97	3	3.09%
WG-10	23	0	0.00%
WG-11	192	5	2.60%
WG-12	592	51	8.61%
Total	**2055**	**210**	**10.22%**

17. PERSONS WITH DISABILITIES (PWD) AS ON 31 MARCH 2019:

17.1 The total number of Physically Challenged employees as on 31 March 2019 is 111 and its percentage to total employees works out to 3.66%.

	HI	LD	VI	Total
Group-A	6	14	5	25
Group-B	0	0	0	0
Group-C	18	47	8	73
Group-D	4	5	4	13
Total	**28**	**66**	**17**	**111**

HI- Hearing Impaired, LD-Locomotive Disability, VI-Visually Impaired.

18. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

18.1 During the year under review the Company has conducted training programmes for 819 Executives and 1408 Non Executives to impart training on knowledge based, development oriented and need based topics. Such training programmes were organized in-house and at premises of external agencies to cover the present and future requirements of the Company.

18.2 Apart from regular training programmes, your Company organized the following activities/ programmes during the year:

(a) Executive Education Programmes organized for Board of Directors: During the year, your Company has sponsored Executive Education Programmes for the Board of Directors organized by IIM-A, IICA-IFC, ICAI, SCOPE and Gujarat National Law University.

(b) Management Development Programmes (MDPs):

Your Company sponsored 46 Senior Executives (in Grade V & above) for Management Development Programmes (MDPs) conducted by premier Institutes in India like IIM-Lucknow, IIM-Indore and XLRI Jamshedpur during the year 2018-19.

(c) Advanced Management Programmes (AMP):

Your Company sponsored 02 principal Executives at General Manager and Additional General Manager level for the Advanced Management Programme (AMP) conducted by Institute of Public Enterprises, Hyderabad in collaboration with INPAQT BV Solutions, Rotterdam, Netherlands and Indian Institute of Public Administration, New Delhi in collaboration with Ecole National Administration, Paris and Hertie School of Governance, Berlin.

18.3 During the year, Assessment Development Centre has assessed the 'Competency &Behavioral traits' of the Executives. 202 Executives in Gr.VI to Gr. VIII have undergone assessment through M/s Thomas Assessment Pvt. Limited (TAPL) at BDL's training centre in 14 batches.

19. PARTICULARS OF EMPLOYEES

There were no employees of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.Further in accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

20. FOREIGN VISITS:

Your Company incurred an expenditure of around ₹ 81.94 lakh during the year under report towards foreign travel for business trips and also for on the Job-Training of personnel.

21. INDUSTRIAL RELATIONS AND EMPLOYEE WELFARE:

21.1 Your Company continues to enjoy cordial and harmonious Industrial relations with the cooperation and support of all sections of employees viz. Recognized Trade Union, Associations such as SC, ST, OBC and Officers Association. All statutory committees such as Works Committee, Safety Committee, Canteen Management Committee and other participative forums have extended their Co-operation to maintain discipline at all levels.

21.2 Compliance on statutory welfare provisions are followed meticulously. The Company has been taking care of medical needs of employees and their family members as per BDL Medical Rules. Further, in line with DPE guidelines, Company has framed Pension Scheme and Post-Retirement Medical Benefit Scheme for the Executive and Non– Executives of the Company.

21.3 During the year a Memorandum of Settlement was entered between Management and Recognized Union on Performance Linked Annual Incentive Scheme for Non-Executives with the support and aid of Conciliation Officer cum Assistant Labour Commissioner (Central), Hyderabad.

22. SECURITY:

22.1 Central Industrial Security Force (CISF) is providing Security and Fire Services in both Kanchanbagh and Bhanur Units. During the year under report, CISF has played a vital role in the Security and safeguarding of property of the Company. CISF team adopted robust security measures combining physical measures with technology to keep the highly sensitive installations secure.

22.2 The Plant Security Council is in place to review the security arrangements and implementation of IB guidelines. Regular security audits, plant security council meetings are being conducted at both of our units. Meetings at regular intervals with the nearby industries, law enforcement/sister agencies are being taking place for effective co-ordination mechanism.

22.3 You Company conducts regular programmes including mock drills on security and safety awareness. Employees are sensitized on the security threat and action to be taken in case of emergency and fire accidents.

23. SAFETY:

23.1 Safety, Health and Environment (SHE) is strictly followed at your Company. The two Corporate Committees i.e. Industrial Safety Committee, which is statutory and Explosive Safety Committee are functioning to meet the needs of the Company. Safety committee meetings are held at regular interval for monitoring Safety, Health and Environment as per the statutory requirement. The works are carried out incompliance with the Factories Act 1948, and Explosive safety strictly adhering to the Storage & Transport of Explosive Committee (STEC) regulations.

23.2 Annual explosive safety audit is conducted by Centre for Fire, Explosive & Environment safety (CFEES) New Delhi and the observations made by the audit team have been complied with. Regular medical check-ups are carried out for employees working in hazardous areas.

23.3 Training programmes are arranged by Human Resource Department through National Safety Council (NSC). Safety committee members and employees working in various departments are sent for trainings conducted by National Safety Council-Mumbai in relevant working environments.

23.4 Safety Engineering Department has organized guest lecture by experienced and persons with expertise in the field on Explosive safety and Industrial Safety to educate the employees of the Company. A three-day training program was conducted by 4-S Technologies on both Industrial safety & Explosive safety and ESD measures.

23.5 During Explosive safety audit, Director of "CFEES" Center for Fire, Explosive & Environment Safety MoD-New Delhi, delivered a talk on latest developments in Explosive safety on 9th April 2019, to inculcate Safety consciousness and to establish safe working environment among all working in BDL.

23.6 Safety officers of BDL Safety Engineering Department conducted classes on both Industrial Safety and Explosive Safety in induction programme to new entrants & for unit level classes in coordination with ISTM-HRD.

23.7 Safety Day/Week was celebrated during the month of March-2019. On this occasion Safety pledge was administered to all the employees and various competitions on health & safety are conducted by Safety Engineering Department and employees are awarded to boost their interest towards safety. On the occasion of valedictory function Director of Factories (T.S) & Dy. Chief Inspector of Factories were invited as guests to grace the occasion.

23.8 Safety Engineering Department is in continuous interaction with Director of Factories and Centre for Fire, Explosive & Environment Safety (CFEES) Ministry of defence, New Delhi to update their guide lines for compliance. Mock drills for cyanide antidote are carried by CMO, Medical officers of BDL-KBU. Fire mock drills are conducted at regular intervals to ensure fire-fighting preparedness.

24. ANNUAL RETURN:

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, Company is required to attach an extract of Annual Return for the year under report and the same is placed as **Annexure-I**.

Jyothi Prajwalana-48th National safety day valedictory function-2019.
Shri. B.Rajagopala Rao, Director of Factories, Telangana State,
Shri.Srinivasa Rao, Dy. Chief Inspector of Factories,
Shri. V. Gurudatta Prasad, Director (Production) & Occupier.

25. ENVIRONMENT AND POLLUTION CONTROL:

25.1 Your company contributes in all aspects for clean and green environment by systematically integrating best practices to bring in cleaner technologies and greening the environment through recycle, reuse and reduce approach. Effluent treatment plant, Sewage treatment plant are being operated. Various environmental protection activities such as water conservation, tree plantation, disposal of hazardous waste and metal scrap, planting of saplings and landscaping, utilizing treated effluent water and domestic water have been carried out. Company has been reviewing status of various types of pollutions through ISO 14001 core team meetings, internal audits and management review meeting at regular intervals. Annual surveillance audits are being carried out at all the three units to assess the effectiveness of EMS.

25.2 The following steps have been taken for controlling and preventing pollution in all respects:

i) Waste Management:

All food waste generated from canteen is being given for animal feeding and composting. The hazardous waste, e-waste and biomedical waste is being given to the agency registered with the pollution control board. The lead acid batteries are being given to the authorized recyclers/dealers on buy back. Metal scrap is disposed through M/s MSTC Ltd (A Govt. of India Undertaking).

ii) **Testing of Environmental Parameters:**

The environment parameters like ambient air quality, wastewater from sewage treatment plant and effluent treatment plant, air quality of diesel generator set and Venturi scrubber are tested at all the three units through certified agency at regular intervals.

iii) **Celebration of World Environment day 2018**

World Environment Day 2018 was celebrated in all the three units of BDL. On this occasion, with the theme **"BEAT PLASTIC POLLUTION,"** banners were displayed at prominent locations and saplings were planted in all three units. Slogan writing, elocution and quiz competitions were organised based on the theme in three languages i.e. Hindi, Telugu and English and the winners have been presented with prizes.

26. QUALITY:

26.1 Your Company manufactures products which are single shot in nature. These products require stringent Quality standards and high degree of reliability. In pursuit of this objective, BDL has adopted International Quality Management system practices by way of obtaining ISO/AS certification for the last 23 years. Presently Milan, Akash, CP-IGMP, Electronics Division, Design &Engineering divisions and Bhanur Unit have been certified to AS 9100D Aerospace standard.

26.2 All the three units of BDL at Kanchanbagh, Bhanur and Vizag have been certified with ISO 14001:2004 Environmental Management System (EMS). Your Company has been certified with ISO 27001:2013 (Information Security Management System) Standard.Material Testing Lab of Bhanur Unit has been accredited with ISO / IEC 17025: 2005 (NABL) Certification in the field of testing.

26.3 During the year, regular audits by external agencies are conducted for all the ISO/AS certified divisions. Customer satisfaction is being measured for all major products manufactured in those divisions.

26.4 Your Company is continuously striving to improve customer satisfaction through customer meets and interaction with users. Corrective actions are taken wherever necessary for improvement.

27. OFFICIAL LANGUAGE (OL) IMPLEMENTATION:

27.1 Implementation of OL Act-1963 (as amended 1967) & Rules there under are ensured. Quarterly OLIC Meetings are held regularly under the Chairmanship of CMD & Directors besides submission of Quarterly progress reports on use of OL are sent in time to authorities concerned.

27.2 Under OL Act, 1963 and the Presidential Orders thereon, the papers laid before the Parliament, Annual Report of the Company, MoU with MoD and brief of the Company along with presentation for various delegations and Parliamentary Committees were prepared in bilingual form and submitted.

27.3 Hindi fortnight was celebrated from 01 to 14 September. On the eve of this, various competitions were organized at Kanchanbagh, Bhanur Unit & Vishakhapatnam Unit. Cash Awards were given to the winners of the competitions. Complying with the assurances given to the Parliamentary Committee on OL, Hindi films HINDI MEDIUM at Kanchanbagh and GOLD at Bhanur Unit were shown on 8th & 10th September respectively through multimedia during the Fortnight Celebrations.

27.4 TOLIC (U) functioning is being taken care by BDL and was awarded "Dakshin Kshetriya Rajbhasha Puraskar" for the year 2017-18 in Region "C" for best implementation of OL on 14th Feb., 2019. The award was presented by Hon'ble Governor of Kerala.

27.5 On the eve of Vigilance Awareness Week, National Safety Week, Fire Safety Week, World Environment Day & Quami Ekata Diwas, various competitions were conducted in Hindi, English & Telugu to involve more and more employees of the Organization and bring awareness on these subjects.

27.6 On the occasions of Republic Day and Independence Day Celebrations, CMD addressed the gathering in Hindi. Similarly, on the eve of Vigilance Awareness Week, Swatchata Pakhawada and Constitution Day the pledge was taken in Hindi & English.

27.7 Inspection on OL implementation in the Organisation was conducted by Joint Director (OL), DDP, MoD at Vishakhapatnam Unit, Liaison Office, and Corporate Office & KBU on 09.01.2018, 29.05.2018 & 14.11.2018 respectively. Appreciations were recorded in the reports received there on.

27.8 The Website of the company prepared in Hindi was updated from time to time in compliance to the directives of Govt. of India.

27.9 With an objective to promote and propagate Hindi and inculcate the reading habit among the Officers & Employees of the Company, various Hindi Magazines and News Papers such as Hindi Milap, Swatrantra Vaartha, Dakshin Samachar, Golconda Darpan, Milind Patrika, etc., are subscribed regularly. Besides this, popular Hindi books on all subjects are also purchased annually with the same objective as per the directives of DOL.

28. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

28.1 Your Company being a Defence PSU, the disclosure of information with respect to conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo under the provisions of Section 134(3)(m) read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required as the Ministry of Corporate Affairs vide Notification GSR No.680 (E) dated 4th September, 2015 has granted exemption to Defence Public Sector Undertakings.

28.2 Renewable Energy

Under Green Energy commitment to Hon'ble Prime Minister of India, BDL has agreed to setup 10 MW Grid connected Solar PV power plants under EPC mode of the 300MW Defense scheme. The Company installed 5 MW Grid connected Solar Power plant at BDL-Bhanur unit through M/s. Solar Energy Corporation of India which has become operational since September 2017. The generated power is being used for self-consumption for BDL-Bhanur unit which results in reduced electricity bills and increase savings. The Company has installed another 5MW Grid connected Solar Power plant at Ibrahimpatnam unit through M/s. Solar Energy Corporation of India which has become operational from this current year April 2019. This generated power is self-consumption for BDL-Kanchanbagh unit which results in reduced electricity bills and increase savings. This plant is connected Telangana state electrical power grid at Mangalpally sub-station.

29 VIGILANCE:

29.1 Vigilance Awareness Week-2018 (VAW-2018) was organized from 29 October 2018 to 03 November 2018. On 29 October 2018, Shri S.Piramanayagam, Director (Finance), BDL administered the Pledge and other Senior Officers read the messages of the Government authorities. Live video conference of administering the Pledge & reading of the messages took place by covering all the divisions of BDL viz., i) Kanchanbagh- Hyderabad-Telangana ii) Bhanur-Sangareddy Dist.-Telangana iii) Visakhapatnam-Andhra Pradesh iv) Corporate Office-Gachibowli and declared commencement of the Vigilance awareness week Celebrations with the Theme of "Eradicate Corruption- Build a New India".

29.2 On 30 October 2018 CVO, BDL inaugurated the Vigilance Awareness Week-2018 celebrations at BDL-Bhanur, Sangareddy Dist. Shri Rakesh Kumar Dubbudu, founder

of FACTLY & Transparency Campaigner delivered a lecture on the theme of VAW-2018 at Auditorium, BDL-Township, Bhanur.Prizes were distributed to winners in the Competitions conducted during the VAW-2018 Celebrations

29.3 On 01 November 2018, Shri.P.V.K.Ramana Prasad, Principal Chief Legal Advisor, Anti-Corruption Bureau, Telangana State delivered a Guest Lecture and participated in an interactive session with the Senior Executives of BDL & MIDHANI at "Midhani" Conference Hall, Kanchanbagh, Hyderabad as part of the Vigilance Awareness Week Celebrations of 2018.

29.4 On 03 November 2018, Valedictory Function was organized wherein Hon'ble Justice Shri Abhinand Kumar Shavili, Judge of the High Court for the State of Telangana & Andhra Pradesh delivered a guest lecture on "Eradicate Corruption-Build a New India" as part of Vigilance Awareness Week-2018 celebrations. Prizes were distributed to winners in Various Competitions participated by the employees of BDL-Kanchanbagh & Students of BP DAV School, Midhani Township, Kanchanbagh during the Valedictory function.

29.5 "Integrity Pledge for Citizens" was administered on 29 October 2018 to all the employees of BDL-Kanchanbagh, Bhanur, Badamafi and Visakhapatnam and also to college students. On the eve of Shri Sardar Vallabhai Patelji's Birth Anniversary – Tree Plantation was organized in BDL-Township, Bhanur.

29.6 Various workshops/seminars/Training Programmes were organized and Vigilance Awareness initiatives were taken by Vigilance Department. The main focus of the Vigilance department has been preventive/pro-active vigilance. System improvement suggestions were given to the Management on areas like e-tendering, recruitment and absorption of Management Trainees, Resignation, e-payment, e-procurement departmental promotions, foreign visits, merit awards to employees, civil works etc during the year under report.

30. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT:

30.1 Pursuant to the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 read with various clarifications/ amendments issued by Ministry of Corporate Affairs & DPE guidelines, the Company has undertaken various activities as per the CSR Policy. The programmes/initiatives/projects are taken up inline with the Schedule-VII of the Companies Act-2013, which are duly incorporated in CSR policy and forms the guiding principle for all our programmes. The Board of Directors of your Company has constituted Board Level Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) (please refer Corporate Governance Report) in line with the provisions of Section135 of the Companies Act, 2013. The Committee has formulated and recommended CSR Policy to the Board indicating the projects/activities to be undertaken by the Company as specified in ScheduleVII of the Companies Act, 2013.

30.2 The CSR and SD activities are monitored periodically by the Committee and an annual report on CSR and SD activities undertaken during the year 2018-19 is enclosed at **Annexure-II.**

30.3 Your Company has been very conscious about its responsibilities towards society. Your Company has also ventured into backward/ under developed areas in Andhra Pradesh and Telangana to undertake Corporate Social Responsibility (CSR) activities by sponsoring various schemes.

30.4 The core areas of focus under CSR are Health Care, Nutrition, Education & Literacy, Skill Development & Sustainable Livelihoods, Sanitation, Safe Drinking Water etc. Your Company also adopted villages in Andhra Pradesh and Telangana State under Corporate Social Responsibility initiative and the focus is on the necessities of human life–health, water and other conveniences.

30.5 During the year 2018-19, the CSR & SD expenditure target was ₹ 1633.40 lakh (including carry forward unspent amount of previous years). Against the target, the Company has incurred an expenditure of ₹ 1683.10 lakh and achieved 100% CSR target amount required under the provisions of Companies Act, 2013.CSR activities being undertaken are placed on Company's website hhtp://www.bdl-india.in

31. AUDIT COMMITTEE:

An Audit Committee is in place as a part of good Corporate Governance. Eight meetings have been held during the year 2018-19 to review internal control systems and their adequacy, including coverage of Audit Functions. Details of composition, terms of reference, etc., are covered in Report on Corporate Governance.

32. RELATED PARTY TRANSACTIONS

There are no materially significant related party transactions during the year under review which may have a potential conflict with the interest of the Company at large. Thus, disclosure in Form AOC-2 is not required. Members may refer to the notes to the accounts for details of related party transactions. The policy for related party transaction has been uploaded on the Company's website www.bdl-india.in.

33 PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS:

Details of Loans, Guarantees and Investments covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 are given in the notes to the Financial Statement

34 INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Your Company had put in place all required internal controls and systems to meet the canons of financial propriety. External audit firms are appointed to ensure their adequacy and report thereon. Detailed analysis of reports of Internal Audit Firms as well as reports of Internal Audit Department of your Company is placed before the Audit Committee for its review and advice. The adequacy of internal control procedures are reviewed and reported by Statutory Auditors in their Audit Report. The necessary disclosures have been made in Notes to Accounts. Your Company being a Government Company is subject to Government Audit also.

35. AUDITORS:

M/s.S.R.Mohan & Co., Chartered Accountants, Hyderabad were appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial Year 2018-19 by the Comptroller & Auditor General of India. The Auditors have audited the Accounts and their Report is placed as a part of the Annual Report.

36. COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comments of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 on the accounts of the Company for the year ended 31 March 2019 are placed next to the Statutory Auditors Report.

37. COST AUDITORS

Your Company appointed M/s. Narasimha Murthy & Co., Cost Accountants, Hyderabad as Cost Auditors for the FY 2018-19 in terms of Section 148 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules 2014.

38. SECRETARIAL AUDIT

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed M/s. Narender & Associates, Practicing Company Secretaries (PCS Registration No.5024) for the financial year 2018-19 to undertake the Secretarial Audit of the Company. The Secretarial Audit Report is annexed to this report as **Annexure III**.

39. CEO / CFO CERTIFICATION:

As per the requirements of SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines, the CEO/CFO certificate has been obtained and placed before the Audit Committee and the Board.

40 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report required under the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and also under the DPE Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), is attached to this Report as **Annexure IV**.

41. CORPORATE GOVERNANCE:

41.1 Corporate Governance is about application of best management practices, compliance of laws and adherence to ethical standards to achieve Company's objective of enhancing stakeholders' value and discharge of social responsibility.

41.2 The Company has a well-established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

41.3 As per the guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by DPE vide its OM No. 18 (8)/2005-GM, dated 14 May 2010 and in terms of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Report on Corporate Governance along with Certificate on compliance of conditions on Corporate Governance from a Practicing Company Secretary are attached to this report as **Annexure-V**.

41.4 Quarterly and Yearly compliance reports on Corporate Governance are being forwarded to Stock Exchanges and MoD in the prescribed format. Your Company received "Excellent" rating from MoD for compliance of Corporate Governance under DPE Guidelines for the year 2017-18 and compliance on Corporate Governance for the year 2018-19 is under evaluation.

42. RISK MANAGEMENT:

Pursuant to the Reg. 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has constituted a Risk Management Committee. The details of Committee and its terms of reference are set out in the Corporate Governance Report

43. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013:

In line with the provisions contained under "The Sexual Harassment of Women at the workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 your Company has put in place "Anti Sexual Harassment Policy" in line with the requirements of the above Act. During the year 2018-19, your Company has not received any Sexual harassment complaints.

44. COMPLIANCE UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005.

The information required to be provided to citizens under Section 4(1)(b)of Right to Information Act, 2005 is placed on Company's Website www.bdl-india.in. It contains general information of the Company, functions, powers and duties of employees/ officers, decisions making process, rules, regulations, manuals and records held by the Company, directory of the Company's Officers, pay scales of officers/ employees and procedure for seeking information and inspection of records. The Company has nominated a Central Public Information Officer of Senior Manager Level to attend to queries and appeals. Further, during the year 2018-19 the Company received 120 applications/queries and the same were disposed-off except one RTI request, which is under process.

45. VIGIL MECHANISM

Pursuant to the provisions of the Section 177(9) of the Companies Act, 2013read with Rule (7) of the Companies (Meeting of the Board & its Power) Rules, 2014 and DPE Guidelines for CPSEs, the Board of Directors had approved the policy on Whistleblower/Vigil Mechanism and the same was hosted on website of the Company. The policy inter-alia provides a direct access to the Chairman of the Audit Committee

46. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility Report ("BR report") as part of the Annual Report for 500 listed entities based on market capitalization. Your Company has prepared a comprehensive policy framework for BR report, after studying the SEBI (LODR) Regulations, 2015 requirements and keeping in view the business and governance environment in which BDL as a Defence PSU operates. The Company's BR report for the year is attached to this Report as **Annexure VI**.

47. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

47.1 In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the top 500 listed Companies, based on market capitalization shall formulate a Dividend Distribution Policy. As per the Market Capitalization data released by stock exchanges, the Company ranks in the list of top 500 listed Companies.

47.2 Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/or retaining the profit into the business. The policy is available on the BDL's website www.bdl-india.in

48. ACKNOWLEDGEMENT

48.1 Your Directors gratefully acknowledge the valuable support and assistance received from all Government Agencies, particularly Ministry of Defence, Ordnance Factories, Department of Defence Production, DRDO Laboratories, Central Government Departments, State Governments of Telangana and Andhra Pradesh, Quality Assurance Agencies of Government of India and other PSUs for the help extended by them from time to time.

48.2 The Company wishes to place on record its appreciation for the cooperation extended and guidance provided by the Comptroller & Auditor General of India, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board, Statutory Auditors, Bankers and Suppliers.

48.3 The Directors take this opportunity to place on record their deep appreciation for the valuable contribution made and co-operation extended by the employees at all levels to propel the Company to greater heights and to sustain its growth path in the years to come.

For and on behalf of the Board

Cmde Siddharth Mishra (Retd.)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

Place: Hyderabad

Date: 10 August 2019

ANNEXURE-I

FORM No. MGT – 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 MARCH 2019

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. **REGISTRATION AND OTHER DETAILS:**

i)	Corporate Identity Number (CIN)	:	L24292TG1970GOI001353
ii)	Registration Date	:	16 JULY 1970
iii)	Name of the Company	:	BHARAT DYNAMICS LIMITED
iv)	Category/Sub–Category of the Company	:	MINIRATNA CATEGORY-1
v)	Address of the registered office	:	Kanchanbagh, Hyderabad-500058 Tel: +91 4024344979
vi)	Corporate Office and Contact details	:	TSFC Building, Financial District Gachibowli, Hyderabad – 500032 Tel: +91 40 23456145 Fax: +91 40 23456107
vi)	Whether Listed Company	:	YES
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	:	Alankit Assignments Limited 205-208,Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Telephone: +91 11 42541234 Facsimile : +91 11 41543474

II. **PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:

Sl.No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the product/service	% to total turnover of the Company
1.	Disclosure of the information exempted as per MCA notification No. Nil Dated 05 June 2015.		

III. **PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES**

Sl.No	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/Subsidiary/ Associate	% of share held	Applicable Section
- NIL -					

IV. **SHARE HOLDING PATTERN**

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) **Category – wise Shareholding**

Category of Shareholders	No. of Share held at the beginning of the year (@ face value of ₹ 10/- each)				No. of Shares held at the end of the year (@ face value of ₹ 10/-each)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. **Promoters**									
1) Indian									
a) Individual/HUF (Nominees of President of India)	-	12	12	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	160829285	-	160829285	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
c) State Govt. (s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total A (1)	160829285	-	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
2)Foreign									
a) NRIs- Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any other...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total A(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter (A)= (A) (1) + (A) (2)	160829285	12	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-

Category of Shareholders	No. of Share held at the beginning of the year (@ face value of ₹ 10/- each)				No. of Shares held at the end of the year (@ face value of ₹ 10/-each)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
B. Public Shareholding									
1.Institutions									
a)Mutual Funds	5056573	-	5056573	2.76%	5067001	-	5067001	2.76%	-
b) Banks/FI	2448767	-	2448767	1.34%	2286317	-	2286317	1.25%	0.09%
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt (s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)Insurance Company	4832297	-	4832297	2.64%	4807297	-	4807297	2.62%	0.02%
g) FIIs	7315	-	7315		-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Other (Specify)- Foreign Portfolio Investors	-	-	-	-	1641997	-	1641997	0.90%	0.90%
Sub-total(B)(1)	12344952	-	12344952	6.74%	13802612	-	13802612	7.53%	0.79%
2.Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
(i) Indian	655152	-	655152	0.36%	626502	-	626502	0.34	0.02%
(ii)Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals i) Individuals Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 Lakh	7988402	-	7988402	4.36%	6837751	88	6837839	3.73	0.63%
ii)Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 Lakh	565325	-	565325	0.31%	486135	-	486135	0.27	0.04%
c) Other (Specify)									
Trusts	490	-	490	0.00%	1381	-	1381	0.00%	-
HUF	365834	-	365834	0.20%	345069	-	345069	0.19%	0.01%
NRIs	199184	-	199184	0.11%	273898	-	273898	0.15%	0.04%
Employees	51241	-	51241	0.03%	39971	-	39971	0.02%	0.01%
Clearing Members	281373	-	281373	0.15%	31532	-	31532	0.02%	0.13%
NBFC registered with RBI	-	-	-	-	7014	-	7014	0.00%	-
Sub-total B (2):	10107001	-	10107001	5.51%	8649253	88	8649341	4.72%	0.79%
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	22451953	-	22451953	12.25%	22451865	88	22451953	12.25%	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	183281238	12	183281250	100%	183281162	88	183281250	100%	-

ii) **Shareholding of Promoters**

Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year (01 April 2018)			Shareholding at the end of the year (31 March 2019)		
	No. of Shares (@ FV of ₹ 10/- each)	% of total shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares (@ FV of ₹ 10/- each)	% of total shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares
President of India	**160829285**	**87.75%**	-	**160829297**	**87.75%**	-
Nominees of President of India						
V.Udaya Bhaskar	2	0%	-	-	-	-
S.Piramanayagam	2	0%	-	-	-	-
Dr.Amit Sahai	2	0%	-	-	-	-
Ashwani Kumar	2	0%	-	-	-	-
V.Gurudatta Prasad	2	0%	-	-	-	-
K.Divakar	2	0%	-	-	-	-

iii) **Change in Promoters' Shareholding(please specify, if there is no change)**

S.No	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year		Date	Increase/ (decrease)in share holding	Reason	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company				No. of shares	% of total shares of the Company
				01/04/2018	-	-	**160829285**	**87.75%**
1	**President of India**	160829285	87.75%	30/05/2018	12	Transfer from Nominees	160829297	87.75%
				31/03/2019	-	-	**160829297**	**87.75%**
	Nominees of President of India							
a)	V Udaya Bhaskar	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**0%**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**
b)	S.Piramanayagam	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**0%**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**
c)	Dr.Amit Sahai	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**-**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**
d)	Ashwani Kumar	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**-**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**
e)	V.Gurudatta Prasad	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**-**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**
f)	K.Divakar	2	0%	**01/04/2018**	-	-	**2**	**-**
				30/05/2018	(2)	Transfer back to President of India	-	0%
				31/03/2019	-	-	**-**	**0%**

iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

S.No	Name of the Shareholder	Date	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1	**Life Insurance Corporation Of India**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**4089614**	**2.23**	**4089614**	**2.23**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**4089614**	**2.23**	**4089614**	**2.23**
2	**HDFC Trustee Company Limited-HDFC Equity Fund**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**3265331**	**1.78**	**3265331**	**1.78**
	Bought during the year	06/04/2018	66990		3332321	
	Bought during the year	13/04/2018	43610		3375931	
	Bought during the year	27/04/2018	100569		3476500	
	Bought during the year	04/05/2018	100		3476600	
	Bought during the year	11/05/2018	98000		3574600	
	At the End of the year	**31/03/2019**	**3574600**	**1.95**	**3574600**	**1.95**

S.No	Name of the Shareholder	Date	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
3	**The Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Fund Trust, Opportunistic equity Portfolio**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	-		-	-
	Bought during the year	06/04/2018	175765		175765	
	Bought during the year	13/04/2018	45435		221200	
	Bought during the year	20/04/2018	56193		277393	
	Bought during the year	27/04/2018	881		278274	
	Bought during the year	04/05/2018	35175		313449	
	Bought during the year	11/05/2018	111701		425150	
	Bought during the year	18/05/2018	48403		473553	
	Bought during the year	25/05/2018	60911		534464	
	Bought during the year	01/06/2018	47914		582378	
	Bought during the year	08/06/2018	60596		642974	
	Bought during the year	15/06/2018	36215		679189	
	Bought during the year	22/06/2018	31801		710990	
	Bought during the year	29/06/2018	17352		728342	
	Bought during the year	06/07/2018	8816		737158	
	Bought during the year	13/07/2018	15709		752867	
	Bought during the year	20/07/2018	19335		772202	
	Bought during the year	10/08/2018	88130		860332	
	Bought during the year	17/08/2018	12430		872762	
	Bought during the year	24/08/2018	17929		890691	
	Bought during the year	31/08/2018	25346		916037	
	Bought during the year	07/09/2018	16117		932154	
	Bought during the year	14/09/2018	195941		1128095	
	Bought during the year	26/10/2018	18594		1146689	
	Bought during the year	21/12/2018	7164		1153853	
	Bought during the year	23/11/2018	2881		1156734	
	Bought during the year	30/11/2018	7269		1164003	
	Bought during the year	07/12/2018	15593		1179596	
	Bought during the year	14/12/2018	3775		1183371	
	Bought during the year	21/12/2018	7692		1191063	
	Bought during the year	28/12/2018	5112		1196175	
	Bought during the year	31/12/2018	317		1196492	
	Bought during the year	04/01/2019	4309		1200801	
	Bought during the year	25/01/2019	8668		1209469	
	Bought during the year	01/02/2019	5375		1214844	
	At the End of the year	**31/03/2019**	**1214844**	**0.66**	**1214844**	**0.66**
4	**HDFC Trustee Co Ltd A/C HDFC Housing Opportunities Fund-1140D November 2017(1)**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**895621**	**0.48**	**895621**	**0.48**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**895621**	**0.48**	**895621**	**0.48**
5	**Bank Of Baroda**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**868878**	**0.47**	**868878**	**0.47**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**868878**	**0.47**	**868878**	**0.47**
6	**State Bank Of India**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**695087**	**0.38**	**695087**	**0.38**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**695087**	**0.38**	**695087**	**0.38**
7	**HDFC Trustee Company Ltd. A/C HDFC capital Builder Value Fund**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**895621**	**0.49**	**895621**	**0.49**
	Bought during the year	06/04/2018	45000		940621	
	Sold during the year	14/09/2018	(260700)		679921	
	Sold during the year	20/09/2018	(90200)		589721	
	Sold during the year	21/09/2018	(34700)		555021	
	Bought during the year	04/01/2018	10300		565321	
	Bought during the year	01/03/2019	27000		592321	
	Bought during the year	22/03/2019	4446		596767	
	At the End of the year	**31/03/2019**	**596767**	**0.32**	**596767**	**0.32**
8	**General Insurance Corporation of India**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**521322**	**0.28**	**521322**	**0.28**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**521322**	**0.28**	**521322**	**0.28**

S.No	Name of the Shareholder	Date	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
9	**The New India Assurance Company Limited**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	**434426**	**0.23**	**434426**	**0.23**
	Bought during the year					
	Sold during the year					
	At the End of the year	**31/03/2019**	**434426**	**0.23**	**434426**	**0.23**
10	**The wellington Trust Company ,National Association Multiple Common Trust funds trust ,Opportunistic Equity Portfolio**					
	At the beginning of the year	**01/04/2018**	-		-	-
	Bought during the year	06/04/2018	48369		48369	
	Bought during the year	13/04/2018	16240		64609	
	Bought during the year	20/04/2018	10832		75441	
	Bought during the year	27/04/2018	3714		79155	
	Bought during the year	04/05/2018	10768		89923	
	Bought during the year	11/05/2018	39380		129303	
	Bought during the year	18/05/2018	19203		148506	
	Bought during the year	25/02/2018	20258		168764	
	Bought during the year	01/06/2018	13432		182196	
	Bought during the year	08/06/2018	19236		201432	
	Bought during the year	15/06/2018	6525		207957	
	Bought during the year	22/06/2018	9177		217134	
	Bought during the year	29/06/2018	11898		229032	
	Bought during the year	06/07/2018	9118		238150	
	Bought during the year	13/07/2018	9181		247331	
	Bought during the year	20/07/2018	13763		261094	
	Bought during the year	10/08/2018	20237		281331	
	Bought during the year	24/08/2018	5232		286563	
	Bought during the year	31/08/2018	7790		294353	
	Bought during the year	07/09/2018	5810		300163	
	Bought during the year	14/09/2018	60127		360290	
	Bought during the year	26/10/2018	10748		371038	
	Bought during the year	02/11/2018	2068		373106	
	Bought during the year	30/11/2018	3487		376593	
	Bought during the year	07/12/2018	582		377175	
	Bought during the year	14/12/2018	1225		378400	
	Bought during the year	21/12/2018	529		378929	
	Bought during the year	28/12/2018	496		379425	
	Bought during the year	31/12/2018	1340		380765	
	Bought during the year	04/01/2019	3476		384241	
	Bought during the year	25/01/2019	227		384468	
	Bought during the year	01/02/2019	2670		387138	
	Sold during the year	08/02/2019	(3571)		383567	
	Sold during the year	15/02/2019	(1063)		382504	
	Sold during the year	22/02/2019	(28471)		354033	
	Sold during the year	01/03/2019	(23881)		330152	
	At the End of the year	**31/03/2019**	**(330152)**	**0.18**	**330152**	**0.18**

v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

For Each the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
At the beginning of the year	**Nil**			
Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. Allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc)				
At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year).				

(V) INDEBTEDNESS

The Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i + ii + iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition				
• Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i + ii + iii)				

-NIL-

(VI) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-TimeDirectors and/or Manager:

(Amout in ₹)

Sl. No	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager (Shri/Smt)						Total Amount
		V Udaya Bhaskar (Till 28/02/2019)	Cmde Siddharth Mishra (Retd.) (from01/03/2019)	S Piramanayagam	V Gurudatta Prasad	K.Divakar (Till 31/08/2018)	N.P Diwakar (from 01/09/2018)	
1	Gross Salary a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961.	61,24,685	3,57,051	64,67,618	67,84,943	23,69,973	44,75,730	2,65,80,013
	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	32,400	2,700	32,964	33,400	32,313	33,400	1,67,177
	c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) Income Tax Act, 1961	- 18,693	-	-	-	-		18,693
2.	Stock Option	-		-	-	-		-
3.	Sweat Equity	-		-	-	-		-
4	Commission - as % of Profit - others, specify	-		-	-	-		-
5	Others, please specify	-		-	-	-		-
	Total (A)	**61,75,778**	**3,59,751**	**65,00,582**	**68,18,343**	**24,02,286**	**45,09,130**	**2,67,65,883**

B. Remuneration to other Directors:

(Amout in ₹)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of the Directors					Total Amount
		Sushama V Dabak	Prof. Ajay Pandey	Ajay Nath	KS Sampath	Latha Narasimha Murthy	
1.	Independent Directors • Fee for attending Board Committee Meetings • Commission • Others, please specify	2,70,000	2,30,000	1,60,000	2,90,000	2,70,000	12,20,000
	Total (1)						
2.	Other Non–Executive Directors • Fee for attending Board Committee Meetings • Commission • Others, please specify	NIL					
3	Total (2)	Nil					
	Total (B) = (1+2)	12,20,000					
	Total Managerial Remuneration (A+B)	2,79,85,883					
	Overall ceiling as per the Act	Exempted as per the MCA Notification No. 463 (E) dated 05.06.2015					

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other than the MD/Manager/WTD

(Amout in ₹)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel Company Secretary N Nagaraja
1.	Gross Salary a) Salary as per provisions contained 17 (1) of the Income-Tax Act,1961	15,60,848
	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	1000
	c) Profit in lieu of salary under section 17(3) Income Tax	-
2.	Stock Option	-
3.	Sweat Equity	-
4.	Commission as % of profit	-
5.	Others, please specify	-
	Total	**15,61,848**

Note:Director (finance) is also CFO of the Company. Hence no separate disclosure is provided.

(VII). PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

TYPE	SECTION OF THE COMPANIES ACT	BRIEF DESCRIPTION	DETAILS OF PENALTY/ PUNISHMENT COMPOUNDING FEES IMPOSED	AUTHORITY [RD/NCLT/ COURT]	APPEAL MADE IF ANY (GIVE DETAILS)
A. **COMPANY**					
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					

ANNEXURE-II

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY ACTIVITIES

{Rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014}

a) Brief outline of the Company CSR&SD Policy

BDL has been very conscious about it responsibilities towards society. The Company has also ventured into backward / under developed areas in Andhra Pradesh and Telangana to undertake Corporate Social Responsibility (CSR) activities by sponsoring variety of schemes.

As per the provisions of the Companies Act, 2013, BDL is spending 2% of the average net profits of the immediately three preceding financial years.

The core areas of focus under CSR are Health Care, Nutrition, Education & Literacy, Skill Development & Sustainable Livelihoods, Sanitation, Safe Drinking Water etc. BDL has also adopted villages in Andhra Pradesh and Telangana State under Corporate Social Responsibility initiative and the focus is on the necessities of human life – health, water and other conveniences.

Some of the major activities of BDL under CSR are:

- Mid-day Meal for School Children studying in Government Schools
- Health Care for Elderly people through Mobile Medicare Units at Nalgonda district of Telangana and Visakhapatnam district of Andhra Pradesh
- Safe Drinking Water by installation of RO water treatment plants
- Construction and Maintenance of Toilets in Govt. Schools
- Development activities in aspirational districts
- Adoption of Govt. ITIs
- Skill Development of Unemployed Youth
- Contribution for the development of Sports in the country
- Sanitation and Swatch Bharat
- Welfare of Persons with Disabilities
- Promoting Education (Distribution of Dual Desks to Govt. Schools)

CSR activities being undertaken are placed on Company's website http://www.bdl-india.in

b) Composition of CSR Committee as on 31 March, 2019

1	Shri.Ajay Nath Independent Director	Chairman
2	Smt.Sushama V Dabak, Independent Director	Member
3	Shri.S.Piramanayagam Director (Finance)& CFO	Member
4	Shri.V.Gurudatta Prasad Director (Production)	Member
5	Shri.K.S.Sampath Independent Director	Member
6	Prof.Ajay Pandey, Independent Director	Member
7	Smt.K.Latha Narasimha Murthy Independent Director	Member

c) Average Net Profit of the Company for last three financial years:

The Average net profits of the Company for the last three financial years is ₹ 80798.32 lakh

d) Prescribed CSR Expenditure:

The prescribed CSR Expenditure i.e. 2% of the amount in the item No.(c) above is ₹ 1615.97 lakh

e) Details of CSR spent during 2018-19

i) Total Amount to be spent as per Companies Act, 2013 for the financial year: ₹ 1615.97 lakh

ii) Amount unspent, if any : Nil

iii) The manner in which the amount spent during the financial year is annexed hereunder:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE FINANCIALYEAR 2018-19

(Format prescribed under rule 8 of the companies (CSR Policy) Rule 2014)

(₹ in lakh)

Sl. No	CSR project or activity identified.	Sector in which the Project is covered.	Projects or programs		Amount outlay (budget) project or program wise	Amount spent on the project or program Sub-heads:		Cumulative expenditure upto the reporting period.	Amount spent : Direct or through implementing agency
			Local area or other	Specify the State and district where projects or programs was undertaken		Direct Expenditure on projects or programs	Over heads		
1	Provision of Mobile X Ray Machine, Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam	Animal Welfare	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	15.00	13.50	NIL	13.50	Curator Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam
2	Provision of School Furniture to Govt. Schools in Telangana through Central Prisons, Chanchalguda and Cherlapalli, Hyderabad	Education	Local	Telangana	200.00	119.50	NIL	119.50	Central Prisons, Chanchalguda and Cherlapalli, Hyderabad
3	Mid-Day Meal to Govt. Schools children in Patancheru during Academic Year 2017-18 and 2018-19	Education	Local	Sangareddy, Telangana	89.45	89.45	NIL	89.45	The Akshaya Patra Foundation, Bengaluru
4	Mid-Day Meal to Govt. School Children in Visakhapatnam during Academic Year 2017-18 and 2018-19	Education	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	38.04	38.04	NIL	38.04	The Akshaya Patra Foundation, Bengaluru
5	Digitization of Class Rooms in Govt. Schools of Kamareddy District	Education	Local	Kamareddy, Telangana	50.00	40.00	NIL	40.00	District Collector, Kamareddy District, Telangana
6	Smart School Project in Govt. Schools of Mahadevpatnam and Narsapuram Constituency, Andhra Pradesh	Education	Local	West Godavari, Andhra Pradesh	50.00	40.00	NIL	40.00	District Collector, West Godavari, Andhra Pradesh
7	Developmental activities in Aspirational District-Jayshankar Bhupalpaly	Education & Health Care	Local	Jayshankar Bhupalpaly, Telangana	400.00	360.00	NIL	360.00	District Collector, Jayshankar Bhupalpaly, Telangana
8	Awareness Creation and Supplying of Sanitary Napkins to Girl Students of Government Schools in Telangana through National Institute of Rural Dev. &Panchayat Raj (NIRD & PR), Hyderabad	Empowerment of Women	Local	Ranga Reddy, Telangana	72.00	50.28	NIL	50.28	NIRD & PR, Hyderabad
9	Distribution of Aids and Appliances (ArtificialLimbs) to Divyangjan through Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	Health Care	Local	Siddipet, Telangana	6.77	4.41	2.36	6.77	ALIMCO, Hyderabad
10	Health Care by Mobile Medical Unit (MMU) at Nalgonda	Health Care	Local	Nalgonda, Telangana	12.24	6.83	NIL	6.83	HelpAge India, New Delhi

Sl. No	CSR project or activity identified.	Sector in which the Project is covered.	Projects or programs		Amount outlay (budget) project or program wise	Amount spent on the project or program Sub-heads:		Cumulative expenditure upto the reporting period.	Amount spent : Direct or through implementing agency
			Local area or other	Specify the State and district where projects or programs was undertaken		Direct Expenditure on projects or programs	Over heads		
11	Health Care by Mobile Medical Unit (MMU) at Vizag	Health Care	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	32.45	27.38	NIL	27.38	HelpAge India, New Delhi
12	Cochlear Implants for Hearing Disabled through Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	Health Care	Local	Andhra Pradesh and Telangana	221.36	147.58	NIL	147.58	ALIMCO, Hyderabad
13	Establishment of fully automated Microbiology Lab at MNJ Institute of Oncology & Regional Cancer Centre, Hyderabad	Health Care	Local	Hyderabad, Telangana	100.00	30.00	NIL	30.00	MNJ Institute of Oncology & Regional Cancer Centre, Hyderabad
14	Adoption of Military Madhavaram village	Rural Development	Local	West Godavari, Andhra Pradesh	505.90	234.01	NIL	234.01	Direct
15	Maintenance for 3 Water RO plants functional at Janagaon, Narayanapur and peepalpahad village	Safe Drinking Water	Local	Nalgonda, Telangana	2.70	2.70	NIL	2.70	Naandi Foundation, Hyderabad
16	RCI, BDL & Other DRDO Labs at KBC Roads Development, Arboriculture Plantation maintenance	Sanitation	Local	Ranga Reddy, Telangana	6.68	4.77	NIL	4.77	Direct
17	Swachh Bharat Pakhwada Activities Expenditure	Sanitation	Local	Andhra Pradesh and Telangana	0.46	0.46	NIL	0.46	Direct
18	Maintenance for toilets constructed in 103 Govt. Schools in Telangana State during Academic Year 2017-18 and 2018-19	Sanitation	Local	Sangareddy, Nalgonda, Ranga Reddy, Telangana	43.26	30.90	NIL	30.90	Project Director, Telangana Sarva Sikshya Abhiyan
19	Construction of Toilets and Establishment of RO water Plant in Govt. Schools in Mahabubnagar District	Sanitation	Local	Mahabubnagar, Telangana	50.00	40.00	NIL	40.00	District Collector, Mahabubnagar District, Telangana
20	Skill Development training for 80 Unemployed youth through Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Hyderabad	Skill Development	Local	Hyderabad, Telangana	16.99	16.99	NIL	16.99	CIPET, Hyderabad
21	Skill Development training for 520Unemployed youth through Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Hyderabad	Skill Development	Local	Hyderabad, Telangana	184.08	70.80	NIL	70.80	CIPET, Hyderabad

Sl. No	CSR project or activity identified.	Sector in which the Project is covered.	Projects or programs		Amount outlay (budget) project or program wise	Amount spent on the project or program Sub-heads:		Cumulative expenditure upto the reporting period.	Amount spent : Direct or through implementing agency
			Local area or other	Specify the State and district where projects or programs was undertaken		Direct Expenditure on projects or programs	Over heads		
22	Digital Class Rooms at Indo German Institute of Advanced Technology (IGIAT), Visakhapatnam	Skill Development	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	35.13	35.06	NIL	35.06	IGIAT, Visakhapatnam
23	Skill Development training for 200 Unemployed youth through Indo-German Institute of Advance Technology (IGIAT), Visakhapatnam	Skill Development	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	20.01	15.00	NIL	15.00	IGIAT, Visakhapatnam
24	Skill Development training for 175 Unemployed youth through Indo-German Institute of Advance Technology (IGIAT), Visakhapatnam	Skill Development	Local	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	50.00	27.28	NIL	27.28	IGIAT, Visakhapatnam
25	Centre of Excellence at BDL for Skill Development of Unemployed youth	Skill Development	Local	Ranga Reddy, Telangana	50.00	0.54	NIL	0.54	Direct
26	Provision of Tools, Equipment Machinery and Raw Material to Govt. ITI, Shantinagar, Hyderabad	Skill Development	Local	Hyderabad, Telangana	100.00	80.00	NIL	80.00	Director (Employment & Training), Govt. of Telangana
27	Skill Development Program for Divyangjan (PWDs) through National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), New Delhi	Skill Development	Other		100.00	79.99	NIL	79.99	NHFDC, New Delhi
28	CSR Administrative & Overheads	Others	Local	Hyderabad, Telangana	75.28	75.28	NIL	75.28	Direct
	Total				**2,527.80***	**1,680.74**	**2.36**	**1,683.10**	

Note:

1) This is an estimated cost for which approval was taken from the Board. It may be noted that under the provisions of the Companies Act,2013 the Company has to spend ₹ 1615.97 Lakh for CSR activities for the financial year 2018-19 (i.e.2% of the average net profit for the last three years). However, the Company has spent ₹ 1683.10 Lakh including carried forward unspent expenditure of previous years and hence there is no short fall and non-compliance in this regard.
2) The above expenditure excludes the donation of Spared machineries to Govt. ITI Colleges which is ₹ 4.00 as per the books (written down value).

f) In case the Company has failed to spend the two percent of the Average Net-profit of the last three financial years or any part thereof, the Company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report: Nil.

g) A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the Company

It is hereby stated that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with CSR objectives and policy of the Company

Place: Hyderabad
Date : 10 August 2019

Cmde Siddharth Mishra (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN: 08367035

Ajay Nath
Chairman of CSR &SD
DIN: 05151291

ANNEXURE-III

NARENDER & ASSOCIATES

Company Secretaries

403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038

Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2019

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule no.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members
Bharat Dynamics Limited
Hyderabad

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bharat Dynamics Limited** (hereinafter referred as 'the Company'). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2019** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries, HYDERABAD, FCS-4898, CoP-5024

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (The Company didn't take any action which attracts the provisions of these Regulations during the period under review)

(d) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999; (The Company didn't take any action which attracts the provisions of these Regulations during the period under review)

(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (The Company didn't taken any action which attracts the provisions of these Regulations during the period under review)

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (The Company didn't taken any action which attracts the provisions of these Regulations during the period under review)

(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

(vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to the Board and General Meetings

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE) read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(iii) I have not examined compliance by the Company with applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

I further report that

i. The Company did not comply with the requirement of 50% of Independent Directors on the Board with effect from 01st May 2018, however, the Company has informed that being a Government Company under the Administrative control of Ministry of Defence, the power to appoint Directors (including Independent Directors) and the terms and conditions of such appointments including remuneration, evaluation vests with the Government of India.

ii. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, including Committees thereof, along with the agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

iii. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

for Narender & Associates
Company Secretaries

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries ★ HYDERABAD ★ FCS-4898 CoP-5024

G. NARENDER
Proprietor
FCS 4898, CP5024

Place: Hyderabad
Date: 27th May, 2019

This report is to be read with my letter of even date which is annexed as 'Annexure A' and forms an integral part of this report.

NARENDER & ASSOCIATES

Company Secretaries

403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038

Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

'Annexure - A'

To,
The Members,
Bharat Dynamics Limited
Hyderabad

My report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.

4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

for Narender & Associates
Company Secretaries

NARENDER & ASSOCIATES, Company Secretaries ★ HYDERABAD ★ FCS-4898 CoP-5024

G. NARENDER
Proprietor
FCS 4898, CP5024

Place: Hyderabad
Date: 27th May, 2019

ANNEXURE - IV

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Forward looking statements

Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of Defence equipments, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally.

Bharat Dynamics Ltd in Brief:

Established in 1970, Bharat Dynamics Limited (BDL), is a Government of India Enterprise under the Ministry of Defence and a manufacturer of Surface to Air Missile(SAM), Anti -Tank Guided Missile (ATGM), Torpedoes, and allied defence equipments. Head Quarters of the company is located in Hyderabad and has three manufacturing units, located at Kanchanbagh, Hyderabad, Telangana, Bhanur, Medak District, Telangana and Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Two New Units are planned at Ibrahimpatnam, Ranga Reddy district, Telangana and Amravati, Maharashtra. During the recent years the company also commenced export of selected defence equipments and have entered into strategic alliances with public and private sector companies. The company has 3034 employees as on 31 March 2019 and during the year 2018-19 reported a sales turnover of ₹ 3069 Crore.

1. Strategic Environment

The company operate in an environment characterised by both increasing complexity in factors influencing national security and continuing economic challenges in India and globally. A significant component of our business outlook in this environment is to focus on execution, improving standards and quality and predictability of the delivery of our products to the Indian Army. We also continue to invest in technologies to fulfil the requirements of the Indian armed forces and also invest in our people so that we have the necessary technical skills to succeed without limiting our ability.

BDL's business is influenced by its strategic environment comprising of Indian defence sector, *Global defence spending, Government Policy & Emerging trends.*

1.1 Global Defence Spending

The global military spending rose to $1822 billion for the second consecutive year in 2018. The overall military expenditure has increased to 2.6 in real terms percent between 2017 and 2018. The global military spending currently accounts to 2.1 percent of the world global gross domestic product (GDP).

The five biggest spenders in the year 2018 were the United States, China, Saudi Arabia, India and France, which together accounted for 60 per cent of global military spending. Most notably, Russia ranked outside the top five for the first time since 2006.The top 15 countries spent $1470 billion in 2018 and accounted for 81 per cent of global military expenditure

US military spending rose for the first time in seven years by 4.6 percent, to $649 billion in 2018. China increased its military expenditure by 5.0 per cent and India by 3.1 per cent. Saudi Arabia decreased its military spending by 6.5 per cent, France by 1.4 per cent and Russia by 3.5 per cent. Military expenditure increased in Central America and the Caribbean, Central Europe, Central and South Asia, East Asia, North America, South America, and Western Europe. Military spending decreased in Eastern Europe, North Africa, Oceania, South East Asia, and sub-Saharan Africa. The total military expenditure of the countries in the Middle East is also decreased.

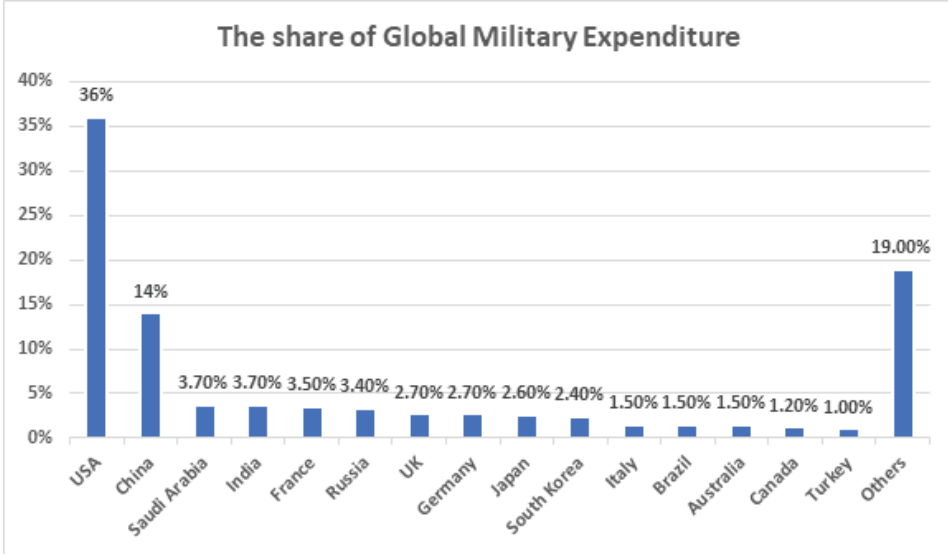

(Source: www.sipri.org)

China, the world's second-largest military spender, allocated $250 billion to the military in 2018, which accounted for 14 per cent of global spending. In 2018 its military expenditure rose for the 24th consecutive year, and its spending in 2018 was almost 10 times higher than in 1994. The annual rate of growth of China's military spending has slowed steadily since it reached a post-2009 high of 9.3 per cent in 2013. The growth of 5.0 per cent in 2018 was the lowest annual increase since 1995. China has followed a policy of linking growth in military spending with economic growth. With its economic growth slowing in 2018 to the lowest level in 28 years, slower rate of growth can be expected in the coming years if China continues to follow this policy

India's military spending rose in 2018 for the fifth consecutive year, and was 3.1 per cent higher than in 2017. At $66.5 billion, India's spending was 29 per cent higher than in 2009. Despite this rise, India's military burden in 2018 was at one of its lowest levels since the early 1960s: 2.4 percent of GDP compared with 2.9 percent in 2009.

While military expenditure varies widely between regions and between countries, the general trend is that military spending as a share of GDP has decreased in all regions since 1999. The global military expenditure of 2.1 per cent in 2018 was 0.5 percentage points lower than in 2009.

Overall global defence sector is anticipated to grow at a CAGR of about 3.0 percent over the 2017–2022 period, crossing US$2 trillion by 2022.

1.2 Indian Defence Sector

The Indian defence market is in a state of transition, as a result of new policies promulgated by the government. The three services have several modernization plans underway, some of which have been delayed. The Indian government seeks to address this through the new Defence Procurement Policy (DPP) 2018, which seeks to streamline procurement and give more flexibility to suppliers, opening up Foreign Direct Investment, allowing single vendor participation for tenders, and initiating a "Strategic Partner" model. The government is outlining policies to convert India into a defence hub, with indigenous manufacturing being given the highest priority. Defence exports has been more thrust and foreign direct investment (FDI) holdings have been tweaked to enable more foreign original equipment manufacturers (OEMs) to set up ventures in India. Several multi-billion dollar projects are expected to come to fruition. A few of these projects will be executed through government-to-government (G2G) and off-the-shelf purchases; however, the majority will be through partnerships between Indian companies and foreign OEMs. Offset regulations are being relaxed to speed up procurements and provide flexibility for suppliers while approaching tenders. The focus is on fast-track deals, tailored projects with Indo-foreign OEM partnerships, and involving micro, small, and medium enterprises.

1.3. Budget 2019 proposals and key initiatives

India's defence budget for 2018-19 continues to be 2.2% of GDP, which is similar to last year. Under the 2018-2019 budget, a sum of INR 4,04,365 Crore has been provided for defence expenditure. Of the total defence expenditure, 34% is accounted for by capital expenditure, which includes land acquisition, construction of new buildings & roads and acquisition of new weapons and platforms. Among the defence services, the Army has the largest share in the defence budget 2018-19. The Indian Air Force comes a distant second, followed by the Navy, the Defence Research and Development Organisation (DRDO), and the Ordnance Factories (OFs)

There is continued focus on modernisation and enhancement of the operational capabilities of defence forces through the development of defence production capabilities and promotion of private investment in defence production by announcement of the following:

- Development of defence industrial corridors
- Formulation of the industry-friendly DPP 2018 to promote domestic production by the public and private sectors and MSMEs
- Promotion of the Make in India initiative will help to develop and nurture defence production capabilities.

(Source: www.mod.gov.in; www.idsa.in; press information bureau)

1.4. Indian Defence Indigenization

The thrust is on indigenization towards making India achieve self-reliance in defence products manufacturing, DPP 2013 was amended with effective from April 2, 2016 to provide the following:

The most preferred acquisition category Buy Indian (IDDM (Indigenously Designed, Developed and Manufactured) introduced to encourage indigenous design, development and manufacturing of defence equipment. This category refers to procurement from Indian vendors of products that are indigenously designed, developed and manufactured, and have at least 40% indigenous content. If the product is not designed and developed indigenously, it will have to have 60% indigenous content.

Indian companies are allowed for tie-ups with a foreign Original Equipment Manufacturer (OEM) for Transfer of Technology (ToT) under 'Buy &Make (Indian)' category.

Under 'Buy & Make' Category of Capital Acquisition, the foreign vendor is required to transfer the Technology to Indian Production agency for indigenous production of the items. Foreign OEM can select Indian Production agency of its choice for transfer of technology.

A revised Make-II procedure was approved by Government in February 2018 to enable greater participation of Industries in Defence supply of capital items

BDL is putting up determined efforts towards increasing indigenization contents in the manufacture of ATGMs with the objective of increasing self-reliance, reduction of Foreign Exchange out flow and achieving cost reduction. Indigenization of products like Konkurs-M, Invar, Milan-2T has been achieved upto 95%, 78.6% and 71% respectively.

During the year the Government launched Innovations for Defence Excellence (iDEX) which primarily aims at creation of an ecosystem to foster innovation and technology development in Defence and Aerospace by engaging Industries including MSMEs, start-ups, individual innovators, R&D institutes & academia, and provide them grants/funding and other support to carry out R&D which has good potential for future adoption for Indian defence and aerospace needs. In the last one year about 500 start-ups have begun actively working in the defence and aerospace area. There are six incubator partners in the IDEX (Innovation in Defence for Excellence) programme. The iDEX challenges have been defence start-up challenges and this has created a very active start-up community for defence and aerospace. This has become the most powerful part of India's technology development ecosystem

(Source: www.mod.gov.in)

Offset Policy

The offset policy in capital purchase contracts with foreign defence OEMs, stipulates a mandatory offset requirement of a minimum of 30% for defence contracts. The minimum contract value for which offsets are mandatory has now been revised from INR 300 crore to INR 2,000 crore.

1.5 Indian Defence Exports: Initiatives by Department of Defence Production (DDP), Ministry of Defence

In order to redefine the role and functioning of CPSEs in the context of Vision-2022, Department of Public Enterprises organized CPSE Conclave on April 9, 2018. Prime Minister had posed five specific challenges to the CPSEs and directed all the CPSEs to prepare action plans to achieve the targets emanating from recommendations of CPSE Conclave. In follow up of first challenge, i.e. Maximizing Geo-Strategic reach of Defence Public Sector Undertakings (DPSUs), DDP proposed that 25% of Annual Turnover of respective DPSUs should be from Export by 2022-23 so that India becomes a significant exporter instead of being a mere importer. The second challenge which the DPSUs have to achieve relates to reduction in their import dependence for components and parts used by them in production of various platforms and equipment. Import substitution amounting to ₹ 15000 crore by 2022-23 through indigenization of products/process is targeted for DPSUs as part of this effort. With regard to developing capability and capacity in latest technologies, the third challenge is that the DPSUs have been asked to develop a roadmap for developing Artificial Intelligence based technologies for their platforms/equipment and implement the same.

The Indian Defence exports accounts to ₹ 10,745 crore in 2018-19 from ₹ 4,682 crore in 2017-18. Indian industry has been doubling the defence exports in the last three years. Three years back, total defence export from India was only about ₹ 1,500 crore. Last year, the figure crossed ₹ 4,500 crore and in the year 2018-19 it has crossed ₹ 10,000 crore. The government has also taken many proactive steps to steer the country's indigenous defence industry into exports. As a major boost to Defence export, the Department of Defence Production notified a Scheme for Promotion of Defence Exports on 04.10.2018. The Scheme provides two options:

a.) Ministry of Defence will certify products "Fit for Indian Military Use" if technically qualified during procurement process but not eventually selected for procurement.

b.) Potential Defence Exporters can get certification of products by Ministry of Defence (against a given set of specifications) even if product is not required by Indian Defence Forces. The scheme is expected to address a long-standing demand of defence and aero-space industry.

A Standard Operating Procedure has been released by DDP to elucidate the process and documentation required for grant of export license clearance. 66 per cent of the items have been delisted from defence export clearances. Creation of an export strategy and granting online No Objection Certificates to defence exporters are steps taken in this direction.

To augment India's Defence exports Department of Defence Products, Ministry of Defence, Government of India had come out specific strategies in its defence production polity 2018, which are:

- Defence Expo and Aero Expo will be positioned as major global events to showcase India's capabilities in defence manufacturing, as also to encourage exports.
- Subject to strategic considerations, domestically manufactured defence products of both public sector organisations and private industry will be promoted through Govt to Govt agreements and Line of Credit/Funding.
- Indian Offset Partners will be encouraged to take up export of parts and accessories developed as part of offset process.
- DPSUs/OFBs will set up export offices in countries having such potential with the objective of promoting exports actively.
- Defence Export Organisation will be set up jointly with industry to promote export of Indian defence products abroad.
- The end-to-end export clearance process in the Department of Defence Production will be made online and time-bound.

(Source: www.mod.gov.in; MOD-Annual Report 2018-19)

BDL signed an MOU for 2019-20 with administrative ministry on the above lines.

2. Review of BDL's Business

2.1 About the company

Founded in 1970, and Head quartered in Hyderabad, BDL is one of the leading defence PSUs in India engaged in the manufacture of Surface to Air missiles (SAMs), Anti-Tank Guided Missiles (ATGMs), underwater weapons, launchers, countermeasures and test equipment. Conferred with the Mini-ratna (Category -1), BDL is the sole manufacturer in India for SAMs, torpedoes, ATGMs. BDL is also the sole supplier of SAMs and ATGMs to the Indian armed forces. The company is also engaged in the business of refurbishment and life extension of stored and deployed missiles. We are also the co-development partner with the DRDO for the next generation of ATGMs and SAMs.

BDL's Products

SAMs	ATGMs	Torpedoes	Launchers	Counter-measures	Decoy Systems	Test Equipment
Akash Missiles MR-SAM	Milan2T, Konkurs-M INVAR	Light Torpedoes Heavy Weight Torpedoes	Launchers for Konkurs-M & MILAN 2T ATGMs	Chaffs& Flares Based Air Defence Systems, torpedo decoys	Submarine fired decoys	Health monitoring equipments for ATGMs& SAMs

2.2 Manufacturing facilities

The company has three manufacturing facilities located in Hyderabad, Bhanur and Vishakhapatnam. All our manufacturing facilities have ISO 14001:2004 certifications from TUV India Private Limited. Our Milan, Akash, CP-IGMP, Electronics Division, Design & Engineering divisions and Bhanur Unit have been certified to AS 9100D Aerospace standard certifications from NVT Quality Certification Private Limited. All the three units of BDL at Kanchanbagh, Bhanur and Vizag have been certified with ISO 14001:2004 Environmental Management System (EMS). The Company has been certified with ISO 27001:2013 (Information Security Management System) Standard. Material Testing Lab of Bhanur Unit has been accredited with ISO / IEC 17025: 2005 (NABL) Certification in the field of testing.

The Company is also in the process of setting up two additional manufacturing facilities at Ibrahimpatnam (near Hyderabad) and Amravati in Maharashtra which shall be used to manufacture SAMs and Very Short Range Air Defence Missiles (VSHORADM) respectively.

2.3 Order Book

Our current order book as on 01 April 2019 is ₹ 7258 Crore.

2.4 Financial Performance

i) **Performance of the Company in financial terms is summarized below:**

S.No	Particulars	₹ in Crore		% of Increase/ (Decrease)
		2018-19	2017-18	
i)	Sales/Revenue from Operations*	3069	4588	(33%)
ii)	Value of Production	3235	4641	(30%)
iii)	Profit Before Tax	671	774	(13%)
iv)	Profit After Tax	423	528	(20%)
v)	Value Added	1416	1734	(18%)
vi)	Earnings per share#	23	27	-

* As per IND-AS, Sales/Revenue from Operations of FY 2018-19 is after adjustment of LD amount of ₹ 148.98 Crore but whereas LD of previous year is treated as Expense;

EPS has been calculated based on profits excluding the other comprehensive income. EPS for previous year is adjusted for Bonus issue made during the year.

Note

The reduction in revenue from operations from ₹ 4588 Crore in FY 17-18 to ₹ 3069 Crore in F.Y. 18-19 is due to completion of order book of ground support equipments to Akash Weapon systems. Your Company has achieved profit before tax of ₹ 671 Crore as compared to ₹ 774 Crore achieved in the previous year. As far as profit margin is concerned there is an improvement in operating margin even though there is reduction in turnover.

ii) **Following data reflect the financial position of the Company:**

Particulars	₹ in Crore		% of Increase/ (Decrease)
	2018-19	2017-18	
Gross Block	1008	856	18%
Depreciation	196	136	45%
Net Block	812	720	13%
Working Capital	1390	1086	28%
Capital Employed	2347	1954	20%
Net Worth	2269	1956	16%

Note

1) **Gross Block** increased by ₹ 152 Crore which is mainly due to capitalization of Infrastructure facilities at Ibrahimpatnam for MRSAM Project amounting to ₹ 67 Crore and upgradation of facilities for manufacture of ATGMs amounting to ₹ 52 Crore during FY 2018-19. Depreciation for FY 2018-19 is ₹ 61 Crore as against ₹ 48 Crore in FY 2017-18. This increase is mainly due to depreciation on above additions and amortisation of Special Tools & Equipments by ₹ 4 Crore on account of ATGM sales.

2) **Working Capital** increased by ₹ 304 Crore which is due to -

   a) Current Assets reduced by ₹ 1008 Crore, this is mainly due to Inventories reduced by ₹ 261 Crore, investments (deposits, bank balances and mutual funds) reduced by ₹ 219 Crore and Debtors reduced by ₹ 364 Crore

   b) Current Liabilities reduced by ₹ 1312 Crore, this is mainly due to Trade Payables reduced by ₹ 492 Crore, Statutory Remittances payable reduced by ₹ 325 Crore, Provisions reduced by ₹ 274 Crore (as LD provision of ₹ 271 Crore taken to Other Equity).

3) **Capital Employed** increased by ₹ 393 Crore mainly due to increase in working capital by ₹ 390 Crore.

iii) **Key Financial Ratios:**

In accordance with the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is required to give details of significant changes (change of 25% or more as compared to the immediately previous financial year) in the following key sector specific financial ratios along with the detailed explanations there for.

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18	Change	Explanation for change of 25% or more
Debtors Turnover Ratio (times)	1.51	2.33	35%	refer below Note 1
Inventory Turnover Ratio (times)	1.71	2.20	22%	NA
Interest Coverage Ratio (times)	Nil	Nil	NA	NA
Current Ratio (times)	1.48	1.26	17%	NA
Debt Equity Ratio (times)	Nil	Nil	NA	NA
Operating Profit Margin (%)	17.44	13.11	33%	refer below Note 2
Net Profit Margin (%)	13.77	11.51	20%	NA
Return on Networth (%)	18.63	27.00	31%	refer below Note 3

Note

1) **Debtors Turnover Ratio** decreased by 35% which is due to decrease in turnover by 33% and increase in average debtors by 3% as compared to FY 2017-18. The increase in debtors is due to delay in lifting of sold equipments by the customer

2) **Operating Profit Margin** for FY 2018-19 is 17.44% against 13.11% in FY 2017-18 i.e., an increase of 33% which is due to change in Product Mix i.e., decrease in Sale of trading items (Ground Support Division) with increase in Sales of Missiles.

3) **Return on net worth** for FY 2018-19 is 18.63% against 27% in FY 2017-18 i.e., a decrease of 31% which is due to decrease in PAT by ₹ 106 Crore and increase in Other Equity by ₹ 312 Crore. Increase in Other Equity is due to adoption of Ind AS 115 amounting to ₹ 177 Crore apart from Profit after tax ₹ 423 Crore which is offset by Dividends (including dividend tax) of ₹ 277 Crore and Other Comprehensive Income of ₹ 11 Crore.

iv) All the applicable Accounting Standards are followed except IND-AS-108 relating to Segment reporting keeping in view of the nature of business and the sensitive nature of the disclosure. However, such non-disclosure does not have any financial effect on the accounts of the Company. Effective April 1 2018 the Company has adopted Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers" using the cumulative effect method. The standard is applied retrospectively only to contracts that are not completed as at the date of initial application and has given impact of Ind AS 115 application by credit to retained earnings by ₹ 17736.54 Lakh (net of tax). Accordingly, the comparative information has not been restated and hence not comparable with previous period figures. Due to application of Ind AS 115 for the year ended March 31, 2019 Revenue from Operation is lower by ₹ 14897.88 Lakh. Total expenses is lower by ₹ 10469.45 Lakh. Profit before tax is lower by ₹ 4428.43 Lakh and Profit after tax is lower by ₹ 2972.09 Lakh. Necessary disclosure is being made in Notes forming part of Accounts in this regard.

2.5 Company Objectives

- To become self-reliant and competitive in Guided Missile and Underwater Guided Weapon Technology and Production.
- To maximize utilization of existing production capacities.
- To become a prime competitor in the world market and export products to friendly countries

2.6 Opportunities & Threats

Opportunities

- BDL's multiple years of expertise in manufacturing various defence equipments coupled with its advanced facilities enable the company to expand its market in India and abroad.
- BDL has an experienced senior management and staff having vast experience in defence equipment manufacturing.
- Increased thrust on defence indigenisation under the "Make in India" policy has thrown up more opportunities for BDL.
- BDL has a strong supply chain comprising of technically qualified vendors and suppliers to ensure timely delivery of materials.
- BDL's primary customer is Ministry of Defence, Govt of India. GOI has been allocating increased budget for acquiring defence equipments.
- The opening up of the export market and ease of clearances from Govt. of India. Company has successfully executed export orders in the recent times and has also been receiving more enquiries from neighbouring countries.

Threats

- Slowdown in the economic activities and lower defence budget by GOI could adversely impact BDL's business.
- Higher dependency on single customer i.e. Ministry of Defence (MoD)
- Poor uptick in the export business can negatively influence the company's export foray.
- Cancellation of orders can weaken the order book and future revenue

2.7 Key Strategies

Key strategies of BDL are aimed at enhancing the company's market position by expanding capabilities, capitalising on opportunities in domestic and international markets, and enhance the company's competitive advantage focusing more on indigenisation.

To achieve our strategic goals, we would focus on the following:

2.7.1 Expanding Infrastructure: We would continue to invest in infrastructure. Our upcoming manufacturing facilities at Ibrahimpatnam and Amravati will enable the company to cater to the growing demand of our customers. These two manufacturing facilities shall be utilised to manufacture SAMs (including a new generation of SAMs) and VSHORAD missiles respectively. We are also in the process of establishing a test fire range in Rachakonda, Telangana which will result in operational advantages and cost efficiencies.

2.7.2 Automation: We intend to automate our production systems at our manufacturing facility to increase the production of SAMs.

2.7.3 Focus on Research & Development: We believe that the recent changes to the government policies allowing private sector companies to participate in defence contracts will provide significant competition to us. In order to address these challenges, we intend to increase our R&D activities to develop innovative products to our customers. Our R&D expenses have also grown up significantly over the past few years. We believe that development of new products will enable us to diversify our offerings and mitigate product dependencies. We have established the missile development group with the objective to design and develop missiles. We have also established various technological labs such as RF labs, laser labs, aerodynamic labs and seeker labs to develop seeker technologies. We are conducting R&D for an improved version of the second generation ATGM, CMDS for Medium Lift Helicopter and Ø50 mm Dispenser Unit for Su-30 MKI aircraft. We intend to develop Artificial Intelligence based products from the financial year 2019-20 onwards.

2.7.4 Improving Processes. We also intend to carry out process improvements, with the aim of improve our productivity and efficiency of our operations and thereby lower costs.

2.7.5 New Generation SAMs & ATGMs. We intend to leverage our experience to develop new products such as new generation SAMs, ATGMs, and heavyweight torpedoes which will enable us to further increase our revenues. We are also the joint development partner with the DRDO for the next generation of ATGMs and SAMs. The MoD has identified us as the production agency and the lead integrator for one of the new generation of SAMs and the nominated agency for the third generation of ATGMs. We have also entered into several MoUs and non-disclosure agreements with various companies for developing new products and transfer of technologies.

2.7.6 Exports: BDL primarily caters to the requirements of the Indian armed forces. With encouragement from Government of India, BDL is actively exploring export markets. The company is currently exporting the light weight torpedoes. The company intend to interact with potential overseas customers with a view to exporting products such as Akash SAM, light weight torpedoes and counter measure dispensing systems to friendly nations. BDL has signed a contract with Indian channel partner for export of Light Weight Torpedoes (LWT-XP) to a friendly country and currently its execution is in progress.

2.7.7 As a part of Government of India Initiative, BDL is going to invest in Start-Up Eco System for Defence & Aerospace through Defence Innovation Organisation (DIO)**.**

3. Future Outlook

The Defence Industry in India is experiencing significant and progressive change with huge opportunities for growth. In the new Defence Procurement Procedure(DPP) 2016, the Government

has introduced a new procurement category called Buy-IDDM (Indian Designed, Developed and Manufactured) to encourage the indigenously designed and developed products/solutions. Your Company has always been promoting indigenous design, development and manufacture of products/solutions. This category of acquisition is likely to benefit the company in the long run and enable to channelize the resources to develop and deploy more indigenous products with the help of MSME's and private sector industry in India.

Your Company is aware that its Nominated Production Agency Status is being slowly transformed into that of a Competitive Bidder. In the last two years, private sector participation in India's defence sector has been rising and large Indian private sector conglomerates have increased their exposure to Indian defence market. This is facilitated by several policy interventions by Government support and specifically the 'Make in India' Program. The impact of these initiatives has created more opportunities for domestic industry to tie-up with global defence companies for products and technologies. Increased focus on the Indian defence market by Indian private sector and global players is likely to further increase the competition for your Company in the coming years.

Your Company has a healthy order book position of ₹ 7258 Crore as on 01 April 2019. Further your Company received Order for Heavy Weight Torpedoes worth ₹ 1187.82 Crore, which will keep the production lines busy in the years ahead. Your Company also see good visibility in future orders which are under various stages of approvals.

Based on the Order book position and anticipated orders, the future outlook of the Company is looking bright. With decades of experience under its belt, your Company is well positioned and geared up to face challenges in future.

4 Risks and Concerns:

Various risks identified with mitigation plans includes risks related to industry, increased market competition, time to market, decline or recession in market segments and product and product inputs prices, cost control and change demand risks. Also risks related to environment, health and safety, IT, R&D, intellectual property and new technical demands such as digitalization/smart industry are high on the agenda and proactively mitigated, managed with identified improvement activities and followed up on regularly.

4.1 Business Risk: The company primarily dependent on a single customer, the Indian armed forces through the Ministry of Defence, Government of India ("MoD"). A decline or reprioritization of the Indian defence budget, the reduction in their orders, termination of contracts or failure to succeed in tendering projects and deviations in the short term and long term policies of the MoD or the Indian armed forces in the future will have a material adverse impact on our business, financial condition, and results of operations, growth prospects and cash flows. We also operate in evolving markets where a level playing opportunity is given to private sector which makes it difficult to evaluate our business and future prospects.

Mitigation: Having rich expertise in this business, Company has ability to handle adverse situations and also geared up to face competition from private sector. Further in order to expand the customer base BDL is actively exploring export markets with the encouragement from the Government of India. The company is currently exporting the light weight torpedoes.

4.2 Policy Risk: The company is subject to a number of procurement rules and regulations of the MoD, Government regulations and other rules and regulations. Our business and our reputation could be adversely affected if we fail to comply with applicable rules. Restrictions on current and future export of our products and other regulations could adversely affect our business, results of operations and financial conditions

Mitigation: Company is complying with all rules and regulations as per the policies of Government of India and taking all necessary precautions in this regard

4.3 Operational & Labour Risk: The company's operations are based out of three units in Telangana and Andhra Pradesh. The loss of, or shutdown of, our operations at any of our units in Telangana and Andhra Pradesh will have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations. Some of our workforce is represented by labour unions so our business could be harmed in the event of a prolonged stoppage of work

Mitigation: The Company always continues to maintain cordial relations with all the employees and as such do not foresee material adverse effects in this regard.

4.4 Supplier/Service Provider Risk: Company is dependent on multiple key original equipment manufacturers ("OEM") for subassemblies / components, single source suppliers and sub-contractors. Any failure on the performance of any of them could have a material impact on our operations

Mitigation: The Company is continuously striving to expand its vendor base and sufficiently safeguarded with liquated damage clause in case of any failure on the performance.

4.5 Technology Risk: We manufacture and service products that incorporate advanced technologies. The introduction of new products and technologies involves risks and we may not realize the degree or timings of benefits initially anticipated.

Mitigation: The Company has activated its own Research & Development department and started increasing its investment in R&D to encounter technology risks. In addition to this the Company also concurrently works with DRDO in development of several projects.

5. Internal control systems and their adequacy:

Your Company has put in place all required internal controls and systems commensurate with its size and nature of the business to meet the canons of financial propriety. The effectiveness of the internal controls is continuously monitored by an in house Internal Audit Department comprising of professionally qualified personnel. Internal Audit's main objective is to provide to the Audit Committee and the Board of Directors, an independent, objective and reasonable assurance of the adequacy and effectiveness of the organization's risk management, control and governance processes. The scope of the Internal Auditor is approved by the Audit Committee of the Board. Appointment of External audit firms has been continued to ensure adequacy and report thereon. These audit firms are in addition to Internal Audit Department supporting the department. A detailed analysis of reports of Internal Audit Firms as well as reports of Internal Audit Department of your Company are placed before the Audit Committee for its review and advice.

a) Cost reduction initiatives: During the year under report, an amount of around ₹ 37.87 Crore has been achieved under cost review/reduction programme by way of reduction in import cost, reduction due to dry fitment cost of Akash SAM, Inventory carrying cost and scrap disposal.

b) Economy Measures:-In line with Ministry of Finance Office Memorandum on Expenditure Management, Economy Measures and Rationalization of expenditure, Company has observed financial prudence and economy on areas like travelling expenses, advertisement and publicity expenses, purchase of new vehicles, conducting seminars and conferences, courtesy and entertainment, etc during the year 2018-19. Inventory of raw-material, work-in progress and spare parts is maintained at optimal levels. Energy consumption, fixed and variable overheads and Contingency expenditures are being constantly reviewed and pruned to bare minimum.

6. Material developments in Human Resources, Industrial Relations front, including number of people employed

6.1 The manpower strength of the Company as on 31 March 2019 is as under:

	Non- Executives	Executives	Total
Male	1845	838	2614
Female	210	108	318
Total	**2055**	**946**	**3001***
Previous Year	2289	893	3182*

* Excluding temporary employees.

Your Company has very well defined training and development programmes for the Executives and Non-Executives. Apart from regular Training Programmes, your Company organized Management Development programmes, Executive Development Programmes, Advanced Management Programmes for the development of various skills of the Executives during the year.

Further need-based Training Programmes are formulated from time to time to meet the requirements of the Company keeping in view the Projects on hand and also to foresee the customer's further requirements in the technology front.

6.2 Industrial Relations

Your Company continues to enjoy cordial and harmonious Industrial Relations with the Cooperation and support of all sections of employees viz. Recognized Trade Union, Associations such as SC, ST, OBC and Officers Association. Statutory and Non Statutory Committees such as Works Committee, Safety Committee, and Welfare Committee are contributing to workplace discipline.

7. Environmental Measures:

Your company contributes in all aspects for clean and green environment by systematically integrating best practices to bring in cleaner technologies and greening the environment through recycle, reuse and reduce approach. Effluent treatment plant, Sewage treatment plant are being operated. Various environmental protection activities such as water conservation, tree plantation, disposal of hazardous waste and metal scrap, planting of saplings and landscaping, utilizing treated effluent water and domestic water have been carried out. Company has been reviewing status of various types of pollutions through ISO 14001 core team meetings, internal audits and management review meeting at regular intervals. Annual surveillance audits are being carried out at all the three units to assess the effectiveness of EMS.

8. Foreign Exchange Conservation

Your Company is striving constantly to conserve foreign exchange by reducing import of components and subsystems from OEMs by increasing indigenous content in the assembly of final products.

ANNEXURE – V
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

Philosophy of the Company in respect of Corporate Governance is to ensure transparency in all its operations, make appropriate disclosures, comply with the laws, maintain ethical standards and take care of the interest of all the stakeholders.

In keeping with its professional approach, the Company is implementing the precepts of Corporate Governance in letter and spirit.

The Company's activities are monitored by several external agencies like Statutory Auditors, Comptroller and Auditor General of India, Central Vigilance Commission, Ministry of Defence (Department of Defence Production), etc.

Your Company is in compliance with the requirements of the Corporate Governance standards as stipulated under SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations') and the Department of Public Enterprises Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises-2010 (hereinafter referred to as 'DPE Guidelines').

2. BOARD OF DIRECTORS:

a) **Composition and Category of Directors:**

In terms of the Companies Act, 2013, your Company is a 'Government Company' as 87.75% of the total paid up capital is being held by President of India.

The composition of the Board of Directors of the Company with eleven members viz. Four Whole Time Directors, including Chairman and Managing Director, two Part-time Official Director (Government Nominee Director) and five Part-time Non-Official Directors (Independent Directors).

b) Details of the Members of the Board during the year are as follows:

A)	**Functional/Whole-Time Directors (Executive)**	**Designation**
1)	Shri.V.Udaya Bhaskar*	Chairman & Managing Director
2)	Cmde. Siddharth Mishra (Retd.)*	Chairman & Managing Director
2)	Shri.S.Piramanayagam	Director (Finance)& CFO
3)	Shri.V.Gurudatta Prasad	Director (Production)
4)	Shri K Divakar#	Director (Technical)
5)	Shri N.P.Diwakar#	Director (Technical)
B)	**Part-Time Official Director (Non-Executive-Non independent)**	
1)	Shri.Ashwani Kumar Mahajan, Addl.FA & JS	Government Nominee Director
2)	Shri. G. Satheesh Reddy^	Government Nominee Director
3)	Shri. M S R Prasad^	Government Nominee Director
C)	**Part-time Non-Official Director (Non-Executive-Independent)**	
1)	Smt.Sushama V Dabak$	Independent Director
2)	Prof Ajay Pandey$	Independent Director
3)	Shri Ajay Nath	Independent Director
4)	Shri KS Sampath	Independent Director
5)	Smt. Latha Narasimha Murthy	Independent Director

* Vide MoD letter No. DDP-M0001(24)/02/2018-D(BDL) dated 25 February 2019, Cmde Siddharth Mishra (Retd.) was appointed as Chairman and Managing Director on the Board w.e.f. 01.03.2019 consequent to superannuation of Shri. V Udaya Bhaskar on 28 February 2019

Vide MoD Letter No.H-62011/1/2016-D(BDL) dated 30 July 2018, Shri.N.P.Diwakar was appointed on the Board w.e.f. 01 September 2018 as Director(Technical) consequent to superannuation of Shri. K. Divakar on 31 August 2018.

^ Vide MoD Letter No. DDP.M-0001/11/3/2018-D(BDL) dated 31 December 2018, Shri. MSR Prasad was appointed on the Board w.e.f. 31 December 2018 in place of G Satheesh Reddy as Government Nominee Director.

$ Vide MoD Letter No. DDP-M0001(24)/04/2018-D(BDL) dated 28 November 2018 the tenure of Smt.Sushama V Dabak and Prof Ajay Pandey, Independent Directors was extended for a period of one year w.e.f. 01 December 2018.

c) Meetings of the Board and Attendance thereof; Number of other Boards or Board Committees in which Director is a Member or Chairperson

During the year 2018-19, Seven (7) Board Meetings were held on 30 May, 2018, 20 July 2018, 14 August 2018, 31 October 2018, 11 November 2018, 14 February 2019, 18 March 2019. The Board meets at least once in every three months and at least four such meetings shall be held every year. Required information is made available to the Board for its information/decision making. Details of attendance of the Directors at the Board Meetings, Annual General Meeting and the number of other Directorship/Committee Membership held by them during 2018-19 etc., as follows:

Directors	Board Meetings		Attendance At last AGM held on 27 Sep 2018	No. of other director-ships held	Name of the Listed entities where Directors are on Board		No. of Committee membership across all companies	
	No. of Board Meetings held during respective tenure of Directors	No.of meetings attended			Name of the Listed Company	Category of Directorship	As Chairman	As Member
Functional Directors								
Shri V Udaya Bhaskar Chairman & Managing Director (upto 28/02/2019)	6	5	Yes	-	Bharat Dynamics Ltd	Executive Director & Chairman	-	-
Cmde. Siddharth Mishra (Retd.) Chairman & Managing Director (w.e.f 01/03/2019)	1	1	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Executive Director & Chairman	-	-
Shri S Piramanayagam Director (Finance)& CFO	7	7	Yes	-	Bharat Dynamics Ltd	Executive Director & CFO	-	1
Shri V Gurudatta Prasad Director (Production)	7	7	Yes	-	Bharat Dynamics Ltd	Executive Director	-	2
Shri K Divakar Director (Technical) (upto 31/08/2018)	3	3	Yes	-	Bharat Dynamics Ltd	Executive Director	-	-
Shri N.P.Diwakar Director (Technical) (w.e.f. 01/09/2018)	4	3	-		Bharat Dynamics Ltd	Executive Director	-	-
Government Nominee Director								
Shri Ashwani Kumar Mahajan, Addl. FA & JS.	7	6	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Non Independent Director	-	-
					Garden Reach Ship Builders & Engineers Ltd	Non-Executive Non Independent Director		
Shri G. Satheesh Reddy (upto 31/12/2018)	6	0	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Non Independent Director	-	-
Shri M S R Prasad (w.e.f 31/12/2018)	2	1	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Non Independent Director	-	-
Independent Directors								
Smt.Sushama V Dabak	7	7	Yes	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Independent Director	1	1
Prof Ajay Pandey	7	7	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Independent Director	-	1
Shri Ajay Nath	7	4	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Independent Director	-	1
Shri KS Sampath	7	7	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Independent Director	1	2
Smt Latha Narasimha Murthy	7	7	-	-	Bharat Dynamics Ltd	Non-Executive Independent Director	-	1

Note :

(1) None of the Directors of the Company/Key Managerial Personnel had any pecuniary relationship with the Company during the year.

(2) Directorship in Companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

(3) Pursuant to Regulation 26 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the Chairmanship/Membership of Audit Committee and Stakeholders' relationship Committee are considered for the purpose of number of other Committees memberships across all Companies. No Director is a member in more than ten Committees or Chairman of more than five Committees across all companies in which he/she is a Director.

(4) None of the Directors of the Company holds any shares and/or convertible instruments in the Company

(5) The Company has received declarations on criteria of independence as prescribed in Section 149 (6) of the Companies Act 2013 and Regulation 16(1)(b) of the Listing Regulations from the Independent Directors of the Company as on March 31 2019

(6) Vide Letter No. DDP-M0001(24)/04/2018-D(BDL) DATED 28 November 2018 the tenure of Independent Directors viz., Smt.Sushama V Dabak and Prof Ajay Pandey was extended for a period of one year w.e.f. 01 December 2018.

d) **Board Skills/Expertise/Competence:** Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, competence, tenure and remuneration of Directors are decided by the Government of India. The following are the list of core skills/expertise/competencies of Directors identified by the Board as required under Listing Regulations in the context of its business(es) and sector(s) for it to function effectively and those actually available with the Board:

i) Knowledge – understand the Company's business, policies, and culture (including its mission, vision, values, goals, current strategic plan, governance structure, major risks and threats and potential opportunities) and knowledge of the industry in which the Company operates

ii) Behavioral Skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to function well as team members and to interact with key stakeholders

iii) Strategic thinking and decision making,

iv) Financial Skills

v) Technical/Professional skills and specialized knowledge to assist the ongoing aspects of the business

e) **Review of Compliance of Laws:** The Company has proper systems to enable the Board to periodically review compliance reports of all laws applicable to the Company, as prepared by the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances. The Board reviewed the compliance reports relating to various laws applicable to the Company for the year 2018-19. There was no significant or material order passed during the year by any regulator or court or tribunal impacting the going concern status and Company's operations in future.

f) **Familiarization/Training of Board Members**: In terms of Regulation 25(7) of the Listing Regulations, Para 3.7 of the DPE Guidelines and applicable provisions of the Companies Act, 2013, a 'Policy on Familiarization / Training Programmes to Board Members' was formulated and approved by the Board of Directors. As per the terms of the said policy, the Board members including Independent Directors are provided with the familiarization programmes on their roles, rights, responsibilities, nature of industry, Company's business model, procedures and practices and also provided with necessary documents and reports to keep the Directors abreast of the necessary information relating to the Company. Further, the Board members participate in various training programmes on corporate governance and other Board related topics from time to time. The details of Familiarization programmes imparted to the Independent Directors during the year 2018-19 are placed in the website of the Company and can be accessed at www.bdl-india.in/investors.

3. MANDATORY COMMITTEES OF THE BOARD:

The Company has the following five (5) mandatory Committees of the Board functioning as on31March 2019:

A) Audit Committee

B) Nomination and Remuneration Committee

C) Stakeholders Relationship Committee

D) CSR & SD Committee.

E) Risk Management Committee

Minutes of the Meeting of the Committees are being placed before the Board Meeting held immediately after the committee meetings for noting by the Board. Decisions are being taken by the Committees by majority/unanimous

A) AUDIT COMMITTEE:

I) Terms of Reference

The Audit Committee complies with the terms of reference as enumerated under the applicable provisions under the Companies Act, 2013, Listing Regulations, DPE Guidelines as amended from time to time. Some of the important functions performed by the Audit Committee are as follows:-

- oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
- recommendation to the Board for fixation of remuneration to the auditors;
- approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
- reviewing, with the management, the annual financial statements and auditors' report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to with particular reference as stated in Schedule II Part C of SEBI (LODR) Regulations 2015;
- reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval;
- reviewing and monitoring the auditors independence and performance, and effectiveness of audit process;
- approval or any subsequently modification of transactions of the Company with related parties;
- scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- valuation of undertakings or assets of the Company wherever it is necessary;
- reviewing with the management, the performance of the Statutory Auditors and Internal Auditors, adequacy of the internal control systems;
- evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- appointment and removal of Internal Auditors and determining the scope of Internal Audit in consultation with the internal auditors
- reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- discussion with internal auditors and/or auditors of any significant findings and follow up thereon;
- reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
- review observations of statutory, internal and government auditors and provide recommendations based on the same;

- to review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;
- discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- to look into the reasons for substantial defaults in the payment of the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividend and creditors);
- to review the functioning of the whistle blower mechanism;
- to review the follow up action taken on the recommendations of the Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament;
- to review cases of procurement from a single source;
- to review the utilization of loans and/or advances from/investment by the holding Company in the subsidiary exceeding rupees 100 Crore or 10% of the asset size of the Subsidiary, whichever is lower including existing loans/advances/investments.

II) Composition and details of the Members and their attendance:

During the year, eight (8) meetings of the Audit Committee were held on 30 May 2018, 20 July 2018, 13 August 2018, 31 October 2018, 11 November 2018, 22 January 2019, 14 February 2019 and 25 March 2019. The composition and the details of attendance of Members for the said Meetings are as follows:

S.No	Name of the Member	Category	No. of Meetings held during the tenure of the respective member	No. of Meetings Attended
1	Smt.SushamaV Dabak Chairperson	Non-Executive Independent Director	8	8
2	Prof Ajay Pandey Member	Non-Executive Independent Director	8	5
3	Shri V Gurudatta Prasad Member	Executive Director	8	8
4	Shri Ajay Nath Member	Non-Executive Independent Director	8	5
5	Shri KS Sampath Member	Non-Executive Independent Director	8	8
6	Smt.Latha NarasimhaMurthy Member	Non-Executive Independent Director	8	8

III) Functional Directors are invited as Permanent Special Invitees and representatives of Statutory Auditor and external Chartered Accountant Firms doing Internal Audit Work may attend by invitation. The Company Secretary acts as the Secretary of the Audit Committee. The Chairperson of the Audit Committee attended the 48th Annual General Meeting of the Company.

B) NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

Pursuant to the provisions under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Reg.19 of the Listing Regulations, a Committee by the nomenclature"Nomination and Remuneration Committee" was reconstituted on 18 September 2017 by virtue of induction of new Independent Directors on the Board.

I) Terms of reference

The terms of reference of the Committee is as follows:

- To identify persons who may be appointed in senior management (i.e.,Executive Director) in accordance with the criteria laid down, recommend to the Board their appointment and removal.
- To recommend to the Board a policy, relating to the remuneration for the key managerial personnel and other employees.
- To recommend all remuneration payable to Senior Management (i.e. Members of Management one level below CEO/MD/WTD/Manager Incl. CEO/Manager, if not part of Board of Directors)
- Decide on the annual bonus/ performance pay/variable pay pool and policy for its distribution across the executives.
- Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for Executives.
- Any new scheme of compensation to Executives and Non-Executives as the case may be
- Exercising such other roles as maybe assigned to it by the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and any other law and their amendments from time to time

II) Composition and details of the Members and their attendance:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee is in line with Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. During the year, three (3) meetings of the Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 31 October 2018, 14 February 2019 and 18 March 2019. The Composition of the Committee during the year 2018-19 and details of the Members participation at the Meeting of said committee are as follows:

S.No	Name of the Member	Category	No. of Meetings held during the tenure of the respective member	No. of Meetings Attended
1	Prof Ajay Pandey Chairman	Non-Executive Independent Director	3	3
2	Smt.Sushama V Dabak, Member	Non-Executive Independent Director	3	3
3	Shri Ashwani Kumar Member	Non-Executive Non-Independent Director	3	3
4	Shri Ajay Nath Member	Non-Executive Independent Director	3	1
5	Shri KS Sampath Member	Non-Executive Independent Director	3	3
6	Smt.Latha Narasimha Murthy Member	Non-Executive Independent Director	3	3

III) Remuneration Policy /Details of Remuneration to All Directors:

a. Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Directors are decided by the Government of India. The Government letter appointing the Chairman & Managing Director and other functional directors indicates the detailed terms and conditions of their appointment, including the period of appointment, basic pay, scale of pay, dearness allowance etc., and it also indicates that in respect of other terms and conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Company shall apply.

b. Chairman and Managing Director and other Functional Directors are appointed by the Government initially for a period of 5 years from the date of appointment or upto the date of superannuation of the individual or until further orders of the Government, whichever is the earliest. Depending on the age and performance and on meeting other stipulated conditions the initial period is extendable for a further period upto 5 years or upto the date of superannuation, whichever is earlier. The Part-time Official Directors (i.e. Government Nominee Directors) are generally from the Administrative Ministry and their term is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board or until further orders. The Part-time Non-Official Directors (i.e. Independent Directors) are appointed for a period of 3 years or until further orders whichever is earlier.

c. For details of the remuneration of Functional Directors paid during the year 2018-19, please refer to extract of annual return

d. Part-time Official Directors (i.e. Government Nominee Directors) will not be paid any remuneration. They are also not paid sitting fee for attending Board/Committee meetings.

e. The Board at its meeting held on 22 November 2013 enhanced the sitting fees payable to the Independent Directors to ₹ 20,000/- per sitting for attending the Board Meetings and retained the sitting fee of ₹ 10,000/- per sitting payable in respect of Board Level Committee Meetings. For the details of sitting fee paid to the Independent Directors, please refer to extract of annual return.

f. Stock Options: - The Company has no Stock Option plans/schemes approved by the Board/Shareholders.

C) STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The composition of the Stakeholders' Relationship Committee is in line with section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations 2015. During the year, two (2) Meetings were held on 31 October 2018 and 25 March 2019.

I) Terms of reference

- to consider and resolve the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer of shares, non-receipt of annual report and non-receipt of declared dividends.
- To review measures for effective exercise of voting rights.
- To review adherence to services being rendered by RTA.
- To review initiatives taken by Company for reducing unclaimed dividends
- To review and ensure timely receipt of Dividend Warrants/ Annual Reports/ Notices.

II) The Composition of the Committee during the year 2018-19 and details of the Members participation at the Meeting of said committee are as follows:

S.No	Name of the Member	Category	No. of Meetings held during the tenure of the respective member	No. of Meetings Attended
1	Shri. K S Sampath Chairman	Non-Executive Independent Director	2	2
2	Shri. S. Piramanayagam Member	Executive Director	2	2
3	Shri V Gurudatta Prasad Member	Executive Director	2	2

III) The Company has appointed Shri.N.Nagaraja, Company Secretary as Compliance Officer of the Company and provided an exclusive e-mail ID investors@bdl-india.in to enable investors for on-line registration of their complaints. The Company endeavor to reply to the complaints within a period of 3 working days. In terms of Regulation 46(2)(j&k) of the Listing Regulations, the name and designation of Compliance Officer and other relevant details are placed on the Company's web-site www.bdl-india.in. Further, M/s. Alankit Assignments Ltd., the Share Transfer Agent of the Company (STA), is authorized to monitor the on-line complaints placed on SEBI Complaints Redress System (SCORES).

IV) In terms of Regulation 13(4) of the Listing Regulations, a quarterly statement on investor complaints received and redressal thereof, as submitted with BSE and NSE, are placed before the Board for information. Accordingly, the status of total investor complaints and redressal thereon during the year are as follows:

No. of complaints pending beginning of the year:	0
No. of complaints received during the year:	86
No. of complaints resolved during the year:	86
No. of complaints pending resolved at the end of the year:	0

D) CSR & SD COMMITTEE:

I) Terms of reference

The following are the terms of reference of the Corporate Social Responsibility & Sustainability Development Committee:

- To recommend CSR and Sustainability Development policy to the Board.
- To recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and Sustainability development.
- To recommend the Annual CSR and Sustainability Development Plan and Budget.
- Periodic review of CSR & Sustainability Development policy, plan and budgets

II) During the year two (2) meetings were held on 13 August 2018 and 14 February 2019. The Composition of the Committee during the year 2018-19 and details of the Members participation at the Meeting of said committee are as follows:

S.No	Name of the Member	Category	No. of Meetings held during the tenure of the respective member	No. of Meetings Attended
1	Shri Ajay Nath Chairman	Non-Executive Independent Director	2	2
2	Smt.Sushama V Dabak Member	Non-Executive Independent Director	2	2
3	Prof Ajay Pandey Member	Non-Executive Independent Director	2	1
4	Shri K S Sampath Member	Non-Executive Independent Director	2	2
5	Smt.Latha Narasimha Murthy Member	Non-Executive Independent Director	2	2
6	Shri.S.Piramanayagam Member	Executive Director	2	2
7	Shri.V.Gurudatta Prasad Member	Executive Director	2	2

E) RISK MANAGEMENT COMMITTEE:

During the year by virtue of amendments in SEBI (LODR) Regulations, the Board has constituted Risk Management Committee on 31 October 2018 in line with provisions of section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Regulation 21 of the Listing Regulations.

I) Terms of reference

The terms of reference of the Committee is as follows:

- To review and assess the quality, integrity and effectiveness of the Risk Management Systems, especially Cyber Security measures taken up by the Company and ensure that the risk policies and strategies are effectively managed.
- To ensure that the Company is taking appropriate measures to achieve prudent balance between risk and reward in both ongoing and new business activities.
- To assist the Board in setting Risk strategies, policies, frameworks, models and procedures.
- To review and assess the nature, role, responsibility and authority of the risk management function within the Company and outline the Scope of risk management work.
- To ensure that the Company has implemented an effective ongoing process to identify risk, to measure the potential impact against a board set of assumptions and then to activate what is necessary to pro-actively manage these risks, and to decide the Company's appetite or tolerance for risk.
- To identify additional risks, if any and decide risk mitigation plans including risk acceptance.

II) The composition of the Committee is in line with Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. During the year, one (1) meeting of the Committee was held on 18 March 2019. The Composition of the Committee during the year 2018-19 and details of the Members participation at the Meeting of said committee is as follows:

S.No	Name of the Member	Category	No. of Meetings held during the tenure of the respective member	No. of Meetings Attended
1	Shri. S Piramanayagam Chairman	Executive Director	1	1
2	Shri. V Gurudatta Prasad Member	Executive Director	1	1
3	Shri.N.P.Diwakar Member	Executive Director	1	1
4	Shri.Ajay Nath Member	Non-Executive Independent Director	1	-
Note The Chairman of Corporate Risk Management Committee and Chief Risk Manager are also Members of the Committee				

4) NON-MANDATORY COMMITEES OF THE BOARD:

The following are the non-mandatory Committees of the Board

A) PROCUREMENT COMMITTEE:

The Committee was constituted by the Board on 29 July 2011 to review and sanction new Projects (including R&D Projects) beyond the powers of CMD and upto a maximum limit of ₹ 25 Crore in each case and shall also approve procurement proposals which are beyond the powers of CMD but within the powers of the Board.

Procurement Committee is empowered to review and sanction for placement of Purchase Orders/Award of Contracts as per the limits given below:

Basis	Capital Nature	Revenue nature
Single Tender/Nomination& Proprietary Cases	Upto ₹ 30 Crore	Upto ₹ 30 Crore
Other than Single Tender Cases	Upto ₹ 60 Crore	Upto ₹ 60 Crore
Other than Single Tender(works)	Upto ₹ 100 Crore	Upto ₹ 100 Crore

The Company reconstituted the Committee on 18 September, 2017 with Chairman & Managing Director as Chairman of the Committee and other Functional Directors as Members of the Committee. The Committee met nine times during the year on 14 May 2018, 27 June 2018, 30 July 2018, 28 August, 2018, 10 September 2018, 23 October, 2018, 13 December, 2018, 5 February, 2019 and 21 March, 2019.

B) INDEPENDENT DIRECTORS MEETING

In terms of the provisions under the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the Listing Regulations, the Independent Directors met on 25 March 2019 and reviewed the quality, quantity and timeliness of flow of information between the management of the Company and the Board of Directors that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties. Except one Independent Director, all other Independent Directors have attended the meeting. The Minutes of the said Meeting was placed in the subsequent Board Meeting held on 30 May, 2019.

5) GENERAL BODY MEETINGS:

All the Annual General Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company. The details of such meetings for the last three years are as follows:

AGM No.	Financial Year	Date of the Meeting	Time of the Meeting	Venue of the Meeting	No. of Special Resolutions
48	2017-18	27 Sep 2018	15:00 hrs	Hotel Sheraton, Nanakramguda	NIL
47	2016-17	26 Sep 2017	12:00 hrs	Registered Office, Kanchanbagh, Hyderabad	Nil
46	2015-16	28 Sep 2016	15:00 hrs		Nil

No special resolution was put through postal ballot during the year under review.

6) DISCLOSURES:

a) The Company has no subsidiaries, Joint Ventures and Associate Companies as on 31 March, 2019

b) During the year 2018-19 the Company has not entered into any transaction with the Directors that may have potential conflict with the interest of the Company at large. The members of the Board, apart from receiving Remuneration (wherever applicable), do not have any material pecuniary relationship or transaction with the Company which, in the Judgment of the Board, may affect independence of judgment of the Directors. The Company has formulated a "Policy on Related Party Transactions" to regulate transactions entered into between the Company and its related parties. In terms of Regulation 46(2)(g) of the Listing Regulations, the said policy is placed on the web-site of the Company at www.bdl-india.in.

c) During the year, in terms of regulation 17(1) of the listing regulations, the Company did not comply with the requirement of fifty percent of Independent Directors on the Board w.e.f. 1 May 2018. Accordingly, as per SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 dated May 3, 2018, the stock exchanges (i.e. BSE & NSE) had levied fine on the Company for the quarter ended 30 September, 2018, 31 December 2018 and 31 March 2019. Apart from this, there were no cases of non-compliance by the Company and no Penalties/Strictures were imposed on the Company by the Stock Exchange or SEBI or any statutory authority on any matter related to capital market and any guidelines issued by Government during the last three years.

d) **Whistle Blower Mechanism/ Vigil Mechanism:**

The guidelines of Corporate Governance for CPSEs 2010 issued by DPE and provisions of section 177 of the Companies Act, 2013 have been complied with. The Whistle Blower Policy of the Company, inter alia, contains a provision enabling any person to approach the Chairman of the Audit Committee. However, during the year under report, no personnel was denied access to the members of the Audit Committee or its Chairman.

e) All the applicable Accounting Standards are followed except IND-AS-108 relating to Segment reporting keeping in view the nature of business and the sensitive nature of the disclosure. However, such non-disclosure does not have any financial effect on the accounts of the Company. Necessary disclosure is being made in Notes forming part of Accounts in this regard.

f) There were no items of expenditure debited in the books of account, which are not for the purpose of the business.

g) The Company has not incurred any expenditure which is personal in nature for the Board of Directors and Top management.

h) Details of Administrative and Office Expenses as a percentage of total expenses is furnished below:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Total Expenditure (other than Materials)	880.87	1132.44
2	Administrative & Office Expenses	13.71	16.32
3	Percentage of (2) on (1)	1.56	1.44

i) **Presidential Directives and Guidelines**

The Company has been following the Presidential Directives and guidelines issued by the Govt. of India from time to time regarding reservation for SCs, STs and OBCs in letter and spirit. Officials dealing with the subject were provided necessary training to enable them to update their knowledge on the subject and perform the job effectively.

BDL has implemented the Presidential Directives issued by the Government of India regarding implementation of Executives Pay revision from 01 January 2017.

7) MEANS OF COMMUNICATION:

The Company's communication system with its Shareholders, Directors and other stakeholders is through all means of communication channels including correspondence and the official website (www.bdl-india.in) of the Company. The Company website provides comprehensive information including the details of business, Company's Products, Management, vision, mission, human resources, corporate social responsibility and sustainability, details of Tenders, E-procurement, vigilance, RTI, and other updates and news. The section on 'Investors' informs the shareholders/ investors, details about the investor grievance redressal system, presentations made to investors/analysts, Company's code and policies, financial results and annual reports, corporate governance, shareholding pattern including contact details of Share Transfer Agent and other material events or information relating to the Company.

In terms of Listing Regulations, the Quarterly, Half-yearly and Annual financial results of the Company are submitted to NSE and BSE through online platform immediately after the same are approved by the Board. Further, the said results are simultaneously posted on the Company's website www.bdl-india.in. Further, the financial results of the Company are published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in Telugu, being the regional language and in Hindi, being the National language. The performance of the Company is communicated to Administrative Ministry every month.

8 GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

(a) The 49th Annual General Meeting for the year 2018-19 is scheduled on Friday, the 27 September, 2019, at 15:30 hours at Hotel Sheraton, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

(b) Financial year of the Company begins on April 1 and ends on March 31. The tentative calendar for declaration of results for 2019-20 is given as below:

For the quarter ending 30.06.2019	On or before 14.08.2019
For the quarter ending 30.09.2019	On or before 14.11.2019
For the quarter ending 31.12.2019	On or before 14.02.2020
For the year ending 31.03.2020	On or before 30.05.2020
50th Annual General Meeting	On or before 30.09.2020

(c) The Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 21.09.2019 to 27.09.2019 (both days inclusive).

(d) Your Board of Directors has recommended final dividend of ₹ 1.67 per share, i.e., 16.70% on the equity shares of ₹ 10/- each (par value) for the year ended 31 March 2019. Dividend, if approved at the 49th Annual General Meeting, will be distributed among the shareholders within the due date.

(e) Company's equity shares are listed on the following stock exchanges:

The BSE Ltd ('BSE') P.J.Towers, 26th Floor, Dalal Street, MUMBAI - 400 001	**National Stock Exchange of India Ltd ('NSE')** Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), MUMBAI - 400 051

The Company has paid listing fees for the financial years 2017-18 and 2018-19 to both the stock exchanges.

(f) The Stock Code assigned to the Company's equity shares by the respective Stock Exchanges and the ISIN number assigned by the Depositories for demat trade of the Company's equity shares are given below:

Stock Exchange	Stock Code
BSE	541143
NSE	BDL
ISIN	INE171Z01018
MCA CIN	L24292TG1970GOI001353

(g) **Reconciliation of share capital audit**

The Company obtains a Reconciliation of Share Capital Audit Report from a Practising Company Secretary every quarter to reconcile the total admitted capital with the National Securities Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) and the total issued and listed capital. This Audit Report confirms that the total issued/paid up capital is in agreement with the total number of shares in physical form and the total number of dematerialized shares held with NSDL and CDSL. This Audit Report is forwarded to BSE and NSE where shares are listed.

The Company also obtains a Certificate of Compliance from a practicing Company Secretary at half-yearly intervals certifying that transfer requests complete in all respects have been processed and share certificates with transfer endorsements have been issued by the Company within 15 days from the date of lodgment thereof. This Certificate of Compliance is forwarded to BSE and NSE where shares are listed.

The Company has paid annual custody fees for the financial year 2019-20 to both the Depositories, viz, NSDL and CDSL.

(h) **Market Price Data**

The details of high/low market prices of the shares of the Company at BSE Ltd and National Stock Exchange of India Ltd (NSE) are as under:

i) BDL Share Price on BSE vis-a-vis BSE Sensex during 2018-2019 is as follows:

BSE

Month	BSE Sensex Close	BDL Share Price			No.of Shares traded	Turnover (₹ in lakhs)
		High	Low	Close		
		₹	₹	₹		
April, 2018	35160.36	421.9	371	403.35	615310	2471.60
May, 2018	35322.38	428	364	405.3	168972	6631.76
June, 2018	35423.48	409.2	370	376.9	90277	355.12
July, 2018	37606.58	388.8	333.05	384.75	95747	348.63
August, 2018	38645.07	388.95	348	349.65	97832	361.33
September,2018	36227.14	378	280.2	281.3	159806	539.06
October, 2018	34442.05	293.75	260	282.2	69713	194.38
November, 2018	36194.30	330	274.25	281.1	52863	153.76
December, 2018	36068.33	288.85	260.25	275.65	32235	89.34
January, 2019	36256.69	304.9	255	257.45	75378	212.99
February, 2019	35867.44	316.7	224	304.1	294087	821.54
March, 2019	38672.91	306	273	283.65	237393	679.15

A comparison of closing quotation of the Company's share price on BSE with the closing position of BSE SENSEX during the year2018-19 is presented in the following graph:

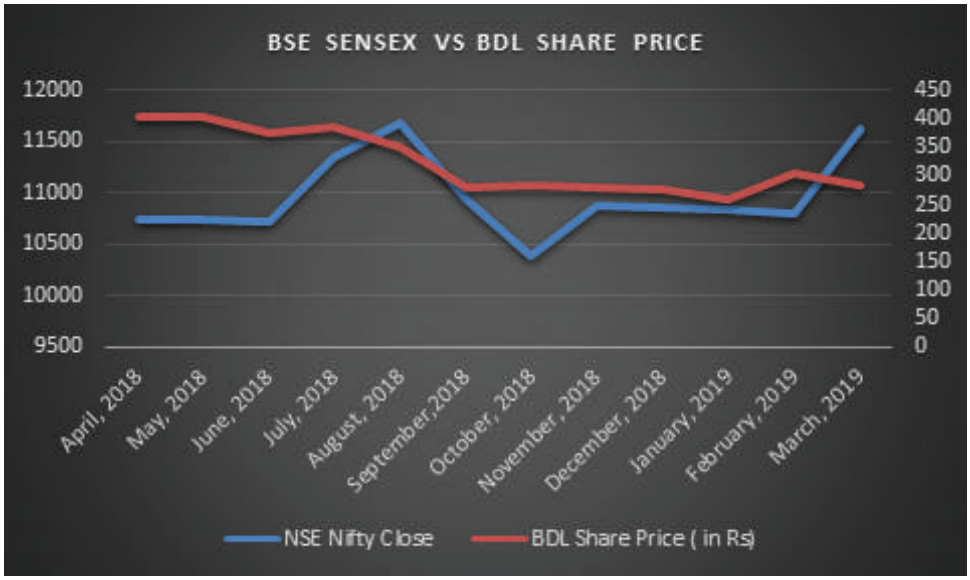

ii) BDL Share Price on NSE vis-a-vis NSE Nifty during 2018-2019 is as follows:

NSE

Month	NSE Nifty Close	BDL Share Price			No.of Shares traded	Turnover (₹ in lakhs)
		High	Low	Close		
		₹	₹	₹		
April, 2018	10739.35	421.9	371	403.35	615310	2471.60
May, 2018	10736.15	428	364	405.3	168972	663.18
June, 2018	10714.3	409.2	370	376.9	90277	355.12
July, 2018	11356.5	388.8	333.05	384.75	95747	348.63
August, 2018	11680.5	388.95	348	349.65	97832	361.33
September,2018	10930.45	378	280.2	281.3	159806	539.06
October, 2018	10386.6	293.75	260	282.2	69713	194.39
November, 2018	10876.75	330	274.25	281.1	52863	153.76
December, 2018	10862.55	288.85	260.25	275.65	32235	89.38
January, 2019	10830.95	304.9	255	257.45	75378	212.99
February, 2019	10792.5	316.7	224	304.1	294087	821.54
March, 2019	11623.9	306	273	283.65	237393	679.15

A comparison of closing quotation of the Company's share price on NSE with the closing position of NSE NIFTY during the year2018-19 is presented in the following graph:

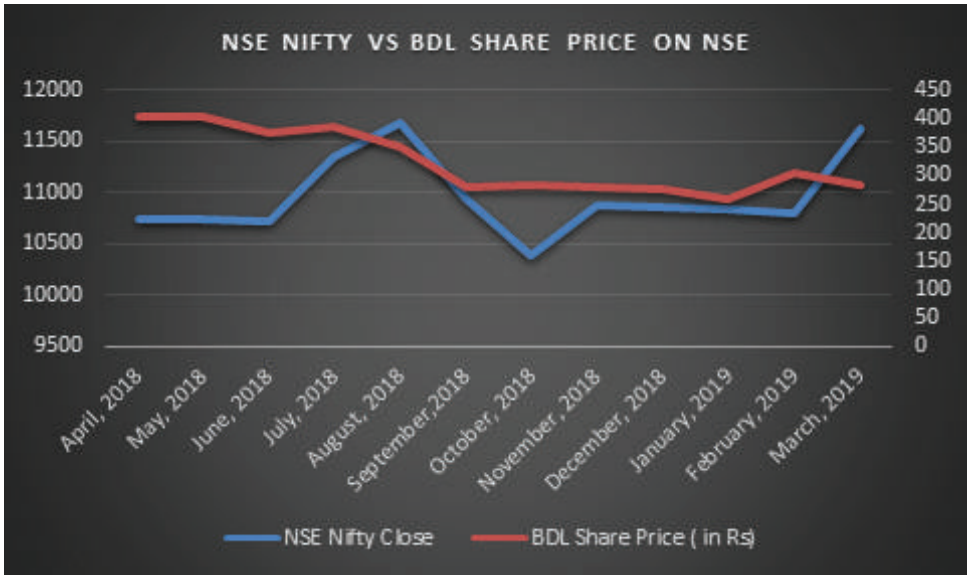

(i) **Registrar & Share Transfer Agent**

Alankit Assignments Ltd,. Delhi, a SEBI registered Category I Registrar and Share Transfer Agent is the Company's Registrar and Share Transfer Agent. The RTA's address is given below to forward all share transfer/ transmission/split/consolidation/issue of duplicate certificates/change of address requests as well as all dematerialization/Rematerialisation requests and related matters as well as all dividend related queries and complaints:

Alankit Assignments Limited
205-208, Anarkali Complex
Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Telephone: +91 11 42541234 ; Facsimile : +91 11 41543474
Email: rta@alankit.com; Website: www.alankit.com
Investor Grievance ID: rta@alankit.com
Contact Person: Mr.J.K.Singla

(j) **Share Transfer System**

With respect to shares transferred in electronic form, after confirmation of sale/purchase transaction from the broker, shareholders should approach their respective depositary participant (DP) with a request to debit or credit the account for the transaction. The DP will immediately arrange to complete the transaction by updating the account. There is no need for separate communication to either the Company or STA. For matters regarding shares transferred in physical form, share certificates etc., the shareholders should communicate with the STA/Company.

(k) **Distribution of shareholding as on 31 March 2019**

No. of Equity shares held	No.of Shareholders	%	No.of Shares	%
1-100	108158	90.963	4378837	2.389
101-500	10008	8.417	2217642	1.210
501-1000	412	0.347	314779	0.172
1001-5000	238	0.200	515137	0.281
5001-10000	38	0.032	265703	0.145
10001-20000	15	0.013	183628	0.100
20001-30000	7	0.006	169502	0.092
30001-40000	5	0.004	182684	0.100
40001-50000	2	0.002	96000	0.052
50001-100000	5	0.004	314345	0.172
100001-500000	6	0.005	1356963	0.740
500001 and above	9	0.008	173286030	94.547
TOTAL	**118903**	**100**	**183281250**	**100**

(l) **Dematerialization of Shares**

The Company's shares are admitted into both the depositories i.e. National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). As on 31 March 2019, the number of equity shares in electronic form and physical form is as follows:

S.No	Particulars	No.of Shares	%
1	NSDL	180531055	98.5
2	CDSL	2750107	1.5
3	Physical	88	0
	Total	**183281250**	**100**

(m) **Outstanding GDRs/ADRs/Warrants**

There are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments

(n) **Commodity price/Foreign exchange risk and hedging activities**

Relevant information in this regard is disclosed in the Notes to Financial Statements

(o) **Plant Locations**

Bharat Dynamics Limited Kanchanbagh,Hyderabad-500058 Phone: (040)-24587002; Fax : (040)-24347513	
Bharat Dynamics Limited Bhanur, Patancheruvu Mandal, Sanga Reddy District, Hyderabad-502305 Phone: (040)-23469551 Fax : (040)-23469552	Bharat Dynamics Limited "G"- Block, APIIC-IALA,VSEZ post Vishakapatnam-530049 Phone : (0891)- 2821500 Fax : (0891)- 2821502

(p) **Address for Correspondence/Corporate Office**

Bharat Dynamics Limited
CIN : L24292TG1970GOI001353
Corporate Office, Plot No.38-39, TSFC Building,
Financial District, Gachibowli, Hyderabad-500 032
Telephone : (040) 23456145 Fax : (040) 23456110
E-mail :investors@bdl-india.in
Website : www.bdl-india.in

(q) **Credit Rating**

The Company has obtained **'A1+'**(Reaffirmed) rating from M/s. CRISIL for short-term Bank facilities for an amount of ₹ 410 Crores.

9) DISCLOSURES IN RELATION TO THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

No. of Complaints filed during the financial Year	0
No.of Complaints disposed of the during the year	0
No.of Complaints pending as on end of the financial year	0

10) DETAILS OF NON-COMPLIANCES

During the year, in terms of regulation 17(1) of the listing regulations, the Company did not comply with the requirement of fifty percent of Independent Directors on the Board w.e.f. 1 May 2018. Accordingly, as per SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 dated May 3, 2018, the stock exchanges (i.e. BSE & NSE) had levied fine on the Company for the quarter ended 30 September, 2018, 31 December 2018 and 31 March 2019. However, the Company has informed that being a Government Company under the Administrative control of Ministry of Defence, the power to appoint Directors (including Independent Directors) and the terms and conditions of such appointments including remuneration, evaluation vests with the Government of India and as such they should not be held liable to pay the fine.

11) COMPLIANCE WITH NON-MANDATORY PROVISIONS

The status on the compliance with the non-mandatory recommendation in the SEBI (LODR)Regulations, 2015 is as under:

- The Company has the position of Chairman & Managing Director (Executive) and there is no Non-Executive Chairman.
- The financial statements of the Company are disclosed with unmodified audit opinion.
- Process of communicating with shareholders is effective and the procedure has been explained under "Means of Communication"
- The Additional General Manager (Internal Audit) administratively reports to Director (Finance) & CFO and functionally reports to Chairman & Managing Director and is an invitee to the meetings of audit committee.

12) CODE FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING AND FAIR DISCLOSURE

In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Company has put in place a Code of Conduct and Disclosure Procedure to prevent insider trading in the Company's securities and for transparent/streamlined disclosure/dissemination of information to the investors/ public. The connected persons as defined under the Code should obtain permission from the Competent Authority to deal in securities during the trading window beyond the specified limits. Periodical disclosures are also required to be made as provided under the Code to prevent the instance of insider trading. The Code of Conduct and Fair Disclosure Procedure has been posted in the Company's website www.bdl-india.in. The said Code has been revised with the recent amendments in the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Amendment Regulations, 2018 which was effective from 01 April 2019.

13) CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES:

A Code of Conduct and Business Ethics as suggested by DPE in its Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 and under regulation 17(5) of SEBI (LODR) Regulations 2015 has been adopted by the Company in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Company's website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the code of conduct during the year 2018-19.A declaration to this effect by the Chairman & Managing Director is given below:

14) DECLARATION BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR:

It is hereby declared that all Board Members and Senior Management Personnel affirmed compliance with "The Code of Business Conduct & Ethics for Board Members and Senior Management of Bharat Dynamics Limited" for the year ended 31 March 2019.

For and on behalf of the Board

Cmde. Siddharth Mishra (Retd.)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

Place: Hyderabad
Date : 10 August 2019

Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347

CERTIFICATE ON COMPLINACE OF CONDITIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Bharat Dynamics Limited
Hyderabad.

I have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by Bharat Dynamics Limited (the Company) for the financial year ended March 31, 2019, as per the relevant provision of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 (Listing Regulations) as referred to in Regulation 15(2) and Schedule-V of the Listing Regulations and Department of Public Enterprises (DPE) guidelines on Corporate Governance for Central Public Section Enterprises (CPSEs).

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, I certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated *except in respect of compliance of regulation 17(1)* of above mentioned listing Regulations with *regard to requirement of fifty percent of Independent Directors on the Board, during the year.*

I state that such Compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

I further state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against the Company as per the records.

(Y.RAMESH)
COMPANY SECRETARY IN PRACTICE
CP. No.: 7929

Place: Hyderabad
Date: 23 May 2019

Flat No. 304, 'F' Block, Sri Prabhasam Dynamics Enclave-II, 26-218, LIG Colony Road, BHEL, RC Puram, Hyderabad - 502 032.
Email : racs_y@yahoo.co.in | racs7929@gmail.com

Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347

CERTIFICATE OF NON DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

{Pursuant to Regulation 34 (3) and Schedule V Para C Clause (10) (i) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015}.

To
The Members of
Bharat Dynamics Limited
Hyderabad.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me and the representations made by the Directors and the Management, I certify that none of the Directors on the Board of the Company has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Companies by the Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

(Y.RAMESH)
COMPANY SECRETARY IN PRACTICE
CP. No.: 7929

Place: Hyderabad
Date: 23 May 2019

Flat No. 304, 'F' Block, Sri Prabhasam Dynamics Enclave-II, 26-218, LIG Colony Road, BHEL, RC Puram. Hyderabad - 502 032.
Email : racs_y@yahoo.co.in | racs7929@gmail.com

ANNEXURE-VI
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L24292TG1970GOI001353
2	Name of the Company	Bharat Dynamics Limited
3	Registered address	Kanchanbagh, Hyderabad-500058
4	Website	www.bdl-india.in
5	e-mail id	investors@bdl-india.in
6	Financial Year reported	2018-19
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Manufacture of Weapon system 25200
8	List three key products/services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	Manufacture of Missiles and allied Defence equipments
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	4
	a. Number of International Locations (Provide details of major 5)	Nil
	b. Number of National Locations	4
10	Markets served by the Company – Local/State/ National/ International/	National/International

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1	Paid up Capital (INR)	1832812500
2	Total Turnover (INR)	3069 Crore
3	Total profit after taxes (INR)	423 Crore
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) (INR)	16.83 Crore
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred.	BDL's CSR activities are carried out in the following focus areas: • Education & Skill Development • Rural Development • Sports & Swachh Bharat Projects • Drinking water supply & Sanitation and Healthcare initiatives

SECTION C: OTHER DETAILS

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	No
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NA
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	No

SECTION D: BR INFORMATION

1	Details of Director/ Directors responsible for BR	BR function relating to Corporate Social Responsibility and Sustainability is monitored by the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR& SD) Committee of the Board of Directors. The details of the Composition of the CSR & SD Committee are provided in the Corporate Governance Report. The overall Business Responsibility of the company lies with the Chairman & Managing Director who gets them implemented through the respective group heads The details of the CMD of BDL is as follows: DIN: 08367035 Name: Cmde Siddharth Mishra (Retd.) Designation: Chairman & Managing Director Telephone No.: 040-23456123 Email ID: cmdbdl@bdl-india.in The Board has not assigned responsibilities specifically to any Director to function as the BR head.
	(a) Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies	
	DIN Number	
	Name	
	Designation	
	(b) Details of the BR head	
	DIN Number (if applicable)	
	Name	
	Designation	
	Telephone number	
	e-mail id	

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

The 9 principles outlined in the National Voluntary Guidelines (NVGs) are as follows

P1	Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the well-being of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.

P7	Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy/ policies for BR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes The Company follows all work practices, procedures and production endeavours pertaining to its area of activities/ operations as mandated by Industry, Government and relevant statutory bodies								
3	Does the policy conform to any national / international standards?	Yes. Various policies at BDL conform to different applicable statutes/ guidelines/ rules etc. issued by GOI, and updated from time to time. Industry practices, national/ international standards are generally kept in view while formulating polices.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Various policies conforming to the directives of the Government under various applicable laws/statutes/rules/guidelines etc., are approved by the Board or authority delegated for the same by the Board								
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	The Board oversees the compliance and implementation of the policies through its various Committees as detailed in the Corporate Governance Report forming part of the Annual Report.								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The policies are available on Company's website: www.bdl-india.in/investors								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	The Company policies and operational framework are available on the Company's website as well as its intranet. Quality, Health, Safety and Environmental Policy displayed at all major location of the Company.								
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Yes. The Company has well-established in-house infrastructure, manpower pool, documented standard operating procedure and other executive & administrative machineries to implement the given policies in the area of safe and sustainable production of goods and services of the Company.								
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	The Board has set up a Committee named Stakeholder's Relationship Committee to address the grievances of the stakeholders, debenture holders and other persons holding securities in the Company as required under the Companies Act, 2013 and under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. In addition, the Company has also set up a vigil mechanism to address the genuine concerns, of any of the directors and employees. Further representations from bidders/ contractors as well as opinion sought by the Company against various tenders are referred to Independent External Monitors (IEM). IEMs discuss the issues with the executives concerned and bidders' representatives wherever felt necessary by IEMs and give their opinion through a speaking order.								
10	Has the company carried out independent evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Company is subject to various audits such as Statutory Audit by firm of Chartered Accountants appointed by the Comptroller & Auditor General, Internal Audit, C&AG Audit, Cost Audit, Secretarial Audit, Quality Audit, Safety Audit, Integrated Management Systems Audit etc. These audits ensure compliance to various internal and external policies.								

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: Not Applicable

3. Governance related to BR

	(a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company.	The senior management of the Company reviews BR performance on an on-going basis. The Board/Committees constituted by it review the same annually.
	(b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes. The Company publishes BR Report annually as part of its annual report. The hyperlink for viewing the report: http://www.bdl-india.in/investors

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: **Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability**		
1	Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. Does it extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs / Others?	The Company has well placed Integrity Pact which is signed with bidders to enable them to raise any issues with regard to high value tenders of more than ₹ 2 Crore floated from time to time. People of high repute and integrity are appointed as Independent External Monitors to oversee implementation of the said Integrity Pact. The pact essentially envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and BDL committing the Persons/officials of both sides, not to resort to any corrupt practices in any aspect/ stage of the contract. Any violation of the same would entail disqualification of the bidders and exclusion from future business dealings.
2	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?	During the financial year 2018-19, 86 investor complaints/grievances have been received by the Company and through SEBI SCORES Platform, NSE and BSE and Registrar & Transfer Agent. All these complaints were attended to and resolved on priority basis. Further BDL had received 23 customer complaints regarding some of the products supplied to the customers. Out of which 15 complaints were disposed-off satisfactorily and 8 complaints were pending at the end of the financial year.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle		
1	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.	The Company is engaged in the business of manufacture and supply of various Missiles and allied Defence equipments to Indian Armed Forces.
2	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) :	The company recognizes its commitment to achieve economic development through sustainable methods. This is proposed to be achieved through employment of appropriate technology, transparency in procurement and outsourcing and participation in sustainable development programmes. The Company has implemented various energy conservation measures namely installation of grid connected Solar Power Plant, Electrification with LED lights instead of conventional discharge lamps etc. The Company installed 5 MW Grid connected Solar Power plant at BDL-Bhanur unit through M/s. Solar Energy Corporation of India which has become operational since September 2017. Further the Company also installed another 5MW Grid connected Solar Power plant at Ibrahimpatnam unit through M/s. Solar Energy Corporation of India which has become operational from this current year April 2019.
3	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?	The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies; various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements. Ability to supply materials as per stipulated delivery period, annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance.
4	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?	Being the Company is into Defence sector, the policy of procurement from Micro, small and Medium enterprises is not applicable. However, the Company is striving to promote procurement/avail services, through local and small producers and service providers. As such the Company attended six (6) Vendor Development Programmes (VDPs) organized by the Dept. of MSME, GOI

5	Does the company have a mechanism to recycle products and waste?	BDL has mechanism in place to send waste for recycling through certified agencies: a) Solid waste such as metal scrap, wooden scrap, damaged barrels, diesel generator set, air handling unit are sold out and returned to process/market through recycling b) Hazardous waste such as waste oil, empty chemical containers, empty glass bottles, MS paint container have been disposed through the agency registered with the Pollution Control Board c) E-waste has been sold out and returned to process/market through recycling. d) The lead acid batteries are given to the authorised recyclers/ dealers on buyback basis as and when required

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees		
1	Total number of permanent employees as on 31.03.2019.	2997
2	Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.	33
3	Number of permanent women employees.	318
4	Number of permanent employees with disabilities	111
5	Employee association	BDL has three employee associations recognized by Management
6	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	97%
7	Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.	Nil
8	Brief details of training Programme held for employees with respect to safety & skill up-gradation training in the last year	No. of employees trained during 2018-19 (Category-Wise details)

Particulars	SC	ST	OBC	GEN	Total
JOTNA	220	122	397	464	1203
Non-JOTNA	470	223	809	1181	2683

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized		
1	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes
2	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.	BDL's CSR projects aims at benefiting the disadvantaged, vulnerable and marginalized community who are present across Telangana and Andhra Pradesh. Further BDL ensures that the reservation policy as advised by Govt of India is implemented. BDL is also involved in improving the quality of life of persons for whom projects are specially designed. The company has identified (i) SC/ ST (ii) Differently Abled as disadvantaged, vulnerable and marginalized for employment purpose.
3	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?	BDL has made commitments for various projects across Telangana and Andhra Pradesh in its CSR thrust areas, largely catering to disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholder's viz. education, sanitation & skill development, healthcare initiatives, drinking water provision etc.,. The company follows all the GOI regulations regarding reservations for SC / ST and Differently abled.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights.		
1	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	The Company has no subsidiaries/Joint Ventures/Group etc., The Human resource policies of the Company cover all aspects of human rights of its employees and others associated with it for operation of its business. No complaints have been received in the past financial year on human rights. The Company is committed to uphold and maintain the dignity of women employees and it has in place a policy which provides for protection against sexual harassment of women at work place and for prevention and redressal of such complaints. During the year under review, no such complaint was received.
2	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	During the year under review, no such complaints were received

Principle 6: Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.		
1	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Covers the Company as a whole. BDL has no subsidiaries/Joint Ventures/ Group etc.,

2	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	All the three units of BDL at Kanchanbagh, Bhanur and Vizag have been certified with ISO 14001:2015 Environmental Management System and BDL is addressing the environmental issues through various stages such as internal audits, external audits and core team meeting and Management review meetings.
3	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	BDL has not taken any project related to Clean Development Mechanism but under these criteria, BDL is reducing emissions through installation of Venturi Scrubbers in electroplating process. BDL has installed diesel generator complying with the requirements of CPCB norms.
5	Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	Cleaner technology is implemented by inducting CNC Machines, Flow Forming, Robotic welding, Electro Discharge Machining, Electro Chemical Machining and Wave Soldering machines. BDL has undertaken the following initiative under energy conservations: - 0.96 power factor is being maintained - 5 MW solar power plant has been installed at Bhanur Unit and upcoming Ibrahimpatnam Unit - 513 KW solar rooftop plant is planned at Vishakapatnam Unit
6	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	Yes
7	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	Nil

Principle 7: Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.		
1	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	a) Confederation of Indian Industry (CII) b) Society of Defence Technologists c) Hyderabad Management Association d) Standing Conference of Public Enterprises
2	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas	No

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development		
1	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8?	As stated in the above sections, BDL's various CSR projects are in pursuit of the socio and economic development across the States where the units are situated. Further the BDL's Vendor development programs pave the way for achieving the inclusive growth and equitable development.
2	Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organization?	BDL largely collaborates with various NGOs, foundations, government agencies, and other professional agencies for execution of the project on the ground.
3	What is your company's direct contribution to community development projects.	During the financial year 2018-19, the contribution to community development projects was ₹ 16.83 Crore. Please refer to the Annual Report on CSR Activities forming part of this Annual Report.
4	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?	Yes. BDL conducts Impact assessment for majority of the projects

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.		
1	What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	BDL had received 23 customer complaints during the year. Out of which 15 complaints were disposed-off satisfactorily and 8 complaints were pending at the end of the financial year. This amounts to 34.78% of the total complaints registered.
2	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws?	Not applicable as the Company is into business of Weapon systems. The product information is sensitive and classified. Hence, there is no display of product information.
3	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year	No
4	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	No, however BDL always obtains customer satisfaction survey and feedback from the customers at regular intervals

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Bharat Dynamics Limited

1. Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone Ind AS financial statements of Bharat Dynamics Limited ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year then ended, and other explanatory information and a summary of the significant accounting policies (herein after referred to as "Standalone Ind AS financial statements").

2. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2019, and profit (including other comprehensive income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

3. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. Key Audit Matters

Key audit matters ('KAM') are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters	How the matter was addressed in our audit
1. **Ind As 115** As described in Note 37(21) to the standalone financial statements, the Company has adopted Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers ('Ind AS 115') which is the new revenue accounting standard. The application and transition to this accounting standard is complex and is an area of focus in the audit.	We assessed the company's process to identify the impact of adoption of the new accounting standard which includes • Evaluated the design and implementation of the processes and internal controls relating to implementation of the new revenue accounting standard;

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

The revenue standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognized. This involves certain key judgments relating to identification of distinct performance obligations, determination of transaction price of identified performance obligation, the appropriateness of the basis used to measure revenue recognized over a period. Additionally, new revenue accounting standard contains disclosures which involve collation of information in respect of disaggregated revenue and periods over which the remaining performance obligations will be satisfied subsequent to the balance sheet date. The Company adopted Ind AS 115 and applied the available exemption provided therein, to not restate the comparative periods	• Evaluated the detailed analysis performed by management on revenue streams by selecting samples for the existing contracts with customers and considered revenue recognition policy in the current period in respect of those revenue streams • Evaluated the cumulative effect adjustments as at 1 April 2018 for compliance with the new revenue standard; and • Evaluated the appropriateness of the disclosures provided under the new revenue standard and assessed the completeness and mathematical accuracy of the relevant disclosures.
2. Onerous Contracts Accuracy of revenue and onerous obligations in respect of fixed-price contracts involves critical estimates Estimated effort is a critical estimate to determine revenues and liability for onerous obligations. This estimate has a high inherent uncertainty as it requires consideration of progress of the contract, efforts incurred till date, efforts required to complete the remaining contract performance obligations. Refer Accounting policy No. 16.5 and Note no. 27 to the Standalone Financial Statements.	Our audit approach was a combination of test of internal controls and substantive procedures which included the following: • Evaluated the design of internal controls relating to recording of efforts incurred and estimation of efforts required to complete the performance obligations. • Tested the access and application controls pertaining to time recording, allocation of planned and actual expenditure. • Selected a sample of contracts and tested the operating effectiveness of the internal controls relating to efforts incurred and estimated through inspection of evidence of performance of these controls. • Selected a sample of contracts and performed a retrospective review of efforts incurred with estimated efforts to identify significant variations and verify whether those variations have been considered in estimating the remaining efforts to complete the contract. • Performed analytical procedures and test of details for reasonableness of incurred and estimated efforts. **Conclusion**: Our procedures did not identify any material exceptions.

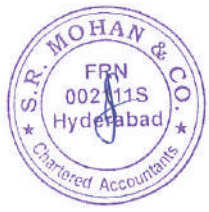

5. **Emphasis of Matters:**

We draw the attention to:

Note number 29 of the standalone Ind AS financial statements which accounting of certain sales, based on acceptance of quality by the Customer and prices by the representative of the customer, awaiting the amendments to the contract.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

6. **Information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's report there on**

The Company's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the standalone financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,we are required to report that fact. Based on the information we have received till date on the other information that may contain in the Annual Report of the Company, we have nothing to report in this regard.

7. **Management's responsibility for the Standalone Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and the estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

8. Auditors' Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting in preparation of Standalone Financial Statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors (i) in planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work: and (ii)to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

9. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

(1) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ('the Order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the Paragraph 3 and 4 of the Order.

(2) As required under Section 143 (3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid Standalone Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act and the Rules made thereunder.

(e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2019 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2019 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act

(f) With respect to adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure B;

(g) With respect to Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (5) we give our report in Annexure C: and

(h) With respect to other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements vide Note No. 37(7) of Notes to the Ind AS Financial Statements

(ii) The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

(iii) No amounts are required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

Place: Hyderabad
Date: 30-05-2019

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S

S. Sandeep Reddy

S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in Paragraph 9 (1) of Independent Auditors' Report to the Members of Bharat Dynamics Limited On the standalone Ind AS financial statements for the year ended on March 31, 2019

1. (a) Subject to sub-clause (c) herein below the Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

   (b) The Company has a regular program of physical verification of its fixed assets by which fixed assets are verified in phased manner over a period of five years. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business. Pursuant to the program, certain fixed assets were physically verified by the Management during the year. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

   (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company, except the following properties for which the title is yet to be received by the Company.

Nature of Asset	Amount (Rs.In Lakh)	Reasons
Freehold Land at Kanchanbagh (including Investment Property valued at 0.97 Lakh)	29.39	Land allotted free of cost by the State Government. No Title Deed is issued. Value is fair value as per Ind AS 16
Freehold Land at IbrahimPatnam	6316.90	Land is acquired through TSIIC. As per their rules Land will be registered only after setting up of the Factory.
Freehold Land at Visakhapatnam	376.13	APIIC is yet to execute the title deeds.
Lease hold land at Visakhapatnam	-	Lease Deed is not executed by the Lessor.

2. The Inventory of finished goods, raw materials, stores, spare parts, except those in transit and with third parties have been physically verified by the management during the year. We consider that the frequency of the verification is reasonable, having regard to the nature of business and size of the Company, discrepancies noticed on physical verification are appropriately dealt with in the accounts.

3. According to the information and explanations given to us, the Company has not given unsecured loans to companies/firms/parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, hence other matters relating to the loans and advances to parties listed under Section 189 are not applicable.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees, as applicable.

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

5. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year and hence compliance with the provisions of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014, as amended with regard to acceptance of deposits are not applicable to the Company

6. According to the information and explanations given to us, the Company is required to maintain cost records under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013. We have broadly reviewed these records and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records are made and maintained. We have not, however, made a detailed examination of these records with a view to determine whether they are accurate and complete.

7. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

(a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-tax, Goods and Service tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it to the appropriate authorities. According to the records of the Company and information and explanations given to us none of these undisputed taxes are in arrears as at March 31, 2019 for a period exceeding six month from the date they become payable.

(b) According to the records of the Company and information and explanations given to us the following are the particulars of disputed amounts payable in respect of Central Sales Tax and Service Tax:

(Rs. In lakh)

Name of the Statute	Nature of Dues	Disputed Amount(Rs. in Lakh)	Paid under Protest/Adjust-ed as required under law	Balance	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Central Sales Tax Act	Central Sales Tax	284.36	71.09	213.27	2007-08	TS VAT AT
Central Sales Tax Act	Central Sales Tax	5550.83	693.85	4856.98	2011-12	Writ pending with High Court at Hyderabad
Central Sales Tax Act	Central Sales Tax	5024.27	-	5024.27	2012-13	Writ pending with High Court at Hyderabad
Central Sales Tax Act	Central Sales Tax	4266.81	-	4266.81	2013-14	Writ pending with High Court at Hyderabad

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

Central Sales Tax Act	Central Sales Tax	6468.12	-	6468.12	2014-15	Writ pending with High Court at Hyderabad
Finance Act, 1994	Service Tax	2355.50	1177.75	1177.75	2012-13 to 2014-15	CETSTAT, Hyderabad
TOTAL		**23949.89**	**1942.69**	**22007.20**		

8. According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the Company has not defaulted in the repayment of dues to financial institutions, banks, government and the Company has not issued any debentures.

9. The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer or by way of term loans during the year, hence other matter contained in Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (CARO) is not applicable.

10. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no fraud on the Company by its officers has been noticed or reported during the year.

11. Provisions of Sec 197 of Companies Act, 2013 is not applicable to the Company.

12. The Company is not NIDHI company hence matter relating to NIDHI company in CARO is not applicable to the Company

13. According to the information and explanations furnished to us, and based on our examination of books and records, we are of the opinion that all transactions with related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 and all the details have been disclosed in the financial statements as per applicable Accounting Standards.

14. The Company has not made any preferential offer of equity shares during the year and accordingly other matters relating to preferential offer are not applicable.

15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them during the year and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable

16. The Company is not required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act.

Place: Hyderabad
Date: 30-05-2019

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy,
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in Paragraph 9 (2) (f) of Independent Auditors' Report to the Members of Bharat Dynamics Limited On the standalone Ind AS financial statements for the year ended on March 31, 2019

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under clause (i) of sub section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bharat Dynamics Limited (the Company) as at March 31, 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

2. **Management's Responsibility:**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal financial control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of control stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

3. **Auditor's Responsibility:**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting" (Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of Internal Financial Controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial control based on assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting.

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

4. Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting:

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditure of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directions of the company.; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have material effect on the financial statements. .

5. Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting:

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

6. Opinion:

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Place: Hyderabad
Date: 30-05-2019

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy.
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

S.R. MOHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

☎ : 23201123
: 23201223
Fax : 23205535

ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in Paragraph 9 (2) (g) of Independent Auditors' Report to the Members of Bharat Dynamics Limited On the standalone financial statements for the year ended on March 31, 2019

Report on the directions under sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013

According to the information and explanations furnished to us and based on audit of the accounts of the Company, Bharat Dynamics Limited, we report hereunder on the directions given by the Comptroller and Auditor General of India.

Direction	Report	Impact
1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated..	According to the information and explanations furnished to us and based on our examination of books of account, we are of the opinion that the company has necessary system in place to process all the accounting transactions through IT system. There are no accounting transactions that are processed outside the IT system during the year.	Nil
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver /write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated	According to the information and explanations furnished to us and based on our examinations of books of account, we are of the opinion that there are no such cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan during the year.	Nil
3. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Based on the examination of the books and records of the Company, we are of the opinion that the company has received funds for setting up of a solar power plant. These amounts were utilized for the purpose for which these are granted and properly are accounted.	Nil

Place: Hyderabad
Date: 30-05-2019

S.R. MOHAN & CO. FRN 002111S Hyderabad Chartered Accountants

For S.R. MOHAN & CO.
Chartered Accountants
FR No. 002111S
S. Sandeep Reddy.
S. SANDEEP REDDY
M. No. 242470
Partner

III FLOOR, NORTH BLOCK, RAGHAVA RATNA TOWERS, CHIRAG ALI LANE, HYDERABAD - 500 001.
E-mail : srm_co@yahoo.com

By Speed Post
Confidential

सं./No. Insp/BDL A/cs(2018-19)/2019-20/ 283

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 01.08.2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

To
Shri V Udaya Bhaskar
Chairman and Managing Director.
M/s. Bharat Dynamics Limited.
Corporate Office,Plot No.38-39.
TSFC Building,Financial District.
Gachibowli,Hyderabad – 500 032

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2019.

I forward **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2019.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing:

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013: and

(iii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

A. Subramaniyan 1/8/19
(A. Subramaniyan)
Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

नि./बी.डी.एल.लेखा(2018-19)/2019-20/ 283
सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE.

01 अगस्त 2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सेवा मे,
श्री वी.उदय भास्कर,
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,प्लॉट सं. 38-39,
टीएसएफसी बिल्डिंग, फिनानसियल डिस्ट्रिक्ट
गाछीबौली, हैदराबाद - 500032
महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "निल टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये |

कृपया पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,
ए. सुब्रमनियन 1/8/19
(ए. सुब्रमनियन)
निदेशक (प्रशासन)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BHARAT DYNAMICS LIMITED, HYDERABAD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.

The preparation of Financial Statements of M/s. BHARAT DYNAMICS LIMITED, HYDERABAD for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30 May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of M/s. BHARAT DYNAMICS LIMITED, HYDERABAD for the year ended 31 March 2019 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

01/08/2019

(Santosh Kumar)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 01 August 2019

Ind AS
Financial Statements - 31 March 2019

Corporate information

Bharat Dynamics Limited (BDL), a Government of India Enterprise under the Ministry of Defence was established at Hyderabad in the year 1970. It is engaged in the manufacturing of Missiles and allied Defence Equipments. The Company provides majority of its goods and services to the Indian Armed forces and Government of India.

Contents:

Ind AS Financial Statements comprises:

(a) Balance Sheet
(b) Statement of Profit and Loss
(c) Statement of Changes in Equity
(d) Statement of Cash flows
(e) Notes, comprising a summary of significant Accounting policies and other explanatory information; and
(f) Comparative information in respect of the preceding period;

Reporting Entity:

Bharat Dynamics Limited (Government of India Enterprise) is a Listed Company limited by shares, incorporated and domiciled in India.

Registered Office :

Kanchanbagh, Hyderabad - 500058

Corporate Office :

Plot No. 38-39, TSFC Building,
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad - -500032

BALANCE SHEET

AS AT 31 MARCH 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	Notes	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	1	81,246.57	72,016.16
(b) Capital Work-in-Progress	2	4,703.08	12,984.34
(c) Investment Property	3	0.97	0.97
(d) Intangible Assets	4	14,449.08	14,820.96
(e) Intangible Assets under development	5	-	-
(f) Financial Assets			
(i) Investments	6	371.74	368.94
(ii) Loans	7	299.20	294.25
(iii) Other Financial Assets	8	4,620.24	5,030.98
(g) Deferred Tax Assets (net)	28A	7,177.36	19,255.98
(h) Other Non-current Assets	9	3,023.59	3,297.25
Total Non - Current Assets		**115,891.83**	**128,069.83**
(2) Current Assets			
(a) Inventories	10	166,453.20	192,586.64
(b) Financial Assets			
(i) Investments	11	-	23,529.92
(ii) Trade Receivables	12	58,720.51	77,040.62
(iii) Cash and Cash Equivalents	13	1,697.07	2,998.94
(iv) Bank balances other than (iii) above	14	35,434.60	32,680.00
(v) Loans	15	244.65	223.68
(vi) Other Financial Assets	16	132,294.90	151,616.08
(c) Current tax Assets	28B	4,538.01	-
(d) Other Current Assets	17	31,567.11	51,091.54
Total Current Assets		**430,950.05**	**531,767.42**
Total Assets		**546,841.88**	**659,837.25**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	18	18,328.12	18,328.12
(b) Other Equity	19	208,526.48	177,309.87
Total Equity		**226,854.60**	**195,637.99**
(1) Non-current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Other Financial Liabilities	20	4,751.46	5,173.88
(b) Provisions	21	-	-
(c) Other Non-current Liabilities	22	23,323.86	35,826.18
Total Non-current Liabilities		**28,075.32**	**41,000.06**
(2) Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	23	181.55	-
(ii) Trade Payables			
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises;	24	2,756.32	3,725.68
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	24	49,189.40	97,424.88
(iii) Other Financial Liabilities	25	12,344.45	24,015.89
(b) Other Current Liabilities	26	191,567.21	231,412.47
(c) Provisions	27	35,873.03	63,285.87
(d) Current tax Liabilities, net	28B	-	3,334.41
Total Current Liabilities		**291,911.96**	**423,199.20**
Total Liabilities		**319,987.28**	**464,199.26**
Total Equity and Liabilities		**546,841.88**	**659,837.25**

Significant Accounting Policies and accompanying Notes form an integral part of the Financial Statements

As per our report of even date.

for S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

S. SANDEEP REDDY
Partner
(M.No. 242470)

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

S. PIRAMANAYAGAM
Director (Finance)
DIN: 07117827

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

For and on behalf of the Board

Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

N. NAGARAJA
Company Secretary
(M.No.A19015)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2019

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	Notes	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
	INCOME			
I	Revenue from Operations	29	306,934.97	458,759.75
II	Other Income	30	13,598.60	17,255.91
III	**Total Income (I + II)**		**320,533.57**	**476,015.66**
IV	**EXPENSES**			
	Cost of materials consumed	31	181,896.95	290,759.21
	Changes in inventories of finished goods and work-in-progress	32	(16,587.40)	(5,370.00)
	Employee benefits expense	33	53,420.88	52,933.98
	Finance costs	34	423.07	327.92
	Depreciation and amortisation expense	35	8,250.21	6,347.75
	Other expenses	36	25,993.40	53,634.39
	Total expenses (IV)		**253,397.11**	**398,633.25**
V	**Profit/ (Loss) before exceptional items and tax (III-IV)**		67,136.46	77,382.41
VI	Exceptional Items		-	-
VII	**Profit before tax (V - VI)**		**67,136.46**	**77,382.41**
VIII	**Tax expense**			
	(1) Current tax	28C	22,185.99	29,678.52
	(2) Deferred tax	28C	2,691.75	(5,111.27)
	Total Tax expense		**24,877.74**	**24,567.25**
IX	**Profit/ (Loss) for the year (VII - VIII)**		**42,258.72**	**52,815.16**
X	**Other comprehensive income**			
	A Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss		-	-
	(a) Remeasurement of the defined benefit plans	37(4)	(1,646.05)	-
	(b) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	28C	575.20	-
	Total other comprehensive income		**(1,070.85)**	**-**
XI	**Total comprehensive income for the year (IX + X)**		**41,187.87**	**52,815.16**
XII	**Earnings per equity share**			
	Basic and diluted EPS (in Rupees)	37 (3)	23.06	26.65

Significant Accounting Policies and accompanying Notes form an integral part of the Financial Statements

As per our report of even date.

for S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

S. SANDEEP REDDY
Partner
(M.No. 242470)

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

For and on behalf of the Board

S. PIRAMANAYAGAM
Director (Finance)
DIN: 07117827

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

N. NAGARAJA
Company Secretary
(M.No.A19015)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

A. Equity

(₹ in lakh)

Particulars	Amount
Issued and paidup capital as at April 01, 2017	12,218.75
Changes in equity share capital during the year	6,109.37
Balance as at March 31, 2018	18,328.12
Changes in equity share capital during the year	-
Balance as at March 31, 2019	**18,328.12**

B. Other Equity

(₹ in lakh)

Particulars	Reserves and Surplus			
	General Reserve	Capital Redemption Reserve	Retained Earnings	Total
Balance as at April 1, 2017	188,298.51	-	18,980.33	**207,278.84**
Profit for the year	-	-	52,815.16	52,815.16
Other comprehensive income for the year (net of tax)	-	-	-	-
Final dividend and tax thereof	-	-	(18,922.23)	(18,922.23)
Transfer to Capital Redemption Reserve	(3,054.69)	-	-	(3,054.69)
Transfer from Statement of Profit and Loss	23,000.00	-	-	23,000.00
Transfer to General Reserve	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
Addition towards buy back during the period	-	3,054.69	-	3,054.69
Buyback Premium Written off	(41,998.90)	-	-	(41,998.90)
Depreciation Adjustment	-	-	-	-
Issue of Bonus shares	(6,109.38)	(3,054.69)	-	(9,164.07)
Tax on Buyback of shares	-	-	(9,689.99)	(9,689.99)
Interim Dividend	-	-	(2,500.00)	(2,500.00)
Tax on Interim Dividend	-	-	(508.94)	(508.94)
Tax on Proposed Final Dividend (P.Y.)	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2018	**160,135.54**	**-**	**17,174.33**	**177,309.87**

Particulars	Reserves and Surplus			
	General Reserve	Capital Redemption Reserve	Retained Earnings	Total
Balance as at April 1, 2018	160,135.54	-	17,174.33	**177,309.87**
Profit for the year	-	-	42,258.72	42,258.72
Adjustment on account of adoption of Ind AS 115*			17,736.54	17,736.54
Other comprehensive income for the year (net of tax)	-	-	(1,070.85)	(1,070.85)
Final dividend and tax thereof	-	-	(16,107.64)	(16,107.64)
Transfer to Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
Transfer from Statement of Profit and Loss	23,000.00	-	-	23,000.00
Transfer to General Reserve	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
Addition towards buy back during the period	-	-	-	-
Buyback Premium Written off	-	-	-	-
Depreciation Adjustment	-	-	-	-
Issue of Bonus shares	-	-	-	-
Tax on Buyback of shares	-	-	-	-
Interim Dividend	-	-	(9,622.27)	(9,622.27)
Tax on Interim Dividend	-	-	(1,977.89)	(1,977.89)
Tax on Proposed Final Dividend (P.Y.)	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2019	**183,135.54**	**-**	**25,390.94**	**208,526.48**

* Refer Note 37(21): Implementation of Ind AS 115

As per our report of even date.
for S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

S. SANDEEP REDDY
Partner
(M.No. 242470)

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

For and on behalf of the Board

S. PIRAMANAYAGAM
Director (Finance)
DIN: 07117827

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

N. NAGARAJA
Company Secretary
(M.No.A19015)

CASH FLOW STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019		March 31, 2018	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Profit before exceptional items and tax		67,136.46		77,382.41
Adjustments for :				
Depreciation and amortisation expense	8,250.21		6,347.75	
Finance costs	423.07		327.92	
Interest income	(4,692.06)		(9,181.75)	
Profit on Sale of Fixed Assets	(4.86)		-	
Deferred revenue on customer provided Assets	(1,311.05)		(734.05)	
Provisions for expenses	1,208.04		7,153.37	
Liabilities / provisions no longer required written back	(3,732.37)		(120.06)	
Fair value adjustment to investment carried at fair value through profit and loss	(148.92)		(727.55)	
Gain on sale of Financial Assets Measured at Fair value through profit and loss	(746.35)		(26.02)	
Operating profit before working capital changes		**66,382.17**		**80,422.02**
Changes in working capital:				
Adjustments for (increase) / decrease in operating Assets:				
Trade receivables	18,320.11		(47,296.39)	
Loans	(25.92)		94.06	
Other Financial Assets	20,002.21		3,235.92	
Inventories	26,118.07		28,990.28	
Other Assets	19,659.08		86,998.14	
Adjustments for increase / (decrease) in operating Liabilities:				
Trade payables	(49,204.84)		(51,785.86)	
Other Financial Liabilities	(10,852.10)		10,279.56	
Other Liabilities	(50,747.45)		(125,680.45)	
Provisions	(1,816.28)		5,996.62	
Cash generated from operations		**37,835.05**		**(8,746.10)**
Net income tax paid		(29,483.21)		(25,403.72)
Net cash flow before exceptional items		8,351.85		(34,149.82)
Exceptional items		-		-
Net cash from/ used in operating activities (A)		**8,351.85**		**(34,149.82)**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Capital expenditure on fixed Assets	(8,827.90)		(16,868.58)	
Bank Deposits	(2,754.60)		131,810.00	
Proceeds from sale of fixed Assets	5.28		-	
Reedemption / (Investments) in Mutual funds during the year	23,529.92		(23,026.02)	
Gain on sale of Financial Assets Measured at Fair value through profit and loss	746.35		26.02	
Interest received	4,278.81		12,760.32	
Net cash from/ used in investing activities (B)		**16,977.86**		**104,701.74**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Proceeds from issue of equity shares	-		-	
Finance costs	(284.06)		(188.90)	
Buyback of shares	-		(45,053.59)	
Tax on buy back of shares	-		(9,689.99)	
Dividends paid and tax thereon	(26,529.07)		(21,931.17)	
Net cash from/ used in financing activities (C)		**(26,813.13)**		**(76,863.65)**
Net Increase / (decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		**(1,483.42)**		**(6,311.73)**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		**2,998.94**		**9,310.67**
Cash and Cash equivalents at the end of the year (Refer Note (i) below)		**1,515.52**		**2,998.94**
Note (i):				
Cash and Cash equivalents Comprises:				
in current accounts		193.69		370.28
in deposit accounts		1,500.00		2,620.24
Cash on hand		3.38		8.42
Bank overdraft		(181.55)		-
		1,515.52		**2,998.94**

As per our report of even date.
for S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

For and on behalf of the Board

S. SANDEEP REDDY
Partner
(M.No. 242470)

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

S. PIRAMANAYAGAM
Director (Finance)
DIN: 07117827

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

N. NAGARAJA
Company Secretary
(M.No.A19015)

ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

1.1 Compliance with Ind AS:

The financial statements comply in all material aspects with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) [Companies (Indian Accounting Standards) rules, 2015], as amended from time to time and other relevant provisions of the Act.

1.2 Historical cost convention:

The financial statements are prepared under historical cost basis, except for the following:

certain financial assets and liabilities (including derivative instruments) and contingent consideration that is measured at fair value; defined benefit plans – plan assets measured at fair value

1.3 Use of estimates:

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in India requires management, where necessary, to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities,disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

2.1 Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates ('the functional currency'). The financial statements are presented in Indian rupee (INR), which is Bharat Dynamics Limited's functional and presentation currency.

2.2 Transactions and Balances

i) Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates at the dates of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are recognized in profit and loss.

ii) Non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined. Translation differences on assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss.

iii) Liability for deferred payments (and receivable from Indian army and ordnance factory) including interest thereon, on supplies/ services from the USSR (erstwhile) is set up at the rate of exchange notified by the Reserve Bank of India for deferred payments including interest thereon under the protocol arrangements between the Government of India and Government of Russia. The differences due to fluctuations in the rate of exchange are charged to revenue.

3. REVENUE RECOGNITION:

A. Revenue from Contract with Customers

(i) Revenue is recognized when (or as) the company satisfies a performance obligation.

(ii) Satisfaction of performance obligation over time

a. Revenue is recognised overtime where the transfer of control of goods or services take places over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that performance obligation, if one of the following criteria is met:

- the company's performance entitles the customer to receive and consume the benefits simultaneously as the company performs
- the company's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced
- the company's performance does not create an asset with an alternative use to the company and the company has an enforceable right to payment including a reasonable profit margin for performance completed to date.

b. Progress made towards satisfying a performance obligation is assessed based on Input Method on the ratio of actual costs incurred on the contract up to the reporting date to the estimated total costs expected to complete the contract. If the outcome of the performance obligation cannot be estimated reliably and where it is probable that the costs will be recovered, revenue is recognised to the extent of costs incurred.

c. In case of AMC contracts, where passage of time is the criteria for satisfaction of performance obligation, revenue is recognised using the output method.

(iii) Satisfaction of performance obligation at a point in time

a. In respect of cases where the transfer of control does not take place over time, the company recognises the revenue at a point in time when it satisfies the performance obligations.

b. The performance obligation is satisfied when the customer obtains control of the asset. The indicators for transfer of control include the following:

- the company has transferred physical possession of the asset
- the customer has legal title to the asset
- the customer has accepted the asset
- when the company has a present right to payment for the asset
- The customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset. The transfer of significant risks and rewards ownership is assessed based on the Inco- terms of the contracts.

Ex-Works contract – In case of Ex-works contract, revenue is recognised when the specified goods are unconditionally appropriated to the contract after prior Inspection and acceptance, if required.

FOR Contracts – In the case of FOR contracts, revenue is recognised when the goods are handed over to the carrier for transmission to the buyer after prior inspection and acceptance, if stipulated, and in the case of FOR destination contracts, if there is a reasonable expectation of the goods reaching destination within the accounting period.

Bill and hold Sales:

Bill and hold sales is recognised when all the following criteria are met:

- the reason for the bill and hold sales is substantive
- the product is identified separately as belonging to the customer
- the product is currently ready for physical transfer to the customer
- the company does not have the ability to use the product or to direct it to another customer

(iv) Measurement

a. Revenue is recognized at the amount of the transaction price that is allocated to the performance obligation.

The transaction price is the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amount collected on behalf of third parties and net of estimated liquidated damages.

Exchange rate variation and any other additional consideration is recognised based on contractual terms of the contract.

b. The entity obligation to replace or repair faulty goods under the standard warranty terms is recognized as a provision and is not adjusted against transaction price as the customer does not have option to purchase warranty seperately.

c. In case where the contracts involve multiple performance obligations, the company allocates the transaction price to each performance obligation on the relative stand-alone selling price basis.

Bundled Contracts - In case of a Bundled contract, where separate fee for installation and commissioning or any other separately identifiable component is not stipulated, the Company applies the recognition criteria to separately identifiable components (sale of goods and installation and commissioning, etc.) of the transaction and allocates the revenue to those separate components based on stand-alone selling price.

Multiple Elements - In cases where the installation and commissioning or any other separately identifiable component is stipulated and price for the same agreed separately, the Company applies the recognition criteria to separately identified components (sale of goods and installation and commissioning, etc.) of the transaction and allocates the revenue to those separate components based on their stand-alone selling price.

d. If the stand-alone selling price is not available the company estimates the stand alone selling price.

(v) Significant financing component

Advances received towards execution of Defence related projects are not considered for determining significant financing component since the objective is to protect the interest of the contracting parties.

In respect of other contracts, the existence of significant financing component is reviewed on a case to case basis.

(vi) Customer financed assets:

The assets financed by customers are recognized initially at fair value. The corresponding revenue is recognized in proportion to depreciation over the life of the asset.

B. Other Income:

Recognition of other income is as follows

i) Interest income:

Interest income from a financial asset is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

ii) Dividend:

Dividend income is recognized when the Company's right to receive the payment is established.

4. GOVERNMENT GRANTS

4.1 Grants from the government are recognized at their fair value where there is reasonable assurance that grant will be received and the Company will comply with all attached conditions.

4.2 Government grants relating to income are deferred and recognized in the profit and loss over the period necessary to match them with the costs that they are intended to compensate and presented within other income.

4.3 Grants related to non-depreciable assets may also require the fulfilment of certain obligations and would then be recognised in profit or loss over the periods that bear the cost of meeting the obligations.

4.4 Government Grants received either as subsidy or otherwise for acquisition of depreciable assets are accounted as deferred income. If the grant/subsidy is absolute, amount corresponding to the depreciation is treated as income over the life of the asset. If the grant/subsidy is attached with any conditions, such as repayment, income is accounted as per the terms of the grant/subsidy.

5. INCOME TAX

5.1 The income tax expense or credit for the period is the tax payable on the current period's taxable income based on the applicable income tax rates adjusted by changes in deferred tax assets and liabilities attributable to temporary differences and to unused tax losses.

5.2 Current tax:

The current income tax charge is calculated on the basis of tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

5.3 Deferred tax:

i) Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from the initial recognition of asset or liability in a transaction other than business combination that at the time of the transaction affects neither accounting profit nor the taxable profit (tax loss). Deferred income tax is determined using the tax rates (and laws) that have been enacted or substantively enacted at the

end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax assets is realized or the deferred income tax liability is settled.

ii) Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused losses only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses. Deferred tax asset is also recognised for the indexation benefit on land available for taxation purpose since it results in a temporary difference.

iii) Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the liability simultaneously.

iv) Current and deferred tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to the items recognized in other comprehensive income or directly equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly equity, respectively.

6. LEASES

A lease is classified at the inception date as a finance lease or operating lease.

6.1 As a lessee

i) Leases of property, plant and equipment where the Company, as lessee, has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's inception at the fair value of the leased property or, if lower, the present value of minimum lease payments. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in the borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and the finance cost. The finance cost is charged to the profit and loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of liability for each period.

ii) Leases in which a significant portion of risks and rewards of ownership are not transferred to the Company as a lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of lease unless the payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary costs increases.

6.2 As a lessor

Lease income from operating leases where the Company is a lessor is recognized in income on a straight line basis over the lease term unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary costs increases. The respective leased assets are included in the balance sheet based on their nature.

7. INVENTORIES

7.1 Inventories are valued at lower of cost and net realizable value.The cost of raw material,components and stores are assigned by using the actual weighted average cost formula and those in transit at cost to date.In the case of stock-in-trade and work-in-progress,cost includes material,labour and related production overheads.

7.2 Stationery, uniforms, welfare consumables, medical and canteen stores are charged off to revenue at the time of receipt.

7.3 Raw-materials, Components, Construction Materials, Loose Tools and Stores and Spare Parts declared surplus/ unserviceable/ redundant are charged to revenue.

7.4 Provision for redundancy is made in respect of closing inventory of Raw materials and Components, and Construction Materials non-moving for more than 5 years. Besides, where necessary, adequate provision is made for redundancy of such inventory in respect of completed/ specific projects and other surplus/ redundant materials pending transfer to salvage stores.

8. FINANCIALINSTRUMENTS

8.1 Financial Assets:

All financial assets are recognised on trade date when the purchase of a financial asset is under a contract whose term requires delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned. Financial assets are initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those financial assets which are classified as at fair value through profit or loss

(FVTPL) at inception. All recognised financial assets are subsequently measured in their entirety at either amortized cost or fair value.

i) Classification of financial assets:

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those measured at amortised cost.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income. The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

ii) Measurement:

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

a) Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The Company classifies its debt instruments as:

(a)(i) Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised

cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

(a)(ii) Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI). Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit and loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in other income using the effective interest rate method.

(a)(iii) Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit and loss within other gains/(losses) in the period in which it arises. Interest income from these financial assets is included in other income.

b) Equity instruments

(b)(i) The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss. Dividends from such investments are recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established.

(b)(ii) Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gain/(losses) in the statement of profit and loss. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

(iii) Impairment of financial assets:

The Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost and FVOCI debt instruments. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

For trade receivables the Company applies the simplified approach permitted by Ind AS 109 Financial Instruments, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.

Time barred dues from the government / government departments / government companies are generally not considered as increase in credit risk of such financial asset.

(iv) Derecognition of financial assets

A financial asset is derecognized only when

- The Company has transferred the rights to receive cash flow from the financial asset or

- retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets, but assumes a contractual obligation to pay cash flows to one or more recipients

Where the entity has transferred an asset, the Company evaluates whether it has transferred substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset. In such cases, the financial asset is derecognized.

Where the entity has neither transferred a financial asset nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset, the financial asset is derecognised if the Company has not retained control of the financial asset. Where the Company retains control of the financial asset, the asset is continued to be recognised to the extent of continuing involvement in the financial asset.

v) Trade receivables:

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expect to be collected within a period of 12 months or less from the reporting date (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets otherwise as non-current assets.

Trade receivables are measured at their transaction price unless it contains a significant financing component in accordance with Ind AS 18 (or when the entity applies the practical expedient) or pricing adjustments embedded in the contract.

Loss allowance for expected life time credit loss is recognised on initial recognition.

8.2 Financial liabilities and equity instruments issued by the Company

Classification

Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

i) Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recognised at the proceeds received, net of direct issue costs.

ii) Financial liabilities

Financial liabilities, including borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs.

Financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, with interest expense recognised on an effective yield basis.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

iii) Trade and other payables

These amounts represent liabilities for goods and services provided to the Company. Trade and other payables are presented as current liabilities if payment is due within 12 months after the reporting period otherwise as non-current. They are recognized initially

at their fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

iv) Derivatives

Derivatives are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured to their fair value at the end of each reporting period. The derivatives that are not designated as hedges are accounted for at fair value through profit and loss and are included in other gains/ (losses).

a) Embedded derivatives

Derivatives embedded in a host contract that is an asset within the scope of Ind AS 109 are not separated. Financial Assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Derivatives embedded in all other host contract are separated only if economic characteristics and risks of the embedded derivatives are not closely related to the economic characteristics and risks of the host contract and are measured at fair value through profit and loss. Embedded derivatives closely related to the host contract are not separated.

b) Embedded foreign currency derivatives

Embedded foreign currency derivatives are not separated from the host contract if they are closely related. Such embedded derivatives are closely related to the host contract, if the host contract is not leveraged, does not contain any option feature and requires payments in one of the following currencies:

- The functional currency of any substantial party to that contract,
- The currency in which the price of the related good or service that is acquired or delivered is routinely denominated in commercial transactions around the world,
- A currency that is commonly used in contracts to purchase or sell non-financial items in the economic environment in which the transaction takes place (i.e. relatively liquid and stable currency)

Foreign currency embedded derivatives which do not meet the above criteria are separated and the derivative is accounted for at fair value through profit and loss.

8.3 Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the balance sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

9. CASH AND CASH EQUIVALENTS:

For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, deposits held at call with financial institutions, other short-term, highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value, and bank overdrafts.

Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the balance sheet.

10. FAIR VALUE MEASUREMENT

10.1 The Company measures certain financial instruments, such as derivatives and other items in its financial statements at fair value at each balance sheet date.

10.2 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within fair value hierarchy based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level 1 – Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities.

Level 2 – Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. Derived from prices).

Level 3 – Inputs for the assets and liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

10.3 For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy.

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

11.1 Measurement

i. Land is capitalised at cost to the Company. Development of land such as levelling, clearing and grading is capitalised along with the cost of building in proportion to the land utilized for construction of buildings and rest of the development expenditure is capitalised along with cost of land. Development expenditure incurred for the purpose of landscaping or for any other purpose not connected with construction of any building is treated as cost of land.

ii. All other items of property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical costs includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of items.

iii. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount and recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the component accounted for as a separate asset is derecognized when replaced. All other repairs and maintenance are charged to profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

iv. Where the cost of a part of the asset is significant to the total cost of the asset and useful life of that significant part is different from the useful life of the remaining asset, useful life of that significant part is determined separately and the significant part is depreciated on straight line method over its estimated useful life.

11.2 Depreciation method, estimated useful life and residual value:

i. Depreciation is calculated using the straight line method to allocate their cost, net of residual values, over the estimated useful life.

ii. The useful lives have been determined to be equal to those prescribed in Schedule II to the Companies Act; 2013.

iii. The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

11.3 Disposal

Gains and losses on disposal are determined by comparing net sale proceeds with carrying amount. These are included in statement of profit and loss.

12. INTANGIBLE ASSETS:

12.1 Licences

Separately acquired licences are shown at historical cost. They have a finite useful life and are subsequently carried at cost less accumulated amortization and impairment losses.

12.2 Computer software

a) The cost of software (which is not an integral part of the related hardware) acquired for internal use and resulting in significant future economic benefits-, is recognised as an Intangible Asset in the books of accounts when the same is ready for use. Intangible Assets that are not yet ready for their intended use as at the Balance Sheet date are classified as "Intangible Assets under Development.

b) Cost associated with maintaining of software programs are recognized as an expense as incurred.

c) Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognized as intangible assets when the following criteria are met:

- It is technically feasible to complete the software so that it will be available for use
- Management intends to complete the software and use or sell it
- There is an ability to use or sell the software
- It can be demonstrated how the software will generate probable future economic benefits
- Adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the software are available, and
- The expenditure attributable to the software during its development can be reliably measured.

d) Directly attributable costs that are capitalized as part of the software include employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

e) Capitalized development costs are recorded as intangible assets and amortized from the point at which the asset is available for use.

12.3 Research and development

Research expenditure and development expenditure that do not meet the criteria in 12.2(c) above are recognized as an expense as incurred. Development costs previously recognized as an expense are not recognized as an asset in a subsequent period.

In the event of the Company financed project(s) being foreclosed/ abandoned, the expenditure incurred up to the stage of foreclosure/ abandonment is charged off to revenue in the year of foreclosure/ abandonment.

12.4 Amortization methods and periods

The Company amortizes intangible assets with a finite useful life using the straight-line method over the following periods:

Licences	Useful Life/Production
Computer software	3 years

13. INVESTMENT PROPERTY:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replacedpart is derecognised.

14. NON-CURRENT ASSETS (OR DISPOSAL GROUPS) HELD FOR SALE ANDDISCONTINUED OPERATIONS:

14.1 Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell, except for assets such as deferred tax assets, assets arising from employee benefits, financial assets and contractual rights under insurance contracts, which are specifically exempt from this requirement.

14.2 An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset (or disposal group), but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised. A gain or loss not previously recognised by the date of the sale of the non-current asset (or disposal group) is recognised at the date of de-recognition.

14.3 Non-current assets (including those that are part of a disposal group) are not depreciated or amortized while they are classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale continue to be recognised.

14.4 Non-current assets classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale are presented separately from the other assets in the balance sheet. The liabilities of a disposal group classified as held for sale are presented separately from other liabilities in the balance sheet.

14.5 A discontinued operation is a component of the entity that has been disposed of or is classified as held for sale and that represents a separate major line of business or geographical area of operations, is part of a single co-ordinated plan to dispose of such a line of business or area of operations, or is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. The results of discontinued operations are presented separately in the statement of profit and loss.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS:

15.1 Intangible assets that have an indefinite useful life are not subject to amortization and are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Other assets are tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount.

15.2 The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows which are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at the end of each reporting period.

16. PROVISIONS, CONTINGENT ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

16.1 Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount can be reliably estimated. Provisions are not recognized for future operating losses.

16.2 Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provisions is recognized even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

16.3 Provisions are measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provisions due to the passage of time is recognized as interest expense.

16.4 Warranty: Warranty on goods sold, wherever applicable, commences once the sale is complete and accordingly provision for such warranty is made. The period, terms and conditions of warranty as per the relevant contract are taken into consideration while determining the provision for such sales.

16.5 Provision for Onerous Contract: A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Company from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting its obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Company recognizes any impairment loss on the assets associated with that contract.

17. **EMPLOYEE BENEFITS**

17.1 Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including other monetary and non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognized in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

17.2 Other long term employee benefit obligations

The liability for vacation leave is not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re-measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss.

The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

17.3 Post-employment obligations

The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as Gratuity and contribution towards Provident Fund under the PF Act; and

(b) Defined contribution plans namely Retired Employee Medical Scheme (REMI)/Post Superannuation Medical Benefit (PSMB), Death Relief Fund (DRF), Employee State Insurance Scheme (ESI) and Pension Scheme(s).

a) Defined benefit plans

The liability or assets recognized in the balance sheet in respect of defined benefit plans is the present value of the defined benefit obligations at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

b) Defined contribution plans

The Company pays contributions to trusts established as per local regulations and also to publicly administered funds as per local regulations. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognized as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available.

The Company's contribution paid/ payable to Company approved Retired Employee Medical Scheme (REMI)/Post superannuation Medical Benefit(PSMB), Death Relief Fund (DRF), Employee State Insurance Scheme (ESI) and Pension Scheme are charged to revenue.

17.4 Termination Benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Company before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognizes termination benefits at the earlier of the following dates: (a) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (b) when the entity recognizes costs for a restructuring that is within the scope of Ind AS 37 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefit are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Termination Benefits falling due more than 12 months after the end of the reporting period are discounted to present value.

Compensation paid to Employees under Voluntary Retirement Scheme (VRS) is charged to Statement of Profit and Loss in the year of retirement.

18. CONTRIBUTED EQUITY

Equity shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

19. DIVIDENDS

Provision is made for the amount of any dividend declared, being appropriately authorized and no longer at the discretion of

the entity, on or before the end of the reporting period but not distributed at the end of the reporting period.

20. EARNINGS PER SHARE

20.1 Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing:

The profit attributable to owners of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the financial year, adjusted for bonus elements in equity shares issued during the year and excluding treasury shares

20.2 Diluted earnings per share

Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic earnings per share to take into account:

- The after income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive potential equity shares, and
- The weighted average number of additional equity shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential equity shares.

Note 1 to 37 and Accounting Policies attached form part of accounts.

As per our report of even date,
For S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

For and on behalf of the Board

S.SANDEEP REDDY	**S.PIRAMANAYAGAM**	**Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)**
Partner	Director (Finance)	Chairman and
(M.No.242470)	DIN: 07117827	Managing Director
		DIN: 08367035
		N.NAGARAJA
Place: Hyderabad	Place: Hyderabad	Company Secretary
Date: 30 May 2019	Date: 30 May 2019	(M.No. A19015)

Notes

FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Note 1: Property, Plant and Equipment

(₹ in lakh)

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2017	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2018	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2017	Depreciation/ amortisation for the year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisation as at March 31, 2018	As at March 31, 2018
Freehold Land	6,560.40	1,868.73	-	**8,429.13**	-	-	-	**-**	**8,429.13**
Leasehold Land	3,477.17	-	-	**3,477.17**	74.10	37.05	-	**111.15**	**3,366.02**
Buildings	14,670.32	5,681.61	15.65	**20,367.58**	969.44	852.95	15.81	**1,838.20**	**18,529.38**
Fencing and Compound Walls	1,112.13	16.38	0.49	**1,129.00**	550.61	207.35	1.89	**759.85**	**369.15**
Roads and Drains	853.43	-	-	**853.43**	222.39	110.61	-	**333.00**	**520.43**
Water Supply Installations	143.00	27.51	1.95	**172.46**	6.24	5.84	1.95	**14.03**	**158.43**
Plant, Machinery and Equipment#	33,043.35	8,522.76	775.03	**42,341.14**	4,132.59	2,767.88	327.67	**7,228.14**	**35,113.00**
Furniture and Equipment*	2,575.54	1,068.77	(641.47)	**3,002.84**	858.63	447.44	(39.39)	**1,266.68**	**1,736.16**
Transport Vehicles	539.12	8.15	(1.24)	**546.03**	134.21	79.53	(1.23)	**212.51**	**333.52**
Special Tools & Equipment	5,173.26	74.79	-	**5,248.05**	1,500.98	286.13	-	**1,787.11**	**3,460.94**
Total	**68,147.72**	**17,268.70**	**150.41**	**85,566.83**	**8,449.19**	**4,794.78**	**306.70**	**13,550.67**	**72,016.16**

Adjustments include Reclassification ₹ 523.69 lakh (Acc. Dep. ₹ 95.61 lakh)

* Adjustments include Reclassification of ₹ (718.10) lakh (Acc. Dep.₹ (211.70) lakh

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2018	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2019	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2018	Depreciation/ amortisation for the year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisation as at March 31, 2019	As at March 31, 2019
Freehold Land	8,429.13	341.74	-	**8,770.87**	-	-	-	**-**	**8,770.87**
Leasehold Land	3,477.17	-	-	**3,477.17**	111.15	37.05	-	**148.20**	**3,328.97**
Buildings	20,367.58	10,488.88	(69.95)	**30,786.51**	1,838.20	1,180.93	(9.22)	**3,009.91**	**27,776.60**
Fencing and Compound Walls	1,129.00	-	-	**1,129.00**	759.85	187.17	-	**947.02**	**181.98**
Roads and Drains	853.43	372.69	-	**1,226.12**	333.00	122.46	-	**455.46**	**770.66**
Water Supply Installations	172.46	1.10	-	**173.56**	14.03	6.30	-	**20.33**	**153.23**
Plant, Machinery and Equipment	42,341.14	3,668.88	(19.59)	**45,990.43**	7,228.14	3,207.45	(5.71)	**10,429.88**	**35,560.55**
Furniture and Equipment	3,002.84	372.68	(47.19)	**3,328.33**	1,266.68	513.80	(12.36)	**1,768.12**	**1,560.21**
Transport Vehicles	546.03	39.42	-	**585.45**	212.51	77.23	-	**289.74**	**295.71**
Special Tools & Equipment	5,248.05	109.90	-	**5,357.95**	1,787.11	723.05	-	**2,510.16**	**2,847.79**
Total	**85,566.83**	**15,395.29**	**(136.73)**	**100,825.39**	**13,550.67**	**6,055.44**	**(27.29)**	**19,578.82**	**81,246.57**

Notes:

Freehold Land:

(a) Freehold Land includes

(i) 2 Acres and 08 Guntas as at March 31,2019 (March 31,2018: 2 Acres and 08 Guntas) of land at Kanchanbagh, Hyderabad given on permissive possession to a Government of India Organisation and is in their possession.

(ii) 146 Acres 32 Guntas (March 31,2018: 146 Acres 32 Guntas) of land at Kanchanbagh, Hyderabad received free of cost from State Government, is valued at ₹ 28.42 Lakh (as at March 31,2018 ₹ 28.42 Lakh), title to this land is yet to be received.

(b) In respect of land admeasuring 82 Acres 31 Guntas (as at March 31,2018: 82 Acres 31 Guntas) at Karmanghat, Hyderabad acquired by state government for the company for which an amount of ₹ 21.66 Lakh (as at March 31 2018 : ₹ 21.66 Lakh) paid/provided by the company is capitalised.

(c) Title is yet to be received for 10 Acres 13 Guntas (as at March 31,2018 : 10 Acres 13 Guntas) of land at Visakhapatnam for which an amount of ₹ 376.13 lakh (as at March 31,2018: ₹ 376.13 lakh) paid/provided is capitalised.

(d) Free hold land of 632 Acres 16.50 Guntas (as at March 31,2018: 597 Acres 22.50 Guntas) at Ibrahimpatnam, Rangareddy District is taken possesion on agreement of sale by paying ₹ 6136.90 Lakh (as at March 31,2018: ₹.5831.28 lakh) based on tentative fixation of price is capitalised. One of the condition of agreement of sale is, if the unit does not commence commercial production within 2 year from date of agreement or extended time, if allowed, shall be at a penalty based on the cost of land at that time. Execution of sale deed, passing of title is only after commencing commercial production.

Leasehold Land :

(a) Land measuring 3 acres 25 guntas (March 31, 2018: 3 acres 25 guntas) at Visakhapatnam was taken on lease from Government of India at a rental of ₹ 1.00 per acre per annum. As no premium has been paid for the lease, no capital cost is considered.

(b) Leasehold land measuring 553 Acres 34 Guntas (as at March 31,2018: 553 Acres 34 Guntas) at Amravati for which a premium of ₹ 3922.37 lakh was paid is taken on lease on 07/02/2014 with certain conditions attached to it. One of the main condition is, if the factory building and works are not completed within 60 months from the date of allotment, unless the time is extended, the lease agreement may be cancelled and the lessor may take possession of the leasehold land together with all the erections, if any, on the said land, without paying any compensation to the company. At present the period of investment has been extended upto 05.04.2019. The project for which the land has been taken on lease is under finalisation with MoD, the Company is pursuing for further extension of period of investment.

Buildings :

(a) Buildings include ₹ 111.01 Lakh as at March 31, 2019 (March 31, 2018 : ₹ 111.01 Lakh) being the value of buildings constructed on land not belonging to the Company.

(i) The Estimated useful life of various categories of assets (As per schedule II to the companies Act, 2013) is described as follows:

Asset	Useful life
Buildings	30 / 60
Fencing and Compound walls	5
Roads and Drains	10
Water supply installations	30
Plant, Machinery and Equipment	10/ 12/ 15
Furniture and Equipment	3 / 5 / 10
Transport vehicles	8 / 10

(ii) For method and accounting of depreciation, refer the accounting policy 11: Property, Plant and Equipment.

(iii) Impairment is tested as per the accounting policy 15. the company has assessed that there are no indicators of impairment.

Note 2: Capital Work-in-Progress

(₹ in lakh)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Civil	1,122.69	9,970.47
Plant & Machinery	3,558.76	2,995.63
Others	21.63	18.24
Total	**4,703.08**	**12,984.34**

Notes:

(i) Capital Work-in-Progress includes ₹ 40.09 Lakh as at March 31, 2019 (March 31, 2018: ₹ 40.09 Lakh) of Buildings kept in abeyance. Subsequent to the report of the Dy. Collector and Tahasildar, the Company obtained Survey report from Asst. Director, Survey Settlement and Land Records, R.R District. In order to proceed further, the company is in the process of obtaining clearances from environmental authorities. Necessary adjustments would be carried out in the books on receipt of clearance from environmental and other authorities.

(ii) Refer note 37(7) for capital commitments and Note 37(8) for details relating to short closed projects.

Note 3: Investment Property

(₹ in lakh)

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2017	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2018	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2017	Depreciation/ amortisation for the year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisationas at March 31, 2018	As at March 31, 2018
Land (held for rentals)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2018	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2019	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2018	Depreciation/ amortisation for the year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisation as at March 31, 2019	As at March 31, 2019
Land (held for rentals)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

(i) Amounts recognised in Profit or Loss for Investment Properties

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Rental income	-	-
Profit from Investment Properties before depreciation	-	-
Depreciation	-	-
Profit from Investment Properties	-	-

(ii) Contractual obligations

The Company has no contractual obligations to sell, construct or develop investment property or for its repairs, maintenance or enhancements.

(iii) Leasing arrangements

Land admeasuring 5 acres and 1 gunta at Kanchanbagh is leased to Government of India under long-term operating leases with rentals payable yearly. The lease rentals for such property is ₹ 1 per annum per acre. Leasing arrangements are the same for year ended March 31, 2019 and March 31, 2018.

(iv) Fair value

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Investment properties	1459.26	1459.26

Significant judgement:

As the land given to Indian Navy, Government of India Organisation is within the premises of the company and it would not be possible for the company to give the land to a third party, the Registration department value of the land is considered to be the fair value of the land. The fair value arrived at is ₹ 0.06 lakh per square yard as per the Registration department.

(v) Impairment is tested as per the accounting policy 15. the company has assessed that there are no indicators of impairment.

Note 4: Intangible Assets

(₹ in lakh)

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2017	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2018	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2017	Depreciation/ amortisation for the Year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisation as at March 31, 2018	As at March 31, 2018
Development Expenditure	4,036.18	426.72	(1,138.80)	**3,324.10**	2,303.11	714.24	-	**3,017.35**	**306.75**
Computer Software #	1,086.22	474.70	195.00	**1,755.92**	501.76	474.49	116.68	**1,092.93**	**662.99**
License Fee	13,696.18	519.28	-	**14,215.46**	-	364.24	-	**364.24**	**13,851.22**
Total	**18,818.58**	**1,420.70**	**(943.80)**	**19,295.48**	**2,804.87**	**1,552.97**	**116.68**	**4,474.52**	**14,820.96**

Adjustments including Reclassification ₹ 194.41 lakh (Acc. Dep. ₹ 116.09 lakh)

PARTICULARS	GROSS CARRYING AMOUNT				DEPRECIATION/ AMORTISATION				NET CARRYING AMOUNT
	As at April 1, 2018	Additions during the year	Deductions/ adjustments during the year	As at March 31, 2019	Accumulated depreciation/ amortisation as at April 1, 2018	Depreciation/ amortisation for the Year	Deductions/ adjustments during the year	Accumulated depreciation/ amortisation as at March 31, 2019	As at March 31, 2019
Development Expenditure	3,324.10	-	-	**3,324.10**	3,017.34	128.78	-	**3,146.12**	**177.98**
Computer Software	1,755.92	348.27	-	**2,104.19**	1,092.93	470.67	-	**1,563.60**	**540.59**
License Fee	14,215.46	1,492.00	-	**15,707.46**	364.24	1,612.71	-	**1,976.95**	**13,730.51**
Total	**19,295.48**	**1,840.27**	**-**	**21,135.75**	**4,474.51**	**2,212.16**	**-**	**6,686.67**	**14,449.08**

Note 5: Intangible Assets under development

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Intangible assets under development	-	-
Total	**-**	**-**

Significant judgement

The company estimates the useful life of the software to be 3 years based on the expected technical obsolescence of such assets. However, the actual useful life may be shorter or longer than 3 years, depending on technical innovations.

(₹ in lakh)

PARTICULARS		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
6	**Non-current Investments**		
	Investment carried at fair value through profit and loss (Unquoted)	371.74	368.94
	(i) 9,21,920 (as at March 31,2018 9,21,920) (including 3,85,920 Bonus Shares) fully paid-up Equity shares (Unquoted) of ₹ 10/- each of A.P.Gas Power Corporation Limited		
		371.74	**368.94**
	- Impairment is tested as per the accounting policy 15. the company has assessed that there are no indicators of impairment.		
	- Refer note 37 (16): Fair value measurement.		
	Significant Judgement: Investments in AP Gas Power Corporation Limited have been designated as fair value through profit and loss. Fair value is considered based on Net worth of investee as the shares are unquoted and the company does not have a significant influence in the investee.		
7	**Non current Loans**		
	- Secured, considered good	249.22	249.58
	- Unsecured, considered good	49.98	44.67
		299.20	**294.25**
	Refer note 37 (16): Fair value measurement.		
8	**Other Non-current Financial Assets**		
	- Deferred Debts	4,620.24	5,030.98
		4,620.24	**5,030.98**
	Refer note 37(16): Fair value measurement.		
	Significant Judgement: **Deferred Debts:** Deferred debts are receivables from the Indian Army and Ordnance factory. The receivable is denominated in Indian Rupees (INR) and receivable in equal instalments over 45 years commencing from 01.04.1992. As per the agreement, the receivable is adjusted on the basis of rates of Special Drawing Rights (SDR), issued by the International Monetary Fund (IMF). As such the receivable does not satisfy the Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) criteria as set out in the standard. Hence, the receivable is measured at fair value through profit and loss. Deferred debt is discounted at 8% to arrive at the fair value on initial recognition and the difference between the fair value and the total deferred debt is considered as deferred expense. Subsequently this is carried at fair value through profit and loss.		
9	**Other Non-current Assets**		
	Capital advances	660.30	794.95
	Deferred expense*	2,363.29	2,502.30
		3,023.59	**3,297.25**
	* Refer the significant judgement on Deferred Debts in Note No. 8		

PARTICULARS		As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
10	**INVENTORIES ***				
	Raw Materials and Components	90,892.88		131489.68	
	Less: Provision	(4,002.67)		(4,532.64)	
	GIT of Raw Materials and Components	55.65		2404.65	
			86,945.86		**1,29,361.68**
	Work-in-progress#	38,104.61		61497.48	
	Less: Provision	(521.72)		(462.42)	
			37,582.89		**61,035.06**
	Finished Goods	40,606.29		626.02	
	Less: Provision	(94.98)		(190.38)	
	GIT of Finished Goods	-		-	
			40,511.31		**435.65**
	Stores and Spare Parts	896.59		1059.90	
	Less:Provision	(173.32)		(135.25)	
	GIT of Stores and Spare Parts	-		-	
			723.27		**924.65**
	Loose Tools	1,070.16		1055.24	
	Less:Provision	(403.06)		(254.68)	
	GIT of Loose Tools	-		0.89	
			667.10		**801.45**
	Construction Materials		-		-
	Stores & Equipment - Welfare	306.35		294.07	
	Less: Amortisation	(305.87)		(293.56)	
			0.48		**0.51**
	Miscellaneous Stores		**22.29**		**27.64**
			1,66,453.20		**1,92,586.64**
	# Includes Inventory with Customers		9.20		9.20
	* Include Material issued to Sub-contractors/Others		8,413.15		13,497.30
	- Out of ₹ 8413.15 lakh (as at March 31,2018 ₹ 13497.30 Lakh), material lying with sub contractors of ₹ 7427.69 lakh (as at March 31,2018 ₹11325.55Lakh) were physically verified and balance is confirmed by the vendors.Differences on physical verification of material lying with subcontractors of (₹ 525.13 Lakh is shown as claims receivable and reduced from inventories.				
	- Valuation of Inventories has been made as per Company's Accounting Policy No. 7.				
	- Refer note 37(8): Details of short closed projects.				

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
11	**Current Investments**		
	Investment at Fair Value through Profit and loss		
	Investment in Mutual Funds (Quoted)		
	SBI Premier Liquid Fund-Regular Plan-Growth : No. of Units: NIL (31 March 2018: 74818.404)	-	2,031.76
	SBI Ultra short term-Debt Fund -Direct Plan-Growth : No. of Units:NIL (31 March 2018: 455024.513)	-	10,246.46
	SBI short term-Debt Fund -Direct Plan-Growth : No. of Units: NIL (31 March 2018:49751986.348)	-	10,199.60
	SBI Premier Liquid Fund-Direct Plan-Growth : No. of Units: NIL (31 March 2018:38617.679)	-	1,052.10
		-	**23,529.92**
	Refer note 37 (16): Fair value measurement		
	Aggregate of Market value of quoted Investments	-	23,529.92
12	**Trade Receivables**		
	Secured	-	-
	Unsecured, considered good	58,720.51	77,040.62
	Doubtful	-	-
	Less: Allowance for doubtful debts (expected credit loss allowance)	-	-
		58,720.51	**77,040.62**
	Refer Note: 37 (16): Fair value measurement; 37 (13) Charges registered.		
	Refer Note: 37(22)(F) : Movement of Trade Receivables		
13	**Cash and Cash Equivalents**		
	Balances with Banks		
	- in current accounts	193.69	370.28
	- in deposit accounts (less than 3 months)	1,500.00	2,620.24
	Cash on hand*	3.38	8.42
	Remittances in transit	-	-
		1,697.07	**2,998.94**
	Cash and Cash Equivalents as per Statement of Cash flows	**1,697.07**	**2,998.94**
	There are no repatriation restrictions with regard to cash and cash equivalents as at the end of the reporting period and prior periods.		
	* Cash on hand includes cash held with imprest holders		
	Refer note 37 (16): Fair value measurement.		
	Refer note 37(2): Offsetting of Financial Assets and Financial Liablities - Bank Flexi and Current Accounts adjusted against Bank Overdraft		
14	**Other Bank balances**		
	Bank deposits other than margin money	35,434.60	32,680.00
	(Maturity period more than 3 months but less than 12 months)		
		35,434.60	**32,680.00**
	- The company has been sanctioned an overdraft facility of ₹ 1,500.00 lakhs against which the company had pledged deposits worth ₹ 1,800.00 lakhs as security.		
	- The company has pledged fixed deposits receipts worth ₹ 10400.00 lakhs with bank for secured loan of ₹ 9250.00 lakhs. Refer Note 37(1) : Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities - Loans adjusted against Fixed Deposits		
	- There are no bank deposits with maturity beyond 12 months.		
	Reconciliation of Cash and Bank balances:		
	Cash and Cash Equivalents (as per the above)	1,697.07	2,998.94
	Bank Balance (as per the above)	35,434.60	32,680.00
	Total Cash and Bank balances	**37,131.67**	**35,678.94**
15	**Current Loans**		
	Loans to Employees		
	- Secured, considered good	99.88	113.08
	- Unsecured, considered good	144.77	110.60
	Total Current Loans	**244.65**	**223.68**
	Also refer note 37 (16): Fair value measurement.		
16	**Other Current Financial Assets**		
	Claims/Refunds receivable	5,238.62	6,854.09
	Less: Provision for doubtful claims (Refer Note - A below)	(21.47)	(21.47)
	Deferred Debts*	423.54	358.85
	Unbilled Revenue#	1,25,732.15	1,43,772.84
	Interest accrued on Deposits	903.75	633.74
	Interest accrued - Others	18.31	18.03
	Other Assets held for sale (Refer Note - B below)	-	-
	Total Other Current Financial Assets	**1,32,294.90**	**1,51,616.08**
	Refer note 37 (16): Fair value measurement.		
	#Refer note 37(22)(C): Movement of Contract Assets and Contract Liabilities		
	* Refer the significant judgement on Deferred Debts in Note No. 8		
	Note - A		
	(i) In case of a supplier, the Company initiated legal action for recovery of advance amount of ₹ 17.14 lakh with interest etc., as the Contract was not executed. Though District Court issued a decree for an amount of ₹ 48.10 Lakh together with interest etc., in favour of the Company, the decretal amount has not been recognised as claims receivable / income since the supplier was granted stay of operation of the decree by Hon'ble High Court and the matter is sub-judice as on date.		
	(ii) In case of another supplier, the Company has initiated legal action for recovery of advance amount of ₹ 4.33 lakh with interest, being amount paid towards material purchases, which were subsequently rejected and taken back by the supplier but failed to supply the correct material. The case was decreed in favour of M/S BDL(ex-parte) and has to be executed.		
	Note - B		
	Gross Block of assets retired and held for sale during the year 2018-19 is ₹ 107.56 Lakh and Accumulated Depreciation is ₹ 107.56 Lakh		

(₹ in lakh)

PARTICULARS		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
17	**Other Current Assets**		
	Advances other than capital advances:		
	Advances to vendors		
	- Secured, considered good	425.03	17,828.33
	- Unsecured, considered good	22,523.90	24,535.31
	- Unsecured, considered doubtful	2.34	3.19
	Less: Provision for doubtful advances	(2.34)	(3.19)
	Prepaid expenses	144.37	169.53
	Deposits	2,599.83	1,421.62
	Advance Service Tax & GST	4,556.23	6,997.73
	Deferred Expense*	139.02	139.02
	Earmarked balances with banks for unpaid dividend	1,178.73	
	Total Current Assets	**31,567.11**	**51,091.54**
	Refer note 37(8): Details of short closed projects.		
	* Refer the significant judgement on Deferred Debts in Note No. 8		

18 Equity Share Capital:

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Authorised		
20,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	20,000.00	20,000.00
Issued, Subscribed and paid up		
18,32,81,250 Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid	18,328.12	18,328.12
	18,328.12	**18,328.12**

Notes:

Equity shares have a par value of ₹ 10 (2016-17 and before: ₹ 1000). They entitle the holder to participate in dividends, and to share in the proceeds of winding up the company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

(A) Reconciliation of the number of Shares outstanding:

(₹ in Lakh)

Particulars	Number of Shares	Amount
Balance as at March 31, 2017	**1,221,875**	**12,218.75**
Splitting of shares during the year	122,187,500	12,218.75
Buy back during the year	(30,546,875)	(3,054.69)
Bonus issue during the year	91,640,625	9,164.06
Balance as at March 31, 2018	**183,281,250**	**18,328.12**
Bonus issue during the year	-	-
Balance as at March 31, 2019	**183,281,250**	**18,328.12**

(B) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares

Particulars	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
	Number of shares held	% holding of equity shares	Number of shares held	% holding of equity shares
Fully paid equity shares				
Government of India	160,829,297	87.75%	160,829,297	87.75%

C) Details of the buyback for the last 5 years immediately preceding the Current year

Particulars	March 31 2019	March 31 2018	March 31, 2017	March 31, 2016	March 31, 2015	March 31, 2014
Number of shares bought back (nos.)	-	30,546,875	-	172,500	-	-
Face value of each share bought back (in Rupees)	-	10.00	-	1,000.00	-	-
Total Face value of shares bought back	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-
Total Premium paid on shares bought back	-	41,998.90	-	18,160.80	-	-
Consideration paid towards buy back	-	45,053.59	-	19,885.80	-	-
Share capital reduction	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-
Share premium utilised	-	-	-	-	-	-
General reserve utilised	-	45,053.59	-	19,885.80	-	-
Amount transferred to Capital redemption reserve	-	3,054.69	-	1,725.00	-	-

The face value of equity shares of ₹ 1000/- each was split into face value of ₹ 10/- each and accordingly no. of equity shares increased by 100 times with effect from 8th May 2017 .

- In accordance with Sec 68,69 and 70 of the Companies Act, 2013, the company initiated and completed buy back of shares from Government of India during the year 2017-18 and during the year 2015-16

D) Details of the Bonus shares issued for the last 5 years immediately preceding the current year .

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018	March 31, 2017	March 31, 2016	March 31, 2015	March 31, 2014
No. of Bonus Shares issued (nos.)	-	91640625	244375	-	-	-
Value of Bonus Shares issued (₹ in lakh)	-	9164.06	2443.75	-	-	-

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
19	**Other Equity**		
	General Reserve	1,83,135.54	1,60,135.54
	Capital redemption Reserve	-	-
	Retained Earnings	25,390.94	17,174.33
	Balance at end of year	**2,08,526.48**	**1,77,309.87**
	A. General Reserve		
	Balance at beginning of year	1,60,135.54	1,88,298.51
	Transfer to Capital Redemption Reserve	-	(3,054.69)
	Buyback Premium Written off	-	(41,998.90)
	Depreciation Adjustment	-	-
	Transfer from Statement of Profit and Loss	23,000.00	23,000.00
	Bonus shares issued	-	(6,109.38)
	Balance at end of year	**1,83,135.54**	**1,60,135.54**
	The general reserve is used from time to time to transfer profits from retained earnings for appropriation purposes. As the general reserve is created by a transfer from one component of equity to another and is not an item of other comprehensive income, items included in the general reserve will not be reclassified subsequently to profit or loss.		
	B. Capital Redemption Reserve		
	Balance at beginning of year	-	-
	Transfer from General reserve	-	3,054.69
	Utilised against issue of bonus shares	-	(3,054.69)
	Balance at end of year	**-**	**-**
	Reduction in nominal value of share capital on account of buy-back of shares is recorded as capital redemption reserve.		
	C. Retained Earnings		
	Balance at beginning of year	17,174.33	18,980.33
	Adjustment on account of adoption of Ind AS 115 *	17,736.54	
	Profit for the year	42,258.72	52,815.16
	Final dividend and tax thereof	(16,107.64)	(18,922.23)
	Tax on Buyback of shares	-	(9,689.99)
	Interim Dividend	(9,622.27)	(2,500.00)
	Tax on Interim Dividend	(1,977.89)	(508.94)
	Transfer to General Reserve	(23,000.00)	(23,000.00)
	Other comprehensive income (net of tax)	(1,070.85)	-
	Balance at end of year	**25,390.94**	**17,174.33**
	* Refer Note 37(21): Implementation of Ind AS 115		
20	**Other Non - Current Financial Liabilities**		
	Deferred Credit	1,833.09	1,878.42
	Embedded derivative liability (Deferred liability)	2,918.37	3,295.46
		4,751.46	**5,173.88**
	Also refer note 37 (16): Fair value measurement.		
	Significant judgements: 1) Deferred credit: Deferred credit represents the principal credit portion (at the base rate) of the 45 years (commencing from 01.04.1992) deferred credit provided by the Russian government. The deferred credit is a financial liability, therefore shall be recognised at fair value. The fair value is ascertained by discounting the future cash outflows at the rate of 8%. The company considers 8% to be the cost of capital. 2) Embedded derivative: The increase in liability due to movement in SDR rates is assessed to be an embedded derivative. The embedded derivative is accounted at the fair value on each reporting date through Profit and loss. The fair value is considered to be the adjusted rupee value of the SDR unit as on the reporting date according to the agreement.		
21	**Non-current Provisions**		
	Employee benefits	-	-
	Accrued Leave	-	-
	Gratuity	-	-
		-	-
22	**Other Non - Current Liabilities**		
	Advances from Customers-$		
	MoD	10,395.74	21,181.70
	Others	949.20	1,050.00
	Deferred Income*	2,430.41	2,573.37
	Deferred Revenue #	9,548.51	11,021.11
		23,323.86	**35,826.18**
	* Refer the significant judgement on Deferred Credit in note No.20		
	# Refer note 37 (20) : Grant for solar plant		
	$ Refer note 37(22)(C): Movement of Contract Assets and Liabilities		
	Also Refer Accounting Policy no.3 A (vi) and 4.4		
23	**Borrowings**		
	(a) Loans repayable on demand		
	(i) From Banks		
	-Secured bank overdraft	181.55	-
	- Unsecured	-	-
		181.55	**-**
	The company has been sanctioned an overdraft facility of ₹ 1,500.00 lakhs against which the company had pledged deposits worth ₹ 1,800.00 lakhs as security.		
	Refer note 37(2): Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities - Bank Flexi and Current Accounts adjusted against Bank Overdraft		

(₹ in lakh)

PARTICULARS		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
24	**Trade Payables**		
	Trade Payables - Current:		
	Dues to micro enterprises and small enterprises	2,756.32	3,725.68
	Dues to creditors other than micro, small and medium enterprises	49,189.40	97,424.88
		51,945.72	**1,01,150.56**
	Disclosures required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		
	(i) Principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year		
	- Principal	2,521.35	3,524.81
	- Interest	234.97	200.87
	(ii) The amount of interest paid along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day		
	(iii) The amount of interest due and payable for the year	22.03	25.94
	(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	234.97	200.87
	(v) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid	-	-
	- Dues to Micro, Small and Medium Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the Auditors.		
25	**Other Current Financial Liabilities**		
	Current maturities of Deferred credit*	357.73	369.04
	Deposits	1,245.53	1,405.73
	Creditors for expenses	3,394.60	5,085.67
	Employee benefits payable	5,135.84	9,681.17
	Others	675.72	2,496.90
	Capital works	1,535.03	4,977.38
		12,344.45	**24,015.89**
	Also refer note 37 (16): Fair value measurement.		
	* Refer the significant judgement on Deferred Credit in note No.20		
26	**Other Current Liabilities**		
	Advances from Customers:#		
	- MoD	1,33,905.99	1,40,816.49
	- Others	52,088.83	52,812.16
	Deferred Income*	142.97	142.97
	Deferred Revenue	2,289.79	1,989.46
	Statutory remittances	3,139.63	35,651.39
		1,91,567.21	**2,31,412.47**
	Refer note 37(8): Details of short closed projects.		
	# Refer note 37(22)(C): Movement of Contract Assets and Liabilities		
	* Refer the significant judgement on deferred credit in note No. 20		

(₹ in lakh)

PARTICULARS		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
27	**Current Provisions**		
	Employee benefits		
	- Gratuity	2531.82	5,733.97
	- Accrued leave	2797.92	153.25
	Warranty	5716.49	4,990.22
	Liquidated Damages	-	27,123.41
	Onerous contract	1417.36	950.96
	CSR & Sustainable development	967.08	958.93
	Future charges	11397.96	13,509.46
	Others	11044.40	9,865.67
		35,873.03	**63,285.87**

Movement in provisions

Other Provisions	Employee benefits	Warranty	Liquidated Damages	Onerous Contract	CSR & Sustainable Development	Future Charges	Others
Balance as at March 31, 2018	**5,887.22**	**4,990.22**	**27,123.41**	**950.96**	**958.93**	**13,509.46**	**9,865.67**
Additional provisions recognised	5,329.74	1,839.61		1,072.19	1,615.97	162.60	1,178.73
Reductions arising from payments/ other sacrifices of future economic benefits	(5,887.22)	(1,113.34)	(27,123.41)	(605.79)	(1,607.82)	(2,274.10)	
Balance as at March 31, 2019	**5,329.74**	**5,716.49**	**-**	**1,417.36**	**967.08**	**11,397.96**	**11,044.40**

Warranties:

Warranty estimates are established using historical information on the nature, frequency and average cost of warranty claims and also management estimates regarding possible future outflow on servicing the customers for any corrective action in respect of product failure which is generally expected to be settled within a period of 1 to 2 years from the date of supply.

Liquidated damages:

Liquidity damages are established using historical information on the scheduled delivery period and the trend of delays and also management estimates regarding possible future outflow on delay of delivery of goods or services to the customers and are accounted upto F.Y 2017-18. From 2018-19 onwards such estimated liquidated damages on supply of goods or services are adjusted against transaction price as per Ind AS 115" Revenue from contracts with customers". Hence there is no addition to provision.provision for delay in future supplies is not made as it gets adjusted in the transaction price. Refer Note 37(21): Implementation of Ind AS 115

Onerous contract:

Provision for onerous contract represents the loss assessed by the company on its executory sale contracts. Such loss will be provided as and when the assessment is made, by the company during the course of execution of such contracts.

CSR & Sustainable development:

CSR & Sustainable development expenses are recognised based on the expenditure to be incurred as per the provisions of Companies Act, 2013.

Future charges:

Provision for future charges represents the estimated liability on account of revised ancillary/ packing material accepted to be delivered in line of ancillary/ packing material originally stipulated in the contract terms for the sales effected earlier.

(₹ in lakh)

Particulars		As at March 31, 2019	As at March 31,2018
28	**Income Taxes**		
28A	**Deferred Tax Balance**		
	Deferred Tax Assets	14,512.58	25,814.49
	Deferred Tax Liabilities	7,335.22	6,558.51
	Total	**7,177.36**	**19,255.98**
	Breakup of Deferred Tax balances		
	Deferred Tax Assets		
	Freehold Land	1,632.41	1,542.74
	Provisions	12,445.66	23,840.02
	Fair value adjustment to Deferred credit	434.51	431.73
	Sub-Total	**14,512.58**	**25,814.49**
	Deferred Tax Liabilities		
	Property plant and Equipment	4,279.41	3,568.85
	Intangible Assets	2,532.72	2,322.70
	Fair value of investments		
	- Equity Shares in unlisted Company	74.12	72.76
	- Mutual Funds	-	174.39
	Fair value adjustment to Deferred debts	448.97	419.81
	Others	-	-
	Sub-Total	**7,335.22**	**6,558.51**
	Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**7,177.36**	**19,255.98**

Reconciliation of Deferred Tax Balances:
For 2017-18

(₹ in lakh)

Particulars		Opening Balance	Recognised in statement of Profit and loss	Recognised in Other comprehensive income	Closing Balance
	Deferred Tax Assets pertaining to :				
	Freehold Land	1,364.26	178.48	-	1,542.74
	Provisions	17,351.81	6,488.21	-	23,840.02
	Fair value adjustment to Deferred credit	300.32	131.41	-	431.73
	Sub total	**19,016.39**	**6,798.10**	**-**	**25,814.49**
	Deferred Tax Liabilities pertaining to :				
	Property plant and Equipment	2,561.41	1,007.44	-	3,568.85
	Intangible Assets	1,785.19	537.51	-	2,322.70
	Fair value of investments			-	-
	- Equity Shares in unlisted Company	55.62	17.14		72.76
	- Mutual Funds		174.39		174.39
	Fair value adjustment to Deferred debts	292.03	127.78	-	419.81
	Others	177.43	(177.43)	-	-
	Sub total	**4,871.68**	**1,686.83**	**-**	**6,558.51**
	Total	**14,144.71**	**5,111.27**	**-**	**19,255.98**

Reconciliation of Deferred Tax Balances:
For 2018-19

Particulars		Opening Balance	Recognised in statement of Profit and loss	Recognised in Opening reserves *	Closing Balance
	Deferred Tax Assets pertaining to :				
	Freehold Land	1,542.74	89.67	-	1,632.41
	Provisions	23,840.02	(2,007.49)	(9,386.87)	12,445.66
	Fair value adjustment to Deferred credit	431.73	2.78	-	434.51
	Sub total	**25,814.49**	**(1,915.04)**	**(9,386.87)**	**14,512.58**
	Deferred Tax Liabilities pertaining to :				
	Property plant and Equipment	3,568.85	710.56	-	4,279.41
	Intangible Assets	2,322.70	210.02	-	2,532.72
	Fair value of investments		-	-	-
	- Equity Shares in unlisted Company	72.76	1.36		74.12
	- Mutual Funds	174.39	(174.39)		-
	Fair value of Deferred Debt	419.81	29.16	-	448.97
	Others	-	-	-	-
	Sub total	**6,558.51**	**776.71**	**-**	**7,335.22**
	Total	**19,255.98**	**(2,691.75)**	**(9,386.87)**	**7,177.36**
	*- Refer note 37(21): Implementation of Ind AS 115				

(₹ in lakh)

PARTICULARS		As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
28B	**Current Tax Assets and Liabilities**		
	Current Tax Assets	4,538.01	-
	Total Current Tax Assets	**4,538.01**	-
	Current Tax Liabilities	-	3,334.41
	Total Current Tax Liabilities	**-**	**3,334.41**

PARTICULARS		For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
28C	**Tax Expense**		
	i) Recognised in the Statement of Profit and Loss		
	Current Tax		
	In respect of the current year	22,228.18	29,130.44
	In respect of prior years	(42.19)	548.08
	Total	**22,185.99**	**29,678.52**
	Deferred Tax		
	In respect of the current year	2,691.75	(5,111.27)
	Total	**2,691.75**	**(5,111.27)**
	ii) Recognised in Other comprehensive income		
	Current Tax		
	In respect of the current year	575.20	-
	Total	**575.20**	**-**

The Income Tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
Profit before tax from continuing operations	**67,136.46**	**77,382.41**
Tax expense of amounts which are not deductible (taxable) in calculating taxable income		
Income tax expense calculated at 34.944%(FY 2017-18 : 34.608%)	23,460.17	26,780.50
Donations made during the year	0.87	0.09
Amount towards CSR activities	564.68	522.42
Interest due to MSME's	12.89	11.84
Foreign exchange capitalised	-	-
Others	(1,484.92)	2,425.04
Interest payable u/s 234A, 234B, 234C	-	86.56
Tax expense of amounts on which weighted deduction is available in calculating taxable income		
Weighted deduction on research and development expenditure	(933.87)	(696.00)
Depreciation	-	-
Investment Allowance u/s 32(AC)	-	-
VL Encashment	-	-
Impact of deferred tax on indexation of land	-	-
Impact of deferred tax	2,691.75	(5,111.27)
Adjustment for current tax of previous years	-	-
Adjustments recognised in the current year in relation to the earlier year AY 2014-15	0.72	1.02
Adjustments recognised in the current year in relation to the earlier year AY 2015-16	(3.41)	(1.09)
Adjustments recognised in the current year in relation to the earlier year AY 2016-17	(39.50)	
Adjustments recognised in the current year in relation to the earlier year AY 2017-18	-	548.15
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	-	-
Adjustments recognised in the current year in relation to the deferred tax of prior years (change in tax rates)	33.16	-
Income tax relating to items that will not be reclassified to profit/loss	575.20	-
Income tax expense recognised in profit or loss	**24,877.74**	**24,567.25**
Income tax recognised in Other comprehensive income	575.20	-
Income tax recognised in Other comprehensive income	**575.20**	**-**

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
29	**Revenue from Operations**		
	Sale of products		
	Finished Goods	2,66,467.48	3,09,548.27
	Spares	14,670.94	84,442.62
	Excise Duty	-	1,134.10
	Miscellaneous	1,445.50	349.31
	Sale of services		
	Repairs and Overhauls	716.11	6,636.87
	Training	19.58	402.91
	Job Works	4,880.40	6,644.50
	Miscellaneous	9,838.39	22,645.17
	Other operating revenue		
	Construction Contracts	-	8,712.96
	Sale of Scrap	34.24	1.26
	Deferred revenue on customer provided assets	1,311.05	734.05
	Other Claims	22,449.16	17,507.73
	LD levied by Customers	(14,897.88)	-
	Total	**3,06,934.97**	**4,58,759.75**
	- Refer note 37(5): Construction Contracts		

- Sale of Spares includes ₹ 5329.10 lakh (₹ 75221.63 lakh previous year) accounted based on Customer acceptance and Prices accepted by representative of the customer for which contract amendment is under consideration by the customer. The Company is confident of its realisation of these amounts.
- Refer note 37(21): Implementation of Ind AS 115 and also refer note 37 (22): Disclosures under Ind AS 115.

Significant judgement:

Revenue:

- The company recognizes revenue on the basis of percentage of completion method where the customer simultaneously receives the benefit.
- The percentage of completion is determined as proportion of cost incurred for the work performed up to the reporting date to the total estimated cost.
- An expected loss is recognized immediately when it is probable that the total cost will exceed the total revenue.

30	**Other Income**		
	Interest income on financial assets carried at amortised cost		
	Bank deposits	3,621.53	8,173.83
	Interest income from related parties	-	-
	Others	1,070.53	1,007.92
		4,692.06	**9,181.75**
	Other non-operating income		
	Liabilities no longer required, written back	1,241.76	120.06
	Provisions no longer required, written back	2,490.61	-
	Liquidated Damages recovered from suppliers	4,049.83	7,321.94
	Miscellaneous income (net)	495.57	433.34
		8,277.77	**7,875.34**
	Other gains and losses		
	Net foreign exchange gain / (Loss)	(271.36)	(554.75)
	Fair value gain/(loss) on financial assets measured at Fair value through profit and loss	148.92	727.55
	Gain on disposal of property, plant and equipment	4.86	-
	Gain on sale of Financial Assets Measured at Fair value through profit and loss	746.35	26.02
		628.77	**198.82**
	Total	**13,598.60**	**17,255.91**
31	**Cost of Materials consumed**		
	Cost of materials consumed	1,75,696.15	2,73,816.22
	Direct expenses	6,200.80	16,942.99
		1,81,896.95	**2,90,759.21**
32	**Changes in Inventories of Finished Goods and Work-in-progress**		
	Opening Stock:		
	Finished goods	626.02	624.88
	Work-in-progress	61,497.48	56,128.62
		62,123.50	**56,753.50**
	Closing Stock:		
	Finished goods	40,606.29	626.02
	Work-in-progress	38,104.61	61,497.48
		78,710.90	**62,123.50**
	Net (Increase) / Decrease	**(16,587.40)**	**(5,370.00)**
33	**Employee Benefits Expense**		
	Salaries and wages, including bonus	44,907.32	38,325.96
	Contribution to provident and other funds	6,215.23	12,880.19
	Staff welfare expenses	2,298.33	1,727.83
	Total	**53,420.88**	**52,933.98**
	Refer note 37(4): Employee Benefit obligations and 37(9) Related party transactions		
34	**Finance Costs**		
	Interest expense	284.05	188.90
	Other finance costs	139.02	139.02
	Total	**423.07**	**327.92**
35	**Depreciation and Amortisation expense**		
	Depreciation of property, plant and equipment	6,038.05	4,794.78
	Amortisation of intangible assets	2,212.16	1,552.97
	Total	**8,250.21**	**6,347.75**

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
36	**Other Expenses**		
	Shop Supplies	441.30	448.03
	Excise duty on sale of goods	-	1,088.83
	Power and Fuel	2,028.71	2,092.51
	Water Charges	575.42	640.73
	Travelling #	1,398.13	1,345.41
	Repairs:		
	Buildings	1,413.39	1,481.53
	Plant, Machinery and Equipment	990.73	633.47
	Furniture and Equipment	99.62	82.53
	Vehicles	11.55	10.16
	Others	57.36	80.79
	Vehicle Expenses - Petrol and Diesel	79.13	125.62
	Loose Tools and Equipment	149.13	132.15
	Insurance	590.46	467.37
	Rates and Taxes	541.41	735.00
	Postage, Telegrams, Telex and Telephones	143.34	184.25
	Printing and Stationery	149.75	88.43
	Publicity	367.08	653.28
	Advertisement	186.55	150.98
	Bank Charges	92.19	92.13
	Legal Expenses	6.35	30.48
	Donations	5.00	5.50
	Charge off-others	-	1,138.60
	Write off - Others	-	-
	Auditors' Remuneration: (refer note (i) below)	13.35	10.90
	Security Arrangements	3,894.68	3,528.93
	Liquidated Damages Expenditure	-	18,019.56
	Provision for Liquidated Damages*	-	20,366.29
	Less: Provision for Liquidated damages created earlier written back*	-	(17,243.33)
	Computer Software and Development	0.05	0.08
	Entertainment	0.84	0.68
	Courtesy	151.52	112.48
	Sitting Fee paid to Directors	11.90	11.82
	Sitting Fee paid to Independent External Monitors	1.20	0.40
	CSR & Sustainable Development Expenditure	1,615.97	1,509.54
	Replacement and other charges, Warranty and Batch Rejections	726.28	400.37
	Redundancy Provision	15.36	2,464.64
	Provision for Future Charges	-	2,666.30
	Provision for Onerous Contract	466.40	911.95
	Provision Others	-	710.11
	Miscellaneous Operating Expenses	9,769.25	8,659.19
	Less: Expenses capitalised	-	-
	Intangible Assets (DRE)	-	(203.30)
	Tools and Jigs	-	-
	Others	-	-
	Total	**25,993.40**	**53,634.39**
	# Includes Directors' Travelling Expenses	74.43	78.78
	* Refer Note - 37(7) and 37(21)		
	Notes:		
	i) Auditors' Remuneration comprises Fee:		
	Particulars		
	For Statutory Audit	10.00	10.00
	For Tax Audit	0.70	0.59
	For other services	2.65	0.31
	Total Auditors' remuneration	**13.35**	**10.90**
	In addition to the above ₹ 10.90 lakh during F.Y 2017-18, Auditors were paid ₹ 5.75 Lakh by Government of India in connection with offer for sale of company shares from its holdings.		
	ii) Refer note 37(6): Expenditure relating to Research and Development.		
	iii) Refer note 37(9): Related party transactions		
	iv) Refer note 37(21): Implementation of Ind AS 115		

Note 37: General Notes:

Statement of Compliances:

The financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) [as notified under the section 133 of Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] and other relevant provisions of the Act.

37(1) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities - Loans adjusted against Fixed Deposits

The following table presents the recognised financial instruments that are offset as at March 31 2019, March 31 2018. The column "net amount" shows the impact on the Company's Balance Sheet if all offset rights are exercised.

(₹ in lakh)

Particulars	Effects of offsetting on the Balance Sheet		
	Gross Amounts	Gross Amounts offset in the Balance Sheet	Net amount presented in the Balance Sheet
As on March 31, 2019			
Bank deposits other than margin money	44,700.00	(9,265.40)	35,434.60
Loan against Fixed deposits of ₹ 10,400.00 Lakhs	(9,265.40)	9,265.40	-
As on March 31, 2018			
Bank deposits other than margin money	32,680.00	-	32,680.00
Loan against Fixed deposits	-	-	-

37(2) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities - Bank Flexi and Current Accounts adjusted against Bank Overdraft

The following table presents the recognised financial instruments that are offset as at March 31 2019, March 31 2018. The column "net amount" shown the impact on the Company's Balance Sheet if all offset rights are exercised.

Particulars	Effects of offsetting on the Balance Sheet		
	Gross Amounts	Gross Amounts offset in the Balance Sheet	Net amount presented in the Balance Sheet
As on March 31, 2019			
Bank overdraft	(1,170.55)	989.00	(181.55)
Flexi and current accounts with banks	989.00	(989.00)	-
As on March 31, 2018			
Bank overdraft	(6.67)	6.67	-
Flexi and current accounts with banks	2,626.91	(6.67)	2,620.24

37(3) Earnings per share

(i) For continuing operations:

Particulars	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018
Profit after tax	42,258.72	52,815.16
Basic:		
Number of shares outstanding at the end of the year	1832,81,250	1832,81,250
Weighted average number of equity shares	1832,81,250	1981,78,082
Earnings per share (INR)	23.06	26.65
Diluted:		
Effect of potential equity shares on employee stock options outstanding	-	-
Weighted average number of equity shares outstanding	1832,81,250	1981,78,082
Earnings per share (INR)	23.06	26.65
Note: EPS is calculated based on profits excluding the other comprehensive income. EPS for previous year is adjusted for Bonus issue made during that year.		

(ii) For discontinuing operations:

There are no discontinuing operations.

(iii) For continuing and discontinuing operations:

Refer to the table (i)

37 (4) Employment Benefit obligations

(i) Post-employment obligations- Gratuity

The company provides for gratuity for employees in India as per the payment of Gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement/termination is the employees last drawn basic salary per month computed proportionately for 15 day's salary multiplied for the number of years of service. The gratuity plan is a funded plan and the Company makes contributions to recognized funds in India. The company does not fully fund the liability and maintains a target level of funding to be maintained over a period of time based on estimations of expected gratuity payments.

Gratuity

Changes in the Present value of Obligation

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Present value of Obligation at the begining of the year	18,553.90	12,509.75
Current service cost	640.80	5,662.78
Interest expense or cost	1,414.62	1,000.78
Remeasurements		
(Gain)/loss from change in demographic assumptions	135.80	
(Gain)/loss from change in financial assumptions	268.63	
Experience (gains)/loss	1,241.62	
Employer contributions		-
Benefit paid	(1,742.24)	(619.41)
Present value of Obligation at the end of the year	**20,513.13**	**18,553.90**

Changes in the Fair value of Plan Assets

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Fair value of Plan Assets at the begining of the year	12,819.93	11,184.15
Interest income	1,169.66	929.59
Employer contributions	5,733.97	1,325.60
Benefit payments	(1,742.24)	(619.41)
Fair value of Plan Assets at the end of the year	**17,981.32**	**12,819.93**

Expenses recognised during the period

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
In the Statement of Profit and Loss	885.76	5,733.97
In Other Comprehensive Income	1,646.05	-
Total	**2,531.81**	**5,733.97**

The net liability disclosed above relates to funded and unfunded plans are as follows:

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Present value of funded obligations	20,513.13	18,553.90
Fair value of plan assets	17,981.32	12,819.93
Deficit of funded plans	**2,531.81**	**5,733.97**

The significant actuarial assumptions were as follows:

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Discount rate	7.75%	8.00%
Salary escalation	6.00%	6.00%
Attrition rate	2.63%	1.90%

Sensitivity analysis

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Defined Benefit Obligation	20,513.13	18,553.90
Discount rate:(% change compared to base due to sensitivity)		
Increase : +1%	19,476.53	17,330.24
Decrease: -1%	21,657.14	19,940.16
Salary Growth rate:(% change compared to base due to sensitivity)		
Increase : +1%	21,182.08	19,093.30
Decrease: -1%	19,807.01	18,018.19
Attrition rate: (% change compared to base due to sensitivity)		
Increase : +1%	20,687.20	17,330.24
Decrease: -1%	20,325.10	19,940.16

The above sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as and when calculating the defined benefit liability recognised in the balance sheet.

The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the prior period.

The major categories of plans assets are as follows:

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Central government security	4,418.59	3,384.46
State government security	7,636.42	4,719.02
NCD/ Bonds	4,002.34	3,204.97
Equity	1,157.88	989.70
Fixed deposit	60.83	280.76
CBLO	515.02	83.33
Loans	2.54	3.85
Other approved security	187.68	153.84
	17,981.32	**12,819.93**

Defined benefit liability and employer contributions

The Company has purchased insurance policy to provide for payment of gratuity to the employees. Every year, the insurance company carries out a funding valuation based on the latest employee data provided by the Company. Any deficit in the assets arising as a result of such valuation is funded by the Company. The company considers that the contribution rate set at the last valuation date is sufficient to eliminate the deficit over the agreed period and that regular contributions, which are based on service costs will not increase significantly.

The expected cash flows over the next years is as follows:

(₹ in lakh)

Particulars	Less than a year	Between 2-3 years	Between 4-5 years	Total
31-Mar-19				
Defined benefit obligation-gratuity	2,248.43	4,833.17	5,618.10	12,699.70

Risk exposure

Through its defined benefit plans, the company is exposed to a number of risks, the most significant of which are detailed below:

Interest Rate Risk: The defined benefit obligation calculated uses a discount rate based on government bonds. If bond yields fall, the defined benefit obligation will tend to increase.

Salary Inflation risk : Higher than expected increases in salary will increase the defined benefit obligation.

Demographic Risk: This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

(ii) Provident Fund

Provident Fund Trust of the Company has to declare interest on Provident Fund at a rate not less than that declared by the Employees' Provident Fund Organisation. In case the Trust is not able to meet the interest liability, Company has to make good the shortfall. This is a defined benefit plan and the Company has got the same acturially valued and there is no additional liability that needs to be provided for the year :

(₹ in lakh)

Acturial Assumptions	March 31, 2019	March 31, 2018
	(Funded)	(Funded)
Discount rate	7.50%	8.60%
Rate of escalation in salary	6.00%	6.00%
Interest Rate Guarantee on Provident Fund	8.65%	8.55%
Interest Rate declared by BDL PF Trust	8.67%	8.60%

(iii) Defined Contribution plans

Employer's Contribution to State Insurance Scheme: Contributions are made to State Insurance Scheme for employees at the rate of 4.75%. The Contributions are made to Employee State Insurance Corporation(ESI) to the respective State Governments of the Company's location. this Corporation is administered by the Government and the obligation of the company is limited to the amount contributed and it has no further contractual nor any constructive obligation.

(iv) Compensated absences

The leave obligations cover the company's liability for earned leave.

The company maintains a funded plan for the purpose of compensated absences. The company recognises the obligations net of planned assets as per the actuarial valuation. A summary of employee benefit obligation and planned assets is presented below:

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
The Actuarial Liability of Accumulated absences of the employees of the Company	12348.28	9362.85
Less: Plan assets	9550.37	9209.60
Net obligation	2797.91	153.25
Significant assumptions:		
Discounting Rate	7.75% P.A.	8.00% P.A.
Salary escalation Rate	6.00%	6.00%
Retirement Age	60 YEARS	60 YEARS

(v) Post Retirement Medical Scheme

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
a) Contributions made to Post Superannuation Medical Benefits for the Executives retired after 01 Jan 2007- PSMB-II	284.74	277.95
b) Contributions made to Post Superannuation Medical Benefits for the Non-Executives retired after 01 Jan 2007-PSMB-III	410.27	384.94
c) Contributions made towards old scheme of Retired Employees Medical Insurance (REMI)	-	-

37(5) Construction contracts:

Following disclosures are made relating to Revenue Recognition of Construction Contracts.

Methods of recognising contract revenue:

Percentage of completion method is used to determine the contract revenue recognised in the period.

Method used to determine stage of completion of contract:

Proportion of contract costs incurred for work performed to the estimated total cost of contracts is used to determine the stage of completion.

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Contract Revenue recognised during the year	-	8,712.96
Aggregate amount of cost incurred	41,158.14	40,875.34
Profit Recognised	4,454.38	4,737.17
Amount of retention money due	-	-
Amount of advance received and outstanding	3,335.21	-

37(6) Expenditure relating to Research and Development:

Expenditure relating to Research and Development including product improvement financed by the Company during the year charged to natural heads of account :

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Being in the nature of Revenue expenditure	4991.36	3351.12
Being in the nature of Capital expenditure (Assets Capitalised)	353.58	671.05

37(7) Contingent Liabilities & Contractual Commitments:

(₹ in lakh)

Contingent Liabilities Not Provided for:	March 31, 2019	March 31, 2018
Outstanding Letters of Credit and Guarantees:		
(i) Letters of Credit	360.08	4,456.52
(ii) Guarantees and Counter Guarantees	5,564.24	6,250.51
Total	**5,924.32**	**10,707.03**
Claims / Demands against the Company not acknowledged as Debt:		
(i) PSUs	-	-
(ii) Sales Tax	20,829.42	20,995.51
(iii) Service Tax	1,177.75	2,355.51
(iv) Others	178.06	347.39
Total	**22,185.23**	**23,698.41**
Contractual Commitments:		
(A) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for, is		
(i) Property, Plant & Equipment	1,375.42	8,262.69
(ii) Investment Property	-	-
(iii) Intangible Assets	-	-
(B) Contractual Commitment towards LD for the deliverables due by 31.03.2019 will be accounted as and when corresponding revenue is recognised	22,694.98	-
Total	**24,070.40**	**8,262.69**

37(8) Details of short closed projects:

Out of the advances of ₹ 36450.36 Lakh (as at March 31,2018 ₹ 38456.42 Lakh) received from the customers, in respect of five contracts/ indents and one LOI which are short closed, the Company has made payments to suppliers for procurement of Special Tools and Equipment and Inventory. Against these payments, Special Tools and Equipment (Note 1) include an amount of ₹ 114.05 Lakh (as at March 31,2018 ₹114.05 Lakh), Current Assets (Note 10-17) comprises an amount of ₹ 12694.40 Lakh (as at March 31,2018 ₹11271.64 Lakh) which includes an amount of ₹ 1422.76 Lakh paid to vendors during the year 2018-19 in Advances to vendors and ₹ 7880.32 Lakh (as at March 31,2018 ₹ 7903.45 Lakh) in Inventories, total amounting to ₹ 20688.77 Lakh (as at March 31,2018 ₹ 19289.14 Lakh). As these assets had been acquired/expenditure had been incurred by the company based on firm orders/ LOI and out of the funds provided by the customer, no loss devolves on the company on account of long outstanding advances and non-moving Special Tools and Inventory. Hence, no provision is considered necessary. Further, in respect of these short closed Indents/contracts/LOI, the company approached the customers for compensation of ₹ 6072.67 Lakh (as at March 31,2018 ₹ 3590.00 lakh) being the net amount of expenditure after adjustment of the available advance. Hence, for want of finalisation of the amount from the Government/ Customers, no claim/ impact on profit has been accounted in the books.

37(9) Related party transactions

Name of Key managerial personnel	
Shri Cmde Siddharth Mishra (Retd) (wef 01.03.2019)	Shri K Divakar, Dir (Technical) (upto 31.08.2018)
Shri V Udaya Bhaskar, CMD (upto 28.02.2019)	Shri N P Diwakar , Dir (Technical) (wef 01.09.2018)
Shri S Piramanayagam, Dir (Finance)	Shri V Gurudatta Prasad, Dir (Production)
Smt Sushama V Dabak, Independent Director	Prof. Ajay Pandey, Independent Director
Shri K S Sampath, Independent Director (wef 13.09.2017)	Shri Ajay Nath, Independent Director (wef13.09.2017)
Smt Latha Narasimhamurthy, Independent Director (wef 13.09.2017)	Shri N Nagaraja, Company Secretary

(₹ in lakh)

Key management personnel compensation	March 31, 2019	March 31, 2018
Short - term employee benefits	264.51	230.03
Post - employment benefits	40.34	41.54
Long - term employee benefits	-	-
Sitting fee to Independent Directors	11.90	11.82
Total compensation	**316.75**	**283.39**

37(10) Capital Management

a) Risk management:

The Company has equity capital and other reserves attributable to shareholders as only source of capital and the company doesn't have borrowings or debts other than overdraft amount of ₹ 181 .55 Lakh

b) Dividends

(₹ in lakh)

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
(i) Interim dividend for the year ended March 31, 2019 of ₹ 5.25 (March 31,2018 of ₹ 1.36) per fully paid equity share	9,622.27	2,500
(ii) Dividends not recognised at the end of reporting period: As at the year end March 31, 2019 the directors have recommended the payment of a final dividend of ₹ 1.67 per fully paid equity share (March 31, 2018 : ₹ 7.29). The proposed dividend is subject to the approval in shareholders in the ensuing annual general meeting.	3,060.80	13,361.20

Events occurring after the reporting period:

Refer above note for the final dividend recommended by the directors which is subject to the approval of shareholders in the ensuing annual general meeting.

37(11) Confirmation of Balances:

Letters requesting Confirmation of Balances have been sent in respect of Debtors, Creditors, Claims Receivable, Materials with Contractors / Sub-Contractors, Advances, Deposits and others. Based on the replies wherever received, reconciliations / provisions / adjustments are made as considered necessary.

37(12) Retention Sales:
The value of the retention sales (i.e., goods retained with the company at the customers' request and at their risk) included in gross turnover during the year is ₹ 1,52,530.70 lakh (2017-18 ₹ 2,75,981.41 lakh)

37(13) Charges registered:
Company has registered floating charge with State Bank of India and Andhra Bank to the extent of ₹ 41,010.00 lakh (as at March 31,2018 ₹ 41010.00 lakh) on book debts.

37(14) Operating Cycle:
As per the requirement of Schedule III to the Companies Act, 2013, the operating cycle has been determined at the product level as applicable.

37(15) Contingent Assets:

Particulars	March 31, 2019	March 31,2018
Contingent Assets	-	-

37(16) Fair Value Measurement

(₹ in lakh)

Particulars	Fair value hierarchy Level	Notes	As at March 31, 2019			As at March 31, 2018		
			Cost	Amortised Cost	FVTPL	Cost	Amortised Cost	FVTPL
A. Financial Assets								
a) Measured at amortised cost								
i) Cash and cash equivalents	3	13	1,697.07	1,697.07	-	2,998.94	2,998.94	
ii) Other bank balances	3	14	35,434.60	35,434.60	-	32,680.00	32,680.00	
iii) Loans	3	7, 15	543.85	543.85	-	517.93	517.93	
iv) Other financial assets	3	8, 16	1,31,871.36	1,31,871.36	-	1,75,441.48	1,75,441.48	
iv) Trade receivables	3	12	58,720.51	58,720.51	-	52,856.37	52,856.37	
Sub - total			**2,28,267.39**	**2,28,267.39**	**-**	**2,64,494.72**	**2,64,494.72**	**-**
b) Mandatorily measured at fair value through profit or loss								
i) Investment in equity instruments in other companies	3	6	53.60	-	371.74	53.60		368.94
ii) Deferred receivable	3	8, 16	3423.48	-	5,043.78	3,613.67		5,389.83
iii) Investment in Mutual Funds	1	11	-		-	23,026.02		23,529.92
Sub - total			**3,477.08**	**-**	**5,415.52**	**26,693.29**	**-**	**29,288.69**
Total Financial Assets			**2,31,744.47**	**2,28,267.39**	**5,415.52**	**2,91,188.01**	**2,64,494.72**	**29,288.69**
B. Financial Liabilities								
a) Measured at amortised cost								
i) Trade payables	3	24	51,945.72	51,945.72	-	1,01,150.56	1,01,150.56	
ii) Other financial liabilities	3	20, 25	13,819.81	13,819.81	-	25,525.27	25,525.27	
Sub - total			**65,765.53**	**65,765.53**	**-**	**1,26,675.83**	**1,26,675.83**	**-**
b) Mandatorily measured at fair value through profit or loss								
i) Embedded Derivative financial liability	3	20,25	-	-	3,276.10	-		3,664.50
Sub - total			**-**	**-**	**3,276.10**	**-**	**-**	**3,664.50**
Total Financial Liabilities			**65,765.53**	**65,765.53**	**3,276.10**	**1,26,675.83**	**1,26,675.83**	**3,664.50**

Fair Value Hierarchy
The following table presents the fair value hierarchy of assets and liabilities:

(₹ in lakh)

Particulars	Level	March 31, 2019	March 31, 2018
Financial Assets:			
a) Measured at fair value through profit or loss			
i)Investment in equity instruments in other companies	3	371.74	368.94
ii)Deferred receivable	3	5,043.78	5,389.83
iii) Investment in Mutual Funds	1	-	23,529.92
Financial liabilities:			
a) Measured at fair value through profit or loss			
i)Embedded Derivative financial liability	3	3,276.10	3,664.50

Fair value hierarchy:

Fair value of the financial instruments is classified in various fair value hierarchies based on the following three levels:

Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active market for identical assets or liabilities.

Level 2: Inputs other than quoted price including within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximize the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Level 3: Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs). If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case with listed instruments where market is not liquid and for unlisted instruments.

Valuation technique used to determine fair value:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

· The fair value of unquoted equity instrument are determined with respect to the net worth of the company.

· The fair value of 45 years deferred credit and receivables is determined using foreign exchange rates as per the contract.

The resulting fair value estimates are included in level 3.

Fair value measurements using significant unobservable inputs (level 3)

The following table presents the changes in level 3 items for the year ended 31 March 2019 :

(₹ in lakh)

Particulars	Unlisted equity shares	Deferred receivable	Embedded derivative liability
As at 31 March 2018	368.94	5,389.83	3,664.50
Gain/loss recognised in profit and loss	2.80	(346.05)	(388.40)
As at 31 March 2019	371.74	5,043.78	3,276.10

Valuation inputs and relationships to fair value

The following table summarises the quantitative information about the significant unobservable inputs used in level 3 fair value measurements.

Particulars	Fair value as at		Significant unobservable inputs	Sensitivity
	March 31 2019	March 31, 2018		
Unquoted equity shares	371.74	368.94	Fair value of the company	A 1% increase in the fair value of the company would increase the non current investment by ₹ 3.72 lakh with a corresponding impact on profit and loss; a decrease in the fair value of the company would decrease the non current investment by ₹ 3.72 lakh with a corresponding impact on profit and loss.
Deferred receivable	5,043.78	5,389.83	Rupee rate per Special Drawings Right (SDR Unit)	A ₹ 1 increase in the SDR rate would increase the fair value by ₹ 68.74 lakh with a corresponding impact on profit and loss; a ₹ 1 decrease in SDR rate would decrease the fair value by ₹ 68.74 lakh with a corresponding impact on profit and loss.
Embedded derivative liability	3,276.10	3,664.50	Rupee rate per Special Drawings Right (SDR Unit)	A ₹ 1 increase in the SDR rate would increase the fair value by ₹ 70.69 lakh with a corresponding impact on profit and loss; a ₹ 1 decrease in SDR rate would decrease the fair value by ₹ 70.69 lakh with a corresponding impact on profit and loss.

37(17) Financial Risk Management:

The Company's activities expose it to market risk, liquidity risk and credit risk. The analysis of each risk is as follows:

A) Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents, instruments carried at amortised cost and deposits with banks, as well as credit exposures to customers including outstanding receivables.

(i) Credit risk management

A. Credit risk on cash and cash equivalents is limited as the Company generally invest in deposits with banks with high credit ratings assigned by external agencies.

B. Credit risk on claims/refunds receivables, trade receivables and unbilled revenues are evaluated as follows:

(i) Year ended March 31, 2019:

(a) Expected credit loss for financial assets where general model is applied

(₹ in lakh)

Particulars	Asset group	Estimated gross carrying amount at default	Expected probability of default	Expected credit loss	Carrying amount net of provision
Financial assets for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Claims/ refunds receivable	5238.62	0.41%	(21.47)	5,217.15
- Loss allowance measured at 12 month expected credit losses	Loans	543.85	-	-	543.85

(b) Expected credit loss for trade receivables and unbilled revenue under simplified approach

Particulars	Less than or equal to 6 months	More than 6 months	Total
Gross carrying amount	172737.97	11714.69	184452.66
Expected credit loss rate	0%	0%	0%
Expected credit loss (loss allowance provision)	-	-	-
Carrying amount of trade receivables	172737.97	11714.69	184452.66

(ii) Year ended March 31, 2018:

(a) Expected credit loss for financial assets where general model is applied

Particulars	Asset group	Estimated gross carrying amount at default	Expected probability of default	Expected credit loss	Carrying amount net of provision
Financial assets for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Claims/ refunds receivable	6854.09	0.31%	(21.47)	6,832.62
- Loss allowance measured at 12 month expected credit losses	Loans	517.93	-	-	517.93

(b) Expected credit loss for trade receivables and unbilled revenue under simplified approach

Particulars	Less than or equal to 6 months	More than 6 months	Total
Gross carrying amount	207473.41	13340.05	220813.46
Expected credit loss rate	0%	0%	0%
Expected credit loss (loss allowance provision)	-	-	-
Carrying amount of trade receivables	207473.41	13340.05	220813.46

(iii) Reconciliation of loss allowance:

(₹ in lakh)

Particulars	Trade receivables and unbilled revenue	Claims/refunds receivable
Loss allowance as at March 31, 2018	-	(21.47)
Add/less	-	-
Loss allowance as at March 31, 2019	-	(21.47)

(iv) Significant estimates and judgements:

Impairment of financial assets:

The impairment provisions for financial assets disclosed above are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The company uses judgment in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

B) Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and the availability of funding to meet obligations when due and to close out market positions. Company's treasury maintains flexibility in funding by maintaining availability under deposits in banks.

Management monitors cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows.

(i) Financing arrangements

The company has access to the following undrawn borrowing facilities at the end of the reporting period:

Particulars	March 31, 2019	March 31, 2018
Expiring within one year (bank overdraft and other facilities)	1318.45	1500.00

(ii) Maturities of financial liabilities

(₹ in lakh)

Contractual maturities of financial liabilities as at March 31, 2018	Less than 12 months	Between 1 and 2 years	Between 2 year and 5 years	Above 5 years	Total
Non-derivative					
Deferred Credit towards 45 years Component	195.60	181.11	466.73	1,034.99	1878.42
Deposits	1405.73	-	-	-	1405.73
Creditors for expenses	5085.67	-	-	-	5085.67
Employee benefits payable	9681.17	-	-	-	9681.17
Others	2496.90				
Capital works	4977.38				
Derivative					
Embedded derivative liability (Deferred liability)	369.04	173.45	520.35	2601.65	3664.49

Contractual maturities of financial liabilities as at March 31, 2019	Less than 12 months	Between 1 and 2 years	Between 2 year and 5 years	Above 5 years	Total
Non-derivative					
Deferred Credit towards 45 years Component	195.60	181.11	466.73	989.66	1833.10
Deposits	1245.53	-	-	-	1245.53
Creditors for expenses	3394.60	-	-	-	3394.60
Employee benefits payable	5135.84	-	-	-	5135.84
Others	675.72				
Capital works	1535.03				
Derivative					
Embedded derivative liability (Deferred liability)	357.73	162.14	486.42	2269.86	3276.15

C) Market risk

(i) Foreign currency risk

The company operates in a business that exposes it to foreign exchange risk arising from foreign currency transactions, primarily with respect to the USD, Euro, GBP, CHF and SEK. Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognised liabilities denominated in a currency that is not the company's functional currency (INR). The risk is measured through a forecast of highly probable foreign currency cash flows. As per the sales contract, the company is eligible for exchange rate variation upon settlement of foreign exchange liabilities. Hence, the company is protected against the foreign currency risk.

Particulars	March 31, 2019				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
Foreign currency liabilities					
- Payables	165.33	3.77	0.02	0	9.37

Particulars	March 31, 2018				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
Foreign currency liabilities					
- Payables	83.16	15.09	0.03	0	107.59

(ii) Sensitivity

The sensitivity of profit or loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments and from foreign forward exchange contracts:

(₹ in lakh)

Particulars	Impact on Profit	
	March 31, 2019	March 31, 2018
Sensitivity		
INR/USD – Increase by 1%	115.80	54.27
INR/USD – Decrease by 1%	(115.80)	(54.27)
INR/EURO – Increase by 1%	2.96	12.26
INR/EURO – Decrease by 1%	(2.96)	(12.26)
INR/GBP – Increase by 1%	0.01	0.03
INR/GBP – Decrease by 1%	(0.01)	(0.03)
INR/CHF – Increase by 1%	-	-
INR/CHF – Decrease by 1%	-	-
INR/SEK – Increase by 1%	0.71	8.51
INR/SEK – Decrease by 1%	(0.71)	(8.51)

37 (18) Segment information:

As the Company is engaged in defence production, exemption was granted from applicability of Accounting standard on Segment reporting under Sec 129 of Companies Act 2013 vide Notification dated 23rd February 2018 of Ministry of Corporate Affairs.

37 (19) Foreign Exchange Exposure:

Pursuant to the announcement of ICAI requiring the disclosure of "Foreign Exchange Exposure", the major currency-wise exposure as on 31 March 2019 (As at 31 March,2018 are shown in brackets) given below.

(₹ in lakh)

Currency	Payables		Receivables		Contingent Liability	
	Foreign Currency	Indian Rupee Equivalent	Foreign Currency	Indian Rupee Equivalent	Foreign Currency	Indian Rupee Equivalent
USD	165.33	11579.62	-	-	0.79	55.10
	(83.16)	(5,426.75)	-	-	(63.08)	(4,150.77)
EURO	3.77	296.39	-	-	3.57	280.63
	(15.09)	(1,226.44)	-	-	(3.76)	(305.75)
GBP	0.02	1.46	-	-	-	-
	(0.03)	(2.57)	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
SEK	9.37	70.55	-	-	-	-
	(107.59)	(851.04)	-	-	-	-
Total (₹)		**11948.04**	-	-	-	**335.73**
		(7,506.80)	-	-	-	**(4,456.52)**

37(20) 5MW solar plant was installed during 2017-18 at Bhanur Unit under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) scheme. As per JNNSM scheme, Company is eligible for Viability Gap Fund (VGF) for commissioning of solar plant. The VGF is accounted based on the project cost as per the contract. It is being maintained under Deferred Revenue in compliance with the laid down conditions of the scheme. VGF amount of ₹ 995.89 Lakh is accounted as Deferred Revenue. 4% of Deferred Revenue is to be recognised as revenue each year. A sum of ₹ 39.84Lakh is recognised as revenue during the year.

37(21) Implementation of Ind AS 115

Revenue from Contracts with Customers

-Effective April 1,2018, the Company has adopted Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers" using the cumulative effect method.The standard is applied retrospectively only to contracts that are not completed as at the date of initial application and hence the comparitive information is not restated

-The Provision for Liquidated Damages of ₹ 27123.41 lakhs as on 01.04.2018 and corresponding deferred tax impact on above adjustment is ₹ 9386.87 lakhs has been adjusted in retained earnings .

A Impact on adoption of Ind AS 115 :

(₹ in lakh)

Balance Sheet (extract) as at 31 March 2019	Note No.	March 31 2019 without adoption of Ind AS 115	Incease/ (Decrease)	March 31 2019 as reported
Non-Current Assets				
Deferred tax assets	28A	15,107.89	(7,930.53)	7,177.36
Total Non-Current Assets		**15,107.89**	**(7,930.53)**	**7,177.36**
Current liabilities				
Provisions	27	58,568.01	(22,694.98)	35,873.03
Total current liabilities		**58,568.01**	**(22,694.98)**	**35,873.03**
Net assets		**(43,460.12)**	**14,764.45**	**(28,695.67)**
Equity				
Other Equity	19	1,93,762.03	14,764.45	2,08,526.48
Total Equity		**1,93,762.03**	**14,764.45**	**2,08,526.48**

Statement of Profit and Loss (extract) for the year ended 31 March 2019	Note No.	March 31 2019 without adoption of Ind AS 115	Incease/ (Decrease)	March 31 2019 as reported
Revenue from operations	29	3,21,832.85	(14,897.88)	3,06,934.97
Total Income		**3,21,832.85**	**(14,897.88)**	**3,06,934.97**
Expenses				
Other expenses	36	36,462.85	(10,469.45)	25,993.40
Total Expenses		**36,462.85**	**(10,469.45)**	**25,993.40**
Profit before tax		**71,564.89**	**(4,428.43)**	**67,136.46**
Deferred Tax	28C	**4,148.09**	**(1,456.34)**	**2,691.75**
Profit/ (Loss) for the year		**45,230.81**	**(2,972.09)**	**42,258.72**

B The impact of change in accounting in respect of liquidated damages towards unexecuted portion of sales has resulted in decrease of Profit before tax by ₹ 4428.43 Lakh and Profit after tax by ₹ 2972.09 Lakh during the year 2018-19.

37(22) Disclosures under Ind AS 115

A Satisfaction of performance obligation

i. In majority of the contract performance obligation is satisfied "at a point in time" which is primarily determined on customer obtaining control of the asset. Performance obligation in respect of contract involving supply , Installation and commissioning of complex system is recognised "over a period of time"

ii. Under "Bill and hold" arrangement performance obligation is satisfied on unconditional appropriation of the goods to the contract on acceptance by the customer.

iii. Company's Contract normally do not contain significant financial component and any advance payment received and /or amount retained by customer is with intention of protecting either parties to the contract.

iv. Variable consideration primarily consist of amount receivable/reimburseable against foreign exchange variation clause and liquidated damages. The amount of revenue recognised in respect of the same is determined based on the methodology specified in the contract . The amount is recognised as revenue based on contrtactual terms.

v. The company's turnover mainly includes supply of missiles and allied defence equipments.

vi. Warranties provided are primarily in the nature of performance warranty.

vii. The company normally uses the input method to recognise revenue is respect of contracts in which performance obligation are satisfied over a period of time. For arriving at the quantum of revenue to be recognised the percentage of completion method is adopted where in the percentage of actual cost incurred to total estimated cost is applied to the contract price for arriving at the quantum of revenue to be recognised. The company's contract (other than AMC) in respect of which revenue is recognised over a period of time typically involves multiple activities of different nature like construction of building, supply and installation of equipments etc. Due to this it is not possible to quantify in physical terms the quantum of work done (i.e., output) reliably . Where as, under input method , the cost incurred in respect of these varied activities can be captured and compared to the total estimated cost to be incurred (which can be estimated reliably) , for arriving at the percentage of completion. In case of AMC contracts, output method is used to recognise revenue where passage of time is the criteria for satisfaction of performance obligation .

viii. For revenue recognition in respect of performance obligation satisfied at a "point in time" the following criteria is used for determining whether customer has obtained " Control on asset "

· Terms of delivery as per the contract

· Customer has legal title to the asset

· The entity has transferred physical possession of the asset

· Customer has accepted the asset

· Entity has the present right to payment for the asset

ix. Transaction price is typically determined based on contract entered into with customer. Allocation of transaction price in respect to multiple obligation is based on relative standalone selling price which is arrived at based on the latest contract available for similar item sold.

B Break up of revenue recognised against contracts with customers

(₹ in lakh)

Particulars	Govt of India	Channel Partner (For Exports)	Others	Total
Sale of Products	2,69,390.14	6,646.97	6,546.80	2,82,583.91
Sale of Services	15,352.60		101.89	15,454.49
Total	**2,84,742.74**	**6,646.97**	**6,648.69**	**2,98,038.40**

C Movement of Contract Assets and Contract Liabilities

Particulars	Contract Assets	Contract Liabilities
Opening Balance (A)	**1,43,772.84**	**2,11,470.15**
Additions		
Against Sales recognised during the year	64,006.04	
Receipt of advance from Customer during the year		2,35,997.80
Change in transaction price recognised during/previous year		
Others (if any)	32,949.51	772.79
Total - (B)	**96,955.55**	**2,36,770.59**
Deductions		
Contract liability adjusted against- Revenue recognised during the year out of Opening balance		52,369.90
Contract liability adjusted against- Revenue recognised during the year out of Current year balance		1,96,910.40
Conversion of Contract Asset to Trade receivable	86,073.38	
Impairment of Contract Asset if any*		
Write back of Contract Liability if any		
LD lieved by customers	2611.57	
Change in transaction price recognised during/previous year		
Others (if any)	26,311.29	2,914.05
Total -(C)	**1,14,996.24**	**2,52,194.35**
Grand Total (Closing Balance) D = (A+B-C)	**1,25,732.15**	**1,96,046.39**

* Impairment is tested as per the accounting policy 15. The company has assessed that there are no indicators of impairment.

Advance received from customer are classified as contract liability and Progressively adjusted on completion of performance obligation .Balance amount receivable after adjusting advance is classified as Trade Receivable.

Amount withheld by customer in respect to completed Performance obligation due to linking of payment with completion of other Performance obligations in the contract is classified as Contract Asset .

D Value of remaining Performance Obligations

Unrecognised revenue from contracts with customer which are partially satisfied or unsatisfied

(₹ in lakh)

Particulars	Total Amount	Within a Year	1 - 2 Years	2 - 3 Years	More than 3 Years
Unexecuted order value	7,25,795.45	3,72,980.31	1,85,520.21	67,359.81	99,935.12

E Reconciliation of revenue recognised in Statement of Profit and Loss with contract Price

Particulars	Amount	Amount
Revenue as per Statement of P&L Account		
Sale from Products	2,82,583.91	
Sale of Services	15,454.49	
Total (a)		**2,98,038.40**
Add/ Less adjustment to contract price		
FE variation claim	(3,389.67)	
incentives , performance bonus received	-	
Discount , rebate offered	-	
Price concession offered	-	
Others if any	22,330.95	
Total adjustment (b)		**18,941.28**
Contract price (a + b)		**3,16,979.68**

F Movement of Trade Receivable

Particulars	Sales from Products	Income from Service	Total
Opening Balance Net Debtors (A)	**70,859.68**	**6,180.94**	**77,040.62**
Additions			
Against Sales recognised during the year	2,82,391.74	4,882.72	2,87,274.46
Conversion of Contract Asset to Trade receivable	86,073.38	-	86,073.38
Change in transaction price recognised during/previous year	-	467.51	467.51
Others (if any)	21,617.38	-	21,617.38
Total - (B)	**3,90,082.50**	**5,350.23**	**3,95,432.73**
Deductions			
Collection made during the years	1,41,857.33	7,020.96	1,48,878.29
Advance adjusted during the year out of revenue recognised	2,48,600.87	679.43	2,49,280.30
Impairment of Debtors (Provisions)*	-	-	-
Change in transaction price recognised during/previous year	-	-	-
Others (if any)	15,555.83	38.42	15,594.25
Total -(C)	**4,06,014.03**	**7,738.81**	**4,13,752.84**
Grand Total (Closing Balance) D = (A+B-C)	**54,928.15**	**3,792.36**	**58,720.51**

* Impairment is tested as per the accounting policy 15. The company has assessed that there are no indicators of impairment.

G Payment Terms from the customer comprises of advances and stage payments which differs from contract to contract.

37 (23) Accounting Standards issued but not yet effective:

Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has issued notification vide GSR.....(E) dated 30/03/2019 prescribing Ind AS 116 and withdrawing Ind AS 17 and also incorporating the consequential changes in some other Indian Accounting Standards, effective from April 01, 2019. The effect of Ind AS 116 and consequential changes in other Accounting Standards are being evaluated.

37 (24) Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary. Negative figures are indicated in parenthesis.

Significant Accounting Policies and accompanying Notes form an integral part of the Financial Statements

As per our report of even date.
for S. R. MOHAN & CO.,
Chartered Accountants
Firm's Registration No.002111S

For and on behalf of the Board

S. SANDEEP REDDY
Partner
(M.No. 242470)

S. PIRAMANAYAGAM
Director (Finance)
DIN: 07117827

Cmde SIDDHARTH MISHRA (Retd)
Chairman and Managing Director
DIN: 08367035

N. NAGARAJA
Company Secretary
(M.No.A19015)

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

Place: Hyderabad
Date: 30 May 2019

BHARAT DYNAMICS LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353
Corporate Office: Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Tel. No: 040-23456145 **Fax No:** 040-23456110
Email: investors@bdl-india.in **Website:** www.bdl-india.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting of the Members of BHARAT DYNAMICS LIMITED will be held at 15:30 hrs on Friday, 27 September 2019 at Hotel Sheraton, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 to transact the following businesses:

Ordinary Business

1) To receive, consider and adopt audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st March 2019, together with the Reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon;

2) To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the financial year ended 31st March 2019.

3) To appoint a Director in place of Shri.S.Piramanayagam (DIN: 07117827), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

Special Business

4) **To appoint Cmde.Siddharth Mishra (Retd.)(DIN:08367035) as Chairman & Managing Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Government of India letter No. DDP.M-0001(24)/02/2018-D (BDL) dated February 25, 2019 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) and sections 149, 152, 160, 196 and any other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable Rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and further on recommendations of Nomination and Remuneration Committee of the Board, consent of the Members be and is hereby accorded to the appointment of Cmde Siddharth Mishra (Retd) as a Director and also as Chairman & Managing Director of the Company on the terms and conditions as stipulated by the Government of India**."**

5) **To appoint Shri.N.P.Diwakar (DIN: 08207722) as Director (Technical) of the company and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Government of India letter No.H-62011/1/2016-D (BDL) dated July 30, 2018 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) and sections 149, 152, 160, 196 and any other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable Rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and further on recommendations of Nomination and Remuneration Committee of the Board, consent of the Members be and is hereby accorded to the appointment of Shri N.P.Diwakar as Director (Technical) of the Company on terms and conditions as stipulated by the Government of India"

6) **To appoint Shri.P.Radha Krishna (DIN:08437975) as Director (Production) of the company and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Government of India letter No. DDP-M 0001(11)/02/2018-D (BDL) dated May 27, 2019 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) and sections 149, 152, 160, 196 and any other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable Rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and further on recommendations of Nomination and Remuneration Committee of the Board, consent of the Members be and is hereby accorded to the appointment of Shri.P.Radha Krishna as Director (Production) of the Company on terms and conditions as stipulated by the Government of India"

7) **To re-appoint Smt.Sushama. V. Dabak (DIN: 07085413) as Part-time Non-Official Director (i.e. Independent Director) and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Government of India letter No.DDP-M 0001(24)/04/2018-D (BDL) dated 28/11/2018 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) and sections 149, 150, 152 read with Schedule IV and any other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) the consent of the Members be and is hereby accorded to the re-appointment of Smt.Sushama V Dabak as Part-Time Non-official Director (i.e Independent Director) of the Company on such terms and conditions as stipulated by the Government of India."

8) **To re-appoint Prof. Ajay Pandey (DIN:01292877) as Part-time Non-Official Director (i.e Independent Director) and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Government of India letter No.DDP-M 0001(24)/04/2018-D (BDL) dated 28/11/2018 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) and sections 149, 150, 152 read with Schedule IV and any other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) the consent of the Members be and is hereby accorded to the re-appointment of Prof.Ajay Pandey as Part-Time Non-official Director (i.e Independent Director) of the Company on such terms and conditions as stipulated by the Government of India."

9) **To ratify the remuneration of the Cost Auditor and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as ordinary resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 150000/- plus applicable taxes (excluding out of pocket expenses) to M/s.Narasimha Murthy & Co., Cost Accountants appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the Financial Year 2019-20".

By the Order of the Board of Directors

N.Nagaraja
Company Secretary

Hyderabad
10 August 2019

Notes:

1. The statement pursuant to Sec. 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed.
2. **A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy, duly completed, stamped and signed, should however, be deposited at the Corporate Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the Meeting. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies etc. must be supported by an appropriate resolution/authority, as applicable.**
3. **Pursuant to the provisions of section 105 of the Act, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights. In case a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights, then such proxy shall not act as a proxy for any other person or shareholder.**
4. Brief profile of the Directors seeking appointment/re-appointment as mandated under regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges forms part of the Notice.
5. In terms of Section 101 of the Act and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by e-mail to those shareholders who have furnished their e-mail address in their Demat accounts. However, Members may please note that they will be entitled to a hard copy of the Annual Report of the company and all attachments thereto upon receipt of a requisition, free of cost. Members interested to receive the documents in physical form may please give the intimation to the Company's Registrar Alankit Assignments Ltd at the earliest, duly quoting the Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting the Demat A/c details, may be sent by email at email id **rta@alankit.com**.
6. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from **Saturday, 21 September, 2019 to Friday, 27 September, 2019** (both days inclusive).
7. The Board has recommended a final dividend of ₹ 1.67 per equity share of ₹ 10/- each. The dividend, if declared by the Members at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration to those persons

- whose names appear as beneficial owners at the end of the business hours on **Friday, 20 September, 2019** in the list of beneficial owners to be furnished by the National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the shares held in electronic form; and
- whose names appear as members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents on or before **Friday, 20 September, 2019**.

8. Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrant/ Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL) as at the close of business hours on **Friday, 20 September, 2019** for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine-digit Bank code) with their Depository Participant, before **Friday, 20 September, 2019**.
9. Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ('the Fund') established by the Central Government. Further, pursuant to the provisions of section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ('IEPF Rules'), all the shares on which dividend remain unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the Demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the shareholders to encash/claim their respective dividend during the prescribed period.
10. Members are requested to:-
    i. Note that copies of Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting.
    ii. Bring their copies of Annual Report, Notice and Attendance Slip duly completed and signed at the meeting.
    iii. Note that the attendance slip/ proxy form should be signed as per the specimen signature registered with the Alankit Assignments Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant (DP).
    iv. Deliver duly completed and signed Attendance Slip at the entrance of the meeting venue as entry to the Hall will be strictly on the basis of the entry slip available at the counters at the venue to be exchanged with the attendance slip.
    v. Note that in case of joint holders attending the meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.
    vi. Intimate to their DP in respect of shares held in dematerialized form, and to the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent in respect of physical shares, changes if any, in their respective addresses along with the pin code number at an early date.
    vii. Quote their Folio / Client ID & DP ID Nos. in all correspondence.
    viii. In case of multiple folios consolidate holdings into one folio in case of multiple folios with names in identical orders.
    ix. Note that no gifts/coupons will be distributed at the Annual General Meeting.
11. Relevancy of question and order of speakers will be decided by the Chairman. Members desirous of getting any information on any items of business of this Meeting are requested to address their queries to Company Secretary of the Company at the Corporate Office of the company or can send email on investors@bdl-india. in at least ten days prior to the date of the meeting, so that the information required can be made readily available at the meeting.
12. Members may also note that the Annual Report for the FY 2018-19 will also be available on the Company's website www.bdl-india.in for their download.
13. **Members who have not registered their e-mail addresses so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or with R&TA/ Company (for physical holding), for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, NECS intimation etc. for the Company electronically.**

14. Members are requested to send all communications relating to shares to our Registrar & Share Transfer Agent at the following address:

Alankit Assignments Limited
SEBI Registration Number: INR000002532
Address:- 205-208, Anarkali Complex
Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Telephone: +91 11 42541234; Facsimile: +91 11 41543474
Email: **rta@alankit.com**; Website: www.alankit.com

15. In terms of Section 72 of the Companies Act, 2013, nomination facility is available to individual shareholders. Members holding shares in physical form may nominate a person in respect of all the shares held by them whether singly or jointly. Members who hold shares in individual name are advised to avail of the nomination facility by filing Form No. SH- 13 in their own interest. Blank form can be obtained from RTA on request. Members holding shares in dematerialized form may contact their respective DPs for registration of nomination.

16. None of the Directors of the Company is in any way related to each other

17. Route Map for the venue of the meeting is enclosed

18. In compliance with the provisions of section 108 of the Act, the Rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through e-voting services provided by RTA through Central Depositories Securities Ltd (CDSL), on all resolutions set forth in this Notice. The instructions for e-voting are hereunder

Instructions for Voting through electronic mode

a) In compliance with the provisions of Section108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to exercise their right to vote electronically, through the e-voting services provided by CDSL, i.e. facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM (remote e-voting) on all the resolutions set forth in this Notice.

b) The voting period begins on **Monday, 23 September, 2019 (09.00 a.m.)** and ends on **Thursday, 26 September 2019 (5.00 p.m.).** During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, **Friday, 20 September, 2019,** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

c) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Friday, 20 September, 2019**

d) The Company has appointed **M/s C V Reddy K & Associates, Practicing Company Secretaries** to act as Scrutinizer to conduct and scrutinize the electronic voting process and poll at the Annual General Meeting in a fair and transparent manner.

e) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

f) The facility of voting through by ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by Poll at the venue of AGM or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through Poll will be treated as invalid.

g) The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of voting at the AGM count the votes cast at the AGM and thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer Report of the Total votes cast in favour of or against, if any, not later than three working days from the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman or any other person authorised by the Chairman shall declare the result of the voting forthwith. The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed in the website of the Company www.bdl-india.in and on the website of CDSL www.cdslindia.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

h) **PROCEDURE FOR E-VOTING:**

Instructions for members for voting electronically are as under:

(a) In case of members receiving e-mail (for members whose e-mail address are registered with the Company/Registrars)

(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" tab.

(iii) Now Enter your User ID

- For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user, follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both Demat shareholders as well as physical shareholders)
	Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Ex. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.

Dividend Bank Details or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your Demat account or in the Company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Company, please enter the member ID/folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii) above.

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in Demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the Demat holders for voting the resolutions of any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential

(ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on the EVSN for the relevant Company, i.e., Bharat Dynamics Limited on which you choose to vote.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

(xv) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If Demat account holder has forgotten the same password, then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system

(xvii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile

(xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(b) In case of members receiving the physical copy of notice of 49th Annual General meeting by Registered Parcel (for members whose e-mail ids are not registered with the Company/Depositories): Please follow all the steps from S.No.(i) to S.No. (xvii) to cast vote

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No.4

Cmde Siddharth Mishra (Retd) was appointed as Chairman & Managing Director on the Board of the Company by the Government of India vide its letter No.DDP-M 0001(24)/02/2018–D(BDL) dated 25/02/2019 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) in terms of Article 101 of Articles of Association of the Company, for a period of five years from the date of his assumption of charge of the post (i.e. 01 March 2019) or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest. Subsequently his appointment was recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board vide in their respective meetings held on March 18, 2019 with effect from March 01, 2019.

His brief resume containing, qualification, expertise, remuneration, no. of meetings attended etc. is annexed herewith. The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as contained in the Notice by members of the Company.

Cmde Siddharth Mishra (Retd) is concerned or interested in the resolution to the extent it concerns his appointment. None of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in the Resolution set out at item No.4 of this Notice.

Item No.5

Shri.N.P.Diwakar was appointed as Director (Technical) on the Board of the Company by the Government of India vide its letter No. H-62011/1/2016-D (BDL) dated July 30, 2018 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) in terms of Article 101 of Articles of Association of the Company, for a period of five years from the date of his assumption of charge of the post (i.e. 01 September 2018) or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest. Subsequently his appointment was recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board vide in their respective meetings held on October 31, 2018 with effect from September 01, 2018.

His brief resume containing, qualification, expertise, remuneration, no. of meetings attended etc. is annexed herewith. The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as contained in the Notice by members of the Company.

Shri.N.P.Diwakar is concerned or interested in the resolution to the extent it concerns his appointment. None of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in the Resolution set out at item No.5 of this Notice.

Item No.6

Shri.P.Radha Krishna was appointed as Director (Production) on the Board of the Company by the Government of India vide its letter No.DDP-M 0001(11)/02/2018–D(BDL) dated 27/05/2019 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) in terms of Article 101 of Articles of Association of the Company, for a period of five years from the date of his assumption of charge of the post (i.e. 01 June 2019) or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest. Subsequently his appointment was recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board vide in their respective meetings held on May 30, 2019 with effect from June 01, 2019.

His brief resume containing, qualification, expertise, remuneration, no. of meetings attended etc. is annexed herewith. The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as contained in the Notice by members of the Company.

Shri.P.Radha Krishna is concerned or interested in the resolution to the extent it concerns his appointment. None of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in the Resolution set out at item No.6 of this Notice.

Item No.7 & 8

The Government of India vide its letter No. DDP-M0001(24)/04/2018-D (BDL) dated 28/11/2018 issued by Ministry of Defence (on behalf of President of India) reappointed/extended the tenure of Smt. Sushama v Dabak and Prof. Ajay Pandey as a Part-time Non-Official Directors (i.e Independent Directors) on the Board of the Company for a period of one year from the date of completion of their existing tenure (i.e. w.e.f 01 December 2018) or until further orders, whichever is earlier. Subsequently their appointments were approved by the Board in its meeting held on February 14, 2019 with effect from December 01, 2018.

The above Independent Directors has submitted declaration that they meet the criteria for independence as provided in Section 149(6) of the Act and eligible for continuation as Independent Directors. In opinion of the Board, each of these Directors fulfills the conditions specified in the Act, Rules and Listing Regulations for appointment as Independent Directors and is Independent of the management of the Company.

In terms of the provisions of Section 150 of the Act, appointment/ reappointment of Independent Directors are required to be approved by the Company in the General Meeting. The Board accordingly recommends passing of the proposed Special Resolution as contained in the Notice by members of the Company.

Smt.Sushama V Dabak and Prof.Ajay Pandey are concerned or interested in the resolutions to the extent it concerns their appointment. None of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in the Resolution set out at item No.7 & 8 of this Notice.

Item No.9

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company. On the recommendation of the Audit Committee, the Board at its 255th Meeting held on 10 August 2019 has considered and approved the appointment of M/s. Narasimha Murthy & Co., Cost Accountants as the cost auditor for the financial year 2019-20 and recommended remuneration of ₹ 150000/- per annum plus applicable tax. As per section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditor is required to be approved by the shareholders. The Board recommends the resolution set out in item No. 9 of the accompanying Notice for the approval of the members of the Company by way of an Ordinary Resolution. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives are in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item No.9 of the accompanying Notice.

By the Order of the Board of Directors

N.Nagaraja
Company Secretary

Hyderabad
10 August 2019

DETAILS OF DIRECTOR SEEKING REAPPOINTMENT/APPOINTMENT AT THE AGM PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF LISTING REGULATIONS AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS:

Name of the Director	Shri S.Piramanayagam	Cmde Siddharth Mishra (Retd.)	Shri N P Diwakar	Shri.P.Radha Krishna	Smt.Sushama V Dabak	Prof. Ajay Pandey
DIN	07117827	08367035	08207722	08437975	07085413	01292877
Date of Birth	June 05, 1960	March 25,1963	August 13, 1962	June 30, 1963	November 12,1953	June 06, 1963
Date of first appointment on the Board	January 1, 2015	March 01,2019	September 01, 2018	June 01, 2019	December 01,2015	December 01, 2015
Qualifications	He holds a bachelor's degree in Science from Madurai Kamraj University and is an associate member of the Institute of Chartered Accountants of India	He holds B Tech in Electrical Engineering, an MSc in Defence Studies and Master of Management Science. He is an alumnus of the prestigious Naval Academy and Naval College of Engineering, Lonavala.	B.E., in Mechanical Engineering from Osmania University, Hyderabad.	An M Tech in Industrial Engineering and Management from JNTU, Hyderabad and a B.Tech in Mechanical Engineering from Nagarjuna University in Andhra Pradesh	She holds a Master's degree in Economics from University of Bombay, Bachelor's Degree in Law from the University of Bombay and Diploma in Financial Management from University of Bombay	He holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from the University of Roorkee and has completed the Fellow programme in Management from Indian Institute of Management, Ahmedabad.
Expertise in specific functional areas	He has more than 30 years of work experience with financial management, Internal Audit, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control.	He was commissioned in the Electrical Branch of Indian Navy in the year 1985. Post-retirement from Navy in Sep 2016, he served ECIL, a Schedule "A" Central Public Sector Enterprise. Prior to joining BDL, he was General Manager (Defence) at ECIL, Hyderabad. In his 33 years of distinguished career, he has held varied Operational and Staff appointments, in addition to heading four major groups at ECIL At Naval Headquarters, he was instrumental in inducting and managing state-of- the- art technology, including policy framing and was in the core team and represented Indian Navy for induction of the Air Craft Carrier into the Services.	He has rich Experience span of 28 years in various Missile programs such as Prithvi, Akash & ATGM's. Also worked in tandem with DRDO to realise the Prithvi & Akash Missile systems from Development Mode to Series of Production Mode.	He holds rich experience, spanning over 32 years, in various fields of Missile Production which includes areas like Component Production, Missile Integration& testing, Project Planning, Quality Control & Indigenization of Missile Systems. He also established effective supply chain management in Anti-Tank Guided Missile Project/s by developing multi-vendor base and import substitution.	She had been a member of the Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) and retired on November 30, 2013 as Director General of Audit. She has held various posts including Principal Accountant General, Haryana, Accountant General (Audit –I & II), Rajasthan and Accountant General, Nagpur	He has worked as Associate Professor in the Management Development Institute, Gurugram. He has been previously associated with Oil & Natural Gas Corporation and also worked in financial sector with Anagram Securities Limited. He is currently a Professor at the IIM-A
Terms and conditions of appointment or reappointment	He was appointed w.e.f January 1, 2015 pursuant to Ministry of Defence Government of India bearing reference number H-62011/4/2013-D (BDL) dated July 01, 2015. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Defence in the above Order	He was appointed w.e.f March 1, 2019 pursuant to Ministry of Defence, Government of India vide its Office Memorandum No. DDP-M 0001(24)/02/2018–D(BDL) dated 25/02/2019. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Defence in the above Order	He was appointed w.e.f September 1, 2018 pursuant to Ministry of Defence, Government of India vide their letter No.H-62011/1/2016-D (BDL) dated July 30, 2018. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Defence in the above Order	He was appointed w.e.f June 1, 2019 pursuant to Ministry of Defence, Government of India vide their letter No. DDP-M 0001(11)/02/2018–D(BDL) dated 27/05/2019. The current terms and conditions of his employment were prescribed by Ministry of Defence in the above Order	Government of India vide its Letter No. DDP-M0001(24)/04/2018-D (BDL) dated 28/11/2018 re-appointed/extended the tenure of Smt. Sushama v Dabak as part time Non-Official Directors (Independent Directors) on the Board of the Company for a period of one year from the date of completion of their existing tenure (i.e. from 01 December 2018) or until further orders, whichever is earlier	Government of India vide its Letter No. DDP-M0001(24)/04/2018-D (BDL) dated 28/11/2018 re-appointed/extended the tenure of Ajay Pandey as part time Non-Official Directors (Independent Directors) on the Board of the Company for a period of one year from the date of completion of their existing tenure (i.e. from 01 December 2018) or until further orders, whichever is earlier
Details of remuneration last drawn (FY 2018-19)	₹ 65,00,595	₹ 3,59,751	₹ 45,09,130	-	Nil	Nil
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Membership of Committees/ Chairmanship in other Public Limited Companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2018-19	7	1	3	-	7	7
No. of shares held in the Company:						
(a) Own	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	NIL
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Inter-se relationship with other Directors and Key Managerial personnel	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil

NOTE:

Shri.P.Radha Krishna has been appointed as a Director (production) w.e.f June 01, 2019, hence details such as number of meetings of the Board attended during FY 2018-19 and remuneration drawn is not applicable for him

BHARAT DYNAMICS LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353
Corporate Office: Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Tel. No: 040-23456145 **Fax No:** 040-23456110
Email: investors@bdl-india.in **Website:** www.bdl-india.in

ATTENDANCE SLIP

49TH ANNUAL GENERAL MEETING ON FRIDAY, 27 SEPTEMBER, 2019 AT 15:30 HRS

Folio No.:	DP ID No.:	Client ID No.:
No. of Shares Held:		

I/We hereby record my/our presence at the 49th Annual General Meeting of the company at Hotel Sheraton, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 at 15:30 hrs on Friday, 27 September 2019.

Name of the Member _____ Signature _____

Name of the Proxyholder _____ Signature _____

Notes:

1. Only Member/Proxyholder can attend the Meeting
2. Please completely fill this attendance slip and hand over, duly signed, at the attendance verification counter at the entrance of the meeting hall.
3. Authorised Representatives of Corporate members shall produce proper authorisation issued in their favour.
4. Electronic copy of the Annual Report for 2018-19 and Notice of Annual General Meeting (AGM) along with attendance slip and proxy form is being sent to all the members whose email address is registered with the Company/Depository Participant unless any member has requested for a hard copy of the same. Members receiving electronic copy and attending the AGM can print copy of this Attendance Slip.
5. Member/Proxyholder attending the meeting should bring copy of Annual Report for reference at the meeting.

BHARAT DYNAMICS LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353
Corporate Office: Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032.
Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Tel. No: 040-23456145 **Fax No:** 040-23456110
Email: investors@bdl-india.in **Website:** www.bdl-india.in

PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member(s) :.....

Registered address :.....

Email ID:.....

Folio No. / Client ID No. :.....DP Id :.....

I/We, being the member (s) of ..... shares of Bharat Dynamics Limited, hereby appoint:

1. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

2. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

3. Name : ..... E-mail Id :.....

   Address :.....

   .....Signature :....., or failing him/her;

as my/our Proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Eighth Annual General Meeting of the company, to be held on Friday, 27 September 2019 at 15:30 hrs at Hotel Sherton, Nanakramguda, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

* I wish my above Proxy to vote in the manner as indicated in the box below:

Sl. No.	Resolutions	For	Against
ORDINARY BUSINESS			
1	To receive, consider and adopt audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st March 2019, together with the Reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon;		
2	To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the financial year ended 31st March 2019.		
3	To appoint a Director in place of Shri.S.Piramanayagam (DIN: 07117827), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
SPECIAL BUSINESS			
4	To appoint Cmde.Siddharth Mishra (Retd.)(DIN:08367035) as an Chairman & Managing Director of the Company		
5	To appoint Shri.N.P.Diwakar (DIN: 08207722) as an Director (Technical) of the Company		
6	To appoint Shri.P.Radha Krishna (DIN:08437975) as an Director (Production) of the Company		
7	To re-appoint Smt.Sushama. V. Dabak (DIN: 07085413) as Part-time Non-Official Director of the Company (i.e. Independent Director)		
8	To re-appoint Prof. Ajay Pandey (DIN:01292877) as Part-time Non-Official Director of the Company (i.e Independent Director)		
9	To ratify the remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2019-20		

Signed this..... day of 2019

Affix Revenue Stamp

Signature of Member ..... Signature of Proxyholder(s).....

Notes:

1. **This form of proxy in order to be effective should be duly filled, stamped, signed and deposited at the Corporate Office of the Company at Plot No. 38 & 39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032. not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.**
2. A proxy need not be a member of the Company.
3. This is only optional. Please put a '✓' in the appropriate column against the resolutions indicated in the box. If you leave the 'For' or 'Against' column blank against any or all the resolutions, your Proxy will be entitled to vote in the manner as he/she thinks appropriate.
4. For the resolutions, Explanatory Statement and Notes, please refer to the Notice of the Forty Ninth Annual General Meeting of the Company.

ROUTE MAP TO AGM VENUE

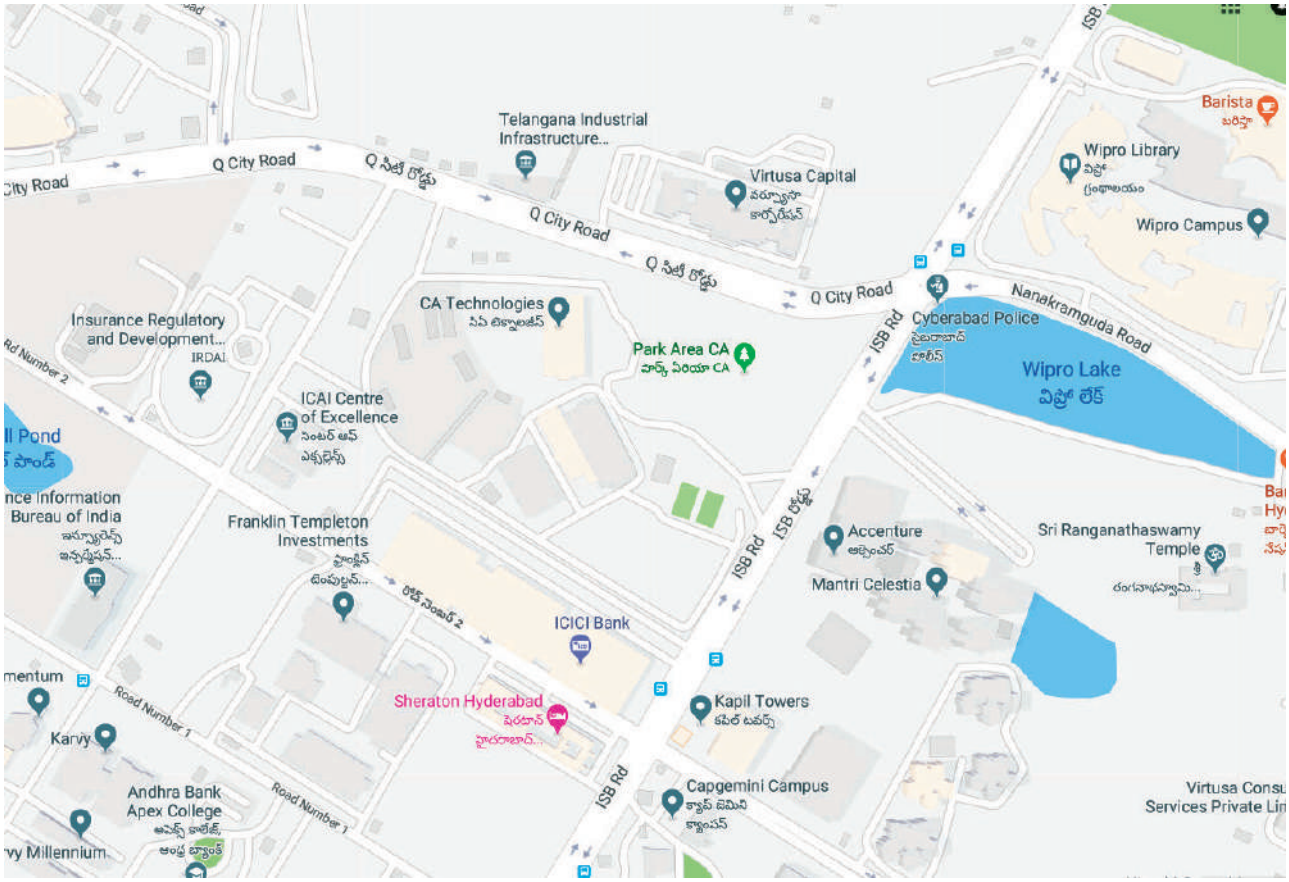

AGM Venue: **Hotel Sherton,** Nanakramguda, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032

Notes

Notes

Notes

Notes

बी डी एल प्रगति पथ MILESTONES

2019 एम आर सैम की भारतीय थल सेना को सुपुर्दगी
Handed over MRSAM to Indian Airforce

2018 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव तथा कंपनी का सूचीबद्धीकरण
Initial Public Offer and listing of the company

2017 एल आर सैम की भारतीय नौसेना को सुपुर्दगी
LRSAM handed over to Indian Navy

2016 शेयरों की वापस-खरीद पूर्ण
Completed buy back of shares

2015 भारतीय थल सेना को आकाश अस्त्र-प्रणाली की सुपुर्दगी
Handed over Akash weapon systems to the Indian Army

2014 भारत सरकार को अब तक का सर्वाधिक लाभांश प्रदत्त
BDL pays its highest ever dividend to Govt of India

2013 विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन
Third manufacturing unit of BDL inaugurated at Visakhapatnam

2011 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में बी डी एल इकाई का शिलान्यास
Hon'ble President of India, Smt. Pratibha Devisingh Patil lays the foundation stone for BDL's unit at Amravati, Maharashtra

2010 बी डी एल की तीसरी इकाई का विशाखापट्टणम में शिलान्यास
Foundation stone laid for third manufacturing unit of BDL Visakhapatnam

2008 लंबी दूरी के सैम तथा भारी टॉरपिडो के लिए उत्पादन एजेंसी बनना
Production Agency for Long Range SAM & Heavy Weight Torpedo

2007 टैंकरोधी डिकॉय प्रणाली का उत्पादन
Production of Anti Torpedo Decoy System

2004 सामरिक मिसाइल के नौसेना संस्करण का उत्पादन
Production of Naval Version of Strategic Missile

2003 दूसरी पीढ़ी से आगे के ए टी जी एम का उत्पादन
Production of 2nd Generation ATGM

2001 हल्के भार वाले टॉरपिडो का उत्पादन
Light Weight Torpedo Production

2000 मिनीरत्न-1 कंपनी के रूप में श्रेणीकृत
Categorized as Mini Ratna-1 Company

1994 सामरिक मिसाइल उत्पादन
Strategic Missile Production

1992 अनुसूची-बी में उन्नयन
Upgraded to Schedule B

1989 सामरिक ए टी जी एम का उत्पादन
Production of Strategic ATGM

1986 अनुसूची-सी में उन्नयन
Upgraded to Schedule C

1985 दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन
Production of 2nd Generation ATGM

1983 आई जी एम डी पी के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी घोषित
Prime Production Agency for IGMDP

1971 पहली पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन
Production of 1st Generation ATGM

1970 रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित
Established as PSU under Ministry of Defence

Advisory & Design: www.corpcommstudio.in

भारत डायनामिक्स लिमिटेड BHARAT DYNAMICS LIMITED

निगम पहचान संख्या Corporate Identity Number (CIN): L24292TG1970GOI001353

निगम कार्यालय: प्लाट नं. 38 & 39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032

Corporate Office: Plot No. 38&39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Gachibowli, Hyderabad-50032

पंजीकृत कार्यालय Registered Office: कंचनबाग Kanchanbagh हैदराबाद Hyderabad-500058

दूरभाष Tel. No.: 040-23456145, **फैक्स Fax:** 040-23456110

ई-मेल E-mail: investors@bdl-india.in **वेबसाइट Website:** www.bdl-india.in